खंड 1, अंक 1

मंगलवार, 26 मार्च, 2002
5 चैत्र, 1924 (शक)

संसद के सदनों की संयुक्त बैठक

वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मल्होत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

संसद के सदनों की संयुक्त बैठक

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अखिलेश दास, डा. (उत्तर प्रदेश)
अग्निराज, श्री एस. (तमिलनाडु)
अग्रवाल, प्रो. एम.एम. (उत्तर प्रदेश)
अग्रवाल, श्री रामदास (राजस्थान)
अग्रवाल, श्री लक्खीराम (छत्तीसगढ़)
अग्रवाला, श्री परमेश्वर कुमार (झारखंड)
अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)
अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)
अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)
अनिल कुमार, श्री (बिहार)
अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)
अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी. (कन्नानौर)
अमीर आलम, श्री (कैराना)
अम्बरीश, श्री (माण्डया)
अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)
अय्यर, श्री मणि शंकर (मयिलादुतुरई)
अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)
अलफोन्से, श्री एस. पीटर (तमिलनाडु)
अलवी, श्री राशिद (अमरोहा)
अहमद, श्री ई. (मंजेरी)
अहमद, श्री दाऊद (शाहाबाद)
अहलुवालिया, श्री एस.एस. (झारखंड)

आ

आंग्ले, श्री रमाकांत (मारमागाओ)
आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)
आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजमी, मौलना ओबैदुल्ला खान (झारखंड)
आजमी, श्रीमती शबाना (नामनिर्दिष्ट)
आजाद, श्री कीर्ति झा (दरभंगा)
आजाद, श्री गांधी (उत्तर प्रदेश)
आजाद, श्री गुलाम नबी (जम्मू-कश्मीर)
आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधी नगर)
आदि शंकर, श्री (कुड्डालोर)
आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)
आनन्द, श्री आर.के. (झारखंड)
आपटे, श्री ब.प. (महाराष्ट्र)
आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता (करोलबाग)
आर्य, श्री आर.एन. (उत्तर प्रदेश)
आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट (कनारा)

इ

इन्दिरा, श्रीमती एस.जी. (तमिलनाडु)
इन्दौरा, डा. सुशील कुमार (सिरसा)
इब्राहीम, श्री सी.एम. (कर्नाटक)

ई

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उ

उमा भारती, कुमारी (भोपाल)
उराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)
उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम (बारपेटा)

ए

ए. नरेन्द्र, श्री (मेडक)
एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी. (नामनिर्दिष्ट)
एम. मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)
एलानगोवन, श्री पी.डी. (धर्मपुरी)

ओ

ओझा, श्री नागेन्द्र नाथ (बिहार)
ओला, श्री शीश राम (झुंझनूं)
ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन (हैदराबाद)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)
कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)
कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)
कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)
कन्नप्पन, श्री एम. (तिरूचेन्गोड़े)
कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)
करूणाकरन, श्री के. (मुकुन्दपुरम)
कर्ण सिंह, डा. (रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली)
कलमाडी, श्री सुरेश (महाराष्ट्र)
कलिअप्पन, श्री के.के. (गोबिचेट्टिपालयम)
कश्यप, श्री बली राम (बस्तर)
कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)
कांशी राम, श्री (उत्तर प्रदेश)
कादर, श्री एम.ए. (तमिलनाडु)

कानूनगो, श्री त्रिलोचन (जगतसिंहपुर)
कामराज, श्री आर. (तमिलनाडु)
काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव (उस्मानाबाद)
किदवई, डा.ए.आर. (रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली)
किन्डिया, श्री पी.आर. (शिलांग)
कुजूर, श्री मॉरिस (उड़ीसा)
कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)
कुमार, श्री अरूण (जहानाबाद)
कुमार, श्री वी. धनंजय (मगंलौर)
कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)
कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)
कुरैशी, श्री अब्दुल गैयूर (मध्य प्रदेश)
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)
कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)
कृष्णदास, श्री एन.एन. (पालघाट)
कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)
कृष्णमराजू, श्री (नरसापुर)
कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम (ओंगोले)
कृष्णमूर्ति, श्री के.ई. (कुरनूल)
कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरुमबुदुर)
केसवानी, श्री सुरेश ए. (महाराष्ट्र)
कोंडैया, श्री के.सी. (कर्नाटक)
कोविन्द, श्री रामनाथ (उत्तर प्रदेश)
कौर, श्रीमती गुरचरण (पंजाब)
कौर, श्रीमती प्रेनीत (पटियाला)
कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)
कौशल, श्री स्वराज (हरियाणा)
कौशिक, श्री रमा शंकर (उत्तर प्रदेश)

ख

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)
खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)
खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)
खरवार, श्री घनश्याम चन्द्र (उत्तर प्रदेश)
खां, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)
खां, श्री मनसूर अली (सहारनपुर)
खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)
खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)
खान (दुरु), श्री ऐमादुद्दीन अहमद (राजस्थान)
खान, श्री के.एम. (आंध्र प्रदेश)
खान, श्री के. रहमान (कर्नाटक)
खान, श्री हसन (लद्दाख)
खाबरी, श्री बृजलाल (जालौन)
खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)
खूंटिआ, श्री रामचन्द्र (उड़ीसा)
खूंटे, श्री पी.आर. (सारंगढ़)
खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)
गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)
गमांग, श्रीमती हेमा (कोरापुट)
गया सिंह, श्री (बिहार)
गवई, श्री आर.एस. (महाराष्ट्र)
गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव (वाशिम)
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)
गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)
गांधी, श्रीमती सोनिया (अमेठी)
गाड्डे, श्री राम मोहन (विजयवाड़ा)
गामलिन, श्री जारबोम (अरुणाचल पश्चिम)
गालिब, श्री जी.एस. (लुधियाना)
गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)
गावीत, श्री रामदास रूपला (धुले)
गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)
गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरी)
गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)
गुप्त, प्रो. चमन लाल (उधमपुर)
गुप्त, श्री बनारसी दास (हरियाणा)
गुप्ता, श्री प्रेमचन्द (बिहार)
गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)
गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)
गोयनका, श्री आर.पी. (राजस्थान)
गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)
गोयल, श्री वेद प्रकाश (महाराष्ट्र)
गोविन्दन, श्री टी. (कासरगौड़)
गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)
गौडा, श्री एच.के. जवारे (कर्नाटक)
गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी (हसन)
गौतम, श्री संघ प्रिय (उत्तरांचल)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)
ग्याम्छो, श्री पालदेन छिरिंग (सिक्किम)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चतुर्वेदी, श्री टी.एन. (उत्तर प्रदेश)
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत (खजुराहो)
चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.)
चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)
चन्द्रन, श्री एस.एस. (तमिलनाडु)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उत्तर प्रदेश)
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती (हिमाचल प्रदेश)
चव्हाण, श्री शंकर राव (महाराष्ट्र)
चितरंजन, श्री जे. (केरल)
चिन्नासामी, श्री एम. (करूर)
चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई (जूनागढ़)
चेन्नितला, श्री रमेश (मवेलीकारा)
चौटाला, श्री अजय सिंह (भिवानी)
चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम (बाड़मेर)
चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)
चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां (मालदा)
चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)
चौधरी, श्री पदमसेन (बहराइच)
चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई (बलसाड़)
चौधरी, श्री राम टहल (रांची)
चौधरी, श्री राम रघुनाथ (नागौर)
चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)
चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)
चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)
चौधरी, श्रीमती रेणूका (खम्माम)
चौधरी, श्रीमती सन्तोष (फिल्लौर)
चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)
चौहान, श्री दारा सिंह (उत्तर प्रदेश)
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)
चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)
चौहान, श्री बालकृष्ण (घोसी)
चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)
चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगतरक्षकन, डा. एस. (अर्कोनम)
जगन्नाथ, डा. मन्दा (नगर कुरनूल)
जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)
जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)
जमीर, श्री सी. अपोक (नागालैंड)
जय प्रकाश, श्री (हरदोई)
जयशीलन, डा. ए.डी.के. (तिरूचेंदूर)
जहेदी, श्री महबूब (कटवा)
जाधव, श्री सुरेश रामराव (परभनी)
जाफर शरीफ, श्री सी.के. (बंगलौर उत्तर)
जायसवाल, डा. मदन प्रसाद (बेतिया)
जायसवाल, श्री जवाहर लाल (चन्दौली)
जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)
जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)
जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)
जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)
जावीया, श्री जी.जे. (पोरबंदर)
जाहिदी, श्री खान गुफ़रान (उत्तर प्रदेश)
जीगाजीनागी, श्री रमेश सी. (चिक्कोडी)
जूदेव, श्री दिलीप सिंह (छत्तीसगढ़)
जेटली, श्री अरुण (गुजरात)
जेठमलानी, श्री राम (महाराष्ट्र)
जैन, श्री पुष्प (पाली)
जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)
जोशी, श्री कैलाश (मध्य प्रदेश)
जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर मध्य)
जोस, श्री ए.सी. (त्रिचूर)
ज्ञानादिशिखन, श्री बी.एस. (तमिलनाडु)

झ

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ट

टोपनो, कुमारी फ्रिडा (उड़ीसा)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)
ठाकुर, डा. सी.पी. (पटना)
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई (भंडारा)
ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ड

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)
डूडी, श्री रामेश्वर (बीकानेर)
डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिंडसा, श्री सुखदेव सिंह (पंजाब)
ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

त

तिक्से, श्री कुशोक (जम्मू-कश्मीर)
तिरुनावुकरसर, श्री सु. (पुडुक्कोट्टई)
तिरुनावुक्कारासु, श्री सी.पी. (पांडिचेरी)
तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)
तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)
तिवारी, श्री सुन्दर लाल (रीवा)
तुड़, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)
तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)
तोमर, डा. रमेश चंद (हापुड़)
तोहड़ा, सरदार गुरुचरण सिंह (पंजाब)
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)
त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

थ

थापस, श्री पी.सी. (मुवत्तुपुजा)

द

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)
दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)
दर्डा, श्री विजय जे. (महाराष्ट्र)
दलित इजिलमलाई, श्री (तिरूचिरापल्ली)
दवे, श्री अनन्तराय देवशंकर (गुजरात)
दसारी, श्री एन.आर. (आंध्र प्रदेश)
दास, डा. एम.एन. (उड़ीसा)
दास, डा. (कुमारी) पी. सैल्वी (नामनिर्दिष्ट)
दास, श्री खागेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)
दासगुप्त, डा. विप्लव (पश्चिमी बंगाल)
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)
दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)
दिनाकरन, श्री टी.टी.वी. (पेरियाकुलम)
दिलीप कुमार, श्री यूसुफ सरवर खान उर्फ (महाराष्ट्र)
दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)
दीपक कुमार, श्री (उन्नाव)
दुग्गल, श्री कर्तार सिंह (नामनिर्दिष्ट)
दुबे, श्रीमती सरोज (बिहार)
दुराई, श्री एम. (वन्डावासी)
दूलो, श्री शमशेर सिंह (रोपड़)
देलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)
देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)
देवगौड़ा, श्री एच.डी. (कनकपुरा)
देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरुक्षेत्र)
देशमुख, श्री नाना (नामनिर्दिष्ट)

ध

धम्मा वीरियो, श्रद्धेय (झारखंड)
ध्यानी, श्री मनोहर कान्त (उत्तरांचल)

न

नन्दी, श्री प्रीतीश (महाराष्ट्र)
नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)
नरेन्द्र मोहन, श्री (उत्तर प्रदेश)
नांग्दु, श्री ऑन्वार्ड एल. (मेघालय)
नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)
नागमणि, श्री (चतरा)
नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)
नायक, श्री अली मोहम्मद (अनंतनाग)
नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)
नायडु, श्री एम. वेंकैया (कर्नाटक)
नारायणन, श्री पी.जी. (तमिलनाडु)
नारीमन, श्री फाली एस. (नामनिर्दिष्ट)
नाहटा, श्रीमती जयप्रदा (आंध्र प्रदेश)
निरुपम, श्री संजय (महाराष्ट्र)
निरैकुलथन, श्री एस. (तमिलनाडु)
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)
नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)
नैयर, श्री कुलदीप (नामनिर्दिष्ट)

प

पचौरी, श्री सुरेश (मध्य प्रदेश)
पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी (आस्का)
पटवा, श्री सुन्दर लाल (होशंगाबाद)
पटेल, डा. अशोक (फतेहपुर)
पटेल, डा. ए.के. (गुजरात)
पटेल, श्री अहमद (गुजरात)
पटेल, श्री आत्माराम भाई (मेहसाना)
पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी (खरगौन)
पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई (दमण और दीव)
पटेल, श्री दिनशा (कैरा)
पटेल, श्री दीपक (आनंद)
पटेल, श्री धर्म राज सिंह (फूलपुर)
पटेल, श्री प्रफुल्ल (महाराष्ट्र)
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (बालाघाट)

पटेल, श्री मानसिंह (मांडवी)
पटेल, श्री मुकेश आर. (महाराष्ट्र)
पंडा, श्री बी.जे. (उड़ीसा)
पण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)
पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा (काकीनाड़ा)
परमार, श्री कृपाल (हिमाचल प्रदेश)
परमार, श्री राजू (गुजरात)
परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)
परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)
पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)
पवार, श्री शरद (बारामती)
पवैया, श्री जयभान सिंह (ग्वालियर)
पांजा, डा. रंजीत कुमार (बारासाट)
पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
पांडियन, श्री पी.एच. (तिरुनेलवेली)
पांडे, श्रीमती चन्द्रकला (पश्चिमी बंगाल)
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)
पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव (बेलगाम)
पाटिल, श्री आर.एस. (बागलकोट)
पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड (बीजापुर)
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के. (इरन्दोल)
पाटील, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड)
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)
पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)
पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)
पाटील, श्री भास्करराव (नांदेड़)
पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)
पाटील, श्री शिवराज वि. (लातूर)
पाटील, श्री श्रीनिवास (कराड़)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)
पाण्डेय, श्री-रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)
पायलट, श्रीमती रमा (दौसा)
पार्थसारथी, श्री बी.के. (हिन्दुपुर)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पॉलोस, श्री सी.ओ. (केरल)
पासवान, डा. संजय (नवादा)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसेड़ा)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)
पासी, श्री सुरेश (चायल)
पिल्लै, श्री एस. रामचन्द्रन (केरल)
पुंज, श्री बलबीर के. (उत्तर प्रदेश)
पुगलिया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)
पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)
पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)
प्रधान, डा. देवेन्द्र (देवगढ़)
प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)
प्रधान, श्री सतीश (महाराष्ट्र)
प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)
प्रमाणिक, प्रो. आर.आर. (मथुरापुर)
प्रसाद, श्री रवि शंकर (बिहार)
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)
प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के. (केरल)
प्रेमाजम, प्रो. ए.के. (बडागरा)

फ

फर्नांडिस, श्री ओस्कर (कर्नाटक)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)
फागुनी राम, डा. (बिहार)
फारूक, श्री एम.ओ.एच. (पांडिचेरी)
फेलेरियो, श्री एडुआर्डो (गोवा)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)
बंगारू लक्ष्मण, श्री (गुजरात)
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वारस)
बख्त, श्री सिकन्दर (मध्य प्रदेश)
बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह (जलेसर)
"बचदा", श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)
बचानी लेखराज, श्री (गुजरात)
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)
बनातवाला, श्री जी.एम. (पोन्नानी)
बब्बन राजभर, श्री (सलेमपुर)
बब्बर, श्री राज (आगरा)
बरगोंहाइ, श्री हुपद (असम)
बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)
बराड़, श्री जे.एस. (फरीदकोट)
बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)
बलिराम, डा. (लालगंज)
बसवनागौड़, श्री कोलुर (बेल्लारी)

बसवराज, श्री जी.एस. (तुमकुर)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बसु, श्री नीलोत्पल (पश्चिमी बंगाल)
बागड़ोदिया, श्री संतोष (राजस्थान)
बारूपाल, श्रीमती जमना देवी (राजस्थान)
बालू, श्री टी.आर. (मद्रास दक्षिण)
बिन्द, श्री रामरती (मिर्जापुर)
बिरला, श्री कृष्ण कुमार (राजस्थान)
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)
बिश्वास, श्री आनन्द मोहन (नवद्वीप)
बिस्वास, श्री देवव्रत (पश्चिमी बंगाल)
बुन्देला, श्री सुजानसिंह (झांसी)
बेगम नूर बानो (रामपुर)
बेहरा, श्री पद्मनाव (फूलबनी)
बैंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री (जबलपुर)
बैरागी, श्री बालकवि (मध्य प्रदेश)
बैस, श्री रमेश (रायपुर)
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)
बोचा, श्री सत्यनारायण (बोब्बिली)
बोम्मई, श्री एस.आर. (कर्नाटक)
बोरा, श्री इन्द्रमणि (असम)
बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)
बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)
ब्रह्मनैया, श्री ए. (मछलीपटनम)

भ

भंडारी, प्रो. रामदेव (बिहार)
भगत, प्रो. दुखा (लोहरदगा)
भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)
भट्ट, श्री ब्रह्मकुमार (गुजरात)
भट्टाचार्य, श्री कर्णेन्दु (असम)
भट्टाचार्य, श्री जयन्त (पश्चिमी बंगाल)
भट्टाचार्य, श्री मनोज (पश्चिमी बंगाल)
भडाना, श्री अवतार सिंह (मेरठ)
भाटिया, श्री आर.एल. (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री हंसराज (मध्य प्रदेश)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)
भेंडिया, श्री झुमुक लाल (छत्तीसगढ़)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मंगेशकर, सुश्री लता (नामनिर्दिष्ट)
मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)
मकवाना, श्री सवशीभाई (सुरेन्द्रनगर)
मट्टातिल, श्री एम.जे. वरके (केरल)
मनमोहन सिंह, डा. (असम)
मनहर, श्री भगत राम (छत्तीसगढ़)
मलयसामी, श्री के. (रामनाथपुरम)
मलिक, श्री जगन्नाथ (जाजपुर)
मल्याला, श्री राजैया (सिद्दीपेट)
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी. (दावणगेरे)
मल्होत्रा, डा. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)
महंत, डा. चरणदास (जांजगीर)
महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)
महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)
महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)
महरिया, श्री सुभाष (सीकर)
महाजन, श्री प्रमोद (महाराष्ट्र)
महाजन, श्री वाई.जी. (जलगांव)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
महाराज, डा. स्वामी साक्षीजी (उत्तर प्रदेश)
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर (मालेगांव)
महेन्द्र प्रसाद, श्री (बिहार)
मांझी, श्री रामजी (गया)
माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)
मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)
मान, श्री सिमरनजीत सिंह (संगरूर)
मान सिंह, राव (हरियाणा)
माने, श्री शिवाजी (हिंगोली)
माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)
माहेश्वरी, श्री पी.के. (मध्य प्रदेश)
माहेश्वरी, श्रीमती सरला (पश्चिमी बंगाल)
मिश्र, श्री कलराज (उत्तर प्रदेश)
मिश्र, श्री जनेश्वर (उत्तर प्रदेश)
मिश्र, श्री दीनानाथ (उत्तर प्रदेश)
मिश्र, श्री रंगनाथ (उड़ीसा)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकांठा)
मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)
मीणा, श्री मूल चन्द (राजस्थान)
मीणा, श्रीमती जस कौर (सवाई माधोपुर)
मुखर्जी, श्री दीपांकर (पश्चिमी बंगाल)
मुखर्जी, श्री प्रणब (पश्चिमी बंगाल)
मुखर्जी, श्री सत्यव्रत (कृषनगर)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)
मुनिलाल, श्री (सासाराम)
मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)
मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)
मुरुगेसन, श्री एस. (तेनकासी)
मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)
मुर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)
मुलाना, श्री फकीर चन्द (हरियाणा)
मूर्ति, डा. वाई. राधाकृष्ण (आंध्र प्रदेश)
मूर्ति, श्री ए. के. (चेंगलपट्टू)
मूर्ति, श्री एम. राजशेखर (कर्नाटक)
मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस. (विशाखापत्तनम)
मूर्ति, श्री के.बी. कृष्णा (कर्नाटक)
मेघवाल, श्री कैलाश (टौंक)
मेहता, श्री ललितभाई (गुजरात)
मेहता, श्रीमती जयवंती (मुम्बई दक्षिण)
मैत्रेयन, डा. वी. (तमिलनाडु)
मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)
मोहन, श्री पी. (मदुरै)
मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)
मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)
मोहोल, श्री अशोक ना. (खेड़)

य

यादव, चौधरी हरमोहन सिंह (नामनिर्दिष्ट)
यादव, डा. जसवंत सिंह (अलवर)
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा (महेन्द्रगढ़)
यादव, प्रो. रामगोपाल (उत्तर प्रदेश)
यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)
यादव, श्री डी.पी. (उत्तर प्रदेश)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री देवेन्द्र सिंह (एटा)
यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)
यादव, श्री भालचन्द्र (खलीलाबाद)
यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)
यादव, श्री रंजन प्रसाद (बिहार)
यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)
यादव, श्री विजय सिंह (बिहार)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)
यादव "रवि", डा. रमेन्द्र कुमार (बिहार)
येरननायडू, श्री के. (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला असम)
रमण, डा. (राजनंदगांव)
रमैया, डा. बी.बी. (एलुरू)
रवि, श्री शीशराम सिंह (बिजनौर)
रशीद, मिर्जा अब्दुल (जम्मू-कश्मीर)
राघवन, श्री वी.वी. (केरल)
राजकुमार, डा. अलादी पी. (आंध्र प्रदेश)
राजगोपाल, श्री ओ. (मध्य प्रदेश)
राजवंशी, श्री माधव (मंगलदोई)
राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)
राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)
राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राणा, श्री राजू (भावनगर)
राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)
राधाकृष्णन, श्री सी.पी. (कोयम्बटूर)
राधाकृष्णन, श्री पोन (नागरकोइल)
राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)
राम सजीवन, श्री (बांदा)
रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन. (टिंडिवनाम)
रामचन्द्रैया, श्री सी. (आंध्र प्रदेश)
रामण्णा, डा. राजा (नामनिर्दिष्ट)
रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)
रामास्वामी, श्री चो. एस. (नामनिर्दिष्ट)
रामुलू, श्री एच.जी. (कोप्पल)
रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह (उत्तर प्रदेश)
रामैया, श्री गुनीपाटी (राजमपेट)
राय, प्रो. (श्रीमती) भारती (पश्चिमी बंगाल)
राय, श्री अवनि (पश्चिमी बंगाल)

राय, श्री जीवन (पश्चिमी बंगाल)
राय, श्री दिलीप (उड़ीसा)
राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री लाजपत (पंजाब)
राय, श्री विष्णु पद (अंदमान और निकोबार द्वीप समूह)
राय, श्री सुबोध (भागलपुर)
राय, श्रीमती कुमकुम (बिहार)
राय चौधरी, श्री शंकर (पश्चिमी बंगाल)
राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
रायकर, श्रीमती बिम्बा (कर्नाटक)
राव, डा. डी.वी.जी. शंकर (पार्वतीपुरम)
राव, डा. डी. वेंकटेश्वर (आंध्र प्रदेश)
राव, डा. दसारी नारायण (आंध्र प्रदेश)
राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण (राजामुन्दरी)
राव, श्री के. कलावेंकट (आंध्र प्रदेश)
राव, श्री के. राम मोहन (आंध्र प्रदेश)
राव, श्री गंता श्रीनिवास (अनकापल्ली)
राव, श्री यदलापति वेंकट (आंध्र प्रदेश)
राव, श्री वाई.वी. (गुंटूर)
राव, श्री सीएच. विद्यासागर (करीमनगर)
राव, श्रीमती प्रभा (वर्धा)
रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)
रावत, श्री प्रदीप (पुणे)
रावत, श्री रामसागर (बाराबंकी)
रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण मध्य)
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण (पाटन)
रिजवान जहीर, श्री (बलरामपुर)
रिजवी, डा. अख्तर हसन (उत्तर प्रदेश)
रिबैलो, कुमारी मैबल (मध्य प्रदेश)
रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)
रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)
रूमान्डला रामचन्द्रय्या, श्री (आंध्र प्रदेश)
रेड्डी, डा. सी. नारायण (नामनिर्दिष्ट)
रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (नरसारावपेट)
रेड्डी, श्री एन.आर.के. (चित्तूर)
रेड्डी, श्री एस. जयपाल (भिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर (नालगोंडा)
रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)
रेड्डी, श्री जी. गंगा (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री पी. प्रभाकर (आंध्र प्रदेश)
रेड्डी, श्री बी.वी.एन. (नांदयाल)
रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)
रेड्डी, श्री सोलीपेटा रामचन्द्रा (आंध्र प्रदेश)
रेनु कुमारी, श्रीमती (खगड़िया)
रेबिया, श्री नाबम (अरुणाचल प्रदेश)

ल

लक्ष्मी प्रसाद, डा. वाई. (आंध्र प्रदेश)
लक्ष्मी सागर, प्रो. ए. (कर्नाटक)
लछमन सिंह, श्री (हरियाणा)
लामा, श्री दावा (पश्चिमी बंगाल)
लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)
लिब्रा, श्री सुखदेव सिंह (पंजाब)
लेपचा, श्री एस.पी. (दार्जिलिंग)

व

वंगा गीता, श्रीमती (आंध्र प्रदेश)
वंग्चा, श्री राजकुमार (अरुणाचल पूर्व)
वनगा, श्री चिंतामन (दहानू)
वर्मा, डा. साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली)
वर्मा, प्रो. रामबख्श सिंह (उत्तर प्रदेश)
वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)
वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)
वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)
वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)
वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह (शाहजहांपुर)
वर्मा, श्री विक्रम (मध्य प्रदेश)
वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)
वहाडणे, श्री सूर्यभान पाटील (महाराष्ट्र)
वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर. (मैसूर)
वारिसा, श्री प्रकांत (असम)
विजय राघवन, श्री ए. (केरल)
विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)
विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम. (भद्राचलम)
विरूम्भी, श्री एस. विडुतलै (तमिलनाडु)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा (नेल्लौर)
वेंकटस्वामी, डा. एन. (तिरूपति)
वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी (तेनाली)
वेंकटेस्वरलु, श्री बी. (वारंगल)
वेणुगोपाल, डा. एस. (आदिलाबाद)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरूपत्तूर)
वेत्रिसेलवन, श्री वी. (कृष्णागिरि)
वैको, श्री (शिवकाशी)
व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकरलिंगम, प्रो. एम. (तमिलनाडु)
शरत् कुमार, श्री आर. (तमिलनाडु)
शरीक, श्री शरीफ-उद्-दीन (जम्मू-कश्मीर)
शर्मा, कैप्टन सतीश (रायबरेली)
शर्मा, डा. अरुण कुमार (असम)
शर्मा, डा. महेश चन्द्र (राजस्थान)
शर्मा, श्री अनिल (हिमाचल प्रदेश)
शर्मा, श्रीमती बसंती (असम)
शशि कुमार, श्री (चित्रदुर्ग)
शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम (शिमला)
शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)
शान्ता कुमार, श्री (कांगड़ा)
शारदा, श्रीमती सविता (गुजरात)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)
शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)
शिरोडकर, श्री अधिक (महाराष्ट्र)
शिवकुमार श्री वी.एस. (तिरुअनन्तपुरम)
शुक्ल, श्री राजीव (उत्तर प्रदेश)
शुक्ल, श्री श्यामाचरण (महासमुन्द)
शेरवानी, श्री सलीम आई. (बदायूं)
शौरी, श्री अरुण (उत्तर प्रदेश)
श्यामलाल, श्री (उत्तर प्रदेश)
श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमंगलूर)
श्रीनिवासन, श्री सी. (डिंडीगुल)
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा (अनन्तपुर)

ष

षणमुगम, श्री एन.टी. (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)
संखवार, श्री प्यारे लाल (घाटमपुर)
संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)
संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)
सईद, श्री पी.एम. (लक्षद्वीप)
सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)
सनदी, प्रो. आई.जी. (धारवाड़ दक्षिण)
समदानी, श्री एम.पी. अब्दुसमद (केरल)
सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)
सरकार, डा. बिक्रम (पंसकुरा)
सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)
सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)
सरोज, श्रीमती सुशीला (मिसरिख)
सरोजा, डा. वी. (रासीपुरम)
सांगतम, श्री के.ए. (नागालैंड)
सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)
साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)
सामन्तराय, श्री प्रभात (केन्द्रपाड़ा)
सामल, श्री मनमोहन (उड़ीसा)
साय, श्री विष्णुदेव (रायगढ़)
साल्वे, श्री एन.के.पी. (महाराष्ट्र)
साहू, श्री अनादि (बरहामपुर, उड़ीसा)
साहू, श्री ताराचन्द (दुर्ग)
सिंघवी, डा. लक्ष्मीमल्ल (राजस्थान)
सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य मा. (गुना)
सिंह, कुंवर अखिलेश (महाराजगंज, उ.प्र.)
सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)
सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र (रोहतक)
सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली)
सिंह, डा. रामलखन (भिण्ड)
सिंह, श्री अजित (बागपत)
सिंह, श्री अमर (उत्तर प्रदेश)
सिंह, श्री अर्जुन (मध्य प्रदेश)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सिधी)
सिंह, श्री चन्द्र भूषण (फरुखाबाद)
सिंह, श्री चन्द्र विजय (मुरादाबाद)
सिंह, श्री चन्द्रनाथ (मछलीशहर)
सिंह, श्री चरनजीत (होशियारपुर)
सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)
सिंह, श्री जयभद्र (सुल्तानपुर)
सिंह, श्री जसवन्त (राजस्थान)
सिंह, श्री डब्ल्यू. अङो (मणिपुर)
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद (कोडरमा)
सिंह, श्री टीएच. चाओबा (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)
सिंह, श्री देवी प्रसाद (उत्तर प्रदेश)
सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बलबीर (जालन्धर)
सिंह, श्री बहादुर (बयाना)
सिंह, श्री बृज भूषण शरण (गोंडा)
सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)
सिंह, श्री राजो (बेगुसराय)
सिंह, श्री राधामोहन (मोतिहारी)
सिंह, श्री राम प्रसाद (आरा)
सिंह, श्री रामजीवन (बलिया, बिहार)
सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)
सिंह, श्री रामानन्द (सतना)
सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)
सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)
सिंह, श्री वीरभद्र (उड़ीसा)
सिंह, श्री सुखबीर (पंजाब)
सिंह, श्री सुरेन्द्र कुमार (छत्तीसगढ़)
सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)
सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)
सिंह, श्रीमती श्यामा (औरंगाबाद, बिहार)
सिंह, सरदार बूटा (जालौर)
सिंह देव, श्री के.पी. (ढेंकानाल)
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)
सिंह ''ललन'', श्री राजीव रंजन (बिहार)
सिंह, ''सूर्य'', श्री राजनाथ (उत्तर प्रदेश)
सिंहल, श्री भारतेन्दु प्रकाश (उत्तर प्रदेश)
सिकदर, श्री तपन (दमदम)
सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)
सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)
सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (बिहार)
सिब्बल, श्री कपिल (बिहार)
सिरिगीरेड्डी, श्री राममुनी रेड्डी (आंध्र प्रदेश)
सिवा, श्री पी.एन. (तमिलनाडु)
सिवासुब्रमणियन, श्री एस. (तमिलनाडु)
सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती) (पेद्दापल्ली)
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम. (शिवगंगा)
सुधीरन, श्री वी.एम. (अलेप्पी)
सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)
सुन्दरराजन, श्री पी. (तमिलनाडु)
सुब्बा, श्री एम.के. (तेजपुर)
सुब्बियन, श्री का.रा. (तमिलनाडु)
सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)
सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)
सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)
सेठी, श्री अनन्त (उड़ीसा)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री मृणाल (नामनिर्दिष्ट)
सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)
सेनगुप्त, श्री ब्रतीन (पश्चिमी बंगाल)
सेनगुप्ता, डा. नीतिश (कोन्टाई)
सेल्वागनपति, श्री टी.एम. (सेलम)
सैफुल्ला, श्री के.एम. (आंध्र प्रदेश)
सोनी, श्रीमती अम्बिका (रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली)
सोमैया, श्री किरीट (मुम्बई उत्तर पूर्व)
सोराके, श्री विनय कुमार (उदुपी)
सोलंकी, श्री गोपाल सिंह जी. (गुजरात)
सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)
स्वराज, श्रीमती सुषमा (उत्तरांचल)
स्वाइं, श्री खारबेल (बालासोर)
स्वामी, श्री ईश्वर दयाल (करनाल)
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (जौनपुर)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)
हक, मोहम्मद अनवारूल (शिवहर)
हमीद, श्री अब्दुल (धूबरी)
हसन, श्री मुनव्वर (उत्तर प्रदेश)
हसन, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)
हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)
हाजी, श्री कोरमबायिल अहमद (केरल)
हिफेई, श्री (मिजोरम)
हुसैन, चौ. तालिब (जम्मू)
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (किशनगंज)
हेगड़े, श्री रामकृष्ण (कर्नाटक)
हेपतुल्ला, डा. (श्रीमती) नजमा (महाराष्ट्र)
हौकिप, श्री होलखोमांग (बाह्य मणिपुर)

संसद के सदनों की संयुक्त बैठक

अध्यक्ष
(रिक्त)

उपाध्यक्ष
श्री पी.एम. सईद

उपसभापति, राज्य सभा
डा. (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला

संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुने गए सदस्य*
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, लोक सभा
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा, लोक सभा
श्री बसुदेव आचार्य, लोक सभा
श्री के. येरननायडू, लोक सभा
श्री टी.एन. चतुर्वेदी, राज्य सभा
श्री सुरेश पचौरी, राज्य सभा

महासचिव
श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

---

*संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सदस्यों को 26.3.2002 को लोक सभा और राज्य सभा के नेताओं की हुई बैठक में चुना गया।

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल के सदस्य

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	प्रधान मंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है अर्थात्: (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (2) योजना (3) परमाणु ऊर्जा (4) अंतरिक्ष
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	गृह मंत्री
श्री अनन्त कुमार	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री
श्री टी.आर. बालू	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री जार्ज फर्नान्डीज	रक्षा मंत्री
श्री वेद प्रकाश गोयल	पोत परिवहन मंत्री
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	नागर विमानन मंत्री
श्री जगमोहन	पर्यटन और संस्कृति मंत्री
श्री अरुण जेटली	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री
डा. सत्यनारायण जटिया	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री मनोहर जोशी	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
डा. मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री
श्री प्रमोद महाजन	संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री मुरासोली मारन	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री कड़िया मुण्डा	कृषि एवम् ग्रामीण उद्योग मंत्री
श्री एम. वैंकय्या नायडू	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री राम नाईक	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री नीतीश कुमार	रेल मंत्री
श्री जुएल उराम	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री राम विलास पासवान	कोयला और खान मंत्री
श्री सुरेश प्रभु	विद्युत मंत्री
श्री काशीराम राणा	वस्त्र मंत्री
श्री अर्जुन सेठी	जल संसाधन मंत्री
श्री शांता कुमार	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री अरुण शौरी	विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
श्री अजित सिंह	कृषि मंत्री
श्री जसवन्त सिंह	विदेश मंत्री
श्री यशवन्त सिन्हा	वित्त मंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज	सूचना और प्रसारण मंत्री
डा. सी.पी. ठाकुर	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
कुमारी उमा भारती	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्री शरद यादव	श्रम मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्रीमती मेनका गांधी	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री
प्रो. चमन लाल गुप्त	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री एम. कन्नप्पन	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री रमेश बैस	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय गोयल	प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
डा. वल्लभभाई कथीरिया	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कृष्णमराजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. धनंजय कुमार	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुमित्रा महाजन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुभाष महरिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयवंती मेहता	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सत्यव्रत मुखर्जी	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुनि लाल	श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीपाद येसो नाईक	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री उमर अब्दुल्ला	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरिन पाठक	रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अशोक प्रधान	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रवि शंकर प्रसाद	कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पोन राधाकृष्णन	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. राजा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ओ. राजगोपाल	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. रमण	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सीएच. विद्यासागर राव	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री
श्री राजीव प्रताप रूडी	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री तपन सिकदर	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिग्विजय सिंह	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. रीता वर्मा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बालासाहिब विखे पाटील	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हुकमदेव नारायण यादव	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री

विषय-सूची

मंगलवार, 26 मार्च, 2002/5 चैत्र, 1924 (शक)

खंड 1 — अंक 1

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
स्वागत भाषण	3
सभा पटल पर रखा गया विधेयक	4
उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा	
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुने गए सदस्य	5
आतंकवाद निवारण विधेयक	9–202
विचार करने के लिए प्रस्ताव	9
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	9–24
श्रीमती सोनिया गांधी	27–33
श्री मनोहर जोशी	33–41
श्री सोमनाथ चटर्जी	41–53
श्री के. येरननायडू	53–55
श्री मुलायम सिंह यादव	56–68
श्री एच.डी. देवगौडा	68–73
श्री चन्द्रशेखर	74–77
श्री अरुण जेटली	77–95
श्री कपिल सिब्बल	96–118
श्री पी.एच. पांडियन	118–122
श्री दिग्विजय सिंह	123–125
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	125–128
श्री भर्तृहरि महताब	128–129
श्री सी. रामचन्द्रैया	129–132
श्री जे. चितरंजन	133–136
डा. सुशील कुमार इन्दौरा	137–139

विषय	कॉलम
श्री पूर्णो ए. संगमा	139–142
श्री एच. के. जवारे गौडा	142–143
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	143–145
श्री पी.डी. एलानगोवन	145–147
श्री रामजीवन सिंह	147–149
श्री देवव्रत बिश्वास	149–151
श्री ई. अहमद	151–153
श्री आर.एस. गवई	153–154
डा. जयंत रंगपी	154–156
श्री संजय निरुपम	156–160
श्री ई. पोन्नुस्वामी	161–162
श्री मोहन रावले	162–168
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	171–173
खंड 2 से 64 और 1	201–02
पारित करने के लिए प्रस्ताव	202

संसद के सदनों की संयुक्त बैठक

मंगलवार, 26 मार्च, 2002/5 चैत्र, 1924 (शक)

संसद के सदन संयुक्त बैठक में संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुए।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के मुख्य मंत्री ने बयान दिया है कि जब तक संसद का सत्र चलेगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: निधन संबंधी उल्लेख किया जाना है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाये रखिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य जी, मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अखिलेश सिंह जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सभा में व्यवस्था बनाये रखिए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, आज की कार्यवाही शुरू करने से पहले, मैं स्वर्गीय श्री जी.एम.सी. बालयोगी, लोक सभा अध्यक्ष को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज अगर वह हमारे बीच में होते, तो निस्संदेह इस बैठक की अध्यक्षता करते।

मैं वाच एंड वार्ड, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के 9 सुरक्षा कर्मियों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक, संसद भवन पर आतंकवादियों के हमले को नाकाम करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इन दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े हों।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, गुजरात के मुख्य मंत्री ने बयान दिया है कि जब तक हाउस चलेगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हमारे पास जो कार्य है, उसे शुरू करते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा मत करिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आपको व्यवस्था का प्रश्न पूछना है तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। सभा में व्यवस्था बनाये रखिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम कार्यवाही शुरू करते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सुनील खां जी, अब हम सभा का कार्य शुरू करते हैं। बाद में मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.07 बजे

स्वागत भाषण

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह तीसरा अवसर है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त ऐसी बैठक हो रही है। पहली बैठक 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाने के संबंध में की गई थी। दूसरी बैठक 1978 में बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अधिनियम बनाने के लिए की गई थी। आज हम यहां आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 पर विचार करने और उस पर मतदान करने के लिए एकत्र हुए हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इस विधेयक का आशय आतंकवाद निवारण दूसरा (अध्यादेश), 2001 का स्थान लेना है जिसे 18 मार्च, 2002 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था लेकिन उसे 21 मार्च, 2002 को राज्य सभा ने अस्वीकृत कर दिया था।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जैसाकि आप सभी जानते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंग के रूप में संसद में भारत की संप्रभु जनता के संपूर्ण प्रतिनिधित्व के माध्यम से उनकी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने के लिए की गई है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसी बैठक में सदस्यों में गंभीरता, परस्पर सम्मान और सौहार्दता के साथ विचार-विमर्श करना अपेक्षित होता है। तदनुसार मैं सभा की कार्यवाही के लिए आपका सहयोग चाहता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब महासचिव सभा पटल पर विधेयक रखेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम सभा का कार्य शुरू करें। मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया ऐसा मत करिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर विधेयक रखा जाएगा। महासचिव।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

सभा पटल पर रखा गया विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं आतंकवादी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध

करने वाला विधेयक*, लोक सभा द्वारा यथापारित और राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत, सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मुझे आपको एक बात बतानी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको सुनूंगा। पहले सभा की कार्यवाही तो शुरू होने दो। शुरू होने के बाद मैं आपको सुनूंगा। शुरू तो करने दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के मुख्य मंत्री ने कहा है कि सदन जब तक चलेगा...**

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उस बात पर भी आता हूं। मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.10 बजे

उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा

संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुने गए सदस्य

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आज राज्य सभा और लोक सभा के नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को चुना गया है:

1. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, लोक सभा
2. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा, लोक सभा
3. श्री बसुदेव आचार्य, लोक सभा
4. श्री के. येरननायडू, लोक सभा
5. श्री टी.एन. चतुर्वेदी, राज्य सभा
6. श्री सुरेश पचौरी, राज्य सभा

श्री लाल कृष्ण आडवाणी, माननीय गृह मंत्री।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप हमें सुनेंगे। *...(व्यवधान)* आप एक मिनट सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह काला कानून है। *...(व्यवधान)* देश का नाश करने वाला है। *...(व्यवधान)**

गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक सदन चलेगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): संयुक्त बैठक में *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रमोद महाजन जी, मैं आपकी बात सुनूंगा। माननीय सदस्य एक-एक करके बोलें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त सिटिंग बुलाई गई है क्योंकि पोटो कानून राज्य सभा में विफल हुआ है। सरकार इसे यहां लाकर देश को जो खण्डों में बांट रही है। *...(व्यवधान)* ऐसी हालत में जब सिटिंग बुलाई गई*....

ह्यूमन राइट्स के खिलाफ *...(व्यवधान)* इसलिए पोटो कानून को खारिज किया जाये। *...(व्यवधान)* गुजरात के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाये। *...(व्यवधान)*

---

*विधेयक की प्रतियां सदस्यों को 23 मार्च, 2002 को परिचालित की गई थी।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: राष्ट्रपति जी ने यह सत्र आतंकवाद निवारण विधेयक संबंधी कार्य करने के लिए बुलाया है। मैं यहां किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं आपसे कह रहा हूं कि यह सत्र भारत के राष्ट्रपति ने एक विशेष प्रयोजनार्थ अर्थात् आतंकवाद निवारण विधेयक पर विचार करने और उस पर मतदान कराने के लिए बुलाया है।

इसलिए, मैं यहां किसी भी सदस्य को कोई अन्य मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। अब माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी द्वारा पूछा गया व्यवस्था का प्रश्न मान्य नहीं है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाये।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, राष्ट्रपति महोदय ने इसी कार्य को निपटाने के लिए यह सत्र आहूत किया है। मैं किसी दूसरे विषय को उठाये जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं उसको छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला आप अपनी बात कहते समय इसका उल्लेख कर सकते हैं, अभी नहीं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: वर्तमान सत्र, आतंकवाद निवारण विधेयक पर चर्चा के लिए है और राष्ट्रपति महोदय ने इसी उद्देश्य से इस सत्र को आहूत कर हम सभी को यहां बुलाया है। यहां किसी दूसरे विषय पर चर्चा नहीं हो सकती।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, आप कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रस्ताव पेश होने दें। प्रस्ताव पेश हो जाने के बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश कर दिये जाने के बाद मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को सुनूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राज बब्बर, कृपया गृह मंत्री जी को प्रस्ताव पेश करने दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राज बब्बर जी, कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राज बब्बर जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.20 बजे

आतंकवाद निवारण विधेयक

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि आतंकवादी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित और राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत, पर विचार-विमर्श करने के प्रयोजन के लिए विचार किया जाये।"

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कहा न कि पाइंट ऑफ ऑर्डर पर आपको बोलने का मौका दूंगा।

[अनुवाद]

मैं व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कई सदस्यों के व्यवस्था के प्रश्न हैं। प्रस्ताव पेश हो जाने के बाद मैं व्यवस्था के प्रश्नों को सुनूंगा। मैं अपनी व्यवस्था भी दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के उपस्थित सदस्यों के लिए यह एक विशेष अवसर है। जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था कि संसद की संयुक्त बैठक विशेष परिस्थिति में ही आहूत होती है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राज बब्बर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह जी, कृपया व्यवस्था बनाये रखिए।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जैसा सभी सदस्यों को विदित है कि मुझे हिन्दी में बोलना ज्यादा आसान लगता है। लेकिन इस अवसर पर मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा ताकि सभी सदस्य मेरी बात भाषान्तरण के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे सीधे समझ सकें *...(व्यवधान)* मुझे इस सभा में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में बोलने का अधिकार है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वाइको, वे अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अगर आप चाहेंगे तो मैं दोनों भाषाओं में बोल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिन्दी में भी बोल सकूंगा, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हिन्दी और अंग्रेजी का जो सवाल है, उसको हमने वर्षों पहले निश्चित कर लिया है और उसमें बाधा न पहुंचायें। कोई हिन्दी में बोले या अंग्रेजी में बोले, उसका समादर होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बासवराज, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने चूंकि अंग्रेजी में शुरू किया है, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): आप हिन्दी में बोलें, विधि मंत्री जी अंग्रेजी में बोल लेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुलायम सिंह जी कहते हैं कि मैं हिन्दी में बोलूं और विधि मंत्री जी अंग्रेजी में बोलें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं हिन्दी में बोल लूंगा, आप अंग्रेजी में बोल लें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुलायम सिंह जी, यह तय हो गया कि विधि मंत्री जी हिन्दी में बोलेंगे और मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है, मैं हिन्दी में उत्तर दूंगा, इस समय अंग्रेजी में मैंने शुरू किया है, मुझे उसमें बोलने दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक दुर्लभ अवसर है। शायद प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ही एक मात्र ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने अब तक संसद की तीनों संयुक्त बैठकों में हिस्सा लिया है। कुछ सदस्य मेरे जैसे भी होंगे जिन्होंने 1978 की संयुक्त बैठक में भाग लिया हो। मैंने कहा है कि जहां तक संयुक्त बैठकों का संबंध है, इस सभा में श्री वाजपेयी का कोई सानी नहीं है।

विश्व के अनेक देशों में और कम से कम इंग्लैण्ड, अमरीका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और भारत जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में द्विसदनीय विधायिका है, जिस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था तो उन्होंने भारतीय संसद को द्विसदनीय विधायिका बनाया था। इसे द्विसदनीय विधायिका बनाने और ऐसा प्रावधान करने पर कि संसद द्वारा जो भी कानून पारित किया जाना हो, वह दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और दोनों सदनों में मतान्तर हो सकते हैं जोकि या तो विधेयकों अथवा किन्हीं संशोधनों के संबंध में पूर्ण रूप से हो सकते हैं, तो उन्होंने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया।

मैं आपको बता दूं कि विश्व के सभी देशों के संविधानों में समान प्रावधान हैं। अन्य देशों में परम्पराओं का अनुपालन भी होता है। उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड में वस्तुत: संसद के दो सदन हैं लेकिन यदि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हाऊस ऑफ कामन्स और दूसरे सदन हाऊस ऑफ लार्डस में किसी मामले पर मतभेद हो जाता है तो उस समय हाउस ऑफ लार्डस हाउस ऑफ कामन्स को यह सूचित करता है कि हम इससे सहमत नहीं हैं अथवा हम इसमें अमुक संशोधन करना चाहते हैं।'' तब हाउस ऑफ कामन्स द्वारा जो भी कार्यवाही की जाती है, उसके परिणामस्वरूप कानून बन जाता है। कुछ अन्य देशों, उदाहरणार्थ अमरीका में सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजनटेटिव से अधिक शक्तिशाली है। ऐसा इसलिए कि हाऊस ऑफ लार्डस के विपरीत सीनेट के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।

इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान किया कि यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। इस समय अनुच्छेद 108 के प्रावधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को इस प्रकार की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्राप्त है। यह कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं है। सत्र चल रहा है। यह बजट सत्र है लेकिन यह एक विशेष संयुक्त बैठक है और निसंदेह यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस सत्र में भाग ले रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, इन्होंने जनादेश खो दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसु, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, जैसा कि 1961 और 1978 में देखा गया था, दहेज विधेयक में कतिपय संशोधनों को लेकर दोनों सदन सहमत नहीं थे और 1978 में लोक सभा ने बैंकिंग सेवा आयोग निरसन अध्यादेश पास कर दिया था और वह अध्यादेश राज्य सभा ने अनुमोदित नहीं किया था। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है जब आतंकवाद निवारण प्रावधान संबंधी अध्यादेश लोक सभा द्वारा पारित किया जा चुका है लेकिन राज्य सभा ने इसे अस्वीकृत कर दिया है।

इसी तरह का अवसर उत्पन्न हो गया है। यहां भी संविधान निर्माताओं ने यह विचार किया कि एक संयुक्त बैठक बुलाई जाये जिसमें स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन में सदस्य संख्या अधिक होगी और यदि उस बैठक में इस बारे में निर्णय ले लिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि इसे दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। इन शब्दों का ही प्रयोग किया गया था। अब संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पोटो अस्तित्व में कैसे आया। आतंकवाद भारत में अभी अभी नहीं आया है। यह हमारे देश में काफी समय से रहा है। वास्तव में विगत कुछ महीनों में जब मैंने अमरीका के लोगों के साथ बातचीत की तो उन्होंने यह

स्वीकार किया कि 11 सितम्बर की घटना से पूर्व उन्हें उन मुसीबतों का सही अंदाजा नहीं था जो भारत विगत एक दशक से भी अधिक समय से, वास्तव में लगभग दो दशकों से झेलता रहा है। लेकिन 11 सितम्बर की घटना के पश्चात् वे इस बात को पूरी तरह से समझ गये। इंग्लैण्ड के प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि वे स्वयं भी काफी समय से एक भिन्न प्रकार के आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। अमरीका को इसका अनुभव हाल में ही हुआ है। और उन्होंने हमारी इस समस्या को समझा है। इंग्लैण्ड ऐसा पहला देश था जिसने उन आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है जो हमारे यहां सक्रिय रहे हैं। यद्यपि वे इंग्लैण्ड में सक्रिय नहीं रहे, लेकिन उन्होंने इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। और उनके द्वारा कदम उठाने के पश्चात् अमरीका ने भी इसी तरह की कार्यवाही करना उचित समझा।

यह सरकार पिछले चार साल से सत्ता में है और इस बात से संतुष्ट है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इससे पहले की सरकारों ने आतंकवाद विशेष रूप से दूसरे देश द्वारा सीमा पार से प्रायोजित किये जा रहे आतंकवाद को एक तरह का युद्ध बताया है। यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। यही वह पहला कारण है जिसकी वजह से सरकार को ''पोटो'' जैसा असाधारण कानून बनाने के संबंध में सोचना पड़ा।

संविधान निर्माताओं ने स्वयं यह कल्पना की थी कि मौलिक अधिकार अनुल्लंघनीय हैं और यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के दरवाजे पर दस्तक देने का अधिकार होगा। उन्होंने कुछ उपबंध किए थे जिनमें यह व्यवस्था है कि युद्ध की स्थिति में उन मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इससे केवल यही पता चलता है कि संविधान निर्माता पूरी तरह से सचेत थे और मौलिक अधिकारों की रक्षा के बारे में अतिसावधान रहते हुए भी उन्होंने महसूस किया कि कतिपय स्थितियों में राष्ट्र की सुरक्षा ऐसा मामला है जिसको सर्वोपरि माना जाना चाहिए, जिसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अत: सबसे पहले मैं आपके सामने यह प्रश्न रखना चाहूंगा जो हमने राष्ट्र के समक्ष भी रखा है और वह प्रश्न यह है कि ''क्या हम केवल जम्मू और कश्मीर में ही कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति का सामना कर रहे हैं या हमारा यह कहना ठीक है कि यह एक छद्म युद्ध है, क्या हमारा वास्तव में यह विश्वास है कि यह छद्म युद्ध है?'' यदि यह केवल आतंकवादी संगठनों की बात होती तो शायद साधारण कानून पर्याप्त होता। जब आतंकवादी संगठनों को किसी अन्य देश द्वारा प्रशिक्षण और धन दिया जा रहा हो और यह राज्य प्रायोजित आतंकवाद बन जाए और वह सभी हमारे देश में घुसपैठ कर सकने में समर्थ हों तो यह एक भिन्न प्रकार की चुनौती बन जाती है।

यही कारण है कि हम पिछले चार साल से विश्व के अन्य देशों में जा रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधान मंत्री सहित कई बार मैं भी विदेशों में गया हूं और हमने पूरे विश्व से कहा है कि आपको महसूस होना चाहिए कि अब दूसरे तरीकों से युद्ध छेड़े जाएंगे। मुझे याद है कि हाल ही में जब मैं वाशिंगटन गया था तो हर एक ने मुझ से पूछा था ''क्या हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? दोनों देशों की सेनाऐं सीमाओं पर तैनात हैं और स्थिति नाजुक बनी हुई है। मैंने उनके प्रश्न का यह जवाब दिया। मैंने कहा, कृपया स्मरण करें कि 11 सितम्बर को आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? 11 सितम्बर को चार हवाई जहाजों का अपहरण किया गया था। उनमें से दो हवाई जहाजों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया गया और उनमें से एक को पेन्टागन भवन से टकराया गया। चौथा हवाई जहाज व्हाइट हाउस तक नहीं पहुंच सका। यह रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन उसी शाम, उनके राष्ट्रपति ने कहा कि यह अमरीका के खिलाफ आतंकवादियों द्वारा की गई युद्ध की घोषणा है। वे इस एक दिन की घटना के प्रति बड़े गम्भीर थे। उस दिन पांच से छ: हजार निर्दोष लोग मारे गए थे। लेकिन उस एक दिन में उन्होंने महसूस किया कि यह अमरीका के खिलाफ युद्ध की घोषणा है।

आप कल्पना करें। आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने वाला है? मैं इस प्रश्न का यह कहकर उत्तर देना चाहता हूं कि हम पिछले लगभग दो दशक से आतंकवादी युद्ध लड़ रहे हैं। यह छद्म युद्ध है। हम इसे यही कहेंगे। कुछ लोग इसे अल्प तीव्रता वाला युद्ध कहते हैं तथा यह है कि अब तक लड़े गए चार युद्धों में जितने सुरक्षाकर्मी और निर्दोष लोग मारे गये थे उनसे कहीं अधिक संख्या में सुरक्षा कर्मी और निर्दोष नागरिक इस छद्म युद्ध में मारे गए हैं। मैं यह सभी आंकड़े तो नहीं देना चाहता लेकिन मोटे तौर पर उन युद्धों में मारे गए लोगों की संख्या 3000 और 4000 के बीच थी इस छद्म युद्ध में, हमने 61,000 लोग खोये हैं। उनमें से ज्यादातर लोग निर्दोष नागरिक, पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन वे मौत के शिकार हुए। अतएव, मैंने कहा कि हम पहले से ही युद्ध का सामना कर रहे हैं।

13 दिसम्बर को जब यह युद्ध भारतीय संसद तक पहुंचा तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और यह साबित कर देंगे कि आतंकवाद के विरुद्ध हमारे युद्ध में यह एक निर्णायक अध्याय होगा।

महोदय, मैं मानता हूं कि जब सरकार ने, राज्य सभा के हमारे साथ सहमत न होने के बावजूद महसूस किया कि इस बारे में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए क्योंकि आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक जीत तब तक हासिल नहीं की जा सकती है जब तक कि हम

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

इस संबंध में प्रभावी कानून नहीं बनाएं। मैं इसलिए इस सभा में आया हूं।

मुझे इस बात का संतोष भी है कि जब हम विश्व की राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन का मसौदा प्रस्तुत किया है। लेकिन 11 सितम्बर की घटना के तुरंत बाद से, अमेरिका सहित अचानक पूरे विश्व की धारणा में इस विशेष मुद्दे पर बदलाव आया है। इसी महीने 28 सितम्बर को, सुरक्षा परिषद ने संकल्प सं. 1373 पारित किया जो सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी है, जिसमें सुरक्षा परिषद ने इसके सभी सदस्यों को कहा है कि वे इस आवश्यकता को समझें कि अपने-अपने भू-भाग में सभी विधि सम्मत साधनों से आतंकवाद के किसी कृत्य में वित्तपोषण और तैयारी को रोक कर और दबाकर अतिरिक्त उपाय करके अंतरराष्ट्रीय सहयोग में साथ दें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि सभी राज्य उन्हें अपने यहां आश्रय नहीं देंगे जो आतंकवादी कृत्य के लिए आर्थिक सहायता, योजना, समर्थन या आतंकवादी कृत्य करते हैं या उन्हें आश्रय प्रदान करते हैं।

यह मामला हमने अपने पड़ोसी देश के साथ उठाया है जिन्हें हमने नोटिस भेजा है कि उनके यहां 20 आतंकवादी हैं जिन्होने हमारे देश में आतंकवादी कृत्य किए हैं और जिन्हें उन्होंने आश्रय दे रखा है। उन्होंने उनको सभी तरह की अतिरिक्त सुविधाएं दे रखी हैं, इन दिनों वे लोग कह रहे हैं-उन्होंने यह हमें नहीं कहा है लेकिन मैंने कई जगह से यह सुना है-यदि वे भारत को 20 आतंकवादी सुपुर्द करते हैं तो इससे उनके लिए सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि वे हमें उन मामलों के बारे में बता देंगे कि कैसे पिछले दो दशकों से यह अघोषित युद्ध चल रहा है।

इस सुरक्षा परिषद के संकल्प में यह भी है:

"सभी देश यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति जो आतंकवादी कृत्य के लिए आर्थिक सहायता, योजना, तैयारी या आतंकवादी कृत्य करता है या आतंकवादी कृत्यों का समर्थन करता है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए..."

मैं इस बात पर बल देता हूं, 'कानूनी कार्रवाई की जाए' ।

मैं आपको बताता हूं कि 'पोटो' 'टाडा' से किस तरह भिन्न है। टाडा के मामले में जैसा कि सभी जानते हैं कि दोषसिद्ध की दर बहुत ही कम थी और यह महसूस किया गया कि असाधारण कानून लाया गया है लेकिन फिर भी लोगों को उसके कारण दंडित नहीं किया गया था। इसलिए उन पर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।

संकल्प में आगे कहा गया है:

"..... और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके खिलाफ कोई अन्य उपाय करने के अलावा, इस तरह के आतंकवादी कृत्य देश के कानूनों और विनियमों में गम्भीर आपराधिक अपराध ठहराए जाए और इसके लिए दिया जाने वाला दंड इस तरह के आतंकवादी कृत्यों की गम्भीरता के अनुरूप हो"

मैं सम्पूर्ण संकल्प को नहीं पढ़ रहा हूं। मैंने कतिपय महत्वपूर्ण अंश पढ़े हैं जिनकी वजह से पोटो की तरह का कानून बनाने के लिए हमें प्रेरित किया। अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति हमारा यह कर्त्तव्य है कि जिनसे हम मांग करते आ रहे हैं कि इस संबंध में कानून बनाए जाने चाहिए। वे हमसे ठीक कहते हैं: "आप हमसे यह सब करने के लिए कह रहे थे। हमने ऐसा कर दिया है लेकिन आपने क्या किया है?" इसलिए यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम आतंकवाद निरोधक कानून पारित करें।

मैं यह बताना चाहूंगा कि यह कानून किसी जल्दबाजी में नहीं लाया गया है। हमने सत्ता में आने के तुरंत बाद इस बारे में विचार करना शुरू कर दिया था। राज्यों के साथ और सुरक्षा कर्मियों के साथ आयोजित हर बैठक में, वे हमें बताते थे कि 1985 में टाडा अधिनियमित किया गया, टाडा एक असाधारण कानून था। इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और 1995 में यह व्यपगत हो गया। इसके व्यपगत हो जाने का निर्णय सिद्धान्त: लिया गया था क्योंकि शिकायत मिल रही थी कि टाडा का दुरुपयोग किया जा रहा है।

इसी बीच, कुछ लोगों और कुछ संगठनों ने टाडा की वैधता के बारे में संदेह व्यक्त किया और यह मामला न्यायालय में उठाया गया। मैं बताना चाहूंगा कि टाडा के विरुद्ध तीन मुख्य आपत्तियां थी-पहली यह कि यह असंवैधानिक है, दूसरी यह कि इसका दुरुपयोग किया गया और तीसरी यह कि टाडा के अंतर्गत कोई दोषसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन पोटो में इन सब बातों पर ध्यान दिया गया है।

न्यायालय के इस कथन के साथ ही पहले मुद्दे का निपटारा हो गया था कि टाडा असंवैधानिक नहीं है। करतार सिंह बनाम पंजाब सरकार के मामले में न्यायालय ने इस पर विस्तार से विचार किया क्योंकि यह शिकायत की गई थी कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायालय ने छह सुरक्षोपाय निर्धारित किये और यह

कहा कि इन सुरक्षापायों के रहते टाडा जैसे अधिनियम का दुरुपयोग किये जाने की न्यूनतम संभावनाएं होंगी। मुझे इस बात की खुशी है कि वर्ष 2000 के दौरान विधि-आयोग ने अपने 173वें प्रतिवेदन में प्रारूप विधेयक का सुझाव दिया था और इस पर विभिन्न मंचों पर अनेक बार चर्चा हुई है। यदि मैं उन विभिन्न मंचों के नाम पढ़कर सुनाऊं, जिन पर पोटो पर चर्चा की गई थी, तो ऐसे अनेक नाम हैं। मुझे याद है कि वर्ष 2000 में जब इस प्रारूप विधेयक को विधि आयोग ने तैयार किया था तो गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ने इस पर चर्चा की थी। बाद में भी उन्होंने इस पर दो बार चर्चा की थी। हमने वह प्रारूप विभिन्न राज्यों को भेजा था और राज्य सरकारों ने उस पर अपना मत दिया था। मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसमें भी इस पर चर्चा की गई थी। प्रधान मंत्री ने भी पार्टी नेताओं की एक विशेष बैठक बुलाई थी जिसमें इस पर पुन: चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त लगभग दो वर्षों तक 2000 से 2001 तक चर्चाएं चलती रही। इन चर्चाओं का परिणाम यह हुआ कि हमें टाडा के प्रयोग के अनुभवों का फायदा मिल सका। हम टाडा की सभी खामियों को दूर करने में समर्थ हो सके। जब हमने यह प्रस्ताव राज्यों को भेजा तो महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने हमें बताया कि जब से उन्होंने राज्य में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, जो संगठित अपराध के विरुद्ध एक कानून है, लागू किया है, तब से वे पर्याप्त संख्या में दोषियों को सजा दिलाने में कामयाब हुए हैं। जबकि पहले टाडा के अंतर्गत दोषियों को सजा दिलाये जाने की प्रतिशतता बहुत कम थी फिर भी मकोका को लागू किये जाने के पश्चात यह प्रतिशतता 76 से अधिक हो गई है। अन्य किसी दिन श्री शिवराज पाटिल ने ठीक ही कहा था कि हो सकता है 76 प्रतिशत अधिक हो क्योंकि अभी तक ऐसे मामलों की संख्या कम रही है। परन्तु यह भी सच है कि मकोका में शामिल किये गये केवल एक उपबंध, कि गुप्त रूप से पकड़े गये संदेश को स्वीकार्य प्रमाण माना जायेगा, से सारी स्थिति ही बदल गई है। आखिरकार यदि कोई दुबई अथवा इस्लामाबाद से फोन करके यहां किसी को कहे कि फलां-फलां व्यक्ति की हत्या कर दो और यह कि किसी विशेष नेता की हत्या कर दो तो आपके पास ऐसे गवाह नहीं होंगे जो इस संबंध में साक्ष्य देने के लिए आगे आ सकें। उस व्यक्ति विशेष को दण्ड देने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात उनके बीच हुई बातचीत का गुप्त रूप से पकड़ा जाना है। संसद पर हमला हुआ है। हम उनके सहयोगियों को दिल्ली या कश्मीर में किस प्रकार ढूंढेंगे। हम उनके बीच होने वाली बातचीत को गुप्त रूप से पकड़कर ही उन्हें ढूंढ सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवादी सम्भावित गवाहों को भी आतंकित करने का प्रयास करते हैं। मुझे बताया गया था कि जनरल वैद्य के मामले में, जिनकी हत्या आतंकवादियों ने की थी, यहां तक कि उनके नजदीकी रिश्तेदार और परिवार के सदस्य भी आगे आकर इस संबंध में गवाही देने में हिचक रहे थे कि उन्होंने फलां-फलां व्यक्ति को उनकी हत्या करते हुए देखा है। अब ऐसी स्थिति में यदि इस प्रावधान, कि गुप्त रूप से पकड़े गये संदेश को स्वीकृत साक्ष्य माना जायेगा, को इसमें शामिल कर दिया जाये तो क्या ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ऐसा करना आवश्यक है और इसीलिए हमने इसे शामिल किया है। यह अध्यादेश लाने से पहले मुझे यह बताया गया था कि पहले हमने इसकी और इसके प्रावधानों की विभिन्न लोकतांत्रिक देशों जैसे अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी आदि में पहले से बनाये गये इसी प्रकार के कानूनों के साथ तुलना की थी और हमें पता चला कि हमने उनके मुकाबले अपने नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षोपाय किये हैं।

करतार सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में जो कहा है, उसे हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। उसने बड़ी उचित टिप्पणी की है। न्यायालय ने यह टिप्पणी की:

> "यद्यपि न्यायालय को किसी नागरिक की स्वतंत्रता की पूर्ण सुरक्षा करनी चाहिए, तथापि टाडा अधिनियम के अंतरित मामलों में न्याय करते समय उसे न केवल आरोपी व्यक्ति की स्वतंत्रता बल्कि पीड़ितों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों और सबसे महत्वपूर्ण उस समुदाय के सामूहिक हित और राष्ट्र की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि न्यायिक प्रशासन प्रणाली से जनता का विश्वास न उठे और वह आपसी संघर्ष में लिप्त न हो।"

उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही उचित टिप्पणी की है और इस संबंध में विभिन्न मंचों पर हुई चर्चा से हमें यह महसूस हुआ कि यदि आवश्यक हो तो इसे संयुक्त बैठक में पारित कराया जाना चाहिए।

यदि सभी राजनैतिक दल इस विषय पर निष्पक्ष होकर सोचेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। हम पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश इस विशेष मुद्दे पर किस तरह से संगठित है। अन्यथा इसका फैसला संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार बहुमत के आधार पर करना होगा।

मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जब हमने 'पोटो' पर चर्चा करने हेतु मुख्यमंत्रियों को यहां आमंत्रित किया तो विभिन्न दलों के मुख्यमंत्रियों ने हमसे कहा कि वे तो इसके पक्ष में हैं कि उनकी पार्टी ने इससे अलग निर्णय लिया है ...*(व्यवधान)* मुझे मालूम है। नाम का उल्लेख किए बिना ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, वह यह बात यहां पर कैसे कह सकते हैं? वे मुख्यमंत्री कौन हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, जब आपको बोलने का अवसर मिलेगा तब आप कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब आप चर्चा में भाग लेंगे तब यदि आप चाहें तो इसका खण्डन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कृपया माननीय मंत्री को परेशान न करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वह कैसे कह सकते हैं कि वहां क्या चर्चा हुई? ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, यह क्या है? वे कैसे बता सकते हैं कि बैठक में क्या चर्चा हुई? ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं आपकी प्रतिक्रिया समझ सकता हूं ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं उनके क्रोध को समझ सकता हूं। लेकिन मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि नाम बताए बिना मैं जो कुछ कह रहा हूं सच है ...*(व्यवधान)* मैंने जो कुछ कहा वह सच है। मैं नाम नहीं बताना चाहता। आप सभी को पता है। सभी जानते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है। ...*(व्यवधान)* कोई हाउस को मिसलीड नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)* यह गलत रेफरेन्स दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मि. रघुवंश, जब आप पार्टीसिपेट करें तब आप रिप्लाई दीजिए, उनके भाषण के बीच में मत बोलिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया माननीय मंत्री की बात सुनिये। यदि कोई आपत्तिजनक बात होती है तो मैं उसे देखने के लिए यहां हूं। आप क्यों चिंता करते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा यदि यहां एक व्यक्ति ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश, कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस तरह से सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उनके भाषण में बाधा न डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपको बोलने का अवसर मिलेगा, तब आप बोल सकते हैं। आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, कृपया अपने सदस्यों को कहिए कि जब उन्हें बोलने का अवसर मिले तब यदि वे चाहें तो इसका खण्डन कर सकते हैं लेकिन उन्हें इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी (पश्चिम बंगाल): माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ मुख्यमंत्री इसके पक्ष में हैं लेकिन उनके दल इसके पक्षधर नहीं हैं ...*(व्यवधान)* वे यह आभास दे रहे हैं कि कुछ मुख्यमंत्रियों को दृढ़ विश्वास है कि 'पोटो' की आवश्यकता है लेकिन उनके दलों को ऐसा नहीं लगता ...*(व्यवधान)* यह अनुचित है ...*(व्यवधान)* उन्हें या तो नाम बताने चाहिए अथवा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आपका व्यवस्था का प्रश्न है तो मंत्री महोदय को आपकी बात सुननी होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, कोई भी मुख्यमंत्री यहां उपस्थित नहीं है ...*(व्यवधान)* वे इसका खंडन करने के लिए यहां पर नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं कह चुका हूं कि मैं शपथ लेने को तैयार हूं कि मैंने जो कुछ कहा वह सही है ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरियालगुडा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं आपका भ्रम दूर करने के लिए एक और बात कहना चाहता हूं। आखिरकार आप सभी ने मुम्बई के मोहम्मद अफरोज के मामले के बारे में सुना होगा, उस व्यक्ति ने दावा किया था जिसने अपना अपराध स्वीकार करने के दौरान ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है जिसने वहां पोटो लागू किया है। इनको यहां विरोध करने का क्या हक है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, आपको निर्णय करना है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां, किस प्रावधान के अंतर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): पहले गृह मंत्री जी को बैठाकर जयपाल रेड्डी जी का पाइंट ऑफ ऑर्डर सुना जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं आपका और मंत्री जी का आभारी हूं कि मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किसी तरह की निजी बातचीत को यहां उद्धृत नहीं किया जा सकता चाहे वह सही हो क्यों न हो और चाहे यह बातचीत सभा में सदस्यों से संबंधित हो ...*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे कम से कम यह पता है कि कुछ राज्य सरकारों से जब उनकी राय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्वयं कहा कि वे इसके पक्ष में हैं। कुछ ही राज्यों ने पोटो का विरोध किया था। अधिकांश राज्यों ने या तो इसका पक्ष लिया अथवा वे इसमें कतिपय सुधार चाहते थे। अतः, कुल मिलाकर मेरा विचार है कि पोटो के मुद्दे पर देश में सर्वसम्मति रही है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक और वक्तव्य है जो सही नहीं है। पोटो पर कोई सर्वसम्मति नहीं हुई ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन मेरा विचार यह है।

उपाध्यक्ष महोदय: जब आप वाद-विवाद में भाग लेंगे तब आप माननीय मंत्री की बात का खण्डन कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): राज्य सभा में यह सिद्ध हो चुका है कि इस पर कोई कनसेन्सस नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा गृह मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा। टैक्निकल बातों में मत जाइए, लेकिन मान्यता यह है कि कोई भी मुख्य मंत्री किसी प्रधान मंत्री या गृह मंत्री से जो बातें करता है, उन बातों का सार्वजनिक रूप से, और वह भी संसद के अंदर मेन्शन नहीं होना चाहिए। आपने यह गलत काम किया है। इन शब्दों को आपको वापस लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान): महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। ...*(व्यवधान)*

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): महोदय, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है और यह आपत्तिजनक नहीं है। कानून में कभी भी यह नहीं कहा गया ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: गृह मंत्री जी को सदन से क्षमा मांगनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्रशेखर जी मेरे सम्माननीय हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं और अगर मैं किसी मुख्य मंत्री का नाम लेकर प्राइवेट बात कहता तो मैं जरूर वापस ले लेता। *...(व्यवधान)*लेकिन वहां से लोग मांग कर रहे थे कि मैं उनका नाम लूं जिन्होंने आपसे कहा। मैं नाम नहीं लूंगा। इसका कारण है कि मेरे ऊपर भी दायित्व है कि मैं किसी से हुई व्यक्तिगत बातचीत का सदन में उल्लेख न करूं। *...(व्यवधान)* लेकिन मैंने कहा है कि मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि जब प्रिवेंशन आफ टैररिज्म बिल पर राज्यों की सलाह ली गई थी तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप, नागालैंड, सिक्किम, इन्होंने पूरी तरह समर्थन किया और गोवा, राजस्थान, असम, मिजोरम, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब ने समर्थन तो किया, लेकिन कुछ संशोधन सुझाए और जो राज्य खिलाफ थे वे पश्चिमी बंगाल, जम्मू-कश्मीर, केरल, मेघालय और तमिलनाडु थे। इन्होंने इसका विरोध किया अर्थात् इसमें से भी मैं यही निष्कर्ष निकालता हूं कि अधिकांश प्रदेश सरकारें समर्थन करती थीं और कुछ संशोधन चाहती थीं। उसी के आधार पर मैंने कहा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस नहीं थी। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर कंसेंसस होता, तो राज्य सभा में भी बिल पास हो जाता और इस ज्वाइंट मीटिंग (सैशन) की जरूरत नहीं पड़ती। पॉलीटिकल पार्टीज में कंसेंसस नहीं है, यह मैं मानूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): महोदय, ये सभा को गुमराह कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अब मैं बैठ नहीं रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री दीपांकर मुखर्जी: महोदय, वह सभा को गुमराह कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उपाध्यक्ष जी, पोटो में वे कमियां नहीं हैं जो टाडा में थीं। इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 'पोटो' अधिनियम बनाने के लिए इस सभा में इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं आभारी रहूंगा यदि अब तक इसका विरोध करने वाले दल पुन: इस पर विचार करें और इसका समर्थन करने का निर्णय लें।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि आतंकवादी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित और राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत, पर विचार-विमर्श करने के प्रयोजन के लिए विचार किया जाये।"

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संविधान के अनुच्छेद 108 खण्ड (1) के साथ पठित नियम 376 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न है।

संयुक्त बैठक व्यवस्था एक बहुत गंभीर व्यवस्था है क्योंकि इसके कारण एक सदन अथवा अन्य विशेष रूप से राज्य सभा के विचार और निर्णय दब जाते हैं जो भारत में द्विसदनी विधान मंडल की भावना के विरुद्ध है। द्विसदनी विधानमंडल की प्रणाली के अंतर्गत दोनों सदनों के मतों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए न कि उन्हें दबा दिया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री किरीट सोमैया, मैंने उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने हेतु अनुमति दी है।

श्री जी.एम बनातवाला: माननीय अध्यक्ष महोदय, द्विसदनी विधान सभा प्रणाली में हमें इस बात के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए कि किसी भी सदन के विचारों को दबाया न जाए। अत:, द्विसदनी विधानमंडल की भावना के अनुसार हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 108, खण्ड (1) की ओर दिलाना चाहता हूं। विशेष रूप से पहली बात धमकी की आती है जो संसद को और किसी से नहीं वरन् एक राज्य के मुख्यमंत्री ने दी है, उनका कहना है: यदि संसद का सत्र चलता रहेगा तो गुजरात में दंगे चलते रहेंगे।" महोदय, वह यह बताना चाहते हैं कि जब संसद की बैठक स्थगित होगी उसी समय वहां दंगों पर भी नियंत्रण कर लिया जाएगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैंकय्या नायडू, मैं इसकी जांच करूंगा और अपनी व्यवस्था दूंगा। कृपया इस बात पर अब और जोर न दें। व्यवस्था का जो भी प्रश्न होगा, मुझे व्यवस्था देनी होगी।

श्री जी.एम. बनातवाला: उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 108 के खण्ड (1) के अंतर्गत संयुक्त बैठक का अवसर ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कीर्ति आजाद, आप क्या कह रहे हैं? आपको इस सभा में शालीनता बरतनी चाहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, इस विशेष अनुच्छेद के खण्ड (क), (ख) और (ग) में बताई गई तीन परिस्थितियों के अधीन संयुक्त बैठक का अवसर पैदा होता है। ये तीन अवसर हैं (1) जब दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, (2) जब विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों और (3) जब दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना छह मास से अधिक बीत गए हों।

अब देखें कि राज्य सभा में क्या हुआ। जब विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया तो राज्य सभा ने, विधेयक पर विचार नहीं किया और मंत्री द्वारा यह प्रस्ताव करने कि विधेयक पारित किया जाए, की भी प्रतीक्षा नहीं की। ऐसे प्रस्ताव की उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की। यदि राज्य सभा प्रस्ताव की प्रतीक्षा करती कि विधेयक पारित किया जाए और राज्य सभा उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देती, तो अनुच्छेद 108 के अधीन खण्ड (क) लागू होता।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं पूछ रहा हूं। विधेयक पारित कराने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं था। राज्य सभा ने तीसरे वाचन तक प्रतीक्षा नहीं की। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था कि विधेयक पारित किया जाए।

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था जो अनुच्छेद 108 के खण्ड (क) के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया हो, संयुक्त बैठक में केवल उस विधेयक को लिया जा सकता है जिसे सदन में अस्वीकृत कर दिया गया हो।

राज्य सभा ने विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया। राज्य सभा ने क्या किया? राज्य सभा ने शुरू में ही विधेयक को विचारार्थ स्वीकार करने के प्रस्ताव को ही अस्वीकार कर दिया। दूसरे शब्दों में राज्य सभा ने विधेयक पर विचार करने से इंकार कर दिया।

इसलिए खण्ड (ग) का उपयोग किया गया है। चूंकि राज्य सभा द्वारा विधेयक को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत नहीं किया गया है अत: आपको छह माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह खण्ड (ग) है। केवल छह महीने पश्चात ही...

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला, मैं आपकी बात समझ गया हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: केवल छह महीने की प्रतीक्षा अवधि है ...*(व्यवधान)* जब सरकार स्वयं समर्थ नहीं हो सकती और जब यह बात उसे समझ में आ जाती है तो केवल छह महीने के पश्चात ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला, मैं आपकी बात सुन चुका हूं। अब मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री जी.एम. बनातवाला: धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के नाम पर हम भी अपना भाषण पूरा कर दें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको भाषण के लिए बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला मैंने आपकी बात सुन ली, जैसा कि सदन को ज्ञात है यह विधेयक 18 मार्च 2002 को लोक सभा द्वारा पारित करके राज्य सभा के विचारार्थ और स्वीकृति हेतु वहां भेजा गया था। राज्य सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किए जाने के पश्चात राज्य सभा ने संदेश भेजा कि "राज्य सभा इस विधेयक से सहमत नहीं है।"

यह सत्य है कि इस संदेश में अनुच्छेद 108 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) के शब्दों का उपयोग नहीं किया गया था लेकिन राज्य सभा द्वारा किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का तात्पर्य है कि राज्य सभा ने उस विधेयक में निहित नीतियों को अस्वीकार कर दिया है। राज्य सभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 134 में अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि सदन द्वारा पारित किए गए विधेयक को राज्य सभा को भेजने के पश्चात यदि राज्य सभा

[उपाध्यक्ष महोदय]

उस पर विचार करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देती है तो इसका अर्थ है कि राज्य सभा ने उस विधेयक को ही अस्वीकृत कर दिया है।

इसलिए, इस संदेश का भी यही अर्थ है कि इस विधेयक को राज्य सभा ने अस्वीकृत कर दिया है। मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा कि बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक, 1977 के संबंध में भी राज्य सभा से यही संदेश मिला था। उस विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में 16 मई, 1978 को पारित किया गया था। अत: इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब, श्रीमती सोनिया गांधी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री महेश्वर, कृपया ऐसा न करें। यदि आप इस तरह करने लगेंगे तो कोई बहस नहीं हो पाएगी। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व के इस विषय पर बोलने का मौका देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

यह एक ऐतिहासिक अवसर है। आधी शताब्दी से अधिक के संसदीय इतिहास में यह तीसरा अवसर है जब इस प्रकार दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाई गई है। परंतु मुझे भय है कि इस प्रकार के अवसर से जुड़ी प्रतिष्ठा को आज की बैठक बुलाने के किन्हीं कपटपूर्ण उद्देश्यों से चोट पहुंच सकती है।

हम यहां राष्ट्रीय महत्व के उपाय पर आम सहमति का समारोह मनाने नहीं बैठे हैं। हम आज यहां इसलिए हैं क्योंकि यह सरकार अपने संकीर्ण और विवादास्पद लक्ष्य को साधने हेतु संविधान के एक बहुत कम उपयोग किए जाने वाले प्रावधान का उपयोग करना चाहती है। वह ऐसा एक ऐसे समय पर करना चाहती है जब हमारी राज्य व्यवस्था विभाजित हो गयी है।

इस सरकार ने बड़ी संख्या में चुने हुए प्रतिनिधियों की चेतावनी और दलीलों की उपेक्षा करने का निर्णय लिया है। इसने लोगों के बड़े समूह के प्रति अपने कान बंद कर लिए हैं।

इससे मीडिया और हमारे बुद्धिजीवियों की राय का अपमान होता है। इसने इस संयुक्त सत्र के माध्यम से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने हेतु प्रतिष्ठित सांविधिक निकाय मानवाधिकार आयोग की राय को भी अनदेखा कर दिया है। इस सरकार ने स्वयं को पोटो की खतरनाक शक्तियों से लैस करने हेतु हर संभव उपाय का सहारा लेकर अपनी असली मंशा जाहिर कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने विभाजनकारी सैद्धान्तिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए संसदीय प्रक्रिया के दुरुपयोग से संविधान की मूल भावना ही नष्ट होती है। इस विधेयक पर लोक सभा या राज्य सभा को बहस करने का अवसर देने से पूर्व ही खुलेआम संयुक्त सत्र बुलाने की धमकियां दी जा रही थी। इससे मुझे और हम सबको यह लगा कि यह अपनी संख्यात्मक बढ़त के आधार पर दोनों सदनों को भयभीत करने और उनकी शक्ति घटाकर उन्हें मात्र रबड़ की मोहर बना देने का एक प्रयास है।

एक संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान एक असाधारण प्रावधान है और इसकी सत्यनिष्ठा और गंभीरता को देखते हुए यह केवल तभी बुलाया जाना चाहिए जब मतभेद न सुलझ रहे हों। इसके बावजूद भी इसे एक पर्याप्त समय गुजर जाने के पश्चात ही बुलाया जाना चाहिए जिससे आत्मनिरीक्षण और संभावित आम सहमति बनाने हेतु पर्याप्त समय मिल सके। पोटो जैसे किसी भी मामले में संयुक्त सत्र कभी भी एक संतोषजनक हल नहीं हो सकता, मैं पुन: दोहराती हूं, यह एक संतोषजनक हल नहीं हो सकता। उस समय तो यह और भी अस्वीकार्य है जब इसका उपयोग साम्प्रदायिक तनाव, गुजरात में हत्या और लूटमार, विभाजनकारी अयोध्या प्रचार और उड़ीसा विधान सभा पर हिंसक हमले की पृष्ठभूमि में एक क्रूर कानून बनाने हेतु किया जा रहा हो। हमने हर संभव प्रयास किया कि यह सरकार इसके कारणों को समझे और कोई रास्ता निकाले। हमने एक संयुक्त चयन समिति गठित करने का सुझाव दिया था जिससे कि इस विधेयक के कठोर प्रावधानों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें औचित्यपूर्ण बनाया जा सके। हमने सरकार से विपक्षी दलों के साथ परामर्श करने को कहा। मुझे लगता है कि हमारे प्रस्तावों को गंभीरता से नहीं लिया गया।

सरकार के हठ को देखते हुए कल माननीय प्रधान मंत्री की सहयोग की अपील व्यर्थ गई और उससे बहस का विषय बन गया। मैंने आपके माध्यम से उनसे अनुरोध किया था कि उनकी सरकार राज्य तंत्र को विभाजित करने वाले मामलों में राजनैतिक झुकाव से उत्प्रेरित रवैया अपनाने से बचे।

मेरे साथी पहले ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल के इन वरिष्ठ सदस्यों के नाम ले चुके हैं जिन्होंने पूर्व में ऐसे ही एक कानून टाडा का विरोध किया था। जिन्होंने उस समय टाडा की अवधि बढ़ाने का विरोध किया था उनमें वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा, विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह, प्रधान मंत्री की कृपा से रक्षा मंत्री बने श्री जार्ज फर्नान्डीज, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री राम नाईक, कोयला और खान मंत्री, श्री राम विलास पासवान शामिल हैं। इन

सभी महानुभावों ने टाडा को उस समय लोकतंत्र पर एक कलंक, रॉलेट एक्ट से भी बुरा कानून, एक ऐसा कानून जो आतंकवाद को नहीं अपितु लोकतंत्र को ही समाप्त कर देगा, करार दिया था। अब हमें आश्चर्य है कि क्यों इन सभी महानुभावों ने एकदम विपरीत रुख अपना लिया है। उनके द्वारा उस समय की गई नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के प्रति अभिव्यक्त की गई चिंता का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पहल की थी और विपक्ष के विरोध के बिना 1985 में टाडा बनाया गया था। टाडा कानून सर्वसम्मति के माहौल में बनाया गया था न कि संघर्ष के माहौल में। इस कानून की 10 वर्ष की अवधि के दौरान इसके अंतर्गत हिरासत में लिए गए 76,000 लोगों में से केवल लगभग एक हजार लोगों को ही सजा सुनाई जा सकी। आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित राज्य जम्मू और कश्मीर में टाडा एकदम पूर्णरूप से विफल रहा। इस रिकॉर्ड को देखते हुए कांग्रेस यह स्वीकार करने को तैयार है कि टाडा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। हममें आत्मविश्वास था और न केवल आत्मविश्वास था अपितु पूर्व की गलतियों से सीखने हेतु हमारा दिमाग भी खुला था। हमने इस सरकार से हमारे समेकित अनुभव से सीख लेने का अनुरोध किया था। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने हमारी बात तक सुनने से इन्कार कर दिया। क्यों? इन्होंने हमारी बात सुनने से इन्कार क्यों किया? क्योंकि वह इस कानून को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के रूप में एकतरफा प्रचार के रूप में प्रदर्शित करने के लिए ला रहे हैं। मैं पूर्णतया स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी किस चीज का विरोध कर रही है। यह प्रस्तावित विधेयक इसलिए अस्वीकार्य है क्योंकि इससे व्यक्ति विशेष के मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।

सरकार की इससे संबंधित दर्शाई गई सदइच्छा की जांच करने से पूर्व हमें यह जांच करनी चाहिए कि क्या पोटो अपना लक्ष्य पूरा करने हेतु प्रभावी रहा है। महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगी कि गत पांच महीनों में विदेशी आतंकवादी गतिविधियों को इसने कितना रोका है? सीमापार से आतंकवाद में कितनी कमी आई है? उग्रवाद कहां तक कम हुआ है और विशेष रूप से पूर्वोत्तर में उग्रवाद किस सीमा तक नियंत्रित किया गया है? पोटो निरोधात्मक प्रकृति का होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इससे 13 दिसम्बर को हमारी संसद पर हुए हमले को रोकने में कितनी सफलता मिली? हमने गत कुछ माह के दौरान यह देखा कि किस प्रकार 'पोटो' का चुनिंदा उपयोग और दुरुपयोग किया गया।

सबसे पहले पोटो का उपयोग भेदभाव पूर्ण तरीके से संगठनों को प्रतिबंधित करने में किया गया। इसके सबसे पहले पीड़ितों में जम्मू-कश्मीर का एक परिवार है जिसका आतंकवाद से कोई भी संबंध नहीं है। जनता के कड़े विरोध को देखते हुए सरकार को अपना पहला कदम जल्दीबाजी में वापस लेना पड़ा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इसका इस्तेमाल आश्चर्यजनक रूप से साम्प्रदायिक तरीके से गोधरा हत्याकांड के अपराधियों के विरुद्ध ही किया। उन्होंने यह भेदभाव सोच समझकर किया कि पीड़ितों का एक समूह आतंकवाद का शिकार है और पीड़ितों का दूसरा समूह वास्तव में दंगे का शिकार है। पुनः एक बार तीव्र सार्वजनिक दबाव ने उन्हें अपना भेदभावपूर्ण रवैया त्यागने को बाध्य किया। फिर भी जिन्होंने उड़ीसा विधान सभा की पवित्रता नष्ट की उन पर 'पोटो' के प्रावधान लगाए नहीं गये। विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जिनकी विघटनकारी गतिविधियों के कारण हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया उन पर भी 'पोटो' के तहत कार्रवाई नहीं की गई। ''आतंकवादी कार्य'' की परिभाषा को इतनी अधिक चालाकी से बनाया गया है कि राजनैतिक, धार्मिक या वैचारिक एजेंडे को खूनी हिंसा और तबाही के माध्यम से लागू किया जा रहा है वह इस कानून के दायरे में नहीं आता है।

दिनों-दिन यह बात और अधिक स्पष्ट होती जा रही है कि पोटो किसके लिए और किस लिए अभिप्रेत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में पर्याप्त संख्या में विशेष कानून है। हमारे यहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनयम, 1980 है। शस्त्र अधिनियम है। हमारे यहां विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1980 है। इनमें से सभी को या कुछ को संशोधित और मजबूत बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए और अधिक न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अभियोक्ता और जांच एजेंसियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकता है और उन्हें अधिक कार्यकुशल तथा अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया को न्यायिक सुधार के द्वारा तीव्र किया जा सकता है। यदि देश के किन्हीं भागों में असाधारण खतरा उत्पन्न हो तो, प्रत्येक राज्य अपना स्वयं का उपयुक्त विधान बनाने में सक्षम है।

मैं कानून की तकनीकी खामियों की बात नहीं करूंगी, मेरे लोक सभा और राज्य सभा के सहयोगी पहले ही इनका उल्लेख कर चुके हैं और इन पर प्रकाश डाल चुके हैं। परंतु मैं केवल संक्षेप में कुछ गंभीर कमियों का उल्लेख करना चाहूंगी; एक समीक्षा समिति जिसके अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं; एक धारणा के अंतर्गत एक व्यक्ति को संभाव्य दोषी करार किया जाता है जब तक वह स्वयं को निर्दोष न सिद्ध करें, कानून के तहत आतंकवाद की दोषपूर्ण परिभाषा, पुलिस के सामने अपराध स्वीकारोक्ति जिसे मानसिक या शारीरिक यातनाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है और कतिपय परिस्थितियों में दोषी को गवाहों के नाम न बताने का प्रावधान।

[श्रीमती सोनिया गांधी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री को भी यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि इन सब कमियों के कारण यह कानून और भी अधिक खतरनाक और सहज दुरुपयोग के योग्य हो जाता है। कानून स्वयं ही खतरनाक है और सरकार के हाथों में जाकर यह और अधिक खतरनाक बन गया है। कानून के गुण और अवगुण न केवल इसके विधायी प्रावधानों पर निर्भर करते हैं बल्कि जिस ईमानदारी और जिस तरीके से इसे लागू किया जाता है उस पर भी निर्भर करते हैं। यहां, मुझे आशंका है कि, जो आज राष्ट्र पर इस कानून को थोपने का प्रयत्न कर रहे हैं न ही उनमें नैतिक सत्यनिष्ठा है और न ही उद्देश्य के प्रति ईमानदारी है।

24 मार्च को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सम्माननीय अध्यक्ष ने ही गुजरात दौरे के बाद कहा कि "जो कुछ भी हुआ उसे रोका जा सकता था।" और उन्होंने आगे और कहा कि "गुजरात में लोग अभी भी असुरक्षित हैं।" फिर भी गुजरात के मुख्यमंत्री को इतना दु:साहस हुआ कि वह चल रहे साम्प्रदायिक तनाव का कारण संसद में हुई चर्चाओं को बता रहे थे। महोदय, एक भाजपा मुख्य मंत्री की इतनी स्पष्ट विश्सनीयता को देखते हुए, मुझे आशंका है कि पोटो, इस सरकार के हाथ में राजनैतिक विरोधियों, हमारे समाज के कमजोर वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, जातीय समुदायों और मजदूर संघों का दमन करने के लिए एक हथियार बन जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशंका है कि पोटो आतंकवादियों से ज्यादा आम आदमी की स्वतंत्रता पर अधिक खतरा उत्पन्न करेगा। सरकार की भ्रामक मंशा, जिस प्रकार यह अध्यादेश संसद के सत्र के आरंभ होने से कुछ दिनों पूर्व ही जल्दीबाजी में लाया गया इससे स्पष्ट होती है। सरकार के अति महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा पोटो के आशय पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी कि चाहे पोटो पारित हो या ना हो सत्ता पक्ष को राजनैतिक फायदा होगा और उन्हें जीत की स्थिति में ले जाएगा।

क्या इससे यह परिलक्षित नहीं होता है कि वास्तविक मंशा आतंकवाद से ईमानदारी से लड़ने की कभी नहीं रही है बल्कि राजनीतिक फायदा उठाने की रही है? मेरी आशंका है कि ऐसा ही है। क्या यही वजह नहीं है कि हाल ही में हुए विधान सभा चुनावों में पोटो को मुख्य मुद्दे के रूप में प्रचारित किया गया था? फिर भी भाजपा पंजाब में हार गई, उत्तरांचल में हार गई, मणिपुर में हार गई, भाजपा न केवल उत्तर प्रदेश में हारी अपितु उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। अब, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या उसी भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को यह बदलती स्थिति नजर नहीं आ रही है?

संविधान के निर्माताओं द्वारा प्रतिपादित विधिसम्मत और दशकों में पोषित शासन प्रणाली नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बुनियादी सुरक्षोपाय प्रदान करती है। मुझे आशंका है कि पोटो के कारण समानान्तर प्रणाली का सृजन होगा। इससे अलग कानूनी प्रक्रिया, साक्ष्य और न्यायालय का सृजन होगा। यह सामान्य दांडिक न्याय प्रणाली से बाहर निकल जाएगा। अन्य शब्दों में, यह न्याय की प्रणाली नहीं होगी, यह अन्याय की प्रणाली होगी और ऐसी प्रणाली लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।

महोदय, इतिहास इस बात का गवाह है कि कठोर कानून शायद ही कभी आतंकवाद का सफलता से मुकाबला करने में सफल रहे हैं। इस बुराई का मुकाबला सामाजिक समरसता बढ़ाकर, साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देकर, आर्थिक विकास को तीव्र करके और सबसे बढ़कर देश में समान वितरण सुनिश्चित करके इन सब बातों को मजबूत बनाकर किया जा सकता है। किसी भी कीमत पर आतंकवाद से संघर्ष का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बली चढ़ाकर या लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करके प्राप्त नहीं किया जा सकता।

आश्चर्य की बात यह है कि यह सुझाव दिया जा रहा है कि पोटो का विरोध करना आतंकवाद के समर्थन के समान है। हम पर आतंकवाद के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। सभी दलों में कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका आतंकवाद से लड़ने का लगातार और गौरवपूर्ण रिकार्ड रहा है। कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में अपने दो सर्वोच्च नेताओं को खो दिया है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र भक्ति का सबक लेने की कतई आवश्यकता नहीं है और 'घृणा की राजनीति' के प्रणेताओं से तो बिल्कुल भी नहीं, जिसके लिए यहां मौजूद कुछ सदस्य जगजाहिर हैं। यह सीधा साधा और विध्वंसकारी प्रचार और कुछ नहीं अपितु सत्तारूढ़ दल की जानी-मानी नीति है जिसे वह बहुत पहले से ही देश पर लागू करती आई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार सचमुच सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के प्रति गंभीर है तो, हम हमेशा उनका साथ देने के लिए तैयार रहे हैं, हम साथ देने के लिए तैयार रहेंगे और हम अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। सरकार के मुखिया के रूप में प्रधान मंत्री को यह निर्णय करना है कि क्या उनका मुख्य कर्त्तव्य भारत के लोगों का कल्याण करना है या अपने दल और उसके सहयोगी संगठनों के आंतरिक दबाव के समक्ष घुटने टेकना है।

क्या वह अपने नेतृत्व में कमजोर और दबाव के समक्ष झुकने वाले होंगे या वह इस उच्च पद की गरिमा को बनाए रखेंगे? उनकी परीक्षा का दिन आ गया है। मैं और मेरी पार्टी इस विधान का इसके लोकतंत्र विरोधी प्रावधानों के कारण विरोध करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी पोटो का पुरजोर विरोध करती है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: महाराष्ट्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार है, वहां पोटो क्यों लागू किया? ...*(व्यवधान)* क्या वहां माइनोरिटी के लोग नहीं हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नेताओं की आज हुई बैठक में इस बात पर सहमति हुई है कि भोजनावकाश नहीं होगा और मतदान लगभग 5 बजे के आसपास किया जाएगा।

श्री मनोहर जोशी।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संयुक्त सत्र में बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से बोल रहा हूं। जैसा कि सभी जानते हैं, मेरी पार्टी पोटो का पूर्ण समर्थन करती है। हमें अपने देश की सम्प्रभुता में विश्वास है। हम सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध हैं और इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं हम भाजपा के सच्चे, विश्वसनीय और भरोसेमंद मित्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुसीबत में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। इसलिए हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही यह भी कारण है कि हम समझते हैं कि यह विधेयक देश हित में अत्यावश्यक है। सरकार हमारे देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के हित में जो कुछ थोड़ा कर सकती है उनमें यह विधेयक भी है। मुझे ऐसा कहने में कोई हिचक नहीं है। हम चाहते हैं भारत, भारत के लोग निर्भय और सम्मान से रहें। हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इसलिए हम इस विधेयक को तहेदिल से समर्थन देते हैं।

मुम्बई में बम विस्फोट से जो तबाही मची मैं उसका गवाह रहा हूं। दोस्तो, जिन्होंने बम विस्फोटों को देखा है मुझे विश्वास है कि वे आतंकवादियों की गतिविधियों को समझेंगे और वे कभी भी पोटो का विरोध नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अनुभव किया है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए क्या कार्रवाई करना आवश्यक है। बहुचर्चित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की संकल्पना भी मेरे कार्यकाल के दौरान ही आकार में आई।

महोदय, 1988 से, देश में आतंकवाद की 50,000 विभिन्न घटनाएं हुई हैं और इनमें 12,000 नागरिकों और 4000 सुरक्षा कर्मियों की जानें गई हैं।

आप देखिए कि कितनी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है और अनुमान लगाइए कि इससे कितना विनाश हो सकता था। 1990 से 40,000 से अधिक हथगोले बरामद किए गए हैं। 47,000 डेटोनेटर्स, 5,100 एंटी-पर्सनल माईन्स, 4,000 से अधिक टैंक-रोधी बारूदी सुरंगें और 5,000 कि.ग्रा. आर.डी.एक्स. बरामद किया गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आतंकवादियों से बरामद यह सामग्री शायद संपूर्ण देश को तबाह करने के लिए काफी है। इसलिए, हमारे राष्ट्र में आतंकवाद की गंभीरता को समझना जरूरी है। उनके पास ए.के-47 हथियार हैं। आज देश में आतंकवाद का यही अर्थ है। इसलिए शिव सेना संसद के इस संयुक्त सत्र में आज प्रस्तुत पोटो विधेयक का समर्थन मात्र ही नहीं कर रही है, अपितु इस विधेयक के उपबंधों को आज की अपेक्षा और भी कठोर बनाने की उम्मीद करती है। कठोर प्रावधान बहुत आवश्यक हैं क्योंकि हम साधारण अपराधियों से नहीं लड़ रहे हैं। हम उनसे लड़ रहे हैं जिनके पास हर तरह के हथियार और उपकरण हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ किसी अपवाद के बिना एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए।

हमारे पड़ौसी देश में विद्यमान स्थिति के फलस्वरूप ही हमें इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी है। आज विश्व को सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान में रह रहे मुस्लिम कट्टरवादी गुटों से है। आज हमारे समक्ष मूल प्रश्न यही है कि हम इन अतिवादियों से कैसे लड़ेंगे। इन गुटों को पाकिस्तान सरकार से हर संभव सहायता प्राप्त होती है। मुस्लिम कट्टरवाद बंगलादेश में अपना सिर उठा रहा है। हम सभी जानते हैं कि बंगलादेश में भी, कुछ हिस्सों में हिन्दुओं पर हमले हुए हैं। नेपाल को भी माओवादी उग्रवाद का सामना करना पड़ रहा है। 1,500 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इन सभी पहलुओं को देखते हुए, क्या आपको यह नहीं लगता कि देश में एक सख्त कानून पारित करने की आवश्यकता है? हम सभी उस समय हैरान रह गए थे जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ ने जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को स्वतंत्रता आंदोलन का नाम दिया जबकि यह बिल्कुल साफ है कि आईएसआई ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित, नियंत्रित तथा प्रोत्साहित कर रही है। आप देखिए कि पाकिस्तान के 50,000 से भी अधिक मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित और संचालित आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविरों की संख्या देखिए। जब यह सब हमारे पड़ोसी देश में हो रहा है तो क्या हमें समस्या के नियंत्रण से बाहर होने से पहले उसे काबू में नहीं करना चाहिए?

[श्री मनोहर जोशी]

हमने आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अतिवादी आंदोलन का सामना किया है। बिहार में निजी सेनाओं की समस्या है, असम में उल्फा की समस्या है; मणिपुर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, नागालैण्ड में सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड और त्रिपुरा में ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स है। सीमा पार से खतरनाक और अत्याधुनिक हथियार, मादक पदार्थ, जाली मुद्रा इत्यादि बड़े पैमाने पर यहां भेजे जा रहे हैं और इन सभी गतिविधियों के लिए सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक सरकार ने शांतिपूर्ण उपाय लागू करने का प्रयास किया।

आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने एक तरफा युद्ध विराम भी घोषित किया था जिसे तीन बार बढ़ाया भी गया किंतु मुझे नहीं लगता कि आतंकवादी अब तक अपनाए गए शांतिपूर्ण प्रयासों से समझ पाएंगे। सबसे खराब बात तो यह है कि जनरल मुशर्रफ के आगमन के दौरान भी आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियां बंद नहीं कीं। मुझे याद है नृशंस हत्याओं के जिम्मेदार, लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर, रहमान की डायरी में लिखा था:

> "लश्कर-ए-तैयबा के योद्धाओं ने इस्लाम धर्म न मानने वाले 19 गैर-इस्लामिक लोगों को मार दिया है। भारत सरकार को यह हमारी चुनौती है।"

महोदय, यह साफ है कि देश में आतंकवादी गतिविधियां एक खास उद्देश्य से चलाई जा रही हैं जिसका उद्देश्य भारत जैसे देश को पूर्णतया समाप्त करना है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सरकार ने पोटो लाना उचित समझा। ये बात सभी जानते हैं कि वे जेहाद के समर्थक हैं। वे कहते हैं कि संपूर्ण विश्व पर अल्लाह का शासन स्थापित करने के लिए कश्मीर तो शुरुआत मात्र है। उनके लिए, कश्मीर केवल साधन है, अंत नहीं। इन जेहादी गुटों का अंतिम लक्ष्य विश्व में समस्त मुसलमानों में जेहाद की भावना जमाकर, मुस्लिम साम्राज्य के खोए हुए गौरव को पुन: प्राप्त करना है। इसलिए, हम किसी भी जेहादी समूह के बुरे इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। यदि विपक्ष इन समूहों की सहायता करना चाहता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करेंगे और ऐसी गतिविधि से देश की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे।

इस देश के सामान्य कानून देश की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि आतंकवादियों को पूरी तरह से वैचारिक रूप से परिवर्तित कर दिया जाता है। उनका विचार पूरे विश्व में जेहाद छेड़ना है। वे संसाधन सम्पन्न हैं और इसलिए यह काफी कठिन हो जाता है। उनके पास प्रौद्योगिकी है। हम यह देख चुके हैं कि वे क्या कर सकते हैं जैसा कि उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में किया। मैं वाकई हैरान हूं कि लोक प्रतिनिधि जनता के हितों के विरुद्ध कैसे अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। ये जेहादी देश में ऐसा वातावरण तैयार करना चाहते हैं जोकि इस देश के लिए अधिक खतरनाक है। यह देखा गया है कि इन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए वर्तमान कानून कभी भी पर्याप्त नहीं होगा।

वे देश को मिटा देना चाहते हैं। क्या हम उन्हें ऐसा करने देंगे? क्या हम इसका समर्थन करेंगे? मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। क्या हम भारतवासियों का जीवन बचा सकते हैं और क्या हम स्वयं सुरक्षित हैं?

क्या मैं विपक्ष से यह पूछ सकता हूं? क्या आप इस विधेयक का समर्थन न कर संपूर्ण राष्ट्र की बर्बादी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं? क्या आप तुच्छ राजनैतिक लाभ के लिए या थोड़े से अल्पसंख्यक मतों के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे। मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्थिति में ये मत किसी के हाथ में नहीं हैं। दुर्भाग्यवश इन लोगों के मतों का निर्धारण सीमा पार बैठे अपराधी करते हैं। यह राजनीति ही आड़े आ रही है। इसलिए, इन मतों पर जिनकी भी नजर है उन्हें अधिक हासिल नहीं होगा। यदि मतों की खातिर विपक्ष पोटो का विरोध करना चाहती है तो मेरे ख्याल से यह देश के हित में नहीं है।

विपक्ष का कहना है कि इस विधेयक के उपबंध अत्यधिक कठोर हैं। उन्होंने ऐसा कई बार कहा है। वे यह कहकर विधेयक की आलोचना करते हैं कि इससे मानवाधिकारों का हनन होता है। आप यह देखिए कि क्या विपक्ष दृढ़ विश्वास के आधार पर ऐसा कह रहा है। इसलिए वह इसका विरोध कर रहा है या फिर वे केवल विरोध करने के लिए ही इसका विरोध कर रहे हैं? मेरे दल का यह मानना है कि विपक्ष मात्र पोटो का विरोध करने के लिए ही इसका विरोध कर रहा है। इसके अलावा इन्हें पोटो से कुछ भी लेना-देना नहीं है।

महोदय, मैं यह कहूंगा कि जो लोग यहां पोटो का विरोध कर रहे हैं, वही लोग, उनकी ही सरकार महाराष्ट्र जैसे राज्य में इसे लागू कर रही है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कांग्रेस दल के नेता अभी-अभी पोटो का विरोध कर रहे थे। जब श्री आडवाणी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि लोग निजी तौर पर दूसरी बातें करते हैं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि पोटो का यह स्वरूप कई राज्यों में लागू नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में पोटो को केवल अफरोज जैसे व्यक्ति के लिए ही लागू किया गया है जहां कांग्रेस दल शासन कर रहा है।

क्या मैं विपक्ष के नेताओं से यह पूछ सकता हूं? क्या इससे माननीय गृह मंत्री द्वारा उठाया मुद्दा सिद्ध नहीं होता कि वे बाहर

इसका विरोध कर रहे हो सकते हैं किंतु जब इसे लागू करने की बात आती है तो अन्य राज्यों के अलावा महाराष्ट्र सरकार भी क्या उन पहले राज्यों में से एक थी जिन्होंने पोटो को लागू किया? आज महाराष्ट्र में कांग्रेस दल की सरकार है। महाराष्ट्र की स्थिति साफ है। महाराष्ट्र में कांग्रेस दल, दूसरे कांग्रेस दल एन.सी.पी. के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चला रही है। एन.सी.पी. ने पोटो का समर्थन किया है जबकि कांग्रेस दल ने इसका विरोध। इस मुद्दे पर उनमें कोई एक राय नहीं है। पोटो वहां पहले ही लागू है। वहां मकोका लागू है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि पोटो के उपबंध, मकोका जैसे कानून से अधिक सख्त नहीं हैं।

इसलिए, मेरा प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा कानून अधिक सख्त है? स्पष्टत: पोटो नहीं है। आप देखिए कि इन दोनों कानूनों के उद्देश्यों में क्या अंतर है? मकोका संगठित अपराध से लड़ने के लिए है जबकि पोटो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि संगठित अपराध के खिलाफ कोई भी अधिनियम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आतंकवादियों के खिलाफ अपराध। महाराष्ट्र में मकोका का समर्थक कांग्रेस दल यहां पोटो का विरोध क्यों कर रहा है? मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि अबु सलेम जैसे संगठित अपराधी गुट के लिए यदि एक कानून जायज है तो आतंकवादी संगठनों जैसे लश्करे तैयबा, अल कायदा या ओसामा-बिन-लादेन के लिए वही कानून जायज क्यों नहीं है? यदि कांग्रेस दल को पोटो सख्त लगता है तो इस सम्मानित सभा में आवाज उठाने से पहले उन्हें महाराष्ट्र में मकोका को रद्द करना चाहिए।

मैं आपको मकोका की सफलता के कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। महाराष्ट्र में मकोका इसलिए सफल रहा क्योंकि जिन 21 मामलों को निपटाया गया उनमें से 16 मामलों में दोष सिद्ध हुआ है। यह संगठित अपराध के खिलाफ था। जब महाराष्ट्र में मकोका सफल रहा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन सम्माननीय सभा की स्वीकृति मिलते ही यह पोटो भी सफल रहेगा।

अपराह्न 1.00 बजे

यदि छोटे-मोटे अपराधों को छोड़ दिया जाए तो विद्यमान कानून की सफलता दर मात्र 6.5 प्रतिशत है जबकि महाराष्ट्र में मकोका की सफलता दर 75 प्रतिशत है।

महोदय, यहां गवाहों की सुरक्षा से संबंधित एक प्रश्न भी उठाया गया था जो इस विधेयक में विद्यमान है। यह कहते हुए मुझे बड़ी ही प्रसन्नता है कि गवाहों की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। माननीय गृह मंत्री ने ठीक कहा है। जनरल वैद्य की हत्या के मामले में हम सभी जानते हैं कि गवाही देने के लिए कोई भी गवाह, यहां तक कि परिवार का सदस्य भी आगे नहीं आया क्योंकि वे इसके नतीजे से डरे हुए थे। इसलिए इस विधेयक में ऐसे उपबंधों का होना आवश्यक है।

विपक्ष ने यह बार-बार कहा है कि उन्हें आशंका है कि इस कानून का उपयोग अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किया जाएगा। मगर मैं तो कहूंगा कि हर अपराधी केवल अपराधी होता है भले ही उसका संबंध अल्पसंख्यक समुदाय से हो और या फिर बहुसंख्यक समुदाय से। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध टाडा के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए थे मैं उनमें से कुछ नाम उद्धृत करना चाहूंगा। वे याकूब मेनन, शरीफ सरकार, अब्दुल गनी मैलसुर, असरफ मुकदम, फारूक पाब्ले, परवेज शेख इत्यादि हैं। ये लोग कौन हैं जिन्हें टाडा के तहत बंद किया गया? मैं पूरी सूची को पढ़ने नहीं जा रहा हूं, परन्तु मेरे पास पूरी सूची है जो यह दर्शाती है कि वे खूंखार अपराधी थे और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया।

महोदय, यहां तक कि 'मकोका' लागू होने के दौरान, आप पाएंगे कि मुम्बई में गिरफ्तार किए गए अधिकांश अपराधी दाउद गुट के थे। अतएव, जब कभी कुछ लोग पोटो अथवा 'मकोका' जैसे अधिनियम का विरोध करते हैं, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या हम गिरफ्तार किए गए लोगों के धर्म पर गौर करेंगे अथवा हम कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगे? मैं यहां यह जिक्र करना चाहूंगा कि जब कभी दाउद के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके कारनामे गम्भीर अपराध थे। हत्या, फिरौती, जाली मुद्रा (नोट) पास में रखने, अवैध आग्नेयास्त्र इत्यादि से संबंधित आपराधिक मामलों में क्या आप एक खास समुदाय के विरुद्ध कानून लागू करने में पक्षपात का दोषारोपण करेंगे। मैं आश्वस्त हूं कि जहां कहीं भी इस प्रकार के दुरुपयोग की संभावना है, उसे रोकने के लिए सरकार ने सभी आवश्यक सावधानी बरती है।

महोदय, मुम्बई बम काण्ड मामले में टाडा के तहत कार्रवाई कांग्रेस की सरकार द्वारा की गयी थी तथा महाराष्ट्र में 'मकोका' के तहत कार्रवाई भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंध सरकार द्वारा की जा रही है। हम मुम्बई बम काण्ड मामले में जांच प्रक्रिया में मात्र इसीलिए अग्रसर हो सके क्योंकि टाडा जैसा एक अधिनियम मौजूद था। क्या आप यह नहीं चाहते हैं कि इन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए तथा उनके द्वारा किए जा रहे अपराधों के लिए उनकी छानबीन हो सके? जब तक अपराधों एवं बुरे इरादों को समय पर समाप्त नहीं किया जाता, मुझे डर है कि प्रशासन और राजनीति में आगे भी हस्तक्षेप होगा। तब, स्थिति और बदतर हो जाएगी और हमारा देश दूसरा अफगानिस्तान बन जाएगा जिस

[श्री मनोहर जोशी]

पर तालिबान शासन कर रहे थे। यदि आप गिरफ्तार लोगों की सूची देखते हैं तो आप पाएंगे कि वे लोग खूंखार लोग थे और इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई अनिवार्य थी।

महोदय, पोटो के मामले में एक विशेष प्रावधान बनाया गया है कि यदि एक पुलिस अधिकारी के समक्ष दिये गये इकबालिया बयान को स्वीकार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उस बयान को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष भी दर्ज किया जाएगा तथा इस प्रकार इस विधेयक में सभी आवश्यक सावधानियां बरती गयी हैं। जहां तक इस कानून के दुरुपयोग के भय का संबंध है प्राय: टाडा का उद्धरण दिया जाता है किन्तु टाडा के प्रावधान अलग थे। माननीय गृह मंत्री द्वारा यह पूर्णत: स्पष्ट किया गया कि उन प्रावधानों को जो हानिकर थे हटा दिया गया है तथा एक नया विधेयक लाया गया है।

इस विधेयक पर बोलते हुए कुछ लोगों ने कहा है कि प्रतिबंधित संगठनों में से सभी के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि 25 संगठनों की सूची में से मात्र आठ संगठन अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं तथा शेष संगठनों का अल्पसंख्यक समुदाय से कोई नाता नहीं है। लोक सभा अथवा राज्य सभा में विश्व हिन्दू परिषद तथा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गयी।

मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रहित के लिए कार्यरत इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कभी न सोचें। इन संगठनों ने उस प्रकृति का कोई भी गलत कार्य नहीं किया है जैसा कि मेरे द्वारा बताये अन्य संगठनों ने किया है। *...(व्यवधान)* सरकार को इस मांग से सहमत नहीं होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

कोई मुझे इन संगठनों द्वारा किए गए एक भी कार्य को बताये जो राष्ट्रहित के विरुद्ध हो। इसलिए, शिव सेना इन संगठनों के विरुद्ध की जा रही किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देशहित में कार्य कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

समय-समय पर सभी मुख्यमंत्रियों ने भी पोटो का समर्थन किया है। जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने बताया है कि देश में आम राय पोटो के पक्ष में मालूम पड़ती है।

यह सुना गया है कि ओसामा बिन लादेन ने कहा है: "इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु भारत और अमेरिका में हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पुगलिया, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री मनोहर जोशी: मैं यह अवश्य कहूंगा कि दुर्भाग्यवश इस देश में कुछ लोग जेहाद का समर्थन कर रहे हैं। वे तालिबान के रास्ते पर चल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पुगलिया, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब व्यवधान न डालिए।

श्री मनोहर जोशी: जामा मस्जिद से शाही इमाम ने मुसलमानों को जेहाद में शामिल होने की अपील की है। मैं समझता हूं, यदि ऐसे अपील की जाती हैं तो ये सर्वाधिक जोखिम भरी होंगी तथा देश की एकता और अखंडता के हित में नहीं होंगी। इसलिए यदि कार्रवाई की जानी है तो यह शाही इमाम के विरुद्ध की जानी चाहिए। उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। यदि वे जेहाद के पक्ष में कोई दुष्प्रचार करते हैं तो पोटो के तहत उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाये जाने चाहिए।

मैंने हमेशा ही कहा है कि इस मुद्दे पर हमें एकजुट रहना चाहिए। मैं एक दृष्टांत पाता हूं। जब राष्ट्रपति बुश ने कार्रवाई की तो उन्होंने इसे तुरंत अंजाम दिया। प्रत्येक देश के लोग सोचते थे कि आतंकवादियों के साथ-साथ पाकिस्तान सरकार के भी विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने भी पाया कि जब राष्ट्रपति बुश ने कार्रवाई की तो पूरा देश उनके पीछे खड़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी जो भी कदम उठा रहे हैं हम सभी को राष्ट्रहित में एकजुट होकर उसका समर्थन करना चाहिए।

इजरायल के मामले में भी हमने वही बात पायी है। इजरायल की सारी जनता ने पाकिस्तानियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का समर्थन किया। दुर्भाग्यवश, यहां देश बंटा हुआ है। यह हमारे लिए समस्या पैदा करता है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें। आपके लिए नौ मिनट थे। परन्तु आप 24 मिनट ले चुके हैं।

श्री मनोहर जोशी: मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अन्यथा, आप अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाएंगे।

श्री मनोहर जोशी: महोदय, सरकार बिना किसी अस्त्र के कोई कार्रवाई नहीं कर सकती *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रावले, इस सभा को व्यवस्थित करने के लिए मैं यहां हूं।

श्री मनोहर जोशी: हमने गृह मंत्री के हाथों में एक अस्त्र दिया है। यदि हमें आतंकवादियों को उनके उद्देश्य में सफल होने से रोकना है तो हमें उन्हें और अधिक अस्त्र (अधिकार) देने होंगे, अर्थात वर्तमान कानून से कहीं अधिक कठोर कानून बनाना है। मुझे विश्वास है कि तब वह सफल होंगे।

अंतत: मैं कहना चाहता हूं ऐसे मुद्दों पर देश को एकजुट रहना चाहिए। हमें एकमत होकर कार्य करना चाहिए यदि हम अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करें तथा सरकार की सहायता करें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री सोमनाथ चटर्जी। आप श्री बसुदेव आचार्य के व्यवस्था के प्रश्न को भी उठा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं समझता हूं कि यहां कोई समय-सीमा नहीं है। मैं पाता हूं कि शिवसेना के पास कोई समय-सीमा नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने काफी समय लिया है। क्या करें? वह एक वरिष्ठ नेता हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने बताया कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री को भारत की इस संसद की तीन संयुक्त बैठकों में भाग लेने की खास विशिष्टता प्राप्त है; मैं नहीं जानता कि यह कोई महान विशिष्टता है। परन्तु उन्होंने कम से कम इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के सचेतन विनाश की अध्यक्षता करने की विशिष्टता जरूर हासिल की है।

हमारे आदरणीय और उदारचित प्रधान मंत्री के संरक्षण में देश के एक राज्य में राज्य व एक राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित नरसंहार घटित होता है। जहां धर्म के आधार पर लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है तथा उस राज्य के मुख्य मंत्री एक बहुत निन्दनीय घटना की प्रतिक्रिया के रूप में इस भीषण कत्लेआम को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पोटो का इससे अधिक खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग और क्या हो सकता है?

मैं इंतजार कर रहा था कि माननीय गृह मंत्री इसका उल्लेख करेंगे। इस राज्य में पोटो का चुनिन्दा रूप से उपयोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया गया। 85 लोगों की हत्याओं के लिए जो कि बिल्कुल भयंकर हत्याएं थी उन अपराधियों के विरुद्ध पोटो के प्रयोग को जायज ठहराया गया। गुजरात में जनसंहार में लिप्त बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ किस आधार पर पोटो का उपयोग नहीं किया गया? जब यह मामला काफी गरमा गया, जब अचानक, संभवत: दिल्ली से कुछ संवाद गया कि 'संयुक्त बैठक' होने जा रही है हमें तटस्थता या समानता का भाव बनाए रखना है। हम पाते हैं कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध पोटो के तहत दर्ज ऐसे मामलों को अचानक वापस ले लिया गया। मेरा विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री ने जानबूझकर इसका उल्लेख नहीं किया।

आज हम देखते हैं कि पुलिस अधिकारियों को वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की थी। उनका स्थानांतरण किया जा रहा है। हम पाते हैं कि बिना किसी विरोधाभास के—हमने कोई विरोधाभास नहीं पाया है-गुजरात में पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि: "हमें कार्य निर्वहन करने की अनुमति दें, आप हमें लगभग पंगु बनाकर रख रहे हैं, हम कर्तव्यपालन नहीं कर सकते। हम ऐसे बर्बर अपराध को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।"

माननीय प्रधान मंत्री अथवा माननीय गृह मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी के ही दल के एक मुख्य मंत्री जी ने जानबूझकर जो अपमान किया है, उस पर माननीय प्रधान मंत्री जी की अथवा माननीय गृह मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने पूरी संसद की किस भाषा में आलोचना की है? उन्होंने कहा और मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है, मैं समझता हूं कि उन्हें सही उद्धृत किया गया है: "दिल्ली में बैठे पाखंडी लोगों द्वारा गुजरात की स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है और वे संसद का सहारा ले रहे हैं।"

इसलिए, मैं समझता हूं कि भाजपा के शीर्ष नेता और प्रधान मंत्री जी भी इस बात को मानते हैं। और आज, हमें महान संस्था, संसद के बारे में बताया गया है जिसे वे जान-बूझकर कलंकित कर रहे हैं। दोहरे मानदंड अपनाने की भी कोई सीमा होती है। यह संयुक्त सत्र किसी संसदीय परंपरा को बनाये रखने के लिए नहीं बुलाया जा रहा अपितु यह तो इस देश की लोकतांत्रिक जनता पर अत्यधिक कठोर विधान थोपने में इस सरकार के दुराग्रह के कारण बुलाया जा रहा है।

महोदय, हम जैसे लोगों की विचारधारा वाले लोगों के लिए यह इस देश के आम लोगों के खिलाफ एक युद्ध घोषित करने के अलावा और कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि इस कानून के शिकार दुर्दांत आतंकवादी नहीं होंगे, जैसाकि पहले देखा जा चुका है, क्योंकि आप उन्हें पकड़ नहीं सकते अपितु सरकार के राजनैतिक विरोधी और विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होंगे, जैसाकि हम पहले देख चुके हैं।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

महोदय, भारत के संविधान को इस महान कक्ष में स्वीकृत किया गया था जिसमें वे संविधान निर्माता भी शामिल थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए और इस देश की एकता और अखंडता के लिए लड़े। उनका यह मानना था कि धर्मनिरपेक्षता और समानता सिर्फ मंत्र ही नहीं होंगे अपितु इस देश को चलाने में इन पर अमल भी किया जायेगा। और वह पूरे राष्ट्र की वचनबद्धता होगी और वह इस देश को चलाने में अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जायेगा। लेकिन महोदय, आज क्या हो रहा है? मैं समझता हूं कि यह महान संस्था, जिसने हमें महान संविधान दिया है, जहां समानता मौलिक अधिकार है, जहां अल्पसंख्यकों का संरक्षण पूरे देश की मूल प्रतिबद्धता है, लोकतंत्र और मानव अधिकारों का हनन करने वाले सत्तालोलुप व्यक्तियों के करण आज अपवित्र हो रही है। वे विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे रुढ़िवादी और सुधार-विरोधी दलों की सहायता से धर्म के नाम पर राष्ट्र को बांटने पर तुले हुए हैं और मैं समझता हूं कि उन कुछेक पथभ्रष्ट मित्रों ने इसका समर्थन किया है जिन्होंने सत्ता और उससे सबंधित लाभ पाने के लिए अवसरवादी गठबंधन के साथ मिलकर अपनी लोकतांत्रिक आत्मा को बेच दिया है जोकि बड़े दु:ख की बात है।

महोदय, मैं इस सरकार पर हमारे इस महान संविधान की पवित्र नींव को हिलाने का प्रयास करने का आरोप लगाता हूं। चूंकि यह सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, इसलिए इस सरकार को इतिहास में संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाली सरकार के रूप में याद किया जाएगा।

महोदय, मैंने माननीय गृह मंत्री जी को राज्य सभा में दूरदर्शन पर यह कहते हुए देखा और सुना था कि उन्होंने सोद्देश्य ऐसा किया है, इस तरह का उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए और यह कि जनता को इस सरकार से अच्छे व्यवहार के आश्वासन को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन गृह मंत्री जी, क्या आपने और प्रधान मंत्री जी ने यह सोचा है कि इस देश में उनकी और उनकी सरकार की क्या विश्वसनीयता रह गई है? आपने लोगों से किए गए प्रत्येक वायदे को तोड़ा है। लोगों से किए गए प्रत्येक वायदे और सांविधानिक प्रतिबद्धता को ताक पर रख दिया है। लोगों की एकता दांव पर है। संविधान में उपबंधित समानता की समस्त प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। धर्मनिरपेक्षता छिन्न-भिन्न हो गई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के चिथड़े-चिथड़े हो गये हैं। संघवाद एक अनावश्यक अवधारणा बन कर रह गया है। प्रति वर्ष एक करोड़ नौकरियां देने का वायदा मजाक बन कर रह गया है। यहां तक कि 'स्वदेशी' की अवधारणा, जिसका आपमें से कई लोग अपने-अपने घरों की छतों से अभी तक जिक्र करते हैं, इस सरकार के लिए एक पुरानी अवधारणा बन कर रह गई है। आपके कुछेक मित्रों को खुश रखने के लिए हमारी विदेश नीति, जो इस देश की समान विदेश नीति रही है, का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है। इसीलिए जहां कहीं भी लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए कोई नया अवसर मिलता है, वे स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसीलिए, आप एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं। आप अपना आधार खो चुके हैं और जनता ने स्पष्ट रूप से अपना निर्णय दिया है। उनका निर्णय भानुमती के कुनबे जैसी इस सरकार के विरुद्ध है जो सत्ता का लाभ उठाने के लिए ही आपस में मिले हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि जब ऐसा समय आयेगा कि समस्त भारत की जनता को अपना निर्णय बताना पड़ेगा, तो वह इस गुट को इतिहास के कचरे की टोकरी में डाल देगी। इस कानून को मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। लेकिन भाजपा और इसके सहयोगी दल कितने राज्यों में सत्ता में हैं? भाजपा केवल तीन राज्यों में और इसके सहयोगी दल चार राज्यों में सत्तारूढ़ हैं। संभवत: अगले किसी दूसरे चुनाव में इसकी संख्या एक और कम हो जाये। महोदय, 20 राज्यों में विपक्षी दल अथवा राजग से बाहर के दलों की सरकारें हैं। दो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है यहां तक कि उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। लेकिन इससे उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। महोदय, यह अवश्यंभावी है कि प्रतिशोध तो भड़केगा लेकिन समस्या यह है कि इस बीच इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा और भाजपा की सरकार वाले एक राज्य अर्थात् गुजरात में लोगों को जिंदा जलाया भी गया है।

महोदय, हमें बार-बार यह याद दिलाया जाता है। हमें वह मालूम है। हमने इस बारे में कभी भी विरोध व्यक्त नहीं किया कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बन गई है और हम सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे हैं तथा हमारे खिलाफ एक छद्मयुद्ध चल रहा है। इस बात से किसने इन्कार किया है? क्या यह सरकार एक भी ऐसा उदाहरण दे सकती है जब विपक्षी दलों ने उसके साथ सहयोग न किया हो? जब कभी भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमें बैठक में बुलाना उचित समझा, जो कि बहुत कम अवसर आये हैं, अथवा उन कभी-कभार के अवसरों में जब भाजपा पर संकट आया, मैंने कहा है कि कश्मीर के बारे में चाहे जो भी प्रस्ताव आये, हमने उसका पूरी तरह समर्थन किया है। हमने युद्धविराम का समर्थन किया। मैंने कहा, "यदि आप ऐसा चाहते हैं, तो हम इसका समर्थन करते हैं।" वे चाहते थे कि युद्धविराम हटा दिया जाये। हमने इसका भी समर्थन किया। क्या आप एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां विपक्षी दलों ने सहयोग न दिया हो? ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दिया जा सकता

जब हमने किसी भी तरह का पक्षपात करते हुए कार्यवाही की हो? यदि सरकार ऐसा महसूस करती है और जैसाकि वे अब कहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है, तो इस संबंध में कोई राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाया जाता? यह उल्लेख करने की बजाय कि कुछ मुख्य मंत्री उन्हें चुपचाप कुछ बता रहे हैं-स्पष्ट है कि वे उनके नाम नहीं बता सकते और अन्य दलों के मुख्य मंत्रियों की नेकनीयती पर संदेह पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तब राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाया जाता? आप इस देश में विधिवत निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के बारे में संदेह का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी से ऐसी आशा नहीं की थी। हालांकि मेरी बातों को जानबूझकर गलत ढंग से उद्धृत किया गया है, फिर भी, मैंने यह बात संसद में कही है, मैंने इस बात से कभी इंकार नहीं किया कि जी हां, सीमा राज्य से होने के कारण जब मैं पश्चिमी बंगाल की बात कर रहा था क्योंकि मैं पश्चिमी बंगाल से संसद सदस्य हूं, वहां के लिए कुछ विशेष कानून आवश्यक हो सकते हैं लेकिन हम पोटो विधेयक के प्रारूप के खिलाफ हैं जिसकी विधि आयोग ने भी अनुशंसा की थी।

आप इस मुद्दे पर हमारे साथ बात क्यों नहीं करते और इस विधेयक पर खंडवार चर्चा क्यों नहीं करते तथा इस सरकार के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में हमें क्यों नहीं बताते। पश्चिमी बंगाल की सरकार के समक्ष समस्या आ रही है लेकिन उसका क्या हल है। वे कहते हैं कि उन्होंने सूची दी है। मैं नहीं जानता कि क्या विधि मंत्री को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। आडवाणी जी ने इस विधेयक के समर्थकों और विरोधियों की सूची पढ़ी है। यदि यह कानून देश के हित के लिए आवश्यक था तो समग्र रूप से पारित हो जाता और सभी इसका समर्थन करते लेकिन आपने इस मुद्दे पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया।

हमने कहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने विचार बता दिए हैं और हमें उस पर विचार करना चाहिए। अचानक हमें पता चला कि सभा की बैठक बुलाये जाने के बाद अथवा जब 24 अक्तूबर को सभा की बैठक बुलायी जानी थी, एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। यह कोई महत्वपूर्ण दिन नहीं अपितु काला दिवस है। यह इस देश के सर्वाधिक काले दिवसों में से एक है। इससे पता चलता है कि संपूर्ण संसदीय प्रणाली को किस तरह प्रभावित और समाप्त किया जा रहा है, सरकार विपक्षी दलों को किस तरह लेती है। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, आपका वर्चस्व नाममात्र का है। फिर इस अध्यादेश की मूल आवश्यकता क्या थी।

एक दिन लोक सभा में इस विधेयक पर विचार-विमर्श के अंतिम दौर के दौरान, मैंने माननीय गृह मंत्री जी से केवल एक प्रश्न पूछा था, "आपने इस कानून को 24 अक्तूबर से लागू किया है लेकिन उसका क्या परिणाम निकला? आपने कितने मामले दर्ज किये हैं? जम्मू-कश्मीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? पूर्वोत्तर राज्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? आई.एस.आई. की गतिविधियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं? चूंकि यह एक निरोधात्मक कानून है, इसलिए कितने आतंकवादी हमलों को रोका गया है?" उन्होंने कहा था कि वे इससे संबंधित आंकड़े देंगे लेकिन आज तक हमें कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

24 अक्तूबर से यह कानून पूर्णत: लागू है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या परिणाम निकला। वे 13 दिसम्बर के हमले को क्यों नहीं रोक पाए? माननीय प्रधान मंत्री जी, आपने श्री शरद पवार के जन्मदिन की पार्टी में हमें भला-बुरा कहा था। आपने कहा था कि हम विपक्ष के गैर जिम्मेदार लोग हैं। श्री आडवाणी बार-बार कहते रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जीत हमेशा हमारी होती हैं लेकिन विपक्ष की गैर-जिम्मेदारी देखिए। उन्होंने जार्ज बुश के शब्दों को दोहराया। कई बार ऐसा लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी लाल कृष्ण बुश बन गए हैं। उन्होंने जार्ज बुश की बात दोहरायी और कहा कि जो 'पोटो' का विरोध करते हैं, वे वास्तव में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं जहां तक आतंकवादियों का संबंध है, वे उनके साथ नरमी बरत रहे हैं।" हम इस तरह की घोर निंदा का पूर्णत: खण्डन कर सकते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा-मैं समझता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे और मैं आशा करता हूं कि वे ऐसा करें। जब सरकार को पूरी जानकारी थी तो वह 13 दिसम्बर को संसद भवन पर हुए हमले को क्यों नहीं रोक पाई। आज आपने उसे किले में तब्दील कर दिया है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। निश्चित रूप से आपको संसद की रक्षा करनी है। मेरा यह आरोप है कि पूरी जानकारी होने के बावजूद आपने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि आप विपक्षी दलों के विरुद्ध इसे इस्तेमाल करना चाहते थे *...(व्यवधान)*

महोदय, विपक्ष के माननीय नेता ने हमारे विदेश मंत्री की कुछ शानदार मध्यस्थता का उल्लेख किया है। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मेरे विचार से, वह यह बात जानते हैं, यद्यपि वे हमेशा उस दल में रहे हैं। उनकी टिप्पणियां पहले ही उद्धृत की जा चुकी हैं।

महोदय, अब मैं इनमें सबसे अधिक स्पष्ट वक्ता, अपनी बहन श्रीमती सुषमा स्वराज के बारे में कहूंगा। नि:संदेह, श्री यशवन्त सिन्हा ने शेखी में इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि एक दिन वे वित्त मंत्री बनेंगे और आतंकवादियों से निपटने के लिए उन्हें धनराशि जुटानी पड़ेगी।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

उन्होंने भी कुछ कहा है। उसे उद्धृत किया जा चुका है और मुझे पुन: उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे योग्य रक्षा मंत्री जी ने भी कुछ बातें कही हैं।

अब मैं हाल ही में उस खेमे को छोड़कर आये अपने माननीय मित्र श्री राम जेठमलानी को उद्धृत करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि वे अभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उद्धृत करता हूं:

"आपने ऐसा कानून बनाया है जिस पर कोई भी भद्र व्यक्ति शर्मिन्दगी महसूस करेगा।"

मुझे लगता है उन्होंने शिष्टता खो दी है या उनमें शर्म नहीं बची। उन्होंने वर्तमान संगति को चुन लिया है। मैं उनकी टिप्पणियों को पुन: उद्धृत करता हूं:

"मेरी कामना थी कि तत्कालीन गृह मंत्री को सलाह देने के लिए कुछ प्रबुद्ध लोग होते।"

बेशक, यह बात वर्तमान गृह मंत्री पर भी लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महकमे में कुछ ऐसे सलाहकार लोग होने चाहिए जिन्हें अपराध विज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी हो, जिन्हें कानून तथा दंड-विधान के सिद्धांतों की जानकारी हो। कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री को ऐसे सलाहकार उपलब्ध होने चाहिए। मुझे स्मरण नहीं कि उस समय गृह मंत्री कौन थे।

अब मैं अपनी बहन की बात पर आता हूं आपने पहले जो भी कहा उससे आपके प्रति मेरे समादर में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा:

"हम मानते हैं कि 'टाडा' का न केवल दुरुपयोग बल्कि घोर दुरुपयोग हुआ है... इस दुरुपयोग का कारण अधिनियम की धारा 3 का होना है, क्योंकि आतंकवादी कार्यवाही की परिभाषा इसी धारा में दी गई है। इसी परिभाषा के अंतर्गत राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों को 'टाडा' के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है ... किसानों के विरुद्ध 'टाडा' का उपयोग किया जा सकता है .... निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ कर वर्षों तक प्रताड़ित करने के लिए जेलों में ठूंसा जा सकता है। 'टाडा' की परिभाषा इतनी व्यापक है कि किसी भी व्यक्ति को-एक सामान्य अपराधी को, जिसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकता है उसे भी उक्त अधिनियम के अंतर्गत पकड़ा जा सकता है और इस प्रकार इस अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।"

मैं जानता हूं कि आपकी अन्तर्आत्मा आपको कचोट रही है। हमें इसकी आधी झलक देखने को मिली। लेकिन, गृह मंत्री जी आज उसमें अन्तर कैसे आ गया? यह कैसे हुआ? ऐसा इसलिए है कि आप इसे क्रियान्वित करने जा रहे हैं। आप लोगों को पांच महीने से धमकियां दे रहे हैं। आप समझते हैं कि देशभक्ति की परीक्षा 'पोटो' को समर्थन देने पर ही निर्भर करता है। आप क्या करेंगे? दुर्भाग्यवश, यह कानून बन जाएगा और एक स्थायी विधान का रूप ले लेगा। आपको इसका नवीकरण करते रहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन जी को थोड़ी राहत मिलेगी। उन्हें इस विधेयक को अधिनियमत करने तथा कानून पारित कराने के लिए सदस्यों को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गृह मंत्री जी, कल को आप इस कानून का क्या करेंगे। आपने कहा था: "मैंने सोचा था कि यू.एस.ए. की ओर से कुछ प्रतिक्रिया होगी, हमारे देश में भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होगी।"

अमरीकी राष्ट्रपति की खुशामद से आपको क्या हासिल हुआ? मैं आपके वक्तव्यों, आपकी टिप्पणियों या और जो कुछ भी हो उसके लिए कठोर भाषा का उपयोग नहीं करूंगा। वे आपकी मदद को कैसे आयेंगे? कौन सा बाहर का देश आपकी मदद को आया है? क्या सुरक्षा परिषद अथवा यू.एन. जेनरल एसेम्बली सेशन के अनुसार एक कानून को मान लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी इस मंच से यह गारंटी दे सकते हैं कि इस कानून के विधि पुस्तक में स्थायी रूप से शामिल हो जाने के बाद, ऐसी कोई घटना नहीं होगी? गुजरात में 'पोटो' के अंतर्गत सोलह साल के लड़कों के गिरफ्तार किया गया। इस कानून का यही उपयोग हो रहा है। अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आप आतंकवाद को कैसे रोकेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि यह कानून 24 अक्तूबर, 2001 से लागू है लेकिन कहा ऐसे जा रहा है कि आज से कानून बन जाने के बाद इसका उपयोग होगा। पूरे देश में यह एक गलत धारणा बनायी जा रही है।

आज तक हमें यह नहीं बताया गया कि इस विधेयक को जारी करने की इतनी जल्दी क्या थी। इस विधेयक के औचित्य के बारे में हमें नहीं बताया गया। हम लोग इस प्रश्न के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जवाब मिल नहीं रहा है।

मैं यह बताने का प्रयास करता हूं कि इस कानून का उपयोग किस प्रकार हो सकता है। पूरी कवायद 'पोटो' के माध्यम से सघन दुष्प्रचार की है। पोटो का सदुपयोग कभी नहीं हो सकता। आज तक किसी विशेष न्यायालय का गठन नहीं किया गया है। केवल वर्तमान विधेयक में न कि पहले कभी, यह प्रावधान किया गया है कि विद्यमान सत्र न्यायालय ही विशेष न्यायालय के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा केवल नये विधेयक के आने के बाद हुआ है।

जनवरी-फरवरी तक इन अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने के लिए कोई विशेष न्यायालय नहीं था। कोई नामित अधिकारी अथवा सरकारी अभियोजक नियुक्त नहीं किया गया है। खंड 19 के अंतर्गत यहां तक कि जब्ती या अन्य मामलों के संबंध में भी कोई नियम नहीं बनाया गया है। कोई समीक्षा समिति भी गठित नहीं की गई है। फिर यह कानून किस प्रकार लागू किया जा सकता है? जब आप इसके कार्यान्वयन के प्रति गंभीर नहीं हैं तो आप पोटो क्यों दिखा रहे हैं, मानो यह सभी रोगों का इलाज हो यहां तक कि यदि हम इसका विरोध भी कर रहे होते तो भी आप हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते। आप इस मामले में संपूर्ण विपक्ष के विचारों की परवाह नहीं करते। आप इस बात की परवाह नहीं करते कि आज अधिकांश राज्य इसे लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। परन्तु इसके बावजूद भी आपकी जिद है और इसे आप अवश्य पूरा करेंगे क्योंकि आप प्रचार करना चाहते हैं और संभवत: राष्ट्रपति बुश को यह दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने यहां एक कानून पारित किया है।

मैं आरोप लगाता हूं कि वास्तव में यह एक ऐसा विधान है, जो अस्तित्व में नहीं आया है परन्तु इसे अल्पसंख्यकों को आतंकित करने के लिए और अभी हाल ही में विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों में विपक्षी दलों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए जल्दबाजी में लाया गया है।

इसलिए वे एक भी आतंकवादी कार्यवाही को रोक नहीं पाये। वे एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे पाये जिसमें इस कानून की वजह से वह कार्यवाही करने की आवश्यकता न पड़ी हो।

अत:, गृह मंत्री जी जो चाहे सोचें, चाहे वह यह महसूस करें कि हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मुझे खेद है कि मैं उन पर यह आरोप लगाता हूं कि हम इस अनावश्यक कानून इस काले कानून और जहां तक इस कानून का संबंध है, इस सरकार की सच्चाई पर संदेह करते हैं।

न्यायविद, श्री फाली एस. नरीमन जैसे अनेक सुप्रतिष्ठित लोगों-हो सकता है आज आप उन्हें इतना अधिक पसंद न करते हों—ने इसके बारे में कहा है। "मेरे जैसे विनम्र अधिवक्ता के विनम्र विचार स्वीकार मत कीजिए।" परंतु अनेक विद्वान लोगों ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर विचार अभिव्यक्त किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या कहा है? उसका कथन है:

> "आयोग का यह सर्वसम्मत और सुविचारित मत है कि प्रारूप आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000 पर आधारित कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है और यदि वर्तमान कानूनों को उचित रूप से लागू किया जाये और यदि आवश्यक हो, उनमें संशोधन किया जाये तो इन कानूनों के अंतर्गत ही वांछित समाधान खोजा जा सकता है। यदि प्रस्तावित विधेयक पारित हो जाता है तो इसके दुष्प्रभाव होंगे कि बिना किसी इरादे के सशक्त हथियार मिल जाएगा जिससे मानव अधिकारों का खुला दुरुपयोग और उल्लंघन होगा जिसे विगत समय में टाडा और आपातकालीन समय के दौरान मीसा के दुरुपयोग के अनुभव को ध्यान में रखते हुए रोका जाना चाहिए।"

सोमनाथ चटर्जी ने ऐसा नहीं कहा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जे.एस. वर्मा इस देश के विख्यात मुख्य न्यायाधीशों में से हैं उन्होंने यह कहा है:

> "यह आयोग अपने 173वें प्रतिवेदन में विधि आयोग की राय से सहमत न होने के मामले में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है और यह सिफारिश करता है कि प्रारूप आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000 पर आधारित नया कानून न बनाया जाये। यह रास्ता आतंकवाद पर काबू पाने में हमारे देश के दृढ़ संकल्प के संगत होने के साथ-साथ मानव अधिकारों के विकास और संरक्षण के भी संगत है।"

दुर्भाग्य की बात है कि सीपीआई (एम) का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है। यदि इस दल के सदस्य भी इस आयोग के सदस्य होते, तो अच्छी बात होती, लेकिन वे इसके सदस्य नहीं हैं।

कामनवैल्थ ह्यूमैन राइट्स इनशिएटिव, जिसके अध्यक्ष भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति लीला सेठ हैं, ने यह कहा है:

> "हमारी पुरजोर दलील यह है कि आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 से नागरिकों के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा जैसा कि पूर्ववर्ती आतंकवाद संबंधी विधेयक 'टाडा' के अंतर्गत देखा गया है, जिसने आतंकवाद को कम करने की बजाय हजारों निर्दोष लोगों को जेलों में बंद कर दिया।"

मैं उनके दुरुपयोग के मामले में अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। हाल में उच्चतम न्यायालय ने केवल दो दिन पूर्व ही टाडा के बारे में यह कहा था कि टाडा नागरिकों की स्वतंत्रता में गंभीर हस्तक्षेप था। न्यायमूर्ति बैनर्जी और न्यायमूर्ति वैंकटरामा रेड्डी की खंडपीठ ने यह कहा था:

> "टाडा को एक कठोर कानून के अलावा और कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती।"

यदि मैं उद्धृत करूं तो न्यायपीठ को भी आश्चर्य होगा। "क्या पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध मामला बनाया है या उसे फंसाया

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

है।'' इस तरह के दुरुपयोग किए जाते हैं। इसमें आगे कहा गया है: ''क्या ऐसा जानबूझकर सच्चाई को छिपाने के लिए किया जाता है या स्थिति को इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है कि वह सत्य लगे जो अन्यथा न केवल असंभव बल्कि पूरी तरह से अनुचित होता है? पीठ ने यह पूछा और नोट किया कि राज्य सरकारों के अधिवक्ताओं ने एक निश्चित उत्तर देने के बजाय इस पर चुप्पी साध ली।''

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक और मामले में 'टाडा' के दुरुपयोग पर टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति एम.बी. शाह और न्यायमूर्ति धर्माधिकारी की एक दूसरी पीठ ने वकार अहमद अब्दुल हामिद शेख को बरी किए जाने के विरुद्ध गुजरात सरकार की अपील का खारिज कर दिया था। जिसे 'टाडा' के अंतर्गत समान अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था और उस पर उसी साक्ष्य के आधार पर मुकदमा चलाया गया था जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने 1997 में एक और अभियुक्त से संबंधित सरकार की अपील को खारिज कर दिया था।

'यह व्यक्ति उसी अपराध के लिए वर्षों से जेल में बंद है।' उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणियां की हैं।

हमने गुजरात में इसके दुरुपयोग के उदाहरण देखे हैं। महोदय, हमें ऐसे मामलों की संख्या के बारे में कुछ ब्यौरे मिले हैं जिनमें केवल बहुत थोड़े से लोगों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गए हैं या उन्हें सजा हुई है। अधिकांश मामलों में अभियुक्त बरी हुए हैं लेकिन उन्होंने मुकदमा चले और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के अवसर मिले बगैर कई वर्ष जेल में गुजारे हैं। मैं सदन के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि यह स्थिति की विडंबना है कि एक महत्वपूर्ण विषय अर्थात आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को इस सरकार ने एक पक्षपातपूर्ण मुद्दा बना दिया है क्योंकि इसका वास्तविक इरादा आतंकवाद का सामना करना नहीं है बल्कि कुछ अन्य प्रयोजन के लिए लड़ना है जिसे वह गुप्त रखना चाहती है। हम देख चुके हैं किस प्रकार से इस सरकार का गुप्त एजेंडा सामने आया है। हम देख चुके हैं कि अयोध्या में क्या हुआ। अब कुछ भी छिपा हुआ नहीं रह गया है। इस सरकार ने धार्मिक समारोहों में हिस्सा लिया है। अब यह प्रतिष्ठापित शिलाओं को ग्रहण करने वाली हो गई है। यह सरकार वहां पर पूजा करने के लिए पुजारी नियुक्त करेगी। यह सरकार ऐसे काम कर रही है। इस सरकार के रहते ऐसा हुआ है।

महोदय, अत: यदि यह सभी महत्वपूर्ण संगठन/व्यक्ति यह कह रहे हैं कि कानून में पर्याप्त प्रावधान हैं और यदि उन्होंने कुछ कानूनों या कुछ अन्य प्रावधानों को सख्त बनाने की बात सोची तो मैं उसे समझ सकता हूं। मैं यह समझ सकता हूं कि जमानत के संबंध में कुछ प्रावधानों और मामलों के त्वरित निपटान के संबंध में कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिए था। यदि समुचित और सुविचारित विधान लाए गए होते तो कोई भी इसका विरोध नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय, अत: *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे भी समय का ध्यान है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): उपाध्यक्ष महोदय, यह कितना समय और लेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जाधव जी, कृपया क्या आप शांत रहेंगे? श्री जोशी जी को केवल नौ मिनट का समय दिया गया था लेकिन वह चौबीस मिनट बोले। जब वरिष्ठ नेता बोलते हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अहसास होता है। आप हमेशा इस तरह व्यवधान डालते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी अनेक समस्याएं हैं। कानून मंत्री जी पूर्ण रूप से अवगत हैं कि खण्ड (ग) के अंतर्गत आतंकवाद की परिभाषा की व्यापकता के बारे में गंभीर चिन्ताएं प्रकट की गई हैं जो संपत्ति जब्त करने और आतंकवादी संगठनों के बारे में हैं। मैं इस विधेयक के प्रावधानों के ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: इसके लिए समय नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: पुनरीक्षा समितियों के बारे में, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों का न्यायिक क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, और जिन्होंने कानून का अध्ययन नहीं किया है, वे पुनरीक्षा समिति के सदस्य कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार दायित्व आरोपित व्यक्ति पर डाल दिया जाता है। जहां तक आतंकवादी संगठनों की सदस्यता का संबंध है, हर किसी को नकारात्मक को सही सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद आतंकवादी संगठनों को उसके प्रति तथाकथित समर्थन की जिम्मेदारी अभियुक्त पर डाल दी जाती है। खण्ड 29 में सरसरी सुनवाई का प्रावधान है। खण्ड 30 में कुछ अनुभूत प्रावधान किए गए हैं अर्थात इसमें गवाही देने की भी आवश्यकता नहीं है। यह मुकदमे के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। तब हरेक ने पुलिस के समक्ष आत्म स्वीकारोक्ति संबंधी प्रावधान की निंदा की है। यह कानून के लिए वाजिब नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं आधा मिनट और लूंगा। इस तथाकथित कानून में गम्भीर खामियां हैं। मेरे अनुसार यह कानून रहित कानून है। मैं प्रधान मंत्री महोदय से इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर यह देश विभाजित है। अधिकतर राज्यों में, आप इस कानून को लागू नहीं कर सकते हैं। इसे आपको केन्द्रीय बलों के माध्यम से करना पड़ेगा और यह देश की संघीय अवधारणा और संविधान पर सीधा हमला होगा। आपको मर्यादा के साथ इसे 'वापस कर लेना चाहिए आपने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। व्यापक प्रचार किया जा रहा है कि कुछ ऐतिहासिक घटना घटित होने जा रही है।

महोदय, हमें खेद है कि संविधान के एक प्रावधान का इस सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार ने देश के लोगों का समर्थन खो दिया है जैसाकि हाल ही के चुनावों से भी साबित हो गया है।

मैं इस विधेयक का पूर्णरूपेण विरोध करता हूं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति अति कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे आतंकवादी निवारण विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

देश भीषण आतंकवाद और सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। देश में आतंकवाद और सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पोटो समय की जरूरत है। मैं अपनी पार्टी तेलगूदेशम पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। मेरी पार्टी भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 'आतंकवाद निवारण अध्यादेश' का समर्थन कर रही है।

जैसाकि सभी भलीभांति परिचित हैं कि हमने देश में अनेक कानून बनाए हैं। वर्ष 1980 में भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। हमारे देश में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, मीसा, एन.एस.ए. और टाडा जैसे कानून पहले से मौजूद हैं। आखिर अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए हमने इतनी संख्या में कानून क्यों बनाए हैं। हमने इतने विशिष्ट कानून क्यों बनाए हैं। मेरी यही प्रश्न है।

परिस्थितियां भिन्न हैं। अब, देश आन्तरिक आतंकवाद और सीमापार आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। गत 20 वर्षों में, हमारे 61000 निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के हाथों मारे गए हैं और आतंकवादी हमलों में 8000 सुरक्षा गार्ड भी मौत के शिकार हुए हैं। अभी हाल ही में, 13 दिसम्बर को, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। अत: जरूरी है कि एक विशिष्ट कानून बनाया जाए।

अनेक सरकारों ने अपने राज्य में मौजूद परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए ऐसे विशिष्ट कानून बनाए हैं। महाराष्ट्र में भी जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राज्य सरकार ने मकोका (एम.ए.सी.ओ.सी.ए.) को बड़ी कुशलता से प्रभावी ढंग से लागू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही मिलता जुलता कानून बनाया है और राज्य में लागू किया है। कर्नाटक सरकार ने भी ऐसा ही कानून बनाया है। उन्होंने एक कानून पारित किया है यह भारत के राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति के लिए लम्बित है। हाल ही में, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक विशिष्ट कानून बनाया है। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): जी नहीं।

श्री के. येरननायडू: वे एक विशेष कानून बनाना चाहते हैं। आपके मुख्यमंत्री ने आज एक वक्तव्य दिया है जिसे आप समाचारपत्रों में पढ़ सकते हैं। पोटो के बाद मैं विशेष कानून के बारे में बोलूंगा। उन्होंने जो कहा वह आज समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है।

हम किसी धर्म, समुदाय या किसी समूह के खिलाफ नहीं हैं। इस कानून का उद्देश्य न केवल देश के अन्दर अपितु देश के बाहर भी आतंकवाद का मुकाबला करना है। इस कानून के जरिए हमें अपने देश से आतंकवाद का सफाया करना है। यही इस सम्पूर्ण कानून का सार है। इस परिदृश्य में हम सबको यह कानून पारित करना चाहिए।

महोदय, टाडा 1985 में अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम के उपबंध वर्ष 1995 तक लागू थे। इस तरह से कुल मिलाकर यह अधिनियम इस देश में 10 वर्षों तक लागू रहा। हर कोई जानता है कि इस अधिनियम का दुरुपयोग किया गया। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 'मीसा' भी था और हम सभी यह भी जानते हैं कि 1977 के आम चुनावों में क्या हुआ था। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 'मीसा' का दुरुपयोग किया गया और जनता ने 1977 में अपना निर्णय दिया, फलस्वरूप जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। अत:, यदि कोई राज्य सरकार या फिर केन्द्र सरकार किसी कानून का दुरुपयोग करते हैं तो जनता जो सबसे अच्छी निर्णायक है, समय आने पर ऐसी सरकारों को खामियाजा भुगतना पड़ता है।

महोदय, इस कानून को राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना है। वर्तमान में, 15 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, सात राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की सरकारें हैं और केवल तीन राज्यों

[श्री के. येरननायडू]

में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। अत:, हमारे पास इस कानून का दुरुपयोग न करने की इच्छा-शक्ति होनी चाहिए तथा राज्य सरकारों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि इस कानून का समुचित तौर पर क्रियान्वयन किया जाता है तो हमारे देश में आतंकवाद बहुत हद तक कम किया जा सकेगा। पिछले 20 वर्षों में, भारत सरकार को सशस्त्र सेनाओं के रखरखाव पर 45,000 करोड़ रु. खर्च करने पड़े हैं। आपज हमें हमारे देश में पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बारहमासी सड़कों की कमी है और गरीब लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। आतंकवादी कृत्यों के कारण करीब छ: लाख लोग हमारे देश में बेघर हो गए हैं। हम यह सब चीजें हमारे देश में घटित होते देख रहे हैं। इन परिस्थितियों में, हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित करना है। यदि इस अधिनियम का कोई दुरुपयोग होता है, तो जनता सही समय आने पर इन सरकारों को सही सबक सिखाएगी।

महोदय, सभी लोग महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 'मकोका' को प्रभावी ढंग से लागू किया। हालांकि इसके अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की संख्या कम है, लेकिन दोषसिद्धि की दर 75 प्रतिशत है। हमारे राज्य में भी, हम संगठित अपराधों को इस संबंध में एक विशेष कानून के प्रावधानों को लागू करके नियंत्रित कर रहे हैं। हमें वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। यदि कोई कानून खराब पाया जाता है तो हम बाद में इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। सब कुछ तो हमारे हाथ में है। यदि यह पाया जाता है कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसमें समुचित संशोधन किया जा सकता है और इसे पूरी तरह से निरस्त किया जा सकता है।

महोदय, जब आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (पोटो) जारी हुआ था तब हमारी पार्टी ने कुछ सुझाव दिये थे। ये पांच वर्ष की अवधि को तीन वर्ष करने से संबधित था। हमें अपने देश के लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करनी है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने विधेयक की धारा 38 और 14 में संशोधन का सुझाव दिया था। मंत्रिमंडल ने इन दो धाराओं में संशोधन करने का निर्णय लिया था और हमारी पार्टी द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार किया था। इसलिए हम विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हैं जिसे इस बात को ध्यान में रख कर पारित करने की कोशिश की जा रही है कि इससे न केवल देश के अन्दर अपितु सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला किया जाएगा।

हम इस विधेयक का इसके वर्तमान रूप में समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दुख के साथ हमें यहां कहना पड़ रहा है कि यह सरकार इतिहास से कोई सबक सीखने का प्रयास नहीं कर रही है क्योंकि प्रधान मंत्री जी अभी बैठे हुए थे, वह तत्काल ही चले गये, उनके बारे में कई बार कहा गया कि वह इस तरह की तीनों ऐतिहासिक बैठकों में शामिल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस सरकार ने और प्रधान मंत्री जी ने कोई सबक लेने का प्रयास नहीं किया। जो सबक नहीं लेते, उनका इतिहास सबको पता है, वह खुद तो डूबते ही हैं और साथ में अपने सहयोगियों को भी डुबो देते हैं। बहुत से समाचार पत्रों में प्रचारित किया गया कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रधान मंत्री जी को आशीर्वाद दिया था कि वह एक अच्छे पार्लियामेन्टेरियन भी हैं और भविष्य में इस देश के बड़े नेता बनेंगे, प्रधान मंत्री तक बनेंगे। लेकिन क्या उन्होंने नेहरू जी के आदर्शों का पालन किया? 1961 में पहली संयुक्त बैठक हुई जिसमें दहेज निषेध विधेयक आया था, उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू यदि चाहते तो राज्य सभा मे भी यह विधेयक पास हो जाता तथा संयुक्त बैठक की नौबत भी नहीं आती क्योंकि संसद के दोनों सदनों का उन्हें प्रचंड बहुमत हासिल था। लेकिन उसके बाद भी नेहरू जी ने उस वक्त लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परम्पराओं और नैतिकता का पालन करते हुए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया और एक मिसाल कायम की। राज्य सभा ने दहेज निषेध विधेयक वापस कर दिया था।

अपराह्न 2.00 बजे

पं. नेहरू ने संयुक्त बैठक में अपने सदस्यों पर जोर नहीं दिया। विधेयक के पक्ष अथवा विपक्ष में वोट करने की उन्होंने पूरी छूट और आजादी दे दी थी। लेकिन हम जानते हैं कि यह मिसाल कायम हुई। सहयोगी दल आज पोटो का समर्थन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा नेतृत्व प्रधान मंत्री सहयोगी दलों के सदस्यों पर भी दबाव देकर उनसे पोटो के पक्ष में मतदान करवा रहा है, मंत्री पद का लालच है, सुविधा का लालच है। जितने लोगों को मंत्री पद मिला हुआ है, उनको छोड़कर सहयोगी दलों के जितने भी माननीय सदस्य हैं, एक एक सदस्य हमसे कहते हैं कि हम पोटो का समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी है, व्हिप का पालन करना पड़ रहा है और पोटो के पक्ष में मतदान के लिए आज उनको मजबूर किया जा रहा है। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं और लोकतांत्रिक परंपराओं की, मर्यादाओं की उम्मीद करना ही बेमतलब है।

हम उम्मीद करते हैं कि अगर यह सरकार इतिहास से कुछ सीखे और सबक ले तो शायद अब भी मंत्री महोदय इस खतरनाक और दमनकारी विधेयक को वापस ले लें। इस कानून के पास होने के बाद यह कानून राज्य सरकारों के अधिकार में होगा। राज्य सरकार की पुलिस इसे लागू करेगी। राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और राज्य सभा ने जब उसको अस्वीकार कर दिया है, बहुमत से गिरा दिया है तो सरकार को संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करना चाहिए था और सरकार को राज्य सभा की राय को मानना चाहिए था। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इस कानून के बन जाने के बाद राज्य सरकारें ही इसे लागू करेंगी, उसकी पुलिस लागू करेगी, लेकिन जब राज्य सभा ने इसको वापस कर दिया था तो आपको यहां संयुक्त बैठक नहीं बुलानी चाहिए थी और राज्य सभा का जो भी अस्वीकार किया हुआ प्रस्ताव था, उसे मान लेना चाहिए था। अगर जरा भी लोकतांत्रिक परंपरा, मर्यादा और नैतिकता इस सरकार में होती तो उसको राज्य सभा के प्रस्ताव को मानना चाहिए था और संयुक्त बैठक नहीं बुलानी चाहिए थी लेकिन हम कह चुके हैं कि यह सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक परंपराओं, नैतिकताओं और मान्यताओं को तिलांजलि दे चुकी हो तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1919 के रोलेट एक्ट से ज्यादा खतरनाक और दमनकारी कानून पोटो है। जब रोलेट एक्ट लागू हुआ था, उस वक्त गांधी जी सहित देश के सभी नेताओं ने इसका तीखा विरोध किया था और इतना जबर्दस्त विरोध किया था कि गांधी जी ने पूरे देश में व्यापक आंदोलन एवं हड़ताल का आह्वान किया। रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी के निर्देश पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ।

महोदय, 26 फरवरी, 1919 को महात्मा गांधी ने उस समय के संसद सदस्य पं. मदन मोहन मालवीय जी को एक तार दिया था। उस में जो उन्होंने लिखा, उसमें से मैं कुछ उद्धृत कर रहा हूं-"मालवीय जी, आपको ईश्वर ने शरीर और मस्तिष्क में जितनी भी ताकत दी हो, उस पूरी ताकत का उपयोग कर इस काले कानून को संसद में पास होने से रोकिए।" यह उन्होंने 26 फरवरी, 1919 को रोलेट एक्ट के खिलाफ लिखा था और आज 26 मार्च, 2002 है-यानी 83 साल एक महीने के बाद आज फिर आप वैसे ही खतरनाक विधेयक संसद से पारित कराने हेतु एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उस वक्त व्यापक विरोध हुआ था इसलिए आज हम जरूर चाहेंगे कि इस सदन में जितने भी लोग गांधी जी का नाम लेने वाले तथा रोलेट एक्ट में आस्था रखने वाले हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि वे इसका विरोध करें। यदि हमारे विरोध के बावजूद यह विधेयक पारित हो गया, तो हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। इसलिए मैं सभी गांधीवादियों का आह्वान करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि वे सभी एकजुट होकर इसका विरोध करें। यदि आप सब मिलकर इसे यहां पास करा भी देंगे, तो इसका विरोध करने के लिए हमें देशव्यापी आंदोलन चलाना पड़ेगा।

माननीय गृह मंत्री जी, आप जानते हैं, आप चाहे कितना भी भरोसा दिलाएं, विश्वास दिलाएं, लेकिन इसका दुरुपयोग होगा। आपको मालूम ही है कि टाडा का कितना दुरुपयोग हुआ था। आपको याद होगा कि 1991 में एटा और बदायूं के बीच एक स्थान पर 11 सिक्ख तीर्थयात्रियों की किस तरह से हत्या की गई थी। आप मौके पर गए थे। आपने स्वयं देखा है। पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करती है। वे पंजाब के आतंकवादी नहीं थे। अभी सोमनाथ जी ने 16 साल के एक बच्चे का जिक्र किया कि किस प्रकार उसे टाडा में गिरफ्तार किया गया। हम लोगों ने आपको बताया था कि 12 वर्ष के एक लड़के पर किस प्रकार से टाडा लगाया गया था और उसे टाडा के अंदर पीलीभीत जेल में बन्द किया गया था। उस समय हमने इसकी जांच कराई, उ.प्र. अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन श्री अहमद हुसैन को पीलीभीत जेल में मौके पर भेजा था और पीलीभीत जेल से उस लड़के को रिहा कराया था। उस समय अकाली दल के नेता श्री तोहड़ा साहब वहां गए थे। उन्होंने बयान भी हमारे और हमारी सरकार के पक्ष में दिया था। आपकी सरकार के जमाने में हत्याएं हुई, लेकिन जब हमने अपने समय में टाडा में बन्द 1152 में से 1141 को रिहा किया तो उ.प्र. के तराई क्षेत्र का उग्रवाद ही समाप्त हो गया था।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में तराई के इलाके में सिक्ख भाइयों ने इतनी मेहनत कर के जमीन का विकास किया है कि आज वहां की स्थिति यह हो गई है कि पंजाब से ज्यादा पैदावार वहां की जमीन दे रही है। उस वक्त हमने टाडा में बन्द तमाम लोगों को रिहा किया था। जब आपकी सरकार थी और आपने टाडा लगा रखा था तब निर्दोष सिक्खों को जेलों में भेजा जा रहा था जबकि वे उग्रवादी नहीं थे। उनके पैट्रोल पम्प उखाड़े जा रहे थे। लेकिन हमारी सरकार आने पर और हमारे द्वारा टाडा में बन्द लोगों को रिहा करने के बाद उत्तर प्रदेश में उग्रवाद खत्म ही हो गया था। इसलिए आप सदन में कितना भी कहते रहें, कि दुरुपयोग नहीं होगा लेकिन जब यह कानून यहां से पास हो जाएगा और जब पुलिस के हाथों में कानून चला जाएगा, तो फिर आप हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। फिर आप इसे राज्य का मामला कहकर टाल देंगे। हम जानते हैं। हमारे सहयोगी अभी बोलकर गए थे, जिनसे कि हम वैसी उम्मीद नहीं कर सकते थे। आज वर्तमान रक्षा मंत्री जॉर्ज साहब और श्री जनेश्वर मिश्र यहां बैठे हुए हैं। वे जानते हैं, हम भी जानते हैं, इलाहाबाद के एक

[श्री मुलायम सिंह यादव]

कलैक्टर की नाराजगी पर 1966 में श्री जनेश्वर मिश्र को 11 महीने के लिए डी.आई.आर. में उन्हें जेल में डाल दिया गया था। जब-जब इस तरह के कानून लाये जाते हैं तो हमेशा देश हित की बात सामने रखी जाती है। देश हित की बात कहकर कितने लोगों पर जुल्म हुए हैं, यह सबको पता है। जो महान देशभक्त हैं, आजादी की लड़ाई के शानदार नेता थे 1962 में चीन के युद्ध के बाद जब इस तरह के देश हित में कहकर कानून लाये गये, उनका दुरुपयोग करके डा. राम मनोहर लोहिया, श्री कर्पूरी ठाकुर और श्री रामानंद तिवारी और राजनारायण जी जैसे देशभक्त और नेताओं को जेल में डाल दिया। हमने जनेश्वर मिश्र जी का उदाहरण दिया कि 1966 में वे 11 महीने डी.आई.आर. के तहत जेल में डाले गये। उनको कब छोड़ा गया-जब विजय लक्ष्मी पंडित 1966 में फूलपुर इलाहाबाद से चुनाव लड़ रही थीं तथा श्री जनेश्वर मिश्र जी ने जेल से ही उनके खिलाफ अपना पर्चा दाखिल कर दिया था। वहां की जनता में जनेश्वर मिश्र को जेल में डालने के खिलाफ क्रोध था और मतदाता श्री जनेश्वर मिश्र जी के पक्ष में हो रहे थे, उस वक्त विजय लक्ष्मी पंडित जी ने श्री मिश्र को जेल में डालने का विरोध किया और जनता के आक्रोश को देखते हुए उ.प्र. की सरकार को श्री जनेश्वर मिश्र जी को जेल से रिहा करना पड़ा। जितने भी काले कानून बने हैं तब तब उनका दुरुपयोग हुआ है। गोधरा की घटना की सबने निंदा की है। हम आज फिर इसकी निंदा को दोहराना चाहते हैं कि जितना जघन्य अपराध हो सकता है, वह हुआ है लेकिन उसके बाद जो बदले की भावना से निर्दोष लड़के लड़कियों, बूढ़े, जवानों के साथ और निर्दोष मुसलमानों के साथ जो जुल्म और अत्याचार किया गया, वह गोधरा कांड से ज्यादा खतरनाक है।

मैं कहना चाहता हूं कि जिन 62 लोगों पर गोधरा में टाडा कानून लगाया गया, वे कौन थे? वे सारे के सारे मुसलमान हैं। आज उनको रिहा किया गया है। उनको इसलिए रिहा किया गया क्योंकि आज संयुक्त बैठक थी और उसकी संसद में आलोचना होती। आपको इस कानून को संसद में पास करना था और इस आलोचना से बचना था इसलिए पोटा कानून वापिस लिया। दूसरा गलत कार्य यह किया कि कुछ निष्पक्षता से कार्य करने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण गुजरात की सरकार ने कर दिये, भाजपा के लोगों तथा विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वे अधिकारी कार्यवाही करने वाले थे जिन्होंने दंगा-फसाद और हत्याएं करने में, चाहे विश्व हिन्दू परिषद के नाम पर या बजरंग दल के नाम पर, हिस्सा लिया था। उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही होने वाली थी। इसी वजह से उन अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपके इस आश्वासन पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि अभी हाल में गोधरा में केवल मुसलमानों पर पोटो का दुरुपयोग किया गया। संविधान लागू होने के तत्काल बाद ही जब इसका दुरुपयोग हुआ तो उस वक्त डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस कानून का विरोध किया था। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहां तक कहा था और मैं संसद में उन्हीं के द्वारा दिया गया भाषण आपके सामने यहां रखना चाहता हूं, 13 फरवरी, 1951 को अस्थायी सदन में नजरबंदी निवारक कानून के 10 माह पूरे होने पर डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भाषण के कुछ अंश हम गृह मंत्री जी आपके सामने रख रहे हैं। यद्यपि वे कम्युनिस्टों के विरोधी थे लेकिन उन्होंने अपने भाषण में उनके समर्पण और राष्ट्र भक्ति को कभी चुनौती नहीं दी। "उन्होंने विधेयक पेश करने वाले सरदार पटेल को ललकारते हुए कहा कि आप साम्यवाद को केवल निवारक नजरबंदी कानून से रोक नहीं सकते। देश में व्याप्त अराजकता को भी इस कानून से नहीं रोक सकते। देश में व्याप्त अराजकता को भी इस कानून से नहीं रोक सकते। सरकार और देश में व्याप्त अराजकता को तभी रोक सकती है जब इस बात के लिए जिम्मेदार लोगों के दिमाग में जो बर्बादी और अराजकता की ओर जा रहे हैं, उसे नहीं रोक पा रहे हैं, सरकार देश की आर्थिक बर्बादी और अक्षम प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। जब तक जनता को भरोसा न हो कि हम देश की उन्नति के लिए संकल्पबद्ध हैं, इस स्थिति को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जनता को संसद ने एक प्रेरणादायक संदेश और भरोसा देना होगा। विचारों के दूर तक दमन से समस्याएं गंभीर होंगी। उन्होंने ये शब्द कहे थे।" माननीय गृह मंत्री जी उन्हीं के नाम पर आज जनसंघ की स्थापना के नाम पर या भारतीय जनता पार्टी स्थापना के नाम से 50 साल की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं लेकिन जब आप आज अपने आदर्श डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ जा सकते हैं तो आपके ऊपर कौन भरोसा करेगा। इसलिए आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका दुरुपयोग होगा, यह सही है। इसे मुसलमानों के खिलाफ और अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इस सरकार में स्वयंसेवक संघ प्रचारक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण उच्च पदों पर बैठे हैं, उनकी मानसिकता, उनका दृष्टिकोण मुसलमानों के बारे में क्या है, ईसाईयों के बारे में क्या है, अल्पसंख्यकों के बारे में क्या है, यह सब जानते हैं। किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कौन उम्मीद कर सकता है, कौन विश्वास कर सकता है, कोई विश्वास नहीं कर सकता कि आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। उनकी मानसिकता को भी नहीं बदला जा सकता, यह ताजा उदाहरण है। इसलिए पोटो जैसा कानून जो स्वयं में एक खतरनाक कानून है वह गलत हाथों में पहुंच जायेगा तो इस देश का भगवान ही मालिक है। गुजरात के अंदर दंगा-फसाद, आगजनी, हत्याएं हुई थीं तब दर्जनों टेलीफोन अहमदाबाद के लोगों को मिले थे। हम परेशान थे। लोक सभा में भी हमने इसका जिक्र किया था। 28 फरवरी को प्रधान मंत्री जी को हमने टेलीफोन किया, गृह मंत्री जी आपसे फोन पर बात नहीं हो सकी। हमारी प्रधान मंत्री जी से बात हुई थी।

उसके बाद दूसरे दिन 1 मार्च को श्री अमर सिंह, श्री राज बब्बर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री सीताराम येचुरी और बहन श्रीमती शबाना आज़मी जब अहमदाबाद गए और जब अमर सिंह ने जाते ही मुख्य मंत्री जी को टेलीफोन किया तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपके विचार और दृष्टिकोण क्या हैं-सभी जानते हैं और आपके चेहरे को गुजरात की जनता और हमारे लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम आपकी जान की कोई हिफाजत नहीं कर सकते। आप अगर ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां दंगा है, हत्याएं या आगजनी हो रही हैं, हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। जो संघ परिवार का प्रचारक रहा हो, संघ परिवार को चलाने वाला हो, जो आज गुजरात के मुख्य मंत्री हैं, वे श्री अमर सिंह और उनके साथियों से यदि फोन पर यह बात कहें तो आप सोचिए कि आप मुसलमानों या उनको न्याय दिलाने की बात कहने वालों के खिलाफ किस सीमा तक जा सकते हैं।

श्री फर्नान्डीज यहां बैठे हैं। अगर 1975 में मीसा के स्थान पर पोटो होता, तो रक्षा मंत्री श्री फर्नान्डीज, उनके साथी बैठे हुए हैं, आज इस दुनिया में नहीं होते। इससे सबक लेना चाहिए था लेकिन अभी आप सबक नहीं ले रहे हैं। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी, हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद पोटो से नहीं रोका जा सकता। हम दोहराना नहीं चाहते लेकिन अभी श्री सोमनाथ जी ने सब उदाहरण दिए, चाहे 1 अक्तूबर कश्मीर की विधान सभा पर हमला हुआ हो, चाहे 13 दिसम्बर संसद पर आतंकवादियों का हमला हुआ हो। आपके जानते हुए भी संसद पर हमला हुआ। लेकिन पोटो से आतंकवाद को नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह सीमा पार से प्रायोजित किया जा रहा है। जो लोग विदेशी पैसे से यहां आतंकवाद का खुल्लम-खुल्ला नंगा नाच कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, उनको आपने बिना मुकदमा चलाए ही कंधार वापिस कर दिया, आपने उन आतंकवादियों को बाकायदा ससम्मान जहाज में बिठा कर एक बड़े मत्री के साथ विदेश में वापिस कर दिया। आपने हुर्रियत जैसे संगठन के नेताओं को बिना शर्त रिहा किया, आज वही देश के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं और उनके बहाने पर पोटो कानून लागू किया जा रहा है। क्या आप आज तक उन विदेशी आतंकवादियों पर पोटो कानून लागू कर सके?

आप कई संगठनों से बात कर रहे हैं। आप युद्धविराम के नाम पर नागालैंड के नंग उग्रवादियों से विदेशों में बातचीत कर रहे हैं, बैंकाक, हॉलैंड में कर रहे हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के जो नौजवान गलत रास्ते पर चले गए हैं, उनसे बात क्यों नहीं करते। उनसे बातचीत नहीं करेंगे, ये कुछ लोगों से ही बातचीत करेंगे। ठीक है, हमारे देश के पढ़े-लिखे बहुत से लड़के डाक्टर, इंजीनियर या लॉ के विद्यार्थी आज भ्रमित होकर गलत रास्ते पर चले गए हैं, उनसे बात क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है कि कुछ सिनी के लड़के भी भ्रमित होकर गलत रास्ते पर चले गए हों, उनसे बातचीत क्यों नहीं की? हमारी राय है उनसे बात करनी चाहिए। इसलिए आपकी निष्पक्षता पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि आप निष्पक्ष होकर कोई काम करेंगे। इस कानून को लागू करके आप किसी तरह निर्दोष नागरिकों को बचाएंगे या उन पर यह लागू नहीं होने देंगे। खैर, यह आपके हाथ की बात नहीं होगी।

यदि सही मायने में पूछा जाए तो मैं सदन के सब माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि यदि पोटो कानून आतंक विरोधी कानून नहीं है, यह आतंकवादी कानून है और इससे अल्पसंख्यकों को आतंकित किया जाएगा। मैंने शुरू में कहा और आज फिर कह रहा हूं कि जो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें इनकी आलोचना करने से, इनका विरोध करने से रोका जायेगा। जो इनको बेनकाब करेंगे, उनके खिलाफ यह इस्तेमाल किया जायेगा। जरा भी कोई दरोगा, कोई एस.पी. या कलैक्टर के खिलाफ भी हो जाएगा तो उसको भी पोटो कानून में अन्दर जाना होगा। मैंने कई बार समाजवादी पार्टी नेता सतीश फौजी का उदाहरण दिया। उत्तर प्रदेश में बनारस के अन्दर एक सतीश फौजी ने वहां के जिला प्रशासन के खिलाफ आन्दोलन खड़ा किया, क्योंकि किसानों की जमीन पर बिना मुआवजा दिये जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा था। उसके खिलाफ आन्दोलन करने की वजह से आज वह बनारस की जेल में रासुका में बन्द है। जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का निधन हुआ और उसके बूढ़े बाप ने अपने बेटे को अंतिम समय पर देखने की इच्छा व्यक्त की तो तमाम लोगों ने कहा, हमने भी कोशिश की, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे को अपने बाप से नहीं मिलने दिया गया। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में शानदार भूमिका निभाई थी, वह अपने पुत्र को अंतिम समय पर नहीं देख सके। जब उनका निधन हो गया तो वहां के तमाम स्वयंसेवी संगठन, तमाम राजनैतिक पार्टियों ने दबाव दिया तो केवल चार घंटे के लिए दाह संस्कार करने के लिए सतीश फौजी को छोड़ा गया और चार घंटे के बाद आज भी वह बेगुनाह बनारस की जेल में बन्द है। मैं गृह मंत्री जी से कई बार कह चुका हूं, पहले भी आपकी पार्टी के मुख्य मंत्री थे, आज भी इन्हीं के राज्यपाल जी हैं, लेकिन अभी तक एक दिन भी गृह मंत्री जी ने उस पर न गम्भीरता से ध्यान दिया और न पूछा। मैंने सदन के माध्यम से अपील भी की थी और प्रार्थना भी की थी कि आप कम से कम उन्हें पूछें कि सतीश फौजी आज तक जेल में बन्द क्यों है।

अपराह्न 2.20 बजे

(उप सभापति महोदया, *राज्य सभा पीठासीन हुई*)

आज हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी ने यद्यपि अमेरिका का उदाहरण दिया, फ्रांस का उदाहरण दिया, जर्मनी का उदाहरण दिया, आपने कानून के बारे में तो उनकी

[श्री मुलायम सिंह यादव]

नकल की, लेकिन और बातों के बारे में कहां नकल की। जब 11 सितम्बर को अमेरिका पर आतंकवादियों का हमला हो गया तो अमेरिका ने पूरे के पूरे उनके जितने भी नेता स्वयं बुश साहब से लेकर जितने वरिष्ठ नेता थे, इंग्लैंड के नेता या और उनके सहयोगी, फ्रांस के नेता थे, पूरी की पूरी दुनिया में अपना पक्ष रखने के लिए गये और मुस्लिम देशों में गये, चीन में भी गये। लेकिन 13 दिसम्बर के बाद, आपने कई मंचों से और लोक सभा के अन्दर भी हमने कहा कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाइये, आतंकवाद पर चर्चा हो जाये कि हमें सब को मिलकर क्या करना चाहिए, लेकिन आपने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक नहीं बुलाई। आप और बातों में तो अमेरिका की नकल कर रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका ने पूरे का पूरा समर्थन पूरी दुनिया का ले लिया, उसके बाद उन्होंने जाकर अफगानिस्तान में तालिबान पर हमला किया, लेकिन आप 13 दिसम्बर के बाद अभी तक दुनिया के देशों को विश्वास में लेना तो दूर रहा, आपकी हिन्दुस्तान की पार्टियों को और हिन्दुस्तान के कई स्वयंसेवी संगठनों को, बुद्धिजीवियों को और जो पूरे के पूरे साथ देने वाले थे, उनको भी विश्वास में नहीं लिया। दुनिया में आप जितनी बात कहें कि हमारा सम्मान बढ़ा है, हमारा महत्व बढ़ा है, हमें विश्वास मिला है, लेकिन आज इस संकट की घड़ी में पूरे दिल के साथ इस दुनिया का एक भी देश आपके साथ नहीं है, आपने ऐसी जगह देश को ले जाकर रखा है।

आज गुजरात के अन्दर जो भी हो रहा है या जबरदस्ती अयोध्या के अन्दर प्रवेश कर जाना और प्रवेश करने के बाद विश्व हिन्दू परिषद के लोग कहें कि हम प्रवेश करेंगे और अब भी चुनौती दी जा रही है कि कोर्ट का कोई फैसला हो, न्यायालय का कोई फैसला हो, हम इस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे, वे कौन लोग हैं? आप कहेंगे कि विश्व हिन्दू परिषद के लोग हैं, कभी कहेंगे कि बजरंग दल के लोग हैं और हम कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन आज कम से कम इसी सदन के अन्दर बता दीजिए कि चिन्मयानन्द स्वामी किस दल के लोक सभा के मैम्बर हैं।

विनय कटियार जी किसके हैं, स्वामी आदित्यनाथ जी किसके हैं-ये माननीय सदस्य लोक सभा में किस दल के सदस्य हैं, आप इन्हें विश्व हिन्दू परिषद के कहेंगे या बजरंग दल के कहेंगे। इस तरह आप देश को अनुचित तरीके से नहीं चला सकते। अगर देश को चलाना चाहते हो, अगर हमें विश्वास में लेते, हमें विश्वास दिलाते और संसद के सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेते कि आप आतंकवाद के खिलाफ यह कानून लाए हैं, तो सर्वसम्मति से यह पास हो जाता, कोई विरोध नहीं करता। अभी भी हमारे बहुत से साथी दुविधा में हैं। लेकिन हम दुविधा में नहीं हैं। हम आपको जानते हैं। हमने 1986 से लगातार भारतीय जनता पार्टी और आपके जितने भी संगठन हैं, उनको देखा है और भुगता है। इसलिए हम जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके सहयोगी दल अभी नहीं जानेंगे, बाद में जान जाएंगे। लेकिन देश की जनता आपको ऐसा मौका कभी नहीं देगी कि अकेले भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में सरकार बना सके। अगर ऐसा हो गया तो इस संसद के अंदर इनके सहयोगी दलों को और येरननायडू जी को भी पता चल जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि और किसी का हो या न हो, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमारा दिमाग साफ है। आपने राष्ट्रीय एकता परिषद में क्या विश्वास दिलाया था, आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या हलफनामा दिया था, उसके बाद से ही हमारा और आपका टकराव हुआ था, जो आज भी जारी है। आपने उस वक्त यहीं पर कहा था, आपको याद हो या न हो, लेकिन यहीं पर आपने कहा था कि हमारी रथयात्रा पर आपके द्वारा गोली चलाने से हमें बड़ा लाभ हुआ है। गृह मंत्री जी आपने कहा था, अगर आपको याद हो, यहीं पर ठीक सामने, जहां आप बैठे हैं। हमने भी तब कहा था कि लाभ हुआ है, लेकिन हमने राजनीति नहीं की है। देश की एकता और अखंडता के लिए मजबूरी में सरकार को गोली चलानी पड़ी। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि देश की खातिर तब 16 जानें गई थीं। हमें इसकी खुशी नहीं है, पीड़ा है, दुख है, लेकिन हम जानते हैं कि देश के सामने, देश की खातिर हमने कोई शंकराचार्य नहीं देखा, जिनको हमने गिरफ्तार किया था। देश की खातिर 16 जानें तो कम हैं, 32 जानें भी चली जाएं, तब भी देश की कीमत नहीं लगाई जा सकती। यह है हमारा दृष्टिकोण। इसलिए हम आपको जानते हैं, हमने देखा है और भुगता है। लेकिन आप हमें कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। अभी हम दोहराना नहीं चाहते, हमने सुबह भी कहा था कि आप अंग्रेजी में न बोलें। सारे देश की जनता उसको नहीं समझ पाती है। गांव के लोग आज टी.वी. में देख रहे होंगे, आप देशी भाषा में ही बोलें। अगर खुश करना ही है तो आप तमिल में बोलते, मलयालम में बोलते या अन्य किसी भारतीय भाषा में बोलते। लेकिन आप तो विदेशी भाषा में बोले। जो राजभाषा की उपेक्षा करेंगे, वे राजभाषा का सम्मान नहीं कर सकते, वे देश का सम्मान नहीं कर सकते और न कर पाएंगे। यहां पर तमाम पीछे से आवाजें आने के बाद भी आप हिन्दी में नहीं बोले। हमने कहा था कि आप हिन्दी में बोलिए, कानून मंत्री जी अंग्रेजी में बोल लेंगे। लेकिन आप सब राजभाषा में बोलने से कतरा गए। आपके केबिनेट स्तर के मंत्री उत्तर प्रदेश में जाकर वोट मांगते हैं और कहते हैं कि जो पोटो का विरोधी है, वह देशविरोधी है, देशद्रोही है। आपको वहां सबक मिल गया, पोटो के नाम पर वोट मांगे थे, कितने जीतकर आए, पहले आपके वहां 178 विधायक थे और अब सिर्फ 88 ही रह गए हैं। अब यह साफ हो गया

कि हम राजनीति कर रहे थे या आप कर रहे थे। अब आप वहां चुनौती दे रहे हैं कि मुलायम सिंह को मुख्य मंत्री नहीं बनने देंगे। आपने वहां पर बी.एस.पी. से समझौता कर लिया है।

प्रधान मंत्री जी से अपने प्रतिनिधि के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की मांग कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम तो मुख्य मंत्री तब बनेंगे, जब आपको 15 से लेकर 20 की हैसियत पर ला देंगे और जब भी चुनाव होगा, ला देंगे। हम मुख्य मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। हम खरीद फरोख्त करके मुख्य मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश को न लूटेंगे और न सौ-सौ मंत्री बनाकर लूटने देंगे-यह हमारी नीति है। आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। आपने उत्तर प्रदेश को हिन्दुस्तान में सबसे पीछे कर दिया है। इसका एक साल, दो साल के बाद पता चलेगा जब आप पैदल सड़कों पर नहीं चल सकते। वहां बिजली नहीं, पानी नहीं है। आपने पूरा उत्तर प्रदेश सौ मंत्रियों की फौज लाकर बर्बाद किया है। इसलिए हम मुख्य मंत्री बनने के इच्छुक नहीं हैं। मुख्य मंत्री बनेंगे तो छोटा मंत्रीमंडिल होगा, फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी, बेईमानी पर रोक लगेगी। हम बेईमानों, गरीबी, बेरोजगारी और माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। हमने एक भी माफिया को टिकट नहीं दिया है, मुझे फख्र है लेकिन बीजेपी ने माफियाओं को टिकट दिया है और जिन्होंने माफियाओं को टिकट दिया है, रुपया लेकर आप उनके साथ समझौता कर रहे हैं, उप-राष्ट्रपति के नाम पर आप समझौता करते हैं, आप दलाली करते हैं और हमसे कहते हैं आप सौदा करते हैं। हम सौदा नहीं करते हैं। हम राजनीति नहीं करते हैं। देश की खातिर हम उन निर्दोष नागरिकों पर और राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ सरकार पोटो कानून का इस्तेमाल करेंगे, कराएंगे। अगर राजनीति करने वाले थे तो अभी सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा कि क्या मानवाधिकार आयोग ने गुजरात में हो रहे जुल्म और अत्याचार को देश के समक्ष प्रस्तुत किया तो वह राजनीति कर रहा है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, क्या वह राजनीति कर रहे हैं? क्या दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने पोटो के बारे में जो लिखा है और बोला है कि यह कानून दमनकारी है, यह कानून जंगली है, यह बोला है कि इसका दुरुपयोग होगा तो क्या वह राजनीति कर रहे हैं? न ही मानवाधिकार आयोग और न भूतपूर्व चीफ जस्टिस जी राजनीति कर रहे हैं और न दिल्ली उच्च न्यायालय (भू.पू.) के चीफ जस्टिस जिन्होंने इसका विरोध किया है, वह राजनीति कर रहे हैं। एक नहीं अनेकों कानूनवेत्ताओं ने इसका विरोध किया है और हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस कानून का प्रयोग निर्दोष नागरिकों के खिलाफ और अपने राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ किया जाएगा।

माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप न्यायपालिकाओं में जा सकते हैं। आपकी बगल में कानून मंत्री जी बैठे हैं, जरा पूछिए कि आपके सुप्रीम कोर्ट में बड़े-बड़े वकील हैं और हमने देखा है और एकाध को सुना है और मुझे मिले भी हैं। मुम्बई में दो लोगों के बारे में हम जानते हैं कि कम से कम दस लाख रुपया पैरवी में खर्च हुआ है तब जाकर वे छूटे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, वे ससम्मान छोड़े गये हैं। जिनके पास दस लाख रुपया नहीं था, जिनकी पैरवी नहीं थी, जिनके प्रभावशाली समर्थक, मददगार नहीं थे, वे निर्दोष मुस्लिम नौजवान लड़के जेल में पड़े सड़ते और अपनी पत्नियों को बुलाकर कहा कि हमारा कोई भरोसा नहीं है। उनसे कह दिया कि जाइए, दूसरी शादी करो और उनमें तीन लड़कियों ने दूसरी शादी कर ली। बाकी लड़कियों ने शादी नहीं की। ...*(व्यवधान)* "टाडा" में निर्दोष लोग बंद किये गये। 77000 "टाडा" में उस वक्त बंद हुए थे चाहे सरकार किसी की रही हो। उसमें केवल डेढ़ फीसदी को ही सजा हुयी।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): कांग्रेस ने ...*(व्यवधान)* इसके मायने आप गलत थे। ...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया: बैठ जाइए। उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपका समय जब आएगा तब आप भी बोलिएगा। बीच-बीच में रोकाटोकी नहीं चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: समय का पालन करूंगा। आपकी घड़ी फास्ट है, हमारी पीछे है। लेकिन कांग्रेस की नेता ने स्वयं "टाडा" की आलोचना की है। क्या आपमें हिम्मत है? 1975 में कांग्रेस ने मीसा लगाया उसका परिणाम कांग्रेस भुगत रही है और आज तक विपक्ष में बैठे हैं। वे राजपाट कर रहे हैं। आप भी हसेंगे। फिर आप जिंदगी में सत्ता में नहीं आ सकते जब "पोटो" का दुरुपयोग होगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पोटो के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तथा माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी, ने देश को दो हिस्सों में बांटा है। अधिकांश जनता पोटो के खिलाफ है। एक हिस्सा पोटो का समर्थक है। आपको कोई रास्ता निकालना चाहिए था और इस पोटो को वापिस लेना चाहिए था। आज देश संकट में फंसा है, देश को एक रखने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। जार्ज साहब, 1975 में अगर यह पोटो कानून होता, तो आप यहां संसद में नहीं होते। ...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): वे वहां बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : वे यहां बैठे हैं, तो आप भी बैठेंगे। हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हां जार्ज फर्नान्डीज

[श्री मुलायम सिंह यादव]

ठीक कहते हैं कांग्रेस सरकार ने 1975 में हमको भी 19 महीने जेल में डाला था, हम कोई बाहर नहीं थे। चन्द्रशेखर जी कांग्रेस में थे। इन्होंने तो इन्साफ की बात कही। याद रखिएगा, मा. चन्द्रशेखर जी को कांग्रेस में रहते हुए, राज्य सभा के मैम्बर होते हुए, कांग्रेस सरकार ने 19 माह के लिए जेल में डाला था। फासिस्टवादी ताकतें, आप भले ही सरकार में रहे, आपको भी जेल में डाला जा सकता है। यह पोटो कानून गलत और कमजोर हाथों में किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)* आप सबक सीखिए। चन्द्रशेखर जी को पार्टी में रहते हुए जेल में डाला जा सकता है, तो आप भी नहीं बच पायेंगे। हम अब भी आपसे कहेंगे कि पोटो को लेकर देश का बंटवारा मत करिए। आज भारतीय संसद की बहस केवल पूरा देश ही नहीं देख रहा है, सारी दनिया सुन रही है और सारी दुनिया की निगाहें भारतीय संसद पर लगी हुई हैं। आज हिन्दुस्तान दो हिस्सों में बंट गया है। एक वे लोग हैं जो पोटो का विरोध करके लोकतंत्र को बचाने के पक्ष में हैं, और एक वे लोग हैं, जो पोटो का समर्थन कर लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। इस बहस को आज पूरी दुनिया देख रही है। हिन्दुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां एक वे लोग हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना चाहते हैं और एक वे लोग हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसा कोई रास्ता निकालिए, जिससे पोटो वापिस लिया जा सके। पोटो वापिस लेकर पूरे देश को विश्वास में लीजिए। भा.दं.स. और दं.प्र.सं. इतने कठोर कानून हैं, उनके तहत कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है। 1977-78 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री एवं प्रधान मंत्री जी आप सब मंत्रिमंडल में थे। कानून-व्यवस्था की हालत बिगड़ी और चरमराने लगी। एक फौज के अधिकारी, श्री चोपड़ा, के दो अबोध बच्चों का अपहरण कर हत्या की गई। इस सनसनीखेज घटना से दिल्ली ही नहीं पूरा देश थर्रा उठा। दिल्ली पुलिस ने तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह एवं प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई को कड़े कानून बनाने को राजी कर लिया। क्या कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया? कैबिनेट में क्या गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी तथा प्रधान मंत्री जी, आप मंत्री नहीं थे। श्री मोरारजी देसाई द्वारा जो कानून लाया गया, उसको वापिस किया गया। उसके बाद रंगा-बिल्ला को भा.दं.सं. कानून के अंतर्गत फांसी दी गई। पुलिस अपने परिश्रम से बचने के लिए और अधीनस्थ पुलिसकर्मी निर्दोष लोगों को फंसाने के नाम पर पैसा लेने के लिए निजी दुश्मनी में फंसाने लगते हैं। पोटो से पुलिस की कमाई होगी, पुलिस को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होगी। भादं.स. और द.प्र.सं. के द्वारा बहुत लम्बे समय तक अंग्रेजों ने राज किया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, रंगा-बिल्ला को भी भा.दं.सं. और द.प्र.सं. के तहत फांसी लगाई गई। आप पूरे देश में पिछड़ापन नहीं रोक सके, बिजली नहीं दे सके और गरीबी नहीं रोक सके। रोजगार के अवसर पूरे के पूरे देश में बंद कर रहे हैं। विदेशी कम्पनियों का पूरा का पूरा नियंत्रण है। देश की अर्थ-व्यवस्था विदेशी कम्पनियों एवं धनी देशों के चंगुल में फंस गई है, केन्द्र सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गयी है। इसकी आलोचना से बचने के लिए आप देश की जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी देश को नहीं बांटने देगी। आप पोटो पारित कराने के लिए ऐड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं और देश की जनता को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। आप देश की जनता को विश्वास में लें और पूरे सदन को विश्वास में लें। आज भी मौका है, हम पूरे सदन से विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं कि देश को बचाने तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए तथा लोकतंत्र को मजबूत करते हुए इस काले, दमनकारी तथा खतरनाक पोटो विधेयक को पारित न होने दें और पूरी तरह रद्द कर देश का सम्मान सारी दुनिया में बढ़ाने का कार्य करें।

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया: माननीय सदस्यगण, मैं घोषणा करती हूं कि अब लगभग अपराह्न 2.45 बज चुके हैं। अभी आठ नेताओं और 16 अन्य सदस्यों को भी बोलना है। इसलिए यह आप पर निर्भर है कि यदि आप अपराह्न 5.30 बजे तक मतदान पूरा करना चाहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। मुझे आपको यह बात नहीं बतानी चाहिए क्योंकि आप सभी नेता हैं।

अब श्री एच.डी. देवगौड़ा बोलेंगे।

श्री एच.डी. देवगौड़ा (कनकपुर): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विवादास्पद विधेयक पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

आज सुबह हमारे माननीय गृह मंत्री ने इस विवादास्पद विधेयक को सभा पटल पर रखते समय कहा कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री ने तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लिया है और उनके नेतृत्व में आज यह विशिष्ट विवादास्पद विधेयक बहुमत से पारित होगा। आप जानते हैं कि विधेयक का क्या होगा। यह विवाद क्यों उत्पन्न हुआ है?

11 सितम्बर को अमरीका में क्या हुआ? जब वहां घटना घटी तब पूरा देश एक हो गया। क्या हम आतंकवाद का मुकाबला नहीं करना चाहते? क्या हम अपने राष्ट्र की प्रभुसत्ता की रक्षा नहीं करना चाहते? क्या हम इस राष्ट्र की रक्षा हेतु सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है? यह विवादास्पद प्रश्न है। देशभक्ति पर सत्तारूढ़ दल अथवा उसके सहयोगी दलों का एकाधिकार नहीं है। हम सभी राष्ट्र की अखण्डता, प्रभुसत्ता तथा

एकता के बारे में समान रूप से चिंतित हैं। यहां ऐसा विरोधाभास क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सत्तारूढ़ दल ने पिछले चार वर्षों में, जहां तक प्रशासन का संबंध है, सभी धर्मों तथा समुदायों के प्रति निष्पक्षता नहीं दिखाई।

महोदया, जैसाकि आपने मुझे समय के बारे में सावधानी बरतने के लिए कहा है इसलिए मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। आज हम फूट और अल्पसंख्यकों के बीच संदेह की समस्या का सामना कर रहे हैं। पिछले चार वर्षों में सरकार के रवैये के कारण संदेह व्याप्त है। इसलिए मेरे पास पिछले पांच माह में घटी कुछ घटनाओं पर विचार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

गोधरा की घटना के पश्चात् यहां मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री जार्ज फर्नान्डीज को इस विशिष्ट विवादास्पद विधेयक में भाग लेने हेतु इस सभा में आने का अवसर मिला। विगत में आपातकाल के दौरान क्या हुआ था? किस तरह से 'टाडा' का दुरुपयोग हुआ था? मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। हमने उसका फायदा उठाया। क्या हम इस अधिनियम को क्रियान्वित करने वाले लोगों से निष्पक्षता की आशा कर सकते हैं? क्या वे राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त हैं? यह बहस का प्रश्न है।

पिछले चार वर्षों में भारत के मुसलमानों तथा इसाइयों ने दु:ख झेले लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। उन्होने सिद्ध कर दिया कि वे भारतीय हैं। वे इस राष्ट्र के हैं। इस राष्ट्र पर किसी एक समुदाय अथवा किसी एक धर्म का एकाधिकार नहीं है। नि:संदेह उन्होंने यह दिखाया है कि वे राष्ट्र की एकता के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। जब 19 चर्चों को ढहा दिया गया तब क्या ईसाई समुदाय ने इस देश में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की थी? मुझे यह प्रश्न पूछने दीजिए कि जब बाइबल जलाई गई थी तो क्या किसी ईसाई समुदाय अथवा अन्य अल्पसंख्यकों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की थी?

यदि आप सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको अपने व्यवहार से पूरे देश को विश्वास में लेना होगा। हमारे माननीय गृह मंत्री अजमेर की दरगाह में फूल चढ़ाने गए। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि उनका दृष्टिकोण बदल गया है? मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि पिछले चार वर्षों में देश में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इससे हमारे राष्ट्र की एकता प्रदर्शित नहीं होती है।

लोक सभा का सदस्य होने के नाते जब मैंने संसद में अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने की कोशिश की तो किसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की कि एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री गुजरात में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा रहे हैं। जार्ज साहब, क्या आप राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस तरह की टिप्पणी अथवा बात का समर्थन करेंगे? आप मुझसे वरिष्ठ सदस्य हैं। आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आप भविष्य में बन सकते हैं क्योंकि आपके साथ बहुमत है और आप अपने सहयोगी दलों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। मैं लोक सभा के वाद-विवाद में भाग लेने की कोशिश करता हूं। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री कटु टिप्पणी करते हैं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री गुजरात में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे?

महोदया, मैं राजग के सहयोगी दलों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। क्या इससे माननीय संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा? क्या प्रधानमंत्री अथवा गृह मंत्री ऐसा आचरण करने वाले मुख्य मंत्री की भर्त्सना करने हेतु तैयार हैं? मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री की राय जानना चाहता हूं।

महोदया, पुलिस अधिकारी कहते हैं कि उन्हें स्वेच्छा से कार्यवाही नहीं करने दी गई। मैं समाचार-पत्र की कतरन निकालकर और उसे यहां उद्धृत करके इस सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज को बताना चाहता हूं कि इस कानून को लागू करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे लेकिन उन्हें अपने तरीके से कार्यवाही करने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए, क्या आप इस अधिनियम को उन लोगों द्वारा क्रियान्वित किए जाने की आशा कर सकते हैं जो आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं? यह विरोधाभास है। जिन अधिकारियों ने विश्व हिन्दू परिषद् अथवा बजरंग दल के लोगों का नाम नोट किया उन्हें मुख्य मंत्री ने अब हटा दिया है। इससे क्या पता चलता है? देश में इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विधान पर मतभेद क्यों है? क्या हम राष्ट्र की रक्षा नहीं करना चाहते हैं? क्या हम अपनी एकता दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं? विगत में चीन आक्रमण के दौरान अथवा जब पाकिस्तान ने हमारे देश में समस्याएं पैदा करने की कोशिश की तो पूरे देश ने एक स्वर में अपनी एकता दिखाई। इसलिए, यह राजनैतिक मतभेद का प्रश्न नहीं है।

महोदया, हमारे विधि मंत्री को कानून में दक्षता हासिल है। इस विधेयक पर अनेक विधि विशेषज्ञ तथा कानून के क्षेत्र में उनके वरिष्ठ तथा कनिष्ठ सहयोगियों से उनका मतभेद है। विधि विशेषज्ञों ने गंभीर संदेह व्यक्त किए हैं। मैं विधि विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन विधि विशेषज्ञों के विचारों में अंतर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। समग्र आयोग ने इस विवादास्पद विधेयक को नामंजूर करते हुए सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है।

[श्री एच. डी. देवगौड़ा]

मैं, इस सभा का ध्यान रामजन्म भूमि न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक की ओर दिलाना चाहता हूं। यह पुस्तक किसके फायदे के लिए प्रकाशित की गई है? क्या यह हिन्दुत्व की वकालत करने के लिए है? हिन्दुत्व क्या है? हिन्दू धर्म क्या कहता है? क्या हम हिन्दू समुदाय के नहीं हैं? क्या मुझे विश्व हिन्दू परिषद् से प्रमाणपत्र लेना होगा? मैं तथाकथित उच्च जाति में पैदा नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि पिछले 5000 वर्षों से हमारा शोषण होता रहा है लेकिन फिर भी मुझे अपने समुदाय पर गर्व है। सहिष्णुता हिन्दू धर्म की विशेषता है। लेकिन क्या इन लोगों में सहिष्णुता है? मैं, उस राम जन्म भूमि न्यास से पूछता हूं जिन्होंने यह पुस्तक प्रकाशित की है तथा इसमें मेरा तथा मेरे सहयोगी श्री आई. के. गुजराल का नाम घसीटने की कोशिश की है। इसमें कहा गया है:

> "दो अन्य वोट बैंक राजनीतिज्ञ-सह-प्रधानमंत्री-आई.के. गुजराल तथा एच.डी. देवगौड़ा ने ईद अथवा इफ्तार पार्टी में जाने के अलावा किसी और काम से सरोकार नहीं रखा।"

जी हां, मैं इफ्तार पार्टी में जाया करता था। मैं दरगाह में जाया करता था। मैं गुरुद्वारे जाया करता था। मैं हिन्दुओं के मंदिर जाया करता था। लेकिन याद रखना कि इतिहासकार लिखेंगे कि देवगौड़ा के काल में इस देश में साम्प्रदायिक संघर्ष नहीं हुआ। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि 'पोटो' के बिना भी ऐसा हुआ।

इस तरह के कठोर कानूनों के बिना भी हमने चुनाव कराए। पिछले 10 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री जम्मू और कश्मीर नहीं गया। गृह मंत्री के रूप में उन्हें फाइल मिल गई होगी। यदि मैं एक भी शब्द बढ़ा-चढ़ाकर बोल रहा हूं तो देश को बताइए। मैंने कार्यक्रम निर्धारित किया। 'रॉ' और आसूचना ब्यूरो ने मुझे कार्यक्रम स्थगित करने की सलाह देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने दो उग्रवादी संगठनों के बीच वार्तालाप सुना है। वे आपको मार देंगे। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। मुझे गृह मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो तथा 'रॉ' सचिवों ने यह सलाह दी थी। ये सभी लोग मेरे पास आए थे। मैंने एक बार कार्यक्रम स्थगित किया था।

तत्पश्चात् मैंने दूसरी बार कार्यक्रम तय किया। उस समय भी यही स्थिति थी। उस अधिकारी सहित दर्जन भर अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश की। मैंने कहा कि "मैं अवश्य जाऊंगा। यदि आप कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है तो इस देश के प्रधान मंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वहां का दौरा करें। यदि मैं, हमारे सम्मानित मित्रों द्वारा उग्रवादियों के बीच बातचीत पकड़े जाने के कारण वहां नहीं जाता तो मैं प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं हूं। मैं जाऊंगा चाहे जो हो जाए।" मैं चार बार गया हूं। हमने चुनाव कराए। हमने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लोगों को यह देखने की अनुमति दी थी कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं। वे उसे देख सकते हैं।

आप इस तथाकथित राम जन्मभूमि न्यास के बारे में कहना चाहते हैं। क्या वे सारे हिन्दु समाज के संरक्षक हैं? मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा: "क्या मैं हिन्दु नहीं हूं?" मेरी एक संसद सदस्य होने के नाते और एक राजनैतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरा दल कोई बड़ा दल नहीं है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन मैं राष्ट्र को बताना चाहता हूं कि मुझे कोई झिझक नहीं है। माननीय संसद सदस्य मेरी स्थिति समझें। मैं किसी के भी विरुद्ध असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता। आर.एस.एस. के प्रमुख ने बंगलौर में कहा:

> "युग शुरू होने जा रहा है। हिन्दुत्व का विरोध करने वाले लोगों का युग समाप्त होने जा रहा है।"

इसका क्या अर्थ है? मैं इसका विरोध करता हूं। मुझे कोई झिझक नहीं है। यदि हम इस खतरे का शिकार बनने जा रहे हैं, यदि हमारी सुरक्षा खतरे में हैं, यदि हमारी जिंदगी खतरे में है तो भी हम इस राष्ट्र की एकता को बनाए रखने हेतु बुरे से बुरे हालात का भी सामना करने को तैयार हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं ऐसी धमकियों से भयभीत नहीं हूं। मेरे पास जो कुछ भी आर.एस.एस. के प्रमुख ने कहा उससे संबंधित अखबारों की पर्चियां हैं: "जज साहेब आपके परिवार को क्या हुआ, आपको क्या हुआ, उस वेदना का क्या हुआ और मैं जानता हूं आप जो कर रहे हैं, आप यह सब क्यों कर रहे हैं।"

मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा। बदला लेना एक अलग मामला है लेकिन देश का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने मेरी सरकार को हटा दिया, मैं उसके लिए परेशान नहीं हूं। आतंकवाद से लड़ते समय राष्ट्र की एकता, देश की एकता, सभी समुदायों और धर्मों के बीच सौहार्द ही हम सबके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने कहा, यहां आतंकवाद बीस सालों से है। श्रीमान बुश की आंखें 11 सितम्बर को तब खुली जब उनका वास्ता आतंकवाद की समस्या से पड़ा। उसके बाद सुरक्षा परिषद को संकल्प पारित करना पड़ा। उससे पहले उन्होंने यह महसूस नहीं किया था कि आतंकवाद की समस्या आखिर है क्या।

आज हम अल्पमत में हैं। हां, हम उन लोगों को जानते हैं जो इसका समर्थन करने जा रहे हैं, वह दिन आएगा और वह दिन दूर भी नहीं है, जब राजनीति का पहिया अपना चक्कर पूरा कर लेगा और उन्हें पश्चाताप होगा। वह दिन बहुत दूर नहीं है। आप राष्ट्र की भावनाओं को दबा नहीं सकते। आप इस देश के 103 मिलियन लोगों की भावनाओं को दबा नहीं सकते। वह दिन दूर नहीं है चाहे जो भी इस देश पर शासन करे हमें उसकी चिंता नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं कि हम सौहार्द, एकता और सभी धर्मों में एकता चाहते हैं। हम इस देश में यही देखना चाहते हैं।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करुंगा कि 1961 में जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने कहा एक बड़े कद्दावर नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में पहली संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। उस समय किसी दल ने व्हिप जारी नहीं की और न ही गुटबाजी थी। वह इस देश के इतने बड़े कद्दावर नेता थे। यदि मैं सही हूं तो उन्होंने सभी संसद सदस्यों को अपनी स्वेच्छा से मतदान करने हेतु मुक्त हस्त प्रदान किया था। श्री चन्द्रशेखर मेरी गलती सुधार सकते हैं क्योंकि उस समय मैं राष्ट्रीय राजनीति में नहीं था।

पिछले सप्ताह गोधरा अस्थि यात्रा का मुद्दा उठाए जाने के बाद क्या हुआ? सदन में खलबली मच गयी थी। मैं उसका गवाह था और फिर गत तीन-चार दिनों में कैसे सब कुछ हुआ है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: माननीय सदस्य गलतबयानी कर रहे हैं। इन्होंने पिछली बार भी लोक सभा में अपने भाषण में ऐसी ही गलतबयानी करके तनाव पैदा किया था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा: मैं इनसे हिन्दु दर्शन शास्त्र नहीं सीखना चाहता *...(व्यवधान)* मैं इनका हिन्दु दर्शनशास्त्र नहीं सीखना चाहता *...(व्यवधान)* मुझे दृढ़ विश्वास है और मैं मंदिर जाता हूं *...(व्यवधान)* हम इन सब चीजों से भयभीत नहीं हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं। इस विधेयक का विरोध करते समय मुझे अपने समुदाय पर गर्व है लेकिन साथ ही मैं धर्म और जाति के आधार पर इस देश के विभाजन का सख्त विरोध करता हूं।

उपसभापति महोदया: माननीय संसद सदस्य हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका हमारे पूरे राष्ट्र पर असर पड़ने जा रहा है और बहस भी उसी स्तर की होनी चाहिए। यदि इतना अधिक व्यवधान होता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छी बात है क्योंकि हम सबको इस समय न केवल हमारे देश में अपितु पूरी दुनिया में टेलीविजन पर देखा जा रहा है।

मैं जानती हूं कि आप उस पक्ष की बातों से सहमत नहीं हो सकते और वे आपकी बातों से। लेकिन लोकतंत्र की मूल भावना के अनुसार एक दूसरे की बात सुनने की सहनशक्ति तो होनी चाहिए। जब आपको अवसर मिले तो आप अपना उत्तर देना। लेकिन वरिष्ठ संसद सदस्यों या पूर्व प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता या गृह मंत्री के बोलते समय व्यवधान नहीं किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: ऐसा जिम्मेदार आदमी अगर कोई गलत बयान दे रहा है, तो उसे कैसे मान लें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया: कृपया आप भी बैठ जाइए। प्रत्येक सदस्य का अधिकार है।

[हिन्दी]

हरेक को इख्तियार है कि वह अपनी राय फ्रीली एंड विदाउट फीयर कहे।

[अनुवाद]

सबको यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र रूप से निर्भय होकर अपनी बात करे। सबको यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र रूप से अपनी राय दे और निर्भय होकर बोले। यदि आप असहमत हैं तो असहमत रहिये परंतु कृपया व्यवधान मत डालिए।

अब, श्री चन्द्रशेखर बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): मोहतरमा नायब सदर साहिबा, पहले इस सवाल पर बोलने के लिए मेरे मन में दुविधा थी। केवल बोलने के लिए ही नहीं बल्कि इस सवाल के बारे में ही मेरे मन में दुविधा थी। मेरे मित्र श्री मुलायम सिंह यादव ने इशारा किया, मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस राय का था और आज भी इस राय का हूं कि देश में जो

[श्री चन्द्रशेखर]

परिस्थिति है उनमें कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो स्थिति को संभाल सकने में सहायक हो और इसीलिए मैं सोच रहा था कि पोटो बिल का विरोध नहीं करूंगा। लेकिन यह भी एक बात ध्यान में रखने की है कि जो लोग पोटो को लागू करना चाहते हैं, उनका रवैया क्या है, उनकी नीयत क्या है और वे किस तरह से परिस्थितियों के मुताबिक काम करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों के अनुभव से मेरा मन बहुत दुखी हुआ और आज मैं इसीलिए यह बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज हमारा देश ऐसे संकट में है, जहां हमारे विचारों में अन्तर होना स्वाभाविक है, पर हम अपने विचारों से थोड़ा समझौता कर के भी देश में एका कायम करने की कोशिश करें, तो उचित होगा।

मोहतरमा, आज सीमा के बाहर से आतंकवाद चल रहा है, यह सुनते-सुनते देश के लोग परेशान हो गए हैं। आतंकवाद जहां से भी चालू होता है, उसका असर तो अपने देश की सीमा के अंदर होता है। कोई बाहर का आदमी अपने देश की सीमा के अंदर आकर निर्दोष लोगों की हत्या करता है, तो इसके लिए दूसरे देश का रहनुमा जिम्मेदार नहीं है। वह जिम्मेदारी इस देश की सरकार को लेनी होगी। अपने अनिर्णय को, अपने निकम्मेपन को दूसरे पर थोपकर हम अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते। मैं ऐसा समझता हूं कि लोग विरोध करने के लिए, विरोध में बोलने की सीमाओं को पार कर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा भी मानता हूं कि जो लोग हुकूमत में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, उनमें ज्यादा संयम होना चाहिए, ज्यादा आत्मनियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए नायब सदर साहिबा आज सुबह मैंने गृह मंत्री जी को बीच में टोका। मुझे उसका दुख है क्योंकि हमारे मित्र जो दूसरे से कहते हैं कि आदमी अलग-अलग होते हैं और उन आदमियों के रोल कभी-कभी अलग हो जाया करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यदि हम उनकी शख्सियत में, उनके व्यक्तित्व में अगर विश्वास नहीं करते हैं, तो कोई जम्हूरियत, कोई लोकतंत्र नहीं चल सकता।

भाजपा के बारे में हमारे दिल में कोई संदेह नहीं है। आज से नहीं विद्यार्थी जीवन से मैं धर्म के नाम पर राजनीति करने को गलत मानता हूं, देश के लिए नुकसानदेह मानता हूं, समाज को बांटने वाला मानता हूं लेकिन उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पड़ने पर बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। श्री मुलायम सिंह जी और हम 1975 में साथ थे। आडवाणी जी भी थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। उन दिनों में उनका रोल कुछ दूसरा था। उसके बाद जब जनता पार्टी की हुकूमत बनी, उस समय दो नौजवान मेरी दृष्टि में आये। उन दोनों का नाम अरुण था—एक शौरी हैं और दूसरे जेटली हैं। उनसे हमें बड़ी उम्मीद थी लेकिन अब जब देखते हैं तो कभी-कभी संदेह होता है कि क्या वे वही अरुण शौरी हैं और वही अरुण जेटली हैं या दूसरे लोग हो गये हैं। इससे हमारा विश्वास उनमें समाप्त नहीं हुआ है। परन्तु स्थितियों के मुताबिक कुछ लोग झुक जाया करते हैं, बदल जाया करते हैं।

आज श्री जार्ज फर्नान्डीज को लेकर लोगों को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब मैं उनको देखता हूं तो मेरे मन में उनके लिए आदर पैदा होता है क्योंकि उनका अतीत कभी भूलता नहीं है और उनके भविष्य के बारे में भी एक आशा कभी टूटती नहीं है। लेकिन मैं आडवाणी जी, गृह मंत्री जी से कहूंगा कि जिस तरह से इस चर्चा को चलाया गया, वह चर्चा देश को बनाने वाली नहीं थी, देश को जोड़ने वाली नहीं थी। जैसा किसी ने कहा, शुरू से यह धमकी दी गई कि हम संयुक्त बैठक करेंगे, बहुमत हमारा होगा और हम बहुमत से इसको पास करा लेंगे, बहुमत से पास कर लेंगे लेकिन क्रियान्वित करने में आपको सबका सहयोग चाहिए। अगर इतनी दूर-दृष्टि नहीं है तो देश के प्रशासन को चलाया नहीं जा सकता। जिन राज्यों के भरोसे आप इसे चलाना चाहते हैं, उन को आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। जिन मुख्य मंत्रियों के जरिये इस कानून को लागू करना चाहते हैं, उन मुख्य मंत्रियों की मर्यादा का भी आपको ध्यान रखना होगा।

मैंने शुरू में ही कहा कि तकनीकी तौर पर आपका यह कहना सही हो सकता है कि आपने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन किसी मुख्य मंत्री ने अगर आपसे व्यक्तिगत कोई बात की तो उसको इस सदन में दोहराना किसी गृह मंत्री को या किसी प्रधान मंत्री को शोभा नहीं देता। मैं फिर कहना चाहता हूं क्योंकि इस तरह के व्यवहार से हमारे देश में एक बिखराव की हालत पैदा हो रही है। यह पोटो कानून जिस तरह से लाया गया और इसका जिस तरह से उपयोग हुआ है, गुजरात में जिस तरह से उपयोग हुआ, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता लेकिन उसके बाद लगातार मुख्य मंत्री का जो बयान आता है और हर बात के लिए श्री अरुण जेटली जी कहते हैं कि उनके बयान को जरा तोड़-मरोड़कर छाप दिया गया है। तोड़-मरोड़कर छापे गये बयान का अगर खण्डन नहीं होता तो लोगों के मन में यही आयेगा कि उन्होंने बयान दिया ही होगा और वह ठीक ही छपा है। ऐसी हालत में देश की एकता नहीं रह सकती। देश के लोगों का विश्वास नहीं रह सकता। आज देश के सामने बाहर से आने वाला आतंकवाद केवल समस्या नहीं है। इस देश में समस्या यह है कि देश के लोगों का दिल टूटा हुआ है। लोगों का विश्वास हिला हुआ है। इस देश का गरीब यह समझता है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं। इस देश का दलित यह समझता है कि उसे न्याय नहीं मिलता। इसके अकलियत के लोग यह समझते हैं कि उनकी सुरक्षा नहीं है। यहां का नौजवान यह समझता है कि उसके पास रोजगार नहीं इसलिए उसका कोई भविष्य नहीं। यह स्वयं में बड़ी समस्या है। बड़ी कृपा होती, अगर हम इस ओर ज्यादा ध्यान देते। दूसरे देशों की सहायता से आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता। गृह मंत्री जी

ने कहा कि 61 हजार लोग आतंकवाद के शिकार हुए, क्या आपको वे दिन याद हैं जब 25 हजार लोग केवल पंजाब में मारे गये थे। कितने लोग नक्सली आंदोलन में मारे गये, कितने लोग नागालैंड में मारे गये, क्या हुआ मणिपुर का और क्या हुआ अरुणाचल प्रदेश का? आज आदिवासी इलाकों का क्या हाल है? त्रिपुरा से लेकर तमिलनाडु तक हर आदिवासी इलाकों में आज एक बवंडर खड़ा हो रहा है, एक धुआं उठ रहा है। उसे आप आतंकवाद कहें या नहीं, हमारे एक मित्र अभी कह रहे थे कि वे सरकार का समर्थन करते हैं। सरकार का समर्थन करते रहिए, सरकार चलाते रहिए लेकिन उसी आंध्र प्रदेश में कितने इलाकों में, कितने जिलों में आज सरकारी अधिकारी जा नहीं सकते। कितने इलाकों में जीवन सुरक्षित नहीं है। ऐसा कोई बाहर से आये आतंकवाद के कारण नहीं है, उस धरती से जन्मा हुआ आतंकवाद है। आज क्या हो रहा है झारखंड में? आज क्या हालत है हमारा जो नया राज्य मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ का बना है? वहां लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। इस संसद में हम लोग एक दूसरे के दुश्मन न बनें, एक दूसरे के सहयोगी बनें, विचारों के मतभेद के बावजूद राष्ट्रीय समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक सोचें। मैं यही निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री जी अब भी कोई ऐसा मौका निकालिये जिससे आपसी विवाद समाप्त हो। हम देश के सामने और दुनिया के सामने एक मिली-जुली तस्वीर रख सकें। जिस तरह से आप इस विधेयक को पास कराना चाहते हैं, स्वीकृत कराना चाहते हैं, उसको स्वीकृत कराने में सहयोग देना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं और मैं विवश होकर इसका विरोध करूंगा।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): माननीय उप सभापति महोदया, राष्ट्रपति जी ने संविधान की धारा 108 के तहत दोनों सदनों की यह संयुक्त बैठक बुलाई है। आतंकवाद विरोधी कानून का स्वरूप क्या हो, वह पारित हो या न हो—इसी संदर्भ में यह संयुक्त बैठक बुलाई गई है। बेहतर यह होता कि सुबह से जो बहस हो रही है, इस कानून में अगर कुछ कमियां हैं, उसके संदर्भ में कुछ सुझाव आ जाते, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो उसके सुझाव आ जाते, लेकिन यहां बहस कई अन्य विषयों पर चली गई जिसका पोटो के साथ कुछ कम ताल्लुक था। उत्तर प्रदेश में सरकार कैसी होगी, मंदिर और मस्जिद का मामला सन् 1996 में कैसे निपटाने का प्रयास किया गया, ये विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं, सदन के अंदर किसी भी चर्चा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इस संयुक्त बैठक का यह विषय नहीं है। इस संयुक्त बैठक का औचित्य यह है कि दोनों सदनों का संयुक्त मत यह बने कि यह कानून इस देश को चाहिए या नहीं चाहिए। लोक सभा में पारित होने के पश्चात् जब यह कानून राज्य सभा में पास नहीं हुआ तो विपक्ष के एक बहुत प्रमुख प्रवक्ता ने देश के सामने यह कहा कि हम दिखलाना चाहते थे कि इस विषय के ऊपर यह देश बंटा हुआ है। "हम यह दिखाना चाहते थे कि देश इस मुद्दे पर बंटा हुआ था।"

माननीय मुलायम सिंह जी जिक्र कर रहे थे कि अमरीका ने अपने आपको 11 सितम्बर के बाद कैसे संभाला। अमरीका के अंदर भी एक एंटी-टैरोरिज्म लॉ था। वे अब एक नया कानून ले आए। पूरे राष्ट्र को आतंकवाद के खिलाफ ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: कानून मंत्री ने अमरीका के कानून का जिक्र किया है। हमें कोई भ्रम न रहे, अमेरीका में जो कानून लागू हुआ है, वह अमेरीका के निवासियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। हम स्पष्ट जानना चाहते हैं, क्या आप हिन्दुस्तान के निवासियों के खिलाफ उस कानून का इस्तेमाल नहीं करेंगे?

श्री अरुण जेटली: मैं बहुत आभारी हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने एक बहुत प्रमुख विषय उठाया है। चर्चा और बहस के दौरान कई बार अन्य देशों के उदाहरण भी आते हैं। उन तमाम देशों के कानून मेरे पास हैं, मैं आपके समक्ष भेज भी सकता हूं और इस दौरान मैं उस विषय का उत्तर भी आपको दूंगा। लेकिन एक बात हम याद रखें कि अमेरिका के सामने जब आतंकवाद की चुनौती आई थी, तो अमरीका के अंदर बहस आरंभ नहीं हुई थी कि रंग-भेद के आधार पर कुछ लोगों के साथ अन्याय हो गया इसलिए आज आतंकवाद से लड़ने की बात हम छोड़ दें बल्कि पूरा राष्ट्र खड़ा हो गया था और जब कानून उनकी सीनेट के सामने आया तो केवल एक मत था जो उसके खिलाफ गया, बाकी सब मत उसके पक्ष के अंदर गये थे और पूरा राष्ट्र उस कानून के समर्थन में खड़ा हो गया था। अमेरीका के अंदर किसी भी व्यक्ति ने, किसी समाचार पत्र ने, किसी टेलीविजन चैनल ने, जो उस वक्त का संकट था, जिसको देख कर लोग निराश हो सकते थे, वह देश के सामने नहीं रखा था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कांड में अगर तीन हजार लोगों की मृत्यु हुई तो अमरीका के राष्ट्रपति ने पहले ही दिन ऐलान कर दिया, जिसका गृह मंत्री जी जिक्र कर रहे थे-"संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया गया है।" अमेरीका के ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी गई है और इसलिए हम लोग पूरे विश्व को साथ लें, इसका प्रयास था। जब श्रद्धांजलि सभाएं होती थीं तो हर दल के लोग वहां समर्थन में चले जाते थे।

एक दिन अमेरिका का ध्वज उठाते थे तो दूसरे दिन वे खड़े होकर उनके समर्थन में प्रार्थना सभाएं किया करते थे। लेकिन एक अपना देश भी है, जहां राज्य सभा के अंदर कानून पराजित हो गया तो प्रवक्ता जाकर यह कहें कि हम यह दिखलाना चाहते थे कि इस विषय पर यह देश बंटा हुआ है। मैं इसका जिक्र ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया मुझे इस पर गंभीर आपत्ति है ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री स्वयं ही इस देश और सदन को बांट रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): जो कानून आप ला रहे हैं, वह कानून विवादास्पद हो गया है, उस पर सहमति नहीं है और इस पर देश के लोग एकमत नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: आदरणीय उप सभापति महोदया, 11 सितम्बर की घटना के बाद 28 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास हो गया कि हर सदस्य देश अपने देश के अन्दर कानून की व्यवस्था इस प्रकार से बनाएगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कोई नागरिक आतंकवाद का समर्थन न कर पाये या किसी दूसरे देश के नागरिक को वहां पनाह न मिल पाये। अमेरिका के अन्दर पहले भी कानून था। अमेरिका के अंदर पैट्रिएट एक्ट उस घटना के बाद बना। उसके बाद तमाम कानून बने। वही नहीं, ब्रिटेन के अन्दर 2000 के अन्दर आतंकवाद विरोधी कानून बना। अगस्त, 1991 के अन्दर पाकिस्तान ने भी कानून बना डाला। यह दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया का एक वह देश, जिस पर आतंकवाद का प्रहार सबसे अधिक हो, हमें बहस भी करने की आवश्यकता हो कि इस प्रकार के कानून की आज जरूरत भी है कि नहीं है। जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया,

[अनुवाद]

मैं केवल वह दोहराना चाहता हूं जो विपक्ष की माननीय नेता ने कहा था:

> ''यह अंधा कानून है। यह राजनीति से प्रेरित है। इसका लक्ष्य संकीर्ण है। यह संसदीय प्रक्रिया का दुरुपयोग है।''

मुझे दुख है कि इन चार वाक्यों का उपयोग किया गया। मैं यह पूर्णतया स्पष्ट कर दूं कि यह कानून किस परिप्रेक्ष्य में लाया जा रहा है।

[हिन्दी]

कौन सा छोटा राजनैतिक लक्ष्य है, जो दलगत राजनीति से प्रेरित है, राजनैतिक स्वार्थ से प्रेरित है, जिसको पूरा करने के लिए सरकार कानून लाना चाहती है। वहां आतंकवाद की पहली घटना हुई, जिसमें 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। अमेरिका का राष्ट्रपति कहे और पूरा विश्व स्वीकार कर ले कि अमेरिका पर युद्ध का एलान हो गया और यहां 61 हजार लोग पिछले 15 वर्षों में मारे जायें, मैं नेता प्रतिपक्ष को ये आंकड़े याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले 15 वर्षों में 61,013 सिविलियन नागरिक आतंकवाद की बलि चढ़े हैं। अगर इसकी तुलना हम करें तो जो चार युद्ध हमने लड़े हैं, उन चार युद्धों में 5,468 और आतंकवाद से 61 हजार लोग मरे हैं। सैनिक और अर्धसैनिक बलों के 8,706 सदस्य मरे हैं। 61 हजार और नौ हजार कुल 70 हजार लोग यदि सैनिक आतंकवाद के सामने बलि चढ़ जायें, छः लाख लोग बेघर हो जायें, 45 हजार करोड़ रुपया राज्य सरकारों का और केन्द्र सरकार का केवल आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में लग जाये, फिर क्यों यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप राजनैतिक कारणों से प्रेरित होकर आतंकवाद विरोधी कानून लाना चाहते हैं। अगर मैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आगरा शिखरवार्ता से पहले क्यों नहीं? यही संदेह है ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इस कानून को लाए जाने का केवल एक कारण है और वह है आतंकवाद को रोकना, आतंकवादियों को सजा देना अन्य कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि यह राजनैतिक कारणों से प्रेरित है और आरोप लगाया कि हमने अपना रुख पूरी तरह से बदल दिया है।

मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं, कृपया गंभीरतापूर्वक आत्मनिरीक्षण करें कि यह विधेयक राजनीति से प्रेरित है या इस विधेयक पर आपका विरोध राजनीति से प्रेरित है ...*(व्यवधान)*

अब मैं आपको याद दिलाता हूं, जब आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम अपना रुख पूरी तरह से बदल रहे हैं, जब कुछ संसद सदस्य, जो आज सरकार में हैं, 1989 और 1991 में टाडा के विस्तार का विरोध कर रहे थे ...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया: मंत्री महोदय, क्या आप मेरे माध्यम से अपनी बात कहेंगे?

श्री अरुण जेटली: निश्चित रूप से, महोदया। उपसभापति महोदया, अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस सरकार के कुछ सदस्यों ने 1989 और 1991 में टाडा को जारी रखने का विरोध किया था क्योंकि टाडा का दुरुपयोग किया जा रहा था, उस समय उनके पास ऐसा करने का एक अच्छा कारण रहा होगा क्योंकि आतंकवाद उस समय पंजाब में प्रबल था। लेकिन क्या विपक्ष की नेता आराम से यह भूल गई कि उस समय उनकी अपनी पार्टी के नेता क्या कहते थे? जब उसका विरोध किया गया

तो उनकी पार्टी के नेताओं ने, जो कि अभी भी उनके साथ इस सदन में उपस्थित हैं, खड़े होकर बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि इस देश को आतंकवाद की असाधारण समस्या से निपटने हेतु एक असाधारण कानून की आवश्यकता है। उस समय के गृह मंत्री का क़थन था कि आतंकवाद से रेशम के दस्ताने पहन कर नहीं लड़ा जा सकता, आतंकवाद से लड़ने के लिए एक असाधारण कानून चाहिए। जब उनसे यह पूछा गया कि यह कानून कब तक लागू रहेगा तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक यह कानून भी लागू रहेगा। आज हमें यह तथ्य याद दिलाया जाता है कि जब एक विशेष राजनतिक दल सत्ता में था और वह दल यह स्वीकार करता है कि जब वह गुजरात और अन्य राज्यों में सत्ता में था तो उन्होंने टाडा का दुरुपयोग किया था इसलिए चाहे कोई भी सरकार हो उसे कोई आतंकवाद विरोधी कानून बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जबकि आज दुनियाभर का अनुभव यही है कि आतंकवाद को सजा देने के लिए आपको ऐसा ही कानून चाहिए।

[हिन्दी]

उपसभापति महोदया, एक प्रचार किया जा रहा है। यह प्रचार बार-बार होता है कि टाडा का दुरुपयोग अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ हुआ ...*(व्यवधान)* जब टाडा का दुरुपयोग हुआ या टाडा का उपयोग हुआ, जो दल उस वक्त सरकार में था और जिस दल ने टाडा का उस वक्त प्रयोग किया था, आज वह देश को दुहाई देता है कि हमने अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ उसका दुरुपयोग किया था। लेकिन आंकड़ा स्वयं के खिलाफ करके केवल पोटो को रोकने के लिए ये प्रचार करते हैं तो आंकड़ा केवल उसका भी साथ नहीं देता।

यदि कश्मीर और गुजरात को छोड़ दिया जाए-मैं कश्मीर को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद की व्यापक स्थिति थी। जो लोग बाहर से आते थे, वे भी पकड़े जाते थे। गुजरात के अंदर 19000 किसानों को पकड़ा गया। इन दोनों प्रांतों को छोड़ दिया जाये जहां व्यापक दुरुपयोग हुआ। पूरे देश के आंकड़े हैं। टाडा का अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ जो प्रयोग हुआ था, वह साढ़े चार फीसदी था। टाडा का प्रयोग जिनके विरुद्ध हुआ उनमें से केवल साढ़े चार फीसदी अल्पसंख्यक थे लेकिन राजनैतिक कारणों से विरोध प्रेरित है और इसलिए स्वयं प्रचार करेंगे कि जब हम सरकार में थे तो हम लोग इसको अल्पसंख्यक के खिलाफ प्रयोग किया करते थे, इसलिए आतंकवादी विरोधी कानून के संबंध में एक भय अल्पसंख्यक वर्ग के मन के अंदर बन जाएगा। यह तर्क भी दिया गया कि राजनैतिक कारणों से यह प्रेरित है। मैं प्रश्न पूछ रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर कानून आया। ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र का कानून आज कांग्रेस की सरकार वहां पर लागू कर रही है। महाराष्ट्र के कानून में जो प्रावधान हैं, वे हर दृष्टि से पोटो से ज्यादा सख्त हैं। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है। कानून बना, कर्नाटक का कानून भी पोटो से अधिक सख्त है। इन दोनों प्रांतों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकारें इस कानून को लागू कर रही हैं। उस कानून में भी यह लिखा है कि जो पुलिस को दिया गया बयान है कि किन परिस्थितियों के अंदर वह शहादत बन सकता है, गवाही बन सकती है, जमानत उनमें भी कड़ी कर दी गई। प्रांतों के अंदर ऑरगेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ जो स्थानीय गुंडे हैं, उनके गिरोह हैं, उनके खिलाफ तो यह कानून ठीक हो सकता है लेकिन अगर लश्कर-ए-तैइबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ यह कानून बनता है तो वह राजनैतिक कारणों से प्रेरित है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया, यह तर्क दिया जाता है कि राज्यों में घरेलू संगठित माफिया से लड़ने हेतु आपको एक कानून की आवश्यकता है। लेकिन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ जैसे ही आप वैसा ही या उससे भी नरम कानून लाते हैं तो वह कानून राजनीति से प्रेरित हो जाता है। उप-सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्य विपक्षी दल से अनुरोध करता हूं कि वे पहले ही 180 डिग्री का मोड़ ले चुके हैं। आप एक आतंकवाद विरोधी कानून ले कर आए; आपने देश को उस आतंकवाद विरोधी कानून का औचित्य समझाया; आप राज्यों में संगठित अपराध से निपटने हेतु वैसा ही कानून ले कर आए।

जब आपकी राज्य सरकारों से परामर्श किया गया तो, अपवाद स्वरूप भी एक भी नहीं, आपकी प्रत्येक राज्य सरकार ने कहा कि भारत को ऐसे कानून की आवश्यकता है। आपकी प्रत्येक राज्य सरकार ने यही कहा और उनमें से कुछ ने तो केन्द्रीय कानून में सुधार करने के भी सुझाव दिए तो हमने राज्यों को बताया कि संचार को बीच में ही पकड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने हमें यह सुझाव दिया कि यह कानून तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप इसमें अपरोधन का प्रावधान नहीं करते। हमने वह सुझाव मान लिया। सुझाव का पालन करने के बाद, राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद, जहां आपकी राज्य सरकारों ने हमें सुझाव दिए, अचानक यह आप ही हैं जिन्होंने 180 डिग्री का मोड़ लिया और हमें यह बताने लगे कि जहां तक भारत का संबंध है, ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कानून में क्या है?

[हिन्दी]

इस कानून में है क्या? कानून के प्रावधान क्या हैं, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा तो यह हो रही है कि देश का सर्वोच्च

[श्री अरुण जेटली]

प्रधान मंत्री कौन रहा? यू.पी. में सरकार किसकी बननी चाहिए? गुजरात के अंदर ये साम्प्रदायिकता की घटनाएं हो रही हैं तो इस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है?

श्री मुलायम सिंह यादव: आपके लोगों ने टोकाटोकी शुरू कर दी है। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: इस देश में आज केवल एक प्रकार का आतंकवाद नहीं है। अभी माननीय चन्द्रशेखर जी कह रहे थे कि विभिन्न प्रकार के आतंकवाद हैं। पंजाब ने 10-12 साल भुगते हैं। कश्मीर में सीमापार से आने वाला आतंकवाद है। पूर्व उत्तर के प्रांतों में माओवादियों का आतंकवाद है। हम लोग देश के अंदर देख रहे हैं कि कितने ही प्रांतों में आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। इसका परिणाम है कि केवल राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा नहीं है, एकता को खतरा नहीं है बल्कि राष्ट्र के अंदर जो इकोनॉमिक एनवॉयरनमेंट है, जो अर्थ-व्यवस्था है, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है और उसके ऊपर भी खतरा है। मैं केवल बयान पढ़ूं कि जो लोग इस आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, विशेष रूप से सीमापार से जो आज भी खतरा हो सकता है, मुशर्रफ जी कहते हैं,

[अनुवाद]

> "जेहाद आतंकवाद नहीं है। मुजाहिदीन संगठन आतंकवादी संगठन नहीं हैं। अफगान युद्ध के दौरान जेहाद का पुनर्जन्म हुआ और अब कश्मीर में जेहाद चल रहा है।" *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: बंगलौर में हुए सम्मेलन में यह कहा गया: "मुस्लिम भारत में रह सकते हैं बशर्ते वे बहुसंख्यकों का दिल जीत सकें।" इसका क्या अर्थ है? *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: महोदया, मैं केवल उनके कथन को उद्धृत कर रहा हूं जिनकी इच्छा भारत में जेहाद आरंभ करने की है। मुझे नहीं लगता कि इससे विपक्ष में किसी को भड़कने की आवश्यकता है। जैश-ए-मुहम्मद के अध्यक्ष मसूद अजहर का कहना है कि "हमारा मकसद सिर्फ श्रीनगर नहीं है, हमें नई दिल्ली पर कब्जा करना है।" ओसामा-बिन-लादेन का कहना है कि "भारत के विरुद्ध जेहाद लड़ना विश्व का इस्लामिक कर्त्तव्य है। कश्मीर का मामला जेहाद के बिना और किसी भी उपाय से नहीं सुलझ सकता।" *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपने श्री राजदीप सरदेसाई और उनके सहयोगियों के खिलाफ आतंक का माहौल पैदा किया *...(व्यवधान)* उनसे पूछा गया: "यदि आप मुसलमान हैं तो बाहर निकल जाइए। यदि आप हिन्दू हैं, तो आगे जा सकते हैं" *...(व्यवधान)* विधि और न्याय मंत्री और गृह मंत्री को इसका खुलासा करना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदया, आप इनको रोकिए। इनके लीडर को हमने आराम से सुना है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया: कृपया एक मिनट, मैंने सभी से आग्रह किया है एक स्तर पर चर्चा हो।

[हिन्दी]

मेरा आपसे आग्रह है, कृपा करके जनतांत्रिक तरीके से खास मुद्दे पर जो बहस हो रही है, अहम मुद्दा है, टोका-टाकी दोनों तरफ से न हो, तो बेहतर होगा। मेरी कान्स्टीट्युशनली ड्यूटी है, व्यवस्था कायम रखना। इसलिए आप लोग, चाहे इधर के हैं या उधर के हैं, दोनों, भाषण सुनिए। आप कृपया एक मिनट शांत रहिए। आप भाषण सुनें, फिर जवाब दें। जिसको जिसका जवाब देना है, समय मिलेगा। इस तरह से आप करेंगे, तो एक अच्छी छवि नहीं बनेगी। पोटो अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है या कुछ खराबी है; किसी को बहुत अच्छा लगता है, तो उनको अपनी बात कहने दीजिए। टोका-टोकी करने से पोटो बदल नहीं जाएगा। इसलिए बेहतर है, डिसकशन करके करिए। यह मैंने आपकी तारीफ में नहीं कहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया: जी नहीं मैंने किसी के पक्ष में या किसी के विरुद्ध नहीं कहा है क्योंकि मुझे उस ओर से भी शोर सुनाई दे रहा है। इसलिए कृपया इसे अन्यथा न लें। मैं सभी के लिए कह रही हूं। यह मामला बहुत गंभीर है। बेहतर होगा कि इस मामले पर इस संसद की दोनों सभाओं के संयुक्त सत्र में एक स्तर रखते हुए गंभीर वातावरण में चर्चा हो। यह एक गंभीर चर्चा है; यह केन्द्रीय कक्ष नहीं है जहां हम बैठते हैं और खाना खाते हैं। इसलिए कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली: महोदया, "सिमि" के दो पब्लिकेशन्स का मैं उल्लेख करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

इसमें लिखा है:

"लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता की विचारधारा ने पूर्व की उपासना के साधनों का स्थान ले लिया है। यह हमारा कर्त्तव्य है कि इन विचारधाराओं को ध्वस्त किया जाए और हम सभी जिसका आनंद उठा रहे हैं ऐसा खलिफा का शासन स्थापित किया जाए। ओसामा बिन लादेन न तो आतंकवादी है और न ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।"

[हिन्दी]

इस स्थिति से निपटना है, तो एक सुझाव माननीय देवगौड़ा जी ने दिया। उनका कहना था कि जो पुराने कानून हैं, जैसे आईपीसी और सीआरपीसी तथा जैसा प्रतिपक्ष की नेता ने कहा कि आर्म्स एक्ट ले लीजिए-इन तमाम कानूनों के तहत आतंकवादी लोगों के ऊपर मुकदमा चला लें।

यह दुर्भाग्य है लेकिन सच्चाई है कि जितने भी हमारी अदालतों में इस प्रकार के कानूनों के तहत सीरियस क्राइम किये गये हैं, अगर हम देखते हैं कि हमारी कानून प्रक्रिया में क्या कमजोरियां हैं तो यह नयी चर्चा का विषय बन सकता है। सामान्य कानून के तहत जिन लोगों को सजा मिलती है उसकी संख्या आज साढ़े छः प्रतिशत है। नयी प्रक्रिया, नये कानून के पास नया तंत्र आज आतंकवाद का विरोध करने के लिए आया है उसका प्रयोग नहीं होता तो उसकी संख्या साढ़े छः फीसदी है लेकिन इसके अपवाद में हम देखते हैं कि उनकी आर्गेनाइजेशन, माफियाज के खिलाफ महाराष्ट्र में पोटो जैसा कानून लागू किया गया। *...(व्यवधान)* कांग्रेस पार्टी को अपना समय मिलेगा। मुझे अपना भाषण पूरा करने दें।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): उपसभापति महोदया, महाराष्ट्र का उदाहरण यहां पर बार-बार दिया जा रहा है। हमने इस पर पहले रोका-टोकी नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 58 केसेज लगाये गये और उसमें 75 प्रतिशत केसेज में सजा हुई, दूसरी जगहों पर 75,000 केसेज हुए लेकिन उसमें प्रतिशत कम हुआ, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे सदन में बैठे हुए सदस्यों को दिशा-भूल हो जाएगी। आखिरी बात *...(व्यवधान)* मंत्री महोदय को मेरी बात का उत्तर देने दीजिए *...(व्यवधान)* अगर यह गलत है तो मंत्री महोदय को इसका उत्तर देने दीजिए। *...(व्यवधान)*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): जब माननीय सदस्य खुद खड़े होकर बोलते हैं तब इनको परेशानी नहीं होती। *...(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया: बात सुनिये, अभी मंत्री जी ने यह आग्रह किया था कि इधर-उधर की बातें करने से अच्छा होगा अगर पोटो में कोई सुधार करने का सजेशन आता है तो उसको वह सुनेंगे। वही वह बता रहे हैं, कोई उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, या श्री पाटील को बोलने दीजिए, अन्यथा हम भी उनके वक्तव्य में व्यवधान डालेंगे *...(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया: मैं किसी बात का वचन नहीं दूंगी।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: आखिरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय कानून मंत्री हैं और यह चर्चा राजनीतिक दृष्टि से हो रही है, इसलिए हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस कानून का कौन सा प्रावधान टाडा से अलग है और कौनसे प्रॉविजन की मदद से आप क्रॉस-बार्डर टैरेरिज्म रोक सकते हैं।

श्री विनय कटियार: उपसभापति महोदया, आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी लेकिन उनको दे दी। संसद कानून से चलती है, बिना कानून के नहीं चलती। क्या आप मुझे भी बोलने की अनुमति देंगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगी। मैं आपको यहां आने की अनुमति दूंगी।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया: यदि आप बोलने की अनुमति मांगें तो मैं आपको अनुमति देना चाहूंगी। मैं आपको अनुमति दूंगी। यदि आप स्पष्टीकरण की मांग करें तो मैं आपको यहां आकर बोलने की अनुमति दूंगी, परंतु मैं निश्चित रूप से इस सभा के इस पक्ष या उस पक्ष के किसी भी सदस्य को जब विधि मंत्री या अन्य सदस्य बोल रहे हों, व्यवधान डालने की अनुमति नहीं दूंगी।

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली: मैं शिवराज जी का आभारी हूं कि उन्होंने दो स्पष्टीकरण इसके अन्दर मांगे हैं।

उपसभापति महोदया: वह आभार मान रहे हैं।

श्री अरुण जेटली: पहला तथ्य सच है कि सामान्य कानून जिस का माननीय देवगौड़ा जी ने जिक्र किया था, उसके तहत इस प्रकार के जो मुकदमे चलते हैं, उसमें सजा की दर आज साढ़े छ: फीसदी है। 93 फीसदी से ज्यादा लोग छूटते हैं। टाडा के संबंध में आपने पूछा कि क्यों लोग छूटते थे? इस कानून में महाराष्ट्र में हालांकि कम संख्या में मुकदमे चले हैं लेकिन 77 परसैंट कनविक्शन रेट कैसे हैं और उनमें क्या अन्तर है वह मैं बताना चाहता हूं। पहला अन्तर यह था और मैं इसे दोहराना नहीं चाहता था। अगर गुजरात में कोई राजनीतिक दल राजनीतिक कारणों से 19 हजार किसानों को पकड़ लेगा तो उन 19 हजार किसानों के खिलाफ टाडा के तहत सजा हो पाएगी। शायद यह अपेक्षा किसी को नहीं थी। टाडा का जो दुरुपयोग उस प्रकार के शासन ने किया, उस पर एक व्यापक चर्चा हुई और सब लोग उसे स्वीकार करते हैं। टाडा के अन्दर लोगों को सजा न होने के पीछे एक प्रमुख कारण यह भी था।

दूसरा, पोटो और टाडा के बीच में अन्तर क्या है? टाडा कानून 1985 में बना था। 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद दुनिया के अन्य देशों में इतना नहीं था लेकिन पिछले 17 वर्षों में देश के कई राज्यों और दुनिया के कई देशों को आतंकवाद के कानून से कैसे निपटना है इसमें उनको अनुभव अधिक हुआ है। मौजूदा कानून क्या कहता है, मैं इसे स्पष्ट रूप से सामने रखूं तो अच्छा होगा। इसकी परिभाषा के संबंध में बहस होती है। एक भी उदाहरण ऐसा आ जाए कि कौन सी ऐसी आतंकवादी घटना या गतिविधि है, जो इस परिभाषा के अन्दर नहीं आती और कौन सी ऐसी नॉन टैरारिस्ट एक्टिविटी है जो उस कानून में आती है। टाडा की जो परिभाषा थी, सुप्रीम कोर्ट तक ने उस परिभाषा के संबंध में टिप्पणी की कि उस परिभाषा में दोष थे। डिसरप्टिव एक्टिविटी क्या होती है? डिसरप्टिव एक्टिविटी के नाम पर अनेक प्रकार के लोग उस कानून में ले लिये जाते थे जो इस कानून में नहीं है। दूसरा, इस कानून के अन्दर एक स्पष्ट प्रावधान है जो टाडा में नहीं था। जो व्यक्ति किसी प्रकार से आतंकवादियों को धन की सहायता देते हैं और पिछले 5-6 वर्षों में दुनिया में जितने आतंकवादी विरोधी कानून बने हैं, उसका एक पहलू यह था कि टैरारिज्म को पैसा देना, फंड देना भी टैरारिस्ट एक्टिविटी होगी, वह भी अपराध होगा। यह कोई दो विषय नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति कश्मीर में विदेशी डॉलर भेजता है ...*(व्यवधान)* मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया: मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रही हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: महोदया, मैं उनसे सहमत नहीं हूं *...(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया: माननीय सदस्य, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रही हूं क्योंकि माननीय मंत्री आपसे सहमत नहीं हैं।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपसभापति महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उन्हें अपना भाषण समाप्त करना है और उसके बाद अनेक माननीय सदस्य हैं जिन्हें बोलना है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली: उपसभापति महोदया, कोई व्यक्ति आतंकवाद की सहायता करने के लिए देश के भीतर या विदेश से अगर धन की सहायता करता है, विदेशी मुद्रा की सहायता करता है तो आज विदेशी मुद्रा के संबंध में देश में बड़ा नरम कानून फेमा नाम का है। कश्मीर में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या केवल उस कानून का प्रावधान उन पर लगा कर कुछ हर्जाना कर दिया जाए या आतंकवाद के लिए पैसा आता है तो उसको आतंकवादी गतिविधि माना जाए, यह प्रावधान पोटो में किया गया है। दूसरा, प्रावधान जो पोटो के अन्दर किया गया है कि अगर आतंकवाद के माध्यम से कोई व्यक्ति धन या सम्पत्ति बनाता है तो सरकार उस सम्पत्ति को जब्त कर लेगी। जब कांग्रेस पार्टी का शासन था, ऐसे अनेकों कानून बने कि जो तस्करी से धन कमाता है, ड्रग्स स्मगलिंग से जो धन कमाता है, उसको अपनी सम्पत्ति नहीं मान सकता, सरकार उसे जब्त कर लेगी। जब तस्करी के लिए यह लागू हो सकता है तो स्वाभाविक है कि दुनिया के हर आतंकवाद विरोधी कानून में यह प्रावधान है। पोटो में यह प्रावधान पहली बार किया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

आतंकवादी अपराधों से प्राप्त धन को राज्य जब्त कर सकेगा।

[हिन्दी]

यहां बार-बार जिक्र आता है कि आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगेगा। अब आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना, टाडा के अंतर्गत इसका प्रावधान नहीं था। यह प्रतिबंध पहली बार पोटो में लाया गया है। जो लॉ कमीशन ने पहला कानून बनाया था, उस ड्राफ्ट में नहीं था। हमने विश्व में विशेषकर ब्रिटेन का कानून देखा है जिससे हमें लगा कि इसकी आवश्यकता है। यहां इस बात की आलोचना की गई कि आतंकवादी की कोई सदस्यता नहीं होती। फिर किस प्रकार पता चलेगा कि कोई उसका सदस्य है या नहीं? इस कानून में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर प्रतिबंध लगने के बाद कोई व्यक्ति उसकी गतिविधियों में शामिल होता है तो वह उसका सदस्य माना जायेगा। यहां तक कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो कानून हैं, जैसे यहां आरग्नाइज्ड क्रिमिनल टैरेरिस्ट सिंडिकेट-ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर यही तर्क उन कानूनों के संबंध में लगता तो क्राइम सिंडिकेट की कोई सदस्यता नहीं होती। लेकिन जो सिंडिकेट के सदस्य के रूप में उसकी गतिविधियों में शामिल होता है और जिस प्रकार की वहां सफलता मिल रही है और सक्सैस रेट 77 प्रतिशत कहते हैं, शायद वही प्रावीजन इस कानून के अंदर लागू है। अगर श्री शिवराज पाटील जी इस ओर ध्यान देंगे तो मालूम होगा कि इसका सबसे बुनियादी अंतर टाडा पर पड़ा। टाडा में इस प्रकार दूरसंचार का माध्यम था, उनको इंटरसैप्ट करना लेकिन उस इंटरसैप्ट को ऐविडेंस के रूप में प्रयोग किया जाना टाडा में नहीं था। अगर महाराष्ट्र में सक्सैस रेट 77 परसेंट है तो उसका यही कारण है।

हम लोग श्री विलासराव जी के आभारी हैं जिन्होंने यह सुझाव दिया कि पोटो के ड्राफ्ट में ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया है और इसे अपने कानून में लाइये क्योंकि महाराष्ट्र में इसका अनुभव सफलतापूर्वक रहा है। आज जो लोग टैरेरिस्ट के खिलाफ गवाही नहीं देते हैं, उन से डरते हैं, उसके बारे में कह रहे थे कि पूर्व सेना प्रमुख के परिवार के सदस्य गवाही के लिए आगे नहीं आये और वे लोग छूटते रहे। यदि इंटरसैप्ट होगा तो उसके माध्यम से आतंकवादियों का पता चलेगा। दूसरे, यह मालूम होगा जैसा इंटरसैप्ट में लिखा है, कि उनकी ऐविडेंस कोर्ट में उनके खिलाफ प्रयोग में लायी जायेगी। इसके अंदर प्रावधान ऐसा है जिसकी सब से अधिक आलोचना होती है। यह अत्यंत खेद का विषय है। जो जमानत के संबंध में प्रावधान टाडा में थे, उसे न केवल सरल किया गया है बल्कि यह लिख दिया गया है कि जमानत का यह प्रावधान एक वर्ष के लिए लागू होगा और उसके बाद सामान्य कानून लागू होगा जमानत के सख्त प्रावधान एक वर्ष के लिए लागू होंगे और उसके बाद जमानत के सामान्य प्रावधान लागू होंगे।

अब बार-बार हमें कहा जाता है कि इसमें बेल प्रोवीजन ड्रेकोनियन हैं। इस संबंध में पहला प्रश्न यह है कि टैरेरिस्ट का जो आत्मघाती जत्था है, क्या वह भारत के कानून को इज्जत देगा, मान्यता देगा? ऐसी स्थिति नहीं है। उन्हें जमानत मिलेगी और अदालत के सामने अगली पेशी में आयेगा, इसकी संभावना भी बहुत कम है। कई लोग यहां प्रश्न उठा रहे हैं कि उन्हें जमानत मिले। तो मैं बताना चाहूंगा कि उनके लिए जमानत का प्रावधान है, विशेष प्रावधान एक वर्ष के लिए है। हमें कहा जा रहा है कि यह बहुत कड़वा, ब्लैक लॉ और ड्रेकोनियन है।

उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि यही एकमात्र ऐसा कानून नहीं है बल्कि 1974 में, जब कांग्रेस की सरकार सैंटर में थी, नॉरकोटिक्स कानून ई.सी.ए. के संशोधित कानून में जमानत का प्रावधान था और जब डैंजर एंड डैमेज ऑफ सिविल ऐविएशन का कानून 1989 में लाये, उसमें जमानत का प्रावधान था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश के कानूनों में यह प्रावधान है लेकिन हमें कहा जा रहा है कि आप राजनैतिक कारणों से यह कानून लेकर आये हैं। हम इसे राजनैतिक कारणों से लाये हैं या आप राजनैतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं, इस विषय पर दोनों सदनों की आम सहमति से तय हो जाना चाहिये। इसमें नेता प्रतिपक्ष ने एक आलोचना यह की है कि पुलिस को दिया गया बयान - पुलिस के सामने दिया गया संस्वीकृत बयान ग्राह्य-साक्ष्य माना जाएगा। यही एकमात्र कानून नहीं है जहां ऐसी स्थिति है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कानूनों को नेता प्रतिपक्ष ने पौलिटिकल मोटिवेटेड नहीं कहा लेकिन जब आतंकवाद के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है तो हमें कहा जा रहा है कि इसका प्रावधान राजनैतिक कारणों से किया जा रहा है। इस कानून के पीछे यह तर्क है कि इस व्यवस्था के पीछे जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं, जब उनकी गतिविधियां चलती हैं, उनके भीतर षडयंत्र रचे जाते हैं, उस समय कोई बाहर का आदमी आकर नहीं बताता कि क्या रचा गया। जिन लोगों ने संसद पर प्रहार किया, उनके पीछे कौन था, उनका गाजी बाबा से क्या संबंध था, यह आप लोगों में से कोई नहीं बतला सकता। इसे उस संगठन के भीतर के लोग बता सकते हैं।

यहां जिक्र किया गया और यह दुर्भाग्य की बात है कि आतंकवाद के चलते हमारे दो भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों की मृत्यु हुई। उनमें से एक मुकदमे में जब माननीय राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो केवल वही संगठन एल.टी.टी.ई. के लोग भीतर से बता सकते थे कि षडयंत्र में कौन-कौन शामिल था और उसकी गवाही

[श्री अरुण जेटली]

दे सकते थे। बाहर का कोई व्यक्ति यह आकर नहीं बतला सकता था कि एल.टी.टी.ई. के व्यक्ति अपनी बैठकों में क्या तय करते थे, कौन पैसा देगा, आर.डी.एक्स. कौन देगा, ए.के.-47 कौन देगा और इसलिए तमाम एन्टी-टैरेरिस्ट लॉज में एन्टी-इनसर्जेन्सी लॉज में इस प्रकार के प्रावधान को डालना, उस कानून की मदद करना है, जिससे कि समाज को उस कानून से हम लोगों को बचा पायें। यह केवल अपने यहां नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था, विशेष व्यवस्था अन्य स्थानीय कानूनों में इस देश के अंदर की गई है और उसका सफल प्रयोग रहा है।

उपसभापति महोदया, बार-बार जिक्र आता है कि आपने किससे चर्चा की। प्रतिपक्ष के नेताओं की भी बैठक हुई, होम मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कमेटी की दो बैठकें हुईं, मुख्य मंत्रियों से राय मांगी गई, अधिकतर राज्यों ने इसका समर्थन किया। लॉ कमीशन से पूछा गया, लॉकमीशन ने इसका समर्थन किया। फिर कहा जाता है कि जो स्टेटुटरी बॉडी ह्यूमैन राइट्स कमीशन है, ह्यूमैन राइट्स कमीशन ने कहा कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है इसलिए आपको यह कानून नहीं बनाना चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जिन लोगों को एन्टी-इनसर्जेन्सी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अनुभव है, जो सुरक्षा विभागों में अधिकारी रहे हैं, उनमें इस विषय में कहीं दो मत नहीं हैं। राजनीतिक व्यवस्था में दो मत हो सकते हैं। लेकिन सिक्युरिटी एक्सपर्ट्स में इस देश में कहीं दो मत नहीं हैं कि आपको एन्टी इनसर्जेन्सी के खिलाफ किस प्रकार का कानून चाहिए। ठीक है, ह्यूमैन राइट्स कमीशन ने कहा, लेकिन मैं यह भी बतला दूं कि यह भी शंका व्यक्त की गई कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है।

उपसभापति महोदया, मैं दो विषय इस संबंध में रखना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह विषय आया कि क्या इस टाडा कानून का दुरुपयोग हो सकता है और क्या समाज को इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा-

[अनुवाद]

"न्यायालय का यह कर्त्तव्य हैं कि ऐसा ढांचा स्वीकार करें जो विधान के उद्देश्यों को बढ़ावा दे और इसके संभाव्य दुरुपयोग पर रोक लगे हालांकि किसी एक प्रावधान का संभाव्य दुरुपयोग से इसकी संवैधानिकता या इसकी संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुरुपयोग को व्यक्तिगत मामलों में लगातार निगरानी और सतर्कता से रोका जाएगा और यह उच्च स्तर पर उपयुक्त तंत्र द्वारा मामलों की जांच पड़ताल के माध्यम से किया जा सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग समेत घटनाओं के जानकार व्यक्ति द्वारा ऐसी घटनाओं के विस्तृत ब्यौरे के साथ त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए निगरानी तंत्र को भेज कर इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं।

तथापि, कानून में ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसकी संवैधानिकता पर शंका की जाए या इसके उपयुक्त संरचना में फेरबदल किया जाए जबकि संसद द्वारा देश की एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न करने वाली आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों को रोकने और उससे निपटने के लिए ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।"

[हिन्दी]

मैं यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पढ़ रहा था। कपिल जी को ये शब्द पहचाने हुए लग रहे हैं, क्योंकि शायद वही इसमें पेश हुए थे और मौजूदा ह्यूमैन राइट्स कमीशन के चेयरमैन श्री जे.एस. वर्मा ने इन शब्दों के अंदर कि एब्यूज हो सकता है, इसलिए कानून बनाना छोड़ दो, यह कोई तर्क नहीं है। जब लॉ कमीशन ने सबकी राय ली कि किस प्रकार का कानून चाहिए तो मैं केवल दो वाक्य पढ़ देता हूं-

[अनुवाद]

"क्या विद्यमान कानून थोड़े से अधिक कठोर कानून के बिना विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं? या ऐसी असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ विशेष प्रावधान लाने की आवश्यकता है?

अब देश में हालात ऐसे हैं कि इस असाधारण परिस्थिति में वास्तव में कोई सुधार नहीं आया है। यदि कुछ हुआ है तो कुछ इलाकों में स्थिति और बिगड़ गई है ....."

अपराह्न 4.00 बजे

"...यदि आतंकवादी गतिविधियां और अलगाववाद पर नियंत्रण करना है जो कि लगातार जारी है और ऐसी संभावना नहीं दिखती कि निकट भविष्य में यह समाप्त हो जाएगी, तब क्या इस उद्देश्य के लिए हमारे पास विशेष कानून नहीं होना चाहिए? मैं आपको सीधे-सीधे अपने व्यक्तिगत विचार बताना चाहूंगा - ये मेरी व्यक्तिगत राय है - कि असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता है। मुझे जिसमें जरा भी शंका नहीं है कि जब भी इस प्रकार की दुविधा उत्पन्न होती है, तब आपको उपलब्ध पर्यायों में से चुनाव करना पड़ता है, तब सार्वजनिक हित और समाज का हित व्यक्तिगत हितों के सर्वोपरी हो जाना चाहिए; यदि दोनों की रक्षा करना संभव न हो तो भी ऐसी स्थिति में, इस

बात का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तिगत हित को जितना संभव हो न्यूनतम रखा जाए।"

यही कुछ मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा विधि आयोग को बताना पड़ा कि समाज के व्यापक हित, उस समाज में जो आतंकवाद और अलगाववाद से प्रभावित है, को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, और इसलिए जहां व्यक्तिगत हित सम्मिलित है वहां पर विचार अवश्य प्रभावी होना चाहिए।

[हिन्दी]

महोदया, जब बार-बार यह आरोप लगा कि टाडा का दुरुपयोग हुआ, और नए कानून का दुरुपयोग न हो पाए, सरकार को भी इस विषय की चिन्ता थी, और लॉ कमीशन को भी इस विषय की चिन्ता थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन ने भी कहा कि देखिये इसमें दुरुपयोग की संभावना सबसे कम की जाए, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। केवल परिभाषा की दृष्टि से नहीं रेव्यू कमेटी का गठन होता। बार-बार यह तर्क दिया गया कि जो रेव्यू कमेटी आपने बनाई है उसके केवल रिटायर्ड जर्ज या सिटिंग जज अध्यक्ष होंगे और दो विशेष सचिव होंगे, इसलिए यह रेव्यू कमेटी ठीक नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो रेव्यू कमेटी बनाई गई, उसमें किसी जज को रखा ही नहीं, चीफ सैक्रेटरी को उसका अध्यक्ष बना दिया और दो सैक्रेटरीज़ को उसका सदस्य बना दिया। *...(व्यवधान)* अमर सिंह जी अगर यह एतराज़ रखते हैं तो *...(व्यवधान)* आपको अधिकार होगा, लेकिन शायद यह विचार आपके साथ बैठे लोगों से आता कि केन्द्र में हाई कोर्ट का जज अध्यक्ष है तो रेव्यू कमेटी शैम है लेकिन महाराष्ट्र या कर्नाटक में चीफ सैक्रेटरी अध्यक्ष है तो उनके साथ दोनों कानून उस स्थिति से निपटने के लिए ठीक हैं। रेव्यू कमेटी हर प्रांत में जो बनाई गई है उन दोनों कानूनों में, उसका चीफ सैक्रेटरी अध्यक्ष है और दो सैक्रेटरीज़ उसके सदस्य हैं। *...(व्यवधान)* महोदय, गुजरात में जो रेव्यू कमेटी बनेगी, केन्द्र के कानून के तहत बनेगी और हाई कोर्ट जज उसका अध्यक्ष होगा। अगर उसका दुरुपयोग होता है तो हाई कोर्ट जज उसके दुरुपयोग को रोकेगा। *...(व्यवधान)* यह चिन्ता थी और यह चिन्ता स्वाभाविक थी कि क्या पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में बयान और एविडेन्स माना जा सकता है। टाडा के तहत माना जाता था। इस कानून में सुप्रीम कोर्ट ने और लॉ कमीशन ने जितने सेफगार्ड बताए, उतने हमने डाले। पहला सेफगार्ड यह कि जो व्यक्ति कनफैस करता है, अपना बयान पुलिस को देता है, 48 घंटे के भीतर न्यायिक अधिकारी के सामने उसे पेश किया जाएगा। न्यायिक अधिकारी उससे पूछेगा कि क्या आपने यह बयान दिया या नहीं। यदि वह व्यक्ति कहता है कि मुझे यातना देकर या जोर-जबर्दस्ती से यह बयान लिखवाया गया तो वह उसकी मेडिकल जांच करवाएगा। जब उसका इंटैरोगेशन होगा, उसके दौरान उसका वकील मौजूद होगा। वकील से उसको मिलने का अधिकार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बसू के मुकदमे में जो सेफ गार्ड बताए थे उन सारे सेफगार्डों को इसके अंदर शामिल किया गया है। जमानत के मामले में भी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : संपूर्ण राष्ट्र इस प्रसारण को देख रहा है *...(व्यवधान)* क्या विधि मंत्री सभा को बताएंगे कि लश्कर-ए-तैयबा या हरकत-उल-मुजाहिद्दीन से संबंधित कितने आतंकवादियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली : महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया : मेरे पास उपलब्ध सूची के अनुसार, श्री कपिल सिब्बल विधि और न्याय मंत्री के बाद बोलेंगे।

[हिन्दी]

जेटली जी, आप जल्दी खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : महोदया, जमानत के मामले में भी एक वर्ष के लिए यह प्रावधान लागू होगा। उसमें यह एक सेफ गार्ड रखा गया है। उन कानूनों में यह नहीं था। राज्यों के कानूनों में यह नहीं था, लेकिन इस कानून में यह है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी सेफगार्ड थे, वे इसमें रखे गए हैं।

एक प्रश्न माननीय मुलायम सिंह जी ने उठाया था कि अमरीका के अंदर क्या स्थिति है। मैंने कई बार यह पढ़ा कि अमरीका के अंदर तो यह कानून है कि कोई वहां का स्थानीय नागरिक सात दिन से ज्यादा जमानत पर पकड़ा ही नहीं जा सकता था। अमरीका में पहले भी यह कानून था और 11 सितम्बर की घटना के बाद भी नया विशेष कानून बना। ब्रिटेन में पिछले वर्ष बना, जर्मनी में बना, फ्रांस में बना। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : वहां जो कानून लागू है वह वहां के रहने वालों पर लागू नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : महोदया, युनाइटेड नेशन्स का जो 28 सितम्बर का 1373 प्रस्ताव था, उसके बाद हर सदस्य देश के लिए

[श्री अरुण जेटली]

यह अनिवार्य था कि वह अपने यहां कानून बनाए यहां तक कि पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान ने पहले अगस्त में जो कानून बनाया, उसमें तबदीली की जरुरत पड़ी। अमरीका की स्थिति आप थोड़ी समझ लीजिए। यहां कहा गया कि 11 सितम्बर की जो घटना हुई ...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं मुलायम सिंह जी की शंका का उत्तर दूं कि 11 सितम्बर की घटना के बाद ऐसा माना जाता है कि उसकी संख्या तक नहीं दी गई है। मैं बताना चाहता हूं कि 1200 से अधिक लोग पकड़े गए हैं। उनमें विदेशी भी हैं, जेहादी भी हैं, वहां के नागरिक भी हैं। उनमें वहां के पासपोर्ट होल्डर भी हैं। किसी को जमानत नहीं, कोई छूटा नहीं। किन ट्रिब्यूनल्स के सामने उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं प्रेसीडेंश्यल डिक्रीज के तहत, उसका हम लोग पूरा अध्ययन कर लें और ये लोग जो गलत प्रचार करने के लिए बीच में कहते हैं कि वहां के स्थानीय नागरिक आतंकवाद भी करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बारूद भी फेंकेंगे और उनको पकड़ा भी नहीं जाएगा? ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अमरीका में कितने पकड़े गए, यह संख्या बताएं ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : वह मैं आपको विदेश मंत्रालय से पता करके बता दूंगा। यह कैसे हो सकता है कि स्थानीय नागरिक आतंकवाद करेगा और उसके विरुद्ध आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। ...*(व्यवधान)*

महोदया, यह इतिहास तय करेगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 180 डिग्री का टर्न किस ने लिया है। यह इतिहास तय करेगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम यह चाहते हैं कि यह देश बंटा हुआ दिखाई दे या एक दिखाई दे। मुझे विश्वास है कि आज दोनों सदनों की इस संयुक्त बैठक में जो आम राय बनेगी, इस देश की संयुक्त राय यही बनेगी कि इस राष्ट्र को, इस कानून की बहुत आवश्यकता है।

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया : मैंने आपके कागज विधि और न्याय मंत्री को भेजे हैं। आपने जो भी जानकारी मांगी है, मैंने वे उन तक पहुंचा दी है। अब मैं श्री कपिल सिब्बल को बोलने के लिए बुलाती हूं।

...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : यहां की हथौड़ी कहां है? मेरे पास एक भी नहीं है।

श्री कपिल सिब्बल (बिहार): उपसभापति महोदया ...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : अब उन्हें किसी भी भाषा में बोलने का अधिकार है वह जो भी भाषा बोलना चाहें। आप किसी को भी एक ही भाषा बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वह अपनी इच्छा से किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। वह भारत की जिस किसी भी भाषा में बोलना चाहें, उसमें बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल (बिहार): उपसभापति महोदया, मैं यह अपना अहोभाग्य समझता हूं कि मैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में चल रही इस ऐतिहासिक चर्चा में आज भाग लेने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं। परन्तु मैं इसे अपना दुर्भाग्य भी समझता हूं कि मैं ऐसी चर्चा में भाग ले रहा हूं जो देश के विभाजन की मांग करती है।

मुझे गृह मंत्री और मेरे परम मित्र, श्री जेटली के लिए अपार सम्मान है और मैं उलझन में पड़ गया जब श्री जेटली ने 11 सितम्बर की घटना की बात की और उल्लेख किया कि किस प्रकार अमेरिका और अमरीकी जनता ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एकजुट होकर समर्थन दिया। मैं उन्हें यह याद दिला दूं कि जब 13 दिसम्बर को संसद पर हमला हुआ, सभी राजनैतिक दल आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो गये। परंतु मैं अपने काबिल मित्र से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। संयुक्त राज्य अमरीका में, क्या किसी राज्य के राज्यपाल ने न्यूटन के गति के नियम के तीसरे सिद्धांत को उद्धृत किया? क्या अमेरिका में, श्री नरेन्द्र मोदी जैसे लोग हैं? ...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : कृपया बैठ जाइए। गौतम जी, आप क्या कर रहे हैं। आप बैठ जाइये। सभी लोग बैठ जाइए।

श्री कपिल सिब्बल : अमेरिका में क्या निकट भविष्य में राज्य प्रायोजित आतंकवाद के साक्ष्य हमें मिले हैं? अमेरिका में क्या गोधरा जैसा कांड और गोधरा कांड के पश्चात् हत्याएं हुई हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपसभापति महोदया : अभी सब अमरीका जा रहे हैं, उन्हें भी जाने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया : सभी ने अमरीका का उदाहरण दिया है। वह भी अब अमरीका का हवाला दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपसभापति महोदया : सरोज जी, आप भी बैठ जाइए। आप लोगों को माइक की जरूरत नहीं है, मुझे तो माइक भी चाहिए होता है आप अभी भी नहीं सुन रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : श्री जेटली, एक अंतिम प्रश्न अमेरिका में कभी डर या रक्तपात, जलाने और लूटने के वीभत्स दृश्य देखने को नहीं मिले हैं। जिसने शरीफ आदमियों को रक्त पिपासु जानवर बना दिया है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपसभापति महोदया : कृपया तशरीफ रखिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : आप पहले उनकी बात सुनिए और तभी मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगी।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है, कृपया बैठ जाइए। प्रश्न विधि और न्याय मंत्री से पूछा गया था और मेरे विचार से विधि और न्याय मंत्री इसका उत्तर देने में पूर्ण सक्षम हैं। इसलिए उन्हें प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। आप में से प्रत्येक विधि और न्याय मंत्री क्यों बनना चाहते हैं? प्रत्येक मंत्री बन गया है। वह विधि और न्याय मंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि विधि और न्याय मंत्री उत्तर देना चाहते हैं तो, मैं उन्हें अनुमति दूंगी। परन्तु प्रत्येक सदस्य विधि और न्याय मंत्री की शपथ लिए बिना उनका पदभार क्यों ग्रहण करना चाहता है? कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। यदि आप अनुमति मांगें तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगी।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : ठीक है परन्तु, पहले उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? *...(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : आप एक मिनट बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : अभी उन्होंने भाषण शुरू नहीं किया।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : आप इधर आकर बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया : उन्हें स्पष्टीकरण देने दें। कम से कम जहां तक मेरा सवाल है कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान है।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): मैं स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा। आपने मुझे स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी है। वे मेरे अधिकार को नहीं छीन सकते *...(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री शिवराज पाटील को अनुमति दी है। मैंने दो लोगों को अनुमति दी है। अब कृपया बैठ जाइए। जब मैंने श्री शिवराज पााटील को अनुमति दी थी उस समय आप सभा में उपस्थित नहीं थे। मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को भी अनुमति दी। औचित्य की मांग है कि उन्हें भी अनुमति दी जानी चाहिए।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : मैं अपने संवैधानिक कर्त्तव्य का पालन कर रही हूं। मैं दोनों में से किसी भी पक्ष की ओर नहीं हूं। मैंने इस पक्ष से दो लोगों को अनुमति दी है, इसलिए उस पक्ष से भी एक व्यक्ति को अनुमति दी जाएगी। श्री आजाद, क्या आप आश्वस्त हैं कि आप स्पष्टीकरण की मांग करना चाहते हैं।

श्री कीर्ति झा आजाद : जी हां, महोदया ...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : कृपया बैठ जाइए। मैं आपकी बात नहीं सुन सकती। मुझे संचालन करने दें।

[हिन्दी]

उपसभापति महोदया : आप बैठिये, मुझे सुनने दीजिए न। आप एक मिनट बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया : मैंने श्री शिवराज पाटील को अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदया, मुझे यह पूछने का अधिकार है कि उन्हें कैसे बोलने दिया जा रहा है। उन्हें किस हैसियत से बोलने की अनुमति दी गयी है? मैं इस बात को जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : महोदया, वे इस सभा को इस प्रकार से कैसे दिग्भ्रमित कर सकते हैं। उनसे केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं। आखिर, मैं भी एक संसद सदस्य हूं और मुझे उनसे स्पष्टीकरण मांगने का पूरा अधिकार है। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। चूंकि आपने मुझे अनुमति दी है अत: उन्हें मुझे मेरे अधिकार से वंचित करने का कोई हक नहीं है। ...*(व्यवधान)* वे शुरूआत में ही सभा को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए, मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : उन्हें कम से कम अपना भाषण शुरू करने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : उन्होंने अपने भाषण के ठीक प्रारंभ में ही गलत सूचना देकर इस सभा को दिग्भ्रमित किया है। मैं इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। वह यह कि ...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : यदि आप सभी इसी तरह बोलेंगे तो मैं सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकती। मैं अध्यक्षता नहीं करूंगी, यदि आप मुझे बोलने नहीं देंगे।

...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए। मुझे बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : यदि वे सहमत हों तो आप बोल सकते हैं। श्री कपिल सिब्बल, क्या आप सहमत हैं?

श्री कपिल सिब्बल : जी नहीं।

उपसभापति महोदया : श्री आजाद, वे सहमत नहीं हैं। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : वे अपने स्थान पर जाने के लिए मान गए हैं। श्री आजाद, मैं वादा करती हूं कि मैं आपको अभी नहीं बल्कि बाद में बोलने की अनुमति दूंगी। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : यदि श्री कपिल सिब्बल सहमत होते तो मैंने अनुमति दे दी होती। वे सहमत नहीं है। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगी। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : महोदया, मैं उनके विरोध के कारण नहीं बल्कि आपके वादे पर अपने स्थान पर जा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : अब, क्या आप अपने-अपने स्थानों पर बैठेंगे?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपसभापति महोदया : आप कृपया बैठ जायें। एक मिनट बैठिये तो, शान्ति से बैठिये। बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया : कृपया बैठ जाइए। मैं दो माइक्रोफोन लगाकर भी आप लोगों की तरह नहीं चिल्ला सकती। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : मैं अनुमति दूंगी।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : मैं उनको अनुमति दूंगी परन्तु अभी नहीं।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : कुछ नियम हैं। मैं आपसे कह रही हूं। बस एक मिनट। मैं नियमों को अच्छी तरह से जानती हूं। कृपया बैठ जाइए। अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए। शांत हो जाएं। मैं उन्हें अनुमति दूंगी। कृपया बैठ जाइए। मैं उन्हें अनुमति दूंगी। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप बैठिए तो। आप 700 लोग एक साथ बोलेंगे तो मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया : मैं उन्हें अनुमति दूंगी। जब विधि मंत्री मान गए थे तो क्या मैंने लोक सभा के विपक्ष के उप नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी थी। श्री कपिल सिब्बल यदि मान जाते हैं तो मैं उन्हें अनुमति दे दूंगी। मैंने श्री देवगौडा को अनुमति नहीं दी। उन्होंने इसे लिखकर दिया और मैंने इसे विधि मंत्री को दे दिया। कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : मैं उन्हें बाद में अनुमति दे दूंगी। कृपया बैठ जाएं। भाषण तो होने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : महोदया, मैं उनके कारण नहीं बल्कि सिर्फ आपके कारण बैठा हूं। *...(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बहुत ही कृतज्ञ हूं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : ठीक है। मैं आपको समय दूंगी।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : मैं आपको समय दूंगी। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : कृपया अब कोई व्यवधान न डालें। हमें श्री कपिल सिब्बल की बात सुनने दें। मैंने विधि मंत्री के वक्तव्य में व्यवधान डालने की अनुमति किसी को नहीं दी। सिर्फ उनके सहमत होने पर ही मैंने अनुमति प्रदान की। यदि वे सहमत होते हैं तो मैं उन्हें अनुमति दे दूंगी। चूंकि वे नहीं मान रहे अत: मैं उन्हें बाद में अनुमति दूंगी। मैं वादा करती हूं कि मैं आपको बाद में अनुमति दे दूंगी परन्तु अभी नहीं दे सकती।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : श्री कपिल सिब्बल को बोलने दें।

...(व्यवधान)

उपसभापति महोदया : आप श्री कपिल सिब्बल का समय नष्ट कर रहे है। कृपया ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : उपसभापति महोदया, यदि सरकार ने इस मामले पर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार किया होता तो वस्तुत: हमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की जरूरत न पड़ी होती। इस सभा में आज दिए गए भाषण इस तथ्य का प्रमाण हैं कि इस मुद्दे पर सिर्फ देश की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की जनता भी विभक्त है। *...(व्यवधान)* हमने बार-बार कई अवसरों पर इस सरकार से प्रार्थना व अनुरोध किया कि वह इस मामले को किसी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दे।

[श्री कपिल सिब्बल]

जब मामले को राज्य सभा में ले जाया गया तो मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया कि इस मामले को सदन की समिति को सौंप दिया जाए। परन्तु सरकार सहमत नहीं हुई क्योंकि वस्तुतः सरकार समझौता करने को इच्छुक नहीं थी ...*(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : कृपया उनकी बात सुनें। यदि आप उनकी बात नहीं सुनते हैं तो मौका आने पर आप उनका जवाब कैसे देंगे। इसलिए, बेहतर यह है कि आप उनकी बात शांतिपूर्वक सुनें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपसभापति महोदया : आप अगर शांति से भाषण सुनेंगे तो ही जवाब दे पाएंगे वर्ना आप क्या जवाब देंगे, इसलिए सुनिए।

श्री कपिल सिब्बल : अभी भी समय है। सरकार आज भी इस मामले को समिति को सौंपने का निर्णय ले सकती है, ताकि सभी विचारों पर ध्यान दिया जा सके और यदि आवश्यक हो, तो इस प्रकार का कोई कानून बनाया जा सके अथवा वर्तमान प्रावधानों में संशोधन किया जा सके *...(व्यवधान)*। हमारी स्थिति वैसी रही है। हमारी स्थिति वैसी बनी रहेगी। वास्तव में, मेरा विश्वास है कि यह समय ठीक करने और सबको एकजुट करने का है, न कि लांछन लगाने का, बातचीत और सहमति से आगे बढ़ने का है न कि पीछे हटने का समय है तथा एक ऐसा विधान बनाने के लिये सभ्य आचरण किये जाने की आवश्यकता है, जैसा कि हमने आज चर्चा के लिये चुना है। यह बिडम्बना है कि जो पोटो के समर्थक हैं, वे लोकतंत्र को भी मानते हैं। पोटो को जिस तरह निर्दयी तथा वहशी बने हुए बहुमत द्वारा क्रूरतापूर्ण ढंग से पारित कराने का प्रयास किया जा रहा है, वह धृष्टतापूर्ण, अलोकतांत्रिक, हमारे लाखों नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला तथा उनके मन में डर तथा असुरक्षा पैदा करने वाला है।

[हिन्दी]

आप लोग जानना चाहते हैं कि हम इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं और उसका जवाब मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। *...(व्यवधान)* अगर आप सुनेंगे नहीं तो देश की जनता को ऐसा लगेगा कि आप दूसरा व्यू-प्वाइंट सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आप यही चाहते हैं तो मैं जाकर बैठ जाऊंगा और अपना कानून पास करा लीजिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं बहस नहीं करूंगा। आप सुनना नहीं चाहते हैं तो कह दीजिए, उठकर खड़े हो जाइए और कह दीजिए। *...(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : अलग-अलग तरह के ख्यालात होते हैं, अलग-अलग तरह के व्यू-प्वाइंटस होते हैं, अलग तरह की आइडियोलॉजीस होती है, उसी का नाम जनतंत्र है, डैमोक्रेसी है। अगर इतना भी सुनने का साहस नहीं है तो यह अच्छी प्रथा नहीं डाल रहे हैं। उनको बोलने दीजिए। आपको भी मौका मिलेगा तो आप बोल लीजिएगा। अभी तो बात ही शुरू नहीं हुई है, आप बैठ जाइए। अब कोई आवाज नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया : यदि आप शांति से सुनें तो मैं आपकी अत्यन्त आभारी रहूंगी।

श्री कपिल सिब्बल : महोदया, 20 जुलाई, 1999 को विधि आयोग ने मानवीय अधिकार आयोग को पुलिस की स्थिति तथा वह इस देश के साधारण कानून के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं, का पता लगाने के लिये लिखा था। मैं सोलहवें विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 177 को निर्दिष्ट करता हूं। आयोग इस देश के कई राज्यों की स्थिति और उन राज्यों में पुलिस कैसे काम करती है का जायजा लिया। उन्होंने विशेष जिलों को चुना। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े जिसकी संभवतः सरकार को जानकारी है जो अब मैंने विधि आयोग की वेब-साइट से प्राप्त किये हैं - प्रकाश में आये हैं। जब मैं वे आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा, तो आप हमारे द्वारा पोटो का विरोध करने के कारणों को महसूस करेंगे। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किन्तु यह हमारी शासन-पद्धति के मूल ढांचे को प्रभावित करता है। मुझे वे तथ्य आपके समक्ष रखने दें।

मानवाधिकार आयोग ने एक समिति की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश राज्य में भी यही बात पायी गयी। यह पाया गया था कि गिरफ्तार किये गये, आत्म-समर्पण करवाए गए लोगों की कुल संख्या लगभग तीन लाख है; कानून के निवारक प्रावधान के अधीन गिरफ्तार किये गये लोगों की संख्या अधिक से अधिक 4,79,404 है। निसन्देह निवारक प्रावधानों का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107, 111 जैसे प्रावधान तथा स्थानीय अधिनियमों में इसी तरह के अन्य प्रावधानों से है।

एक और परेशान करने वाली बात जमानत योग्य अपराधों के संबंध में की गई गिरफ्तारियों की प्रतिशतता है। यह अधिक से अधिक 45 प्रतिशत है। यह आपको क्या दर्शाता है? यह आपको एक ऐसे जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के आचरण को दर्शाता है जो कानून के अन्तर्गत जमानत योग्य अपराध के संबंध में जमानत स्वीकार करता है। उत्तर प्रदेश राज्य में 50 प्रतिशत लोगों के जमानत योग्य अपराध होने के बावजूद गिरफ्तार किया जाता है। मैं अब महाराष्ट्र राज्य का जिक्र करूंगा। मैं कांग्रेस शासित राज्यों

को इससे अलग नहीं कर रहा हूं। यह 1999-2000 की रिपोर्ट है। महाराष्ट्र की स्थिति भी इसी प्रकार की है। विधि आयोग ने ऐसा ही बताया है। इसके अलावा जमानत-योग्य अपराधों के संबंध में की गई गिरफ्तारी कुछ समझ से परे की बात है। यह महाराष्ट्र राज्य में क्रमश: 72 प्रतिशत तथा 67 प्रतिशत है। तत्पश्चात् गुजरात राज्य आता है। इसके बारे में यह कहा गया है:

"कि समिति का यह मत है कि गिरफ्तारी के अधिकार सहित विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक कानूनों के अन्तर्गत पुलिस को अधिक से अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। इसकी कानून लागू करने वाली एजेन्सियों द्वारा इन अधिकारों के दुरुपयोग के बढ़ते हुये आरोपों के प्रकाश में समीक्षा की जानी चाहिये ....."

यह वही विधि आयोग है जिसने पोटो पर प्रारुप प्रस्ताव बनाया है। यह वही विधि आयोग है जो कह रहा है कि कानून लागू करने वाली एजेन्सियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग के बढ़ते आरोपों के परिणामस्वरूप पुलिस अधिकारियों की अधिकारों में कटौती की जानी चाहिये। हम पोटो के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं? हम उन्हें ऐसे व्यापक अधिकार दे रहे हैं, जिनका दुरुपयोग पुलिस साधारण कानून के अंतर्गत बहुत अधिक करती है।

मैं साधारण कानून की बात कर रहा हूं। यदि साधारण कानून के अन्तर्गत इस देश की लागू करने वाली एजेन्सियों की स्थिति यह है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त स्थिति क्या होगी यदि पोटो के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों को इतने व्यापक अधिकार दिए जाते हैं? इस देश के साधारण नागरिकों का क्या होगा? आज आप सबके समक्ष वह प्रश्न मौजूद है।

कर्नाटक राज्य में जमानत योग्य अपराधों में गिरफ्तारियां अधिक से अधिक 84.8 प्रतिशत हैं। मैं राज्य-दर-राज्य की बात कर सकता हूं। किन्तु अन्तत: विधि आयोग यही कहता है तथा इन आंकड़ों के माध्यम से प्रकाश में लाई गई व्यापक बातें इस प्रकार हैं:

"जमानत-योग्य अपराधों में गिरफ्तारियों की प्रतिशतता असामान्य रूप से अधिक है, जो 30 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत से भी अधिक है। उक्त सामग्री राष्ट्रीय पुलिस आयोग के तीसरे प्रतिवेदन में दिये गये विवरण को पूर्णत: पुष्ट करती है कि की गई 60 प्रतिशत गिरफ्तारियां या तो अनावश्यक थी अथवा अनुचित थी तथा यह कि पुलिस की अनुचित कार्यवाही से जेलों में किया जाने वाला व्यय 43.2 प्रतिशत बैठता है।"

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उस समय कांग्रेस का शासन था। आप अपनी ही मुखालिफत कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : विधि आयोग ने आगे बताया है:

"वे 20 साल पुराने आंकड़े हैं। यदि स्थिति बुरी नहीं है तो बेहतर भी नहीं हो सकती है।"

मुझे अपने अच्छे दोस्त श्री जेटली की बात सुनकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी बात से पूर्ण तरह पलट गई है। मैं अपने दोस्त तथा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि उनमें से कुछ लोगों ने 1989 में टाडा की अवधि बढ़ाते समय क्या कहा था। मैं श्री यशवन्त सिन्हा के शब्दों को उद्धृत करता हूं:

[हिन्दी]

सिन्हा साहब, 11 मई, 1989 में टाडा कानून को दो साल बढ़ाने की बात पर आपने कहा था।

[अनुवाद]

क्या मैं आपको याद दिलाऊं आपने कहा था:

"मैं भावी पीढ़ियों की जानकारी के लिये यह कहना चाहूंगा कि यदि कोई ऐसा अधिनियम रहा है जो लोकतंत्र के नाम पर एक धब्बा है, तो वह यह है। इस अधिनियम द्वारा हमने कानून के शासन को संभवत: आने वाले समय के लिये पूर्णत: नष्ट कर दिया है।"

यह टाडा है। अब नि:सन्देह आपको कानून के शासन को बनाये रखना चाहिये। आपने आगे कहा था:

"यदि रॉलेट एक्ट, मानव जाति के लिये उपयुक्त नहीं था, तो मुझे आश्चर्य है कि टाडा किस प्रकार मानव जाति के लिये उपयुक्त है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी, लोकतंत्र के नाम पर इससे बड़ा धब्बा क्या होगा? मैंने रॉलैट एक्ट की इस टाडा के साथ तुलना नहीं की है। मैंने कहा है कि यह रॉलेट एक्ट से कहीं अधिक खराब है।"

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): हमें टाडा पर नहीं सुनना है। पोटो पर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : उन्होंने यही कहा था।

श्री जसवन्त सिंह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था:

"मैंने पाया है कि यह विधान सुसभ्य मूल्यों की प्रत्येक अवधारणा के विपरीत है।"

[हिन्दी]

आज आपकी सिविलाइज्ड वैल्यूज क्या है, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अब मैं सत्ता पक्ष से यह पूछना चाहता हूं कि अपनी बात से पूर्णत: क्यों पलट गए हैं। आप अचानक पोटो के प्रति आसक्त क्यों हो गये है, जबकि आपने कहा था कि यह एक ऐसा कानून है जो सुसभ्य मूल्यों की प्रत्येक अवधारणा के विपरीत है। आपको इस देश के लोगों को इसके बारे में स्पष्ट करना चाहिये।

मैडम, श्री जॉर्ज फर्नान्डीज जी यहां बैठे हुए हैं और वे इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। ग्यारह वर्ष पूर्व उन्होंने क्या कहा था? 12 अगस्त, 1991 को उन्होंने जो कहा था, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था:

"अब यह सिद्ध हो चुका है कि इस प्रकार के कानून से किसी प्रकार की हिंसा अथवा आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता है।"

अत: यह 1991 में आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सका था, किन्तु क्या यह 2002 में इसे समाप्त कर देगा?

[हिन्दी]

11 साल बीतने के बाद आज ऐसा क्या हो गया है कि आज ही के दिन अबॉलिश होगा, तब नहीं हुआ।

[अनुवाद]

उपसभापति महोदया : उन्हें वह बोलने का अधिकार है, जो वह बोलना चाहते हैं। वह वे नहीं बोलने जा रहे, जो आप उनसे बुलवाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : जब 1991 का टाडा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तो वे कौन थे जिन्होंने इसके विरोध में मतदान किया था। श्री एल.के. आडवाणी, अब गृहमंत्री है, ने इसके विरोध में मत दिया था। अब अचानक 10 वर्ष बाद वे इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, हमें उनसे जानना होगा। उन्होंने कहा कि वे इसका समर्थन इसलिये करते हैं क्योंकि 28 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1373 पारित किया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कानून बनाने की अपेक्षा की गई और इसलिये भारत को यह कानून अधिनियमित करना पड़ा। हम उसका विरोध नहीं करते। आइये उस कानून को अधिनियमित होने दीजिए। किन्तु क्या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने आपको यह कानून अधिनियमित करने को कहा था, जो एक लोकतंत्र समाज के सभी सभ्य मूल्यों के प्रतिकूल है।

[हिन्दी]

अब कुछ असलियत आपके सामने रखें, वह जरूरी है।

[अनुवाद]

जब 24 अक्तूबर, 2001 को पोटो लागू किया गया था, तो कश्मीर में पोटो का पहला शिकार श्री डार नाम के एक सज्जन बने थे। श्री डार के मकान में एक किरायेदार था, जो उन्हें एक माह का 300 रुपये किराया दे रहा था और जिसने उन्हें बताया था कि वह दिल्ली से आया एक फोटोग्राफर है। वह किरायेदार, अभियोग पक्ष के अनुसार, जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया, उनके अनुसार एक आतंकवादी था। अत: श्री डार को पोटो के प्रावधानों के अन्तर्गत हिरासत में ले लिया गया था। उसे किस आधार पर हिरासत में लिया गया था? यह इस आधार पर किया गया कि उसका किरायेदार, जिसने कहा कि वह दिल्ली में फोटोग्राफर था, एक आतंकवादी निकला। अत: श्री डार आतंकवादी इसलिये बन गये क्योंकि उन्होंने आतंकवाद की सहायता तथा उसका समर्थन किया था। इस तरह आतंकवाद तथा पोटो निचले स्तर पर वास्तव में कार्य करते हैं।

आइये अब हम गुजरात की बात करें, क्योंकि किसी व्यंजन को खाने के बाद ही उसके स्वाद का पता चलता है। गुजरात में क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : उपाध्यक्ष महोदय ने सुबह घोषणा की थी कि सायं 5.30 बजे हम मतदान कराने जा रहे हैं, किन्तु मेरे विचार से हम अब 5.30 बजे मतदान नहीं करा सकते हैं। मेरे पास वक्ताओं की दो सूचियां हैं। यदि चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती है, तो हमें प्रात: 5.00 बजे तक बैठना होगा। अत: प्रत्येक को बोलने दें। कृपया शान्ति से सभी की बात सुनें तथा समय का पालन करें।

श्री कपिल सिब्बल : मेरे अच्छे मित्र, श्री जेटली ने बताया कि विपक्ष के नेता ने कहा है कि यह कानून कपटपूर्ण, राजनीति से प्रेरित है और यह संसदीय प्रक्रिया के साथ छल है।

अब, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यह कानून कैसे कपटपूर्ण है, यह किस प्रकार राजनीति से प्रेरित है तथा कैसे संसदीय प्रक्रिया के साथ छल है। तथ्य शीघ्र ही उनके सामने आ जाएंगे। गुजरात में क्या हुआ है? गुजरात में, गोधरा हत्याकांड के बाद, 62 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनमें से 21 व्यक्तियों के विरुद्ध 'पोटो' के अंतर्गत कार्रवाई की गई। गोधरा कांड के बाद किए गए अत्याचारों को लेकर लगभग 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 'पोटो' के अधीन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई।

यह एक भिन्न मामला है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई। परंतु मैं इस देश के समक्ष उन सब घटनाओं की जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूं जो वास्तव में घटित हुई हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नरोडा पुलिस स्टेशन के एक उप-निरीक्षक वी.के. सोलंकी द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में नरोडा-पटिया हत्याकांड के मामले में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के पांच नेताओं के नाम शामिल हैं। उनमें से एक बजरंग दल का कार्यकर्ता बाबू बजरंगी है जिसका एक लम्बा आपराधिक रिकार्ड है। अब तक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिनके नाम शामिल हैं, वे अब भी स्वच्छंद रूप से घूम रहे हैं। *...(व्यवधान)* अब, कृपया मुझे तथ्य प्रस्तुत करने दीजिए। *...(व्यवधान)* किसी साधारण व्यक्ति अथवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। पुलिस के एक उप-निरीक्षक ने यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। अब, सहायक पुलिस आयुक्त श्री बरोत ने—मैं उनका नाम ले रहा हूं - जो जांच-पड़ताल संबंधी कार्य के प्रभारी थे, स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर संदेह किया है। उन्होंने जो कहा है, मैं उसे उद्धृत करता हूं। *...(व्यवधान)* यह कोई तरीका नहीं है। *...(व्यवधान)* यह उचित नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपसभापति महोदया : कई लोग हैं जिन्हें अपनी बात रखनी है।

श्री कपिल सिब्बल : सहायक पुलिस आयुक्त कहते हैं-

> "प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कार्यकर्ता बजरंगी और अन्य लोगों को गिरफ्तार करने से पूर्व, हमें उनके इस मामले में शामिल होने के बारे में आश्वस्त होना होगा।"

उप अधीक्षक प्रथम सूचना रिपोर्ट में उन पर अभियोग लगाते हैं। सहायक पुलिस आयुक्त कहते हैं: "मैं उनके शामिल होने के बारे में आश्वस्त नहीं हूं।" गुजरात में यही स्थिति है। *...(व्यवधान)* 'पोटो' को भूल जाइए। राज्य इसी तरीके से 'पोटो' की वर्तमान परिभाषा के अंतर्गत आने वाले लोगों का बचाव करने के कार्य में पुलिस कार्मिकों का इस्तेमाल कर रहा है। विधि मंत्री कहते हैं: "पोटो का उद्देश्य आतंकवाद को रोकना है।" जी नहीं; इसका उद्देश्य "राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को बनाए रखना है।" यही उद्देश्य है।

गुजरात में हुए हत्याकांड के संबंध में, क्या मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं? कारगिल संघर्ष की तुलना में गुजरात में अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। कारगिल संघर्ष में हुई मौतों की तुलना में गुजरात में हुए हत्याकांड में अधिक लोग मारे गए।

लगभग 1679 घरों में आग लगा दी गई, 76 धार्मिक स्थल जला दिए गए, 1965 दुकानें जला दी गईं, 200 दुकानें लूट ली गईं, 90 वाहन फूंक दिए गए तथा इन सबके लिए जिम्मेदार लोगों में से किसी को भी अब तक 'पोटो' के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया गया है।

अब यह तो कड़वे यथार्थ पर चाशनी चढ़ाने वाली बात है। अब, यह पाया गया है कि गुजरात सरकार कहती है - जो कि अत्यंत आश्चर्यजनक है- कि वह गोधरा हत्याकांड के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति पर 'पोटो' के अधीन मुकदमा नहीं चलाएगी क्योंकि महाधिवक्ता ने इस आशय की राय व्यक्त की है। अच्छा, हम यह मान लें कि महाधिवक्ता ने राय दी है। देश की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि सामान्य रूप से यह एक चाल ही है कि जांच-पड़ताल के किसी भी स्तर पर उनके विरुद्ध 'पोटो' का प्रयोग किया जा सकता है। वे इस वाद-विवाद के समाप्त होने और 'पोटो' के पारित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि उसके बाद जांच एजेंसी को निदेश दिए जा सकें कि वह इस समय चतुराई के साथ हटा लिए गए 'पोटो' के अधीन अपराध को शामिल करे। वही उनका असली उद्देश्य है। माननीय विधि मंत्री, मैं इसी राजनीतिक उद्देश्य के बारे में बता रहा था।

और भी रोचक बात यह है कि यह पाया गया कि जिन सात व्यक्तियों के नाम 'पोटो' के अंतर्गत दर्ज किए गए, वे स्कूल जाने वाले लड़के थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दूंगा जिसने इन लड़कों को गिरफ्तार किया था और उसने ऐसा कहा था: "गोधरा शहर पुलिस स्टेशन के निरीक्षक, त्रिवेदी का कहना है कि गिरफ्तार करते समय उनकी उम्र की जांच करना संभव नहीं था, उन्हें घटना स्थल के नजदीक देखा गया था, इसलिए उन्हें 'पोटो' के अधीन गिरफ्तार किया गया।" इस संबंध में यह कारण बताया गया कि उन्हें 'पोटो' के अधीन इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्हें घटना स्थल पर देखा गया था। माननीय विधि मंत्री, क्या यह

[श्री कपिल सिब्बल]

कपटपूर्ण नहीं है? माननीय विधि मंत्री जी, क्या यह बात राजनीति से प्रेरित नहीं है? क्या यह संसदीय प्रक्रिया के साथ छल करना नहीं है कि जबकि 'पोटो' कानून है, आप उन व्यक्तियों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करते जिन्होंने लोगों की हत्या की और उन्हें जिन्दा जलाया? कृपया उत्तर दीजिए, मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री इसका उत्तर दें।

आगे और जो हुआ है वह यह है कि जिन अधिकारियों ने कानून को लागू करने का प्रयास किया, अब उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। मैं आपको उन अधिकारियों के नाम बता सकता हूं। उनमें से कुछ अधिकारियों ने कहा है, वस्तुत: एक अधिकारी श्री राहुल शर्मा ने, जो भावनगर के प्रभारी थे, कहा कि "श्री गोवर्धन, गृह मंत्री ने उन्हें फोन पर कहा था कि कृपया इन लोगों को भा.दं. संहिता की सुरक्षित धाराओं के अधीन गिरफ्तार करें।" उसका क्या अर्थ है? आप कहते हैं: "यह कानून केवल आतंकवाद के संबंध में है और उसे रोकने के बारे में है।" परंतु यदि आप आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, तो गुजरात में आपके मंत्री निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों से ऐसा क्यों कहते हैं कि वे भा.दं. संहिता की सुरक्षित धाराओं के अधीन कतिपय अभियुक्तों को गिरफ्तार करें। क्या आप इस तरह से आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं?

एक अन्य सर्वाधिक रोचक बात यह है कि श्री जेटली ने कुछ अत्यंत दिलचस्प आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वे कहते हैं: "इस देश में आतंकवाद के कारण 61,000 लोगों की जानें गई हैं।" उनका कहना है, "सुरक्षा से जुड़े 8000 लोग मारे गए हैं।"

यह सत्य है। जब 'टाडा' लागू था, तब पिछले 20 वर्षों में साठ हजार लोगों की जानें गई हैं। परंतु, 24 अक्तूबर, 2001 के बाद, 'पोटो' लागू रहा है। मैं गृह मंत्री जी को उस समय के कुछ रोचक आंकड़े बता रहा हूं जब 'पोटो' लागू था। मैं कश्मीर के बारे में बात करूंगा। 1 जनवरी, 2002 को जम्मू एवं कश्मीर में एक महिला, दो बच्चों और उसके परिवार के छह लोगों की हत्या कर दी गई। उस वक्त 'पोटो' लागू था। 7 जनवरी, 2002 को आतंक की रात थी। जम्मू एवं कश्मीर में सत्रह लोगों की हत्या कर दी गई। तब पोटो लागू था। 11 जनवरी, 2002 को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में बम धमाका हुआ था जिसमें पन्द्रह लोग मारे गए। पोटो लागू था। 31 जनवरी, 2002 को पांच बच्चों की हत्या हुई। पोटो लागू था। मैं इस संबंध में अगणित उदाहरण दे सकता हूं।

आप हमें यह बताना चाहते हैं कि पोटो के कारण आप किसी आत्मघाती हमलावर को पकड़ लेंगे। क्या आप पोटो के कारण आतंकवाद को समाप्त कर सकेंगे। इसका उत्तर है "नहीं"। पोटो का असली उद्देश्य अपने ही नागरिकों के विरुद्ध इस कठोर विधान का प्रयोग करना है। पोटो का असली उद्देश्य यही है। इसी कारण से यह कानून कपटपूर्ण है। इसलिए, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री जेटली, आइए अब हम कानून के कुछ यथार्थ उपबंधों का उल्लेख करें जिनके संबंध में हमें कड़ी आपत्ति है। मेरे विद्वान मंत्री, विधि मंत्री बार-बार यह कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कानून के यथार्थ उपबंधों से संबंधित अपनी असली आपत्ति के बारे में कभी नहीं बताया।

पहली आपत्ति 'टाडा' के अंतर्गत आतंकवादी कार्य की परिभाषा की तुलना में 'पोटो' के अंतर्गत आतंक के कार्य की परिभाषा के बारे में है। मैं टाडा के अंतर्गत आने वाली परिभाषा पढ़ूंगा और उसके बाद मैं पोटो के अंतर्गत आने वाली परिभाषा पढ़ूंगा। टाडा के अंतर्गत, जो परिभाषा दी गई वह इस प्रकार है:-

> "जो कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने के आशय से या लोगों में या लोगों के किसी वर्ग में आतंक उत्पन्न करने अथवा लोगों के किसी वर्ग को अन्य संक्रामित करने अथवा लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भावना को कुप्रभावित करने हेतु शस्त्रों एवं हथियारों का प्रयोग करता है, वह आतंकवादी कार्य करता है।"

आपने पोटो में जो किया है वह यह है कि आपने किसी आतंक के कार्य की परिभाषा के अत्यंत महत्वपूर्ण दो खंडों को छोड़ दिया है। आपने जो छोड़ दिया है, वह इस प्रकार है:-

> "अथवा लोगों के किसी वर्ग को अन्य संक्रामित करने अथवा लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भावना को कुप्रभावित करने हेतु।"

इस सरकार द्वारा पोटो के अंतर्गत किसी आतंकवादी कार्य की परिभाषा में परिभाषा के इस भाग को विशेष रूप से छोड़ दिया गया है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्या आपके पास इस बात का उत्तर है कि आपने इसे क्यों छोड़ दिया है? उत्तर वही है जो गुजरात में हो रहा है। उत्तर यह है कि यदि यह परिभाषा दी जाती है, तब गुजरात में संघ परिवार, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल की गतिविधियों को पोटो के अंतर्गत आतंक के कार्य की परिभाषा के अधीन समान रूप से शामिल किया जाएगा तथा आप उन्हें पोटो के अंतर्गत गिरफ्तार करने के लिए बाध्य होंगे।

मेरी दूसरी वास्तविक आपत्ति को कृपया नोट करें। इस कानून के अनुसार जब तक आप किसी आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं, आपको एक आतंकवादी समझा जाता है। श्री जेटली ने कहा है कि अभियुक्त हमें सदैव ऐसा बता सकता है कि संगठन के एक

आतंकवादी संगठन बनने के बाद, वह उस संगठन का सदस्य नहीं रह गया, उसने उस संगठन के लिए कोई कार्य नहीं किया। श्री जेटली, यह एक प्रयत्न है। परन्तु मामले की सच्चाई यह है कि अभियुक्त को ऐसा कब कहना होगा। बेचारे अभियुक्त को अपने बचाव में ही ऐसा कहना पड़ेगा। कानून के अंतर्गत अभियोग पक्ष के लिए यह साबित करने की कोई बाध्यता नहीं है कि वह व्यक्ति किसी आतंकवादी गिरोह का सदस्य है क्योंकि परिभाषा के अंतर्गत, जहां तक अभियोजन में कहा गया है, यदि वह एक सदस्य है, उसे आतंकवादी समझा जाता है। हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे।

महोदया, अगली आपत्ति यह है कि जब पहली बार 24 अक्तूबर को पोटो लागू किया गया था, तब धारा 18 की एक अनुसूची थी जिसके अंतर्गत एक संगठन के रूप में केवल 'सिमी' (एस.आई.एम.आई.) को शामिल किया गया था, जिसे एक आतंकवादी संगठन समझा जाएगा। इस देश में काफी कोलाहल मचा और इसका कारण साधारण था क्योंकि जिन संगठनों का उद्देश्य आतंकवाद था, उन्हें इस अनुसूची से अलग रखा गया था। मैं ऐसे दो संगठनों के नाम बताऊंगा जो हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) जिसे पीपल्स वार ग्रुप कहा जाता है तथा माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, एम.सी.सी.।

अपराह्न 5.00 बजे

ये ऐसे दो संगठन हैं जो स्वयं को आतंकवादी संगठन बनाते हैं परन्तु इन्हें अलग रखा गया है। ऐसा क्यों? इस बारे में गृह मंत्री का क्या उत्तर है? यदि आतंकवाद से लड़ने का इरादा था, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का इरादा था, तो जब 24 अक्तूबर को अनुसूची को अधिनियमित किया गया, तब इन दोनों संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए था। आपकी नजर यू.पी. के चुनाव पर थी। आपको पता था कि यू.पी. के चुनाव आ रहे हैं। आप इसे राजनैतिक मुद्दा बनाना चाहते थे किंतु तब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने अक्तूबर-नवम्बर के अंत में पूछा कि आपने 'पीपल्स वार ग्रुप' को शामिल क्यों नहीं किया है। इसलिए, 5 दिसम्बर, 2001 को आपने अनुसूची में संशोधन किया और 'पीपल्स वार ग्रुप' तथा 'एम.सी.सी.' को शामिल किया किंतु एक संगठन अभी भी शामिल नहीं किया गया है। यह संगठन कौन सा है? यह है एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) है जिसे आतंकवादी संगठन माना जाता है। इसे शामिल क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि आपके गृह मंत्री इस संगठन से बात कर रहे हैं। इससे यह भी दिखाई पड़ता है कि जब 'पोटो' अधिनियमित हुआ था तो आपके मन में विशिष्ट प्रयोजन था।

अब मैं अपनी चौथी महत्वपूर्ण आपत्ति पर आता हूं। अनधिकृत हथियार रखना 'पोटो' के अधीन एक अपराध है। हमने अनेक बार देखा है कि जब 'टाडा' अधिनियमित किया गया था तब 'टाडा' की धारा 5 में इस उपबंध को शामिल किया गया था। ऐसा इसलिए है, जैसा कि आप जानते ही हैं, क्योंकि अनेक लोग जिनके पास रिवाल्वर हैं और उनके लाइसेंस समाप्त हो गए हैं वे रिवाल्वर अपने कब्जे में रखे रहते हैं। और 'टाडा' के अधीन उनको आतंकवादी माना जाता था क्योंकि उनके पास अनधिकृत हथियार थे। इस अधिनियम में भी ऐसा ही उपबंध है। इसलिए जिसकी रिवाल्वर या बंदूक का लाइसेंस समाप्त हो गया हो उसे आतंकवादी माना जाएगा। कोई सभ्य समाज इस प्रकार के उपबंधों को कैसे स्वीकार कर सकता है। कृपया हमें यह बात स्पष्ट करें।

अपराह्न 5.04 बजे

[श्री के. येरननायडू *पीठासीन* हुए]

अब मेरी दूसरी आपत्ति यह है। आपका साक्षी संरक्षण कार्यक्रम है। आपने अमेरिकी कानून, ब्रिटिश कानून तथा अन्य अनेक कानूनों की बातें की थी। मैं आपको यह बताता हूं:

> "अमेरिकी संविधान में सभी आपराधिक प्रक्रियाओं में कानून की उचित प्रक्रिया, निरपराध समझना, बचाव पक्ष के खुली और त्वरित सुनवाई के अधिकार और साक्षियों का सामना करने के बचाव पक्ष के अधिकार को उस कानून के द्वारा न तो निलम्बित किया गया है न सीमित किया गया है।"

ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिका में निरपराध समझने को अलग नहीं किया गया है। किंतु 'पोटो' के अधीन इसे अलग कर दिया गया है। अमेरिका में साक्षी संरक्षण कार्यक्रम नहीं है जैसाकि 'पोटो' में है। अमेरिका में या 'पोटो' के अधीन व्यक्ति के मूल अधिकारों का निलम्बन नहीं होता है। इसलिए अमेरिकी कानून की तुलना भारतीय कानून के साथ मत कीजिए। जब श्री मुलायम सिंह यादव ने आपसे एक सवाल पूछा था तब आपने अमेरिकी कानून का बड़ा ढोल पीटा था।

[हिन्दी]

मुलायम सिंह जी ने आपसे क्या पूछा था? उन्होंने पूछा कि जो अमेरिका का लॉ है उसमें जो एलियन्स हैं, उनके खिलाफ वह लॉ लागू होता है? तो आपने कहा कि नहीं, अमेरिकन सिटिजन्स के खिलाफ भी लागू होता है और आप सही हैं।

[अनुवाद]

मुद्दा यह नहीं था। मुद्दा यह है कि अमेरिकी नागरिकों को निवारक रूप से निरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

[श्री कपिल सिब्बल]

'पोटो' के अधीन आप आरोप पत्र दाखिल होने से पूर्व 180 दिन तक निवारक रूप से निरुद्ध कर सकते हैं। अमेरिकी कानून के अधीन आप इस प्रकार से निरुद्ध नहीं कर सकते। अमेरिकी कानून में सामान्य जमानत का उपबंध है। इस कानून में जमानत के उपबंध बहुत कठोर हैं। इसलिए कृपया अमेरिकी कानून की भारतीय कानून के साथ तुलना मत कीजिए।

मैं आपको ब्रिटिश कानून का एक उदाहरण और देता हूं। ब्रिटिश कानून के अधीन जैसे किसी व्यक्ति को गृह मंत्री के आदेश से निवारक रूप से 5 दिन तक गिरफ्तार रखा जाता है तो मानवाधिकार सम्बन्धी यूरोपीय अभिसमय ने माना है कि ऐसा उपबंध एलियन्स के लिए भी असंवैधानिक है। दूसरे शब्दों में, 'पोटो' के अधीन हम अपने नागरिकों से उससे भी बुरा व्यवहार करते हैं जितना कि अमेरिकी या ब्रिटिश कानून अपने एलियन्स से करते हैं। यह है हमारी आपत्ति और आपने इसका जवाब नहीं दिया है। हमने वाद-विवाद में एक बार नहीं बल्कि अनेक बार यह आपत्ति उठाई थी किंतु आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। *...(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : मेरे बोलने में बहुत देर तक व्यवधान हुआ था। जो सवाल उठाए गए हैं उनमें से कुछ का जवाब मुझे देना होगा *...(व्यवधान)*

अब मैं 'मकोका' के मुद्दे पर आता हूं। 'मकोका' के अधीन दोषसिद्धि की बड़ी बात की गई है। माननीय विधि मंत्री ने कहा था कि 'टाडा' तथा इस देश के अन्य कानूनों के अधीन दोषसिद्धि की दर 6.5 प्रतिशत है किंतु 'मकोका' के अधीन दोषसिद्धि की दर 76 प्रतिशत है और इससे पता चला कि 'मकोका' प्रभावी है। मुझे नहीं पता कि यह कानूनी बहस है या नहीं किंतु इस देश में ऐसा कानून हो सकता है जिसमें दोषसिद्धि की दर 100 प्रतिशत भी हो सकती है। किंतु इससे क्या यह सिद्ध होता है कि यह कानून अच्छा है या प्रभावी है। ऐसा क्यों है कि दोषसिद्धि की दर 76 प्रतिशत है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्यत: अन्वेषण करने वाली एजेंसियां मामले में अन्वेषण नहीं करती हैं। वे केवल ''इकबाल'' कराते हैं। यह 'इकबाल' महत्वपूर्ण साक्ष्य बन जाता है, इस साक्ष्य को ही दोषसिद्धि का आधार बनाया जाता है तथा इस प्रकार दोषसिद्धि की दर अधिक हो सकती है। किंतु सभ्य न्यायशास्त्र में ऐसी प्रक्रिया को मान्यता नहीं है। क्या अमेरिका में भी ऐसे इकबाल कराया जाता है? क्या ब्रिटेन में भी ऐसे इकबाल कराया जाता है? इसका उत्तर है- 'नहीं'। इसलिए मुद्दा यह नहीं है कि दोषसिद्धि की दर 76 प्रतिशत है या 6.5 प्रतिशत। मुद्दा यह है कि क्या एक सभ्य समाज में आप ऐसी प्रक्रिया को अपनाएंगे जो ऐसे निर्दोष लोगों को फंसा सकती हो जो सरकार से नहीं लड़ सकते हैं? यहां यह होता है।

'मकोका' के अधीन संगठित अपराध की परिभाषा है। संगठित अपराध की परिभाषा को आतंकवाद की परिभाषा से कुछ लेना-देना नहीं है। ये दो अलग-अलग बातें हैं। मैं आपको 'मकोका' के अधीन दी गई संगठित अपराध की परिभाषा पढ़कर सुनाता हूं। *...(व्यवधान)*

'मकोका' के अधीन 'संगठित अपराध' का अभिप्राय है, 'किसी व्यक्ति द्वारा सतत रूप से की जा रही कोई अवैध गतिविधि'। किसी चीज के संगठित अपराध होने से पूर्व अभियोजन को सतत अवैध गतिविधि दिखानी होती है जिसकी परिभाषा इस अधिनियम में भी दी गई है किंतु 'पोटो' में ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी गई है क्योंकि यदि आप आतंकवादी हैं तो आपको सतत अवैध गतिविधि नहीं करनी होती है। यदि आप किसी आतंकवादी गैंग के सदस्य हैं तो जैसाकि अभियोजन कहता है, आप आतंकवादी हैं। आपको किसी सतत अवैध गतिविधि में शामिल होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कृपया देश को बेवकूफ मत बनाइए।

कृपया 'मकोका' के अधीन संगठित अपराध की बात करके इसकी तुलना 'पोटो' के आतंकवाद से मत कीजिए। 'मकोका' के अधीन संगठित गैंग हैं जिनकी परिभाषा आतंकवादी संगठनों की तरह नहीं है। क्या ऐसा है? इसलिए सेब और आलू की तुलना मत कीजिए। सही मायने में यही किया है आपने।

उपसभाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : मुझे सिर्फ इकबाल के प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय : आपके दल के दो माननीय सदस्य और हैं जो बोलना चाहते हैं। कृपया एक मिनट में समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : मैं बताता हूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इकबाल के बारे में क्या कहा है। इसने यह कहा है:

> ''इससे इकबाल करवाने में बल प्रयोग और प्रताड़ित करने की संभावना बढ़ जाएगी और इस प्रकार यह सिविल और राजनैतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुच्छेद 43(च) से असंगत हो जाता है जिसमें अपेक्षा की गई है कि हर व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने अथवा अपराध स्वीकार करने हेतु बाध्य न किए जाने की गारंटी का हकदार होगा।''

सिविल और राजनैतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय समझौते का यह उपबंध संविधान के अनुच्छेद 23 के संगत है, जिससे किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष इकबाल करने को साक्ष्य में ग्राहय बनाने से सिविल और राजनैतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुच्छेद 7 के प्रति सम्मान भी कम होगा जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है और मैं इसका उद्धरण देता हूं:

"किसी भी व्यक्ति को बंद कमरे में प्रताड़ित नहीं किया जाएगा अथवा उसके साथ अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा अथवा दंड नहीं दिया जाएगा।"

अत: यदि आप प्रताड़ित करके इकबाल कराते हैं और फिर कहते हैं कि दोषसिद्धि की दर 76 प्रतिशत है तो इस देश की जनता ऐसे कानून को कैसे स्वीकार कर सकती है? दोषसिद्धि की दर बताकर इस प्रकार के कानून को उचित मत ठहराओ।

महोदय, अब मेरी बात लगभग समाप्त हो गई है। मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

आतंकवादी आतंकवादी है। कोई किस तरफ खड़ा है, इसके आधार पर वह अच्छा या बुरा आतंकवादी नहीं हो सकता। 'पोटो' कार्यान्वयन एजेंसी का रिकार्ड ऐसा है जिससे इसके उद्देश्य, इसकी व्यावसायिकता या विधि के शासन में इसके विश्वास पर भरोसा नहीं होता। आपने गुजरात सरकार की सक्षमता और दक्षता की कमी, उसकी इस घोषणा की सच्चाई और अयथार्थता के वास्तविक रिकार्ड की गुजरात में स्थिति 72 घंटे में नियंत्रण में आ गई थी, के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की टिप्पणी देखी ही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि गुजरात में अभी भी असुरक्षा का भाव अत्यधिक व्याप्त है तथा सरकार की कार्रवाई उत्साहहीन और रिपोर्टें लापरवाहीपूर्ण सतही रही हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा से अपनी मानसिकता स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बेकसूर आदमियों, औरतों और बच्चों पर हुई प्रतिहिंसा को न्यूटन के गति के तीसरे नियम के रूप में देखा, न कि उन लोगों के खून की आपराधिक रूप से खेली जाने वाली होली के रूप में जिनकी सुरक्षा की संवैधानिक जिम्मेदारी स्वयं उनकी थी। लोग समझते होंगे कि जैसे तर्क ये दे रहे हैं ऐसे तर्क तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गए होंगे और नीरो की बांसुरी रोमन साम्राज्य के बाहर बजना बंद हो गई होगी। तथापि, लगता है कि इसके स्वर गुजरात में आज भी सुनाई दे रहे हैं। आतंकवादी जनता का दुश्मन है और जैसा मैंने पहले कहा है - आतंकवादी अच्छे या बुरे नहीं होते। तथापि, गुजरात सरकार ने जिस चश्मे से आतंकवादियों को देखा है और उनके साथ भिन्न-भिन्न व्यवहार किया है वह सभी सभ्य कानूनों और लोकरीतियों के विरुद्ध है। गोधरा और गुलबर्ग सोसायटी दोनों ही स्थानों पर लोगों को जलाया जाना एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों की समान रूप से निंदा होनी चाहिए। गुजरात सरकार ने उन्हें अलग तरह से देखा। जब तक हम इससे सीख नहीं लेंगे और धीरे-धीरे इस काम में जल्दी नहीं करते जो हमने अपर्याप्त विचारण और दूरदृष्टि के साथ शुरू कर दिया है, मुझे विश्वास है कि हम उस दिन के लिए पछताएंगे जिस दिन हमने इस काले कानून को अपनी कानून की किताबों में शामिल करने के लिए इतने जोर लगाए जो कि काले से काले कारनामे करेगा, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बेकसूरों के खून के छींटे डालेगा सिविल स्वतंत्रता को उस प्रवर्तन एजेंसी के हाथों कुचल डालेगा जिस पर कोई रोक न होने के कारण बेलगाम अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी। हमें 'पोटो' को संकुचित तरफदारी या विभाजन और मतभेद का माध्यम नहीं बनने देना चाहिए जिससे कि एकता के बजाय फूट पड़ेगी और अविश्वास तथा फूट पैदा होगी जिससे कि लोकतंत्र और सर्वसम्मति का उल्लंघन होता है। हमें प्रत्यायन के बजाय पशुबल से एक कानून पारित कराने से सावधान रहना चाहिए। हमें संयम रखना चाहिए, बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने समक्ष जो अधिनियम है उसकी कमियों के साथ बैठकर समीक्षा करनी चाहिए और इसे ऐसा रूप देने में समय देना चाहिए जिससे कि इस संयुक्त अधिवेशन का प्रयोजन सिद्ध हो सके।

यदि हम ऐसा कर सकते तो हमारी आज की बैठक बेकार नहीं गई होती। परंतु यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब हममें से हरेक इस बात से अत्यन्त दु:खी होगा कि हमने आज गिरने के कगार से वापस आने का विशिष्ट मौका भी गंवा दिया है।

एक संकीर्ण उद्देश्य का बिना सोचे समझे अनुकरण करने से इस देश की महत्ता घटी है, जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कृपया, एक गलत और फूट डालने वाला विधान लाकर स्थिति को और बिगाड़े नहीं।

उपसभाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह - अनुपस्थित

श्री पी.एच. पांडियन।

श्री कीर्ति झा आजाद : महोदय, मुझे बोलने का अवसर कब मिलेगा?

उपसभाध्यक्ष महोदय : उपसभाध्यक्ष महोदय ने आपसे वादा किया है। मैं श्री पांडियन के बाद आपको बोलने का अवसर दूंगा।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और ए.आई.डी.एम.के. की ओर से इस पोटो विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करता हूं।

[श्री पी.एच. पांडियन]

एक क्षण के लिए मेरे मन में यह विचार आया कि यदि यह विधेयक 13 दिसम्बर को संसद पर हमले के तुरंत बाद लाया गया होता तो यह यहां पर इस केन्द्रीय कक्ष में बिना चर्चा के पारित कर दिया गया होता।

सुबह से लेकर अब तक इस विधेयक को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है और अंत में विधिक दृष्टि से मेरे विद्वान मित्र श्री अरुण जेटली और श्री कपिल सिब्बल इस विधेयक पर बोल चुके हैं।

कानून को समय के मुताबिक ही होना चाहिए। 1860 में जब मैकॉले ने भारतीय दंड संहिता को अधिनियमित किया होगा तो उसने कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि आतंकवादी पैदा होंगे और वे हरेक देश पर हमला करेंगे। इसलिए भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत में निर्दोषता की पूर्वधारणा का पालन किया जाता था। हमने न्याय शास्त्र की फ्रांसीसी प्रणाली को नहीं अपनाया है जिसमें दोषिता की पूर्वधारणा प्रतिज्ञापित की गयी है। यहां भारत में दोषी आराम से बैठा रह सकता है। यह अभियोग पक्ष की जिम्मेदारी है कि अपराध को उचित संदेह से परे साबित करे। यदि थोड़ा भी संदेह है तो इसका लाभ अभियुक्त को मिलता है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आपने पोटो के बिना ही श्री करूणानिधि को जेल में बंद कर दिया। आपको इस कानून की क्या आवश्यकता है?

श्री पी.एच. पांडियन : दोषिता की पूर्वधारणा के अधीन आपने इस कानून को पारित कर दिया है। भारत में चाहे यह दल सत्ता में रहा हो या वह दल सत्ता में रहा हो हम बीच की राह अपनाते रहे हैं। उदाहरण के लिए, चाहे यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम हो या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रमाण का दायित्व अभियोजन से हटाकर अभियुक्त पर डाला गया है। सन्देह के लाभ को समाप्त कर दिया गया है। हाल में 1989 में जब अनुसूचित जातियों का उत्पीड़न और दमन हो रहा था, संसद ने एक कानून - 1989 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 33 - नामत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अधिनियमित किया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोई अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। जमानत के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। असंतुष्ट पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि नहीं, प्रत्येक नागरिक को अग्रिम जमानत की गारंटी नहीं दी गयी है। यह एक मूल अधिकार नहीं है। उसी आधार पर 1976 में उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने एक कानून पारित किया था।

अग्रिम जमानत से संबंधित धारा 438 का लोप कर दिया गया था। इसलिए कानूनी दृष्टि से मेरा यह विचार है कि यह विधेयक संविधान के दायरे के भीतर है। जहां तक इसकी रूपरेखा का संबंध है, धारा-3 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि 'कोई भी व्यक्ति' चाहे वह अल्पसंख्यक समुदाय का हो या बहुसंख्यक; यह 'कोई भी' व्यक्ति शब्द से स्पष्ट है - भारत की एकता, सम्प्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से कार्य करता है तो उस पर इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जा सकती है। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में टाडा के न होने पर अभियोजन दोषसिद्ध नहीं कर पाता। अभियुक्त के विरुद्ध टाडा के अधीन मामला दर्ज किया गया था, टाडा के अधीन मुकदमा चलाया गया था और साक्षियों का बचाव किया गया था। उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था। अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सफल रहा था।

पुलिस सभी लोगों पर नजर नहीं रख सकती है। पुलिस केवल संदिग्ध व्यक्तियों पर ही शक कर सकती है न कि कानून का पालन करने वाले सारे नागरिकों पर। मैं तो कहूंगा कि इस समय संसद का सामूहिक विवेक इस बात में है कि गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए, सुधारे नहीं जा सकने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किए जाने के लिए, आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए सख्त कानून आवश्यक है। शराबी, मवालियों और सड़क छाप गुंडों की गतिविधि आतंकवादी गतिविधि नहीं है। आई.एस.आई. भारत के भीतर अपनी गतिविधियां चला रहा है। वे आतंरिक समर्थन के बिना कार्य नहीं कर सकते। बिना किसी भारतीय के समर्थन के कोई भी भारत की धरती पर पांव नहीं रख सकता। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आई.एस.आई. भारत के भीतर अपनी गतिविधियां चला रहा है और यह विधान आई.एस.आई. की गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। यह विधान सीमा-पार से प्रायोजित आतंकवाद पर भी अंकुश लगाएगा।

हम सीमा-पार से प्रायोजित आतंकवाद की बात करते हैं। हमने कारगिल का दौरा किया। हमने कई रिपोर्टों के बारे में सुना कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अभी भी सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ पहले ही ऐसा कह चुके हैं। वे भारत के साथ दोस्ताना संबंध नहीं रख रहे हैं। इसलिए इस प्रकार जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे 20 आतंकवादियों को नहीं सौपेंगे, आतंकवाद पर अंकुश लगाने का कानून कहां है? उन्होंने विशेष रूप से यह कहा कि भारत सरकार से उनकी पहचान करने के लिए कहा है। कौन उनकी पहचान करेगा जबकि वे 20 आतंकवादी उनके यहां हैं?

मुम्बई में दाउद इब्राहिम की सम्पत्ति की नीलामी की गयी थी। इस सम्पत्ति को लेने वाला कोई नहीं था। दाउद इब्राहिम की

सम्पत्ति का खरीददार कोई नहीं था। आप क्यूं डरे हुए हैं। यदि यह कानून वहां रहा होता तो कोई भी नीलामी में शामिल हो सकता था; यहां भारत में आप नीलामी में शामिल होने से डर रहे हैं। यह एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान में है। जिसे भारत को सौंपने के लिए परवेज मुशर्रफ मना कर रहे हैं और आप उसे अपने यहां लाने, गिरफ्तार करने या उस पर मुकदमा चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बम्बई विस्फोट काण्ड का उदाहरण सामने है। कोयम्बतूर में 1998 के संसदीय चुनाव के दौरान माननीय गृह मंत्री के ऊपर हमला हुआ था।

कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया? वहां कितने बम विस्फोट हुए थे मैं तो यह कहूंगा कि हमें इस कानून को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। एक वकील के रूप में और एक संसद सदस्य के रूप में मैं यह कहूंगा कि यह आतंकवादियों से निपटने के लिए कानून है जो आवश्यक होगा। यह आवश्यक है।

फिर अपराध कानून की उपज है। हम सभी यह जानते हैं। यदि संसद द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है तो अपराध भी सामने आएगा। यदि आप कोई कानून पारित नहीं करते हैं तो कोई अपराध भी नहीं होगा। धारा-3 के अनुसार जो कोई भी भारत की सुरक्षा, एकता और सम्प्रभुता को खतरा पहुंचाने का प्रयास करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि निर्दोष लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है क्या उनका तात्पर्य है कि ऐसा सभी मामलों में होगा। मैंने दोषसिद्धि की दर, दोषमुक्ति की दर के बारे में भी सुना। कृपया आंकड़ों में न जाएं। रिहाई कई चीजों के आधार पर होती है। वकील और कुछ न्यायाधीशों का झुकाव अभियोग पक्ष की ओर या बचाव पक्ष की ओर होता है। कई ऐसे मामले हैं जहां गवाह मुकर जाते हैं। इसलिए हम इस कानून का समर्थन करते हैं। ए.आई.ए.डी.एम. के की ओर से और अपनी ओर से मैं पोटो का पूरी तरह से समर्थन करता हूं क्योंकि तमिलनाडु में हम आतंकवादी गतिविधियों का बड़े पैमाने पर सामना कर रहे हैं जो अन्य स्थानों पर नहीं देखी गई हो सकती है। तमिलनाडु में तमिल लिबरेशन फ्रन्ट श्री लंका से लड़ा हुआ है। यह कई पड़ोसी देशों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहूंगा कि ...*(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान नहीं डालें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: यह सही तरीका नहीं है। मैं देश की बात कर रहा हूं। आपकी नहीं ...*(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदय: श्री रमेश चेन्नितला, कृपया बैठ जाइए। कृपया बहस नहीं करें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: मैं देश के बारे में बोल रहा हूं न कि आपके लिए ...*(व्यवधान)* महोदया, आपके पति की हत्या कर दी गयी है, स्व. राजीव गांधी की हत्या की गयी थी ...*(व्यवधान)* उस कारण से भी आपको इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। और लोगों से बहस नहीं करें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: लोक सभा के तीन सदस्यों को छोड़कर तमिलनाडु के 39 संसद सदस्य तमिलनाडु से हैं। सभी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* दलगत हितों के बावजूद। तीन सदस्यों को छोड़कर सभी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए आप तमिलनाडु में आतंकवाद की प्रतिध्वनि सुन रहे होंगे। वीरप्पन के बारे में क्या किया जाना है? आप चाहते हैं कि उससे भारतीय दंड संहिता के अधीन निपटा जाए; उससे टाडा के अधीन निपटा जाना चाहिए ...*(व्यवधान)* इस प्रकार गंभीर प्रकृति के अपराधियों से कठोर तरीके से सख्त प्रावधानों के साथ निबटना चाहिए। गोधरा में रेल डिब्बे पर हमला हुआ। हम वहां गए और हमने उस डिब्बे को देखा। श्रीमती सोनिया गांधी भी वहां गयी। हमने उस गाड़ी को देखा जिस पर हमला हुआ। हमलावर कौन थे? सबसे पहले आपको हमलावर के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद अगली घटना के बारे में फिर उसके बाद अनुवर्ती घटना के बारे में। कौन हमलावर है। इसलिए मैं कहूंगा कि हम पोटो विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय: श्री दिग्विजय सिंह

...*(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश, हम इसके बारे में बाद में निर्णय लेंगे। बोलने के लिए कई सदस्य रहते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): गृह मंत्री कहां हैं? प्रधान मंत्री कहां हैं? ...*(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदय: श्री संतोष मोहन देव, कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए कहा है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन में हम सब लोग देश के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इसी केन्द्रीय कक्ष में इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दीवानों के सपनों का संविधान बनाया गया। उसके साथ-साथ संयुक्त सदन की भी जरूरत महसूस की गई। इसी केन्द्रीय कक्ष में आज हम तीसरी बार मिल रहे हैं। 1961 में और 1978 में संयुक्त अधिवेशनों की जो बैठकें हुई थीं, वह सरकार के कामकाज की बात थी। लेकिन आज जिस विषय पर हम यहां इकट्ठा हुए हैं, वह देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों का है। जब मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं तो बड़ी गम्भीरता से पूरे सदन के सामने इस बात को रखने का प्रयास कर रहा हूं कि यह कानून जिसके बारे में हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं पास करने के लिए, इस कानून के बारे में कई तरह की भ्रांतियां अपने मन में या तो बिठा ली गई हैं या बोली जा रही हैं।

•

मैं इस सदन में एक ही बात पूछना चाहता हूं। काफी माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं। यह क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? संविधान के दायरे से बाहर सात बार पहले भी ऐसा काम हो चुका है। मुझे याद है कि एक कानून ''मीसा'' इसी देश में बना था और उसके तहत सदन के आधे जो सम्मानित सदस्य हैं, जिसके अंतर्गत भारत के प्रधान मंत्री और पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी सब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ...*(व्यवधान)* मैं वह नहीं चाहता। मैं सिर्फ इस बात की याद दिला रहा हूं कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की शताब्दी का यह वर्ष है और 1975 में जब आतंक का कानून लागू किया गया था तो पूरे देश के लोगों को उन्होंने जहां एक ओर लोगों को प्रेरित किया कि प्रजातंत्र जनतंत्र की हिफाजत के लिए अपने घरों की बजाए जेल में रहना पसंद करो, वहीं दूसरी ओर जब वही लोग इस सत्ता में वापस लौटकर आए तो मोरारजी देसाई से लेकर चरणसिंह जी तक और चन्द्रशेखर जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक तो उस समय भी उनके सामने यह चुनौती थी जो संविधान में धारा 352 का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत एमर्जेंसी लगायी जाती है चाहे इंटरनल एमर्जेंसी हो या एक्सटर्नल एमर्जेंसी हो और उसी के तहत सब गिरफ्तार हुए थे। लेकिन नेताओं ने व्यक्ति से बड़ा सिद्धांत और सिद्धांत से बड़ा देश को समझा था। इसीलिए धारा 352 को संविधान से हटाया नहीं था बल्कि उसका सम्मान किया था। हम जानना चाहते हैं कि आज भी ''पोटो'' के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, क्या यह सत्य नहीं है कि जब ''टाडा'' लगाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रस्ताव था और 6 सेफगार्ड्स दिये गये थे और आज ''पोटो'' जो रखा जा रहा है, उसके आर्टिकल 52 और 58 को जरा पढ़ा जाये। आर्टिकल 58 में कहा हुआ है कि पुलिस का कोई अफसर ज्यादती करता है तो यह ताकत, शक्ति उस व्यक्ति के पास होगी जिस पर यह इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया जाएगा कि कानून के तहत उस पुलिस अफसर को दो साल से लेकर पांच साल तक सजा सुनाई जाए। यह इस कानून में प्रावधान किया गया है और हमसे कहा जाता है कि ''पोटो'' का इस्तेमाल हम राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए करेंगे। इस सरकार में आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रजातंत्र और जन तंत्र की कीमत के लिए एक नहीं दो नहीं 19 महीने तक जेल में रहना पसंद किया लेकिन जनतंत्र की हिफाजत में कोई कमी नहीं आने दी। इसी सरकार में जार्ज फर्नांडीज मंत्री हैं, किस राजनेता से मैं पूछना चाहता हूं कि किस जनतंत्र में, हिन्दुस्तान की जम्हूरियत में हथकड़ी लगाकर जेलों में लाया गया था? जनतंत्र की हिफाजत में लोगों ने हथकड़ी पहनना पसंद किया लेकिन देश के जनतंत्र की इज्जत और हिफाजत के साथ समझौता नहीं किया। इसलिए हमें उपदेश नहीं दिया जाये और हम पर इल्जाम नहीं लगाया जाये कि हम इस तरह के कामों को करने के लिए ''पोटो'' का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो प्रसन्नता है कि अगर विपक्ष को हमसे खामियाजा भुगतने में डर लग रहा है तो मैं यह समझता था कि अगर विपक्ष की ओर से संयुक्त सदन में यह प्रस्ताव पारित हो जाता और उसके बाद भी संविधान के कोई हिस्से में यह गुंजाइश इस कानून के अधिनियम में बनी हुई थी तो हम इसका रिव्यू कर सकते थे। हम कुछ संशोधन ला सकते थे। आज इस मामले में, इस कानून के संबंध में पूरी दुनिया हमें देख रही है।

राष्ट्र के हर संकट पर देश एक खड़ा हुआ था। विपत्ति के समय देश एक होकर अपनी आवाज को बुलन्द करता रहा है और 13 दिसम्बर की घटना के बाद संसद के दोनों सदनों में इस बात की पुष्टि की गई कि देश एक होकर खड़ा है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): कानून पहले से ही था। ...*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह: आप सही कह रहे हैं। कानून के रहते हुए, पोटो अक्टूबर में लागू हुआ, घटना घटी। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, कानून के रहते हुए, अध्यादेश के रहते हुए, हमने उस संकट को देखा और झेला। कोई एक दिन में कानून का मापदंड तय नहीं हो जाता है-बसुदेव आचार्य जी। आपको नहीं लगता है कि छः महीने में देश में यकीन और विश्वास बढ़ा है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि पिछले दिनों में लोगों का मनोबल बढ़ा है। अगर देश में लोगों के मनोबल को बढ़ाना है, तो इस बात को हम सब लोगों को मिलकर सोचना और समझना होगा।

महोदय, न्याय मंत्री जी ने कहा कि यह कानून देश के दूसरे राज्यों में इस्तेमाल हो रहा है, तो सराहनीय है, लेकिन अगर वही कानून भारत सरकार की तरफ से पेश कर रहे हैं, तो वह कानून लोगों पर जुल्म ढाने का अंग बन रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जैसा कानून दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे ज्यादा जनतांत्रिक व्यवस्था इस कानून में रखी गई है। मैं जिस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन मैं कर रहा हूं, सब लोग इसमें राजनीतिक रूप देख रहे हैं। इस राजनीतिक रूप को कुछ समय के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं विपक्ष के नेताओं से गुजारिश करना चाहता हूं, आज भी, अभी भी, समय है कि हम सब लोग इस सदन में जब मतदान हो, तो संकट की घड़ी में एक साथ खड़े हों। एक साथ खड़े ही नहीं हो, देश की एकता और अखण्डता के लिए बनाए हुए कानून में अगर शक की कोई गुंजाइश हो, तो थोड़े समय के लिए आप हम पर शक जरूर करें, लेकिन हम आपको यकीन और विश्वास दिलाते हैं कि यह सरकार कभी भी इस कानून से लोगों को राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपसभाध्यक्ष महोदय, पोटो कानून को पोटा बनाना चाहते हैं, इसीलिए दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग बुलाई गई है। ऐसा लगता है, सत्ता पक्ष के सदस्य बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, मंत्रियों का कम्पीटिशन चल रहा है। सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है *...(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने कई अवसरों पर बयान दिया है कि देश में आम-सहमति से राज चलाना चाहते हैं। आम सहमति में राज्य सभा में पराजय के बाद संविधान की धारा 108 के प्रावधान का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इससे प्रधान मंत्री जी का ढोल का पोल खुल गया है कि वे आम-सहमति से राज नहीं चलाना चाहते हैं। राज्य सभा में बहुमत नहीं हुआ, तो दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर बहुमत करके इस काले कानून को पास करना चाहते हैं।

महोदय, सरकार के मंत्री जवाब दें—गृह मंत्री जी से कहा कि वे इस बिल को जल्दी में नहीं लाए हैं। अगर वे जल्दी में नहीं लाए हैं, तो आर्डिनेंस लाने से पहले इस बिल को संसद में क्यों नहीं लाया गया?

अभी तक जो भी गंभीर प्रकृति का कानून बना है, सभी को ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी अथवा पार्लियामेंट्री कमेटी में ले जाया गया है। इस सरकार में हिम्मत नहीं है कि सीधे संसद में कानून लाती और ज्वाइंट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में गहन छानबीन उसकी होती। ऐसा करने की सरकार की हिम्मत नहीं हुई। जब राज्य सभा में संख्या पूरी नहीं हुई तो राज्य सभा और लोक सभा दोनों को जोड़कर यह अपनी गिनती पूरी करना चाहती है। यह जबरदस्ती नहीं चलेगी। हम इसे लेकर जनता में जाएंगे।

11 सितम्बर को अमरीका में हुई घटना के बाद दुनियाभर में आतंकवाद के खिलाफ जनमत बना, विश्व जनमत तैयार हुआ। भारत में भी हमारी संसद पर आतंकवादी हमला हुआ, जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हमला हुआ। विभिन्न आतंकवादी घटनाओं के बाद हिन्दुस्तान में भी जनमत तैयार हुआ लेकिन इन लोगों ने उस जनमत का आदर नहीं किया, उसको सेबोटॉज किया। जो जनमत उभरा था उसको खंड-खंड कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ जो जनमत उभरा और सरकार ने जो कानून बनाया उसमें एक-दो क्लॉज कम करके सहयोगी दलों का समर्थन लिया गया। लेकिन सहयोगी दलों में भी बहुत से लोग इस पर ऐबसेंटी हैं। यह जब इस पर राज्य सभा में जीत नहीं सके तो इसे यहां लाए हैं। अगर इनकी नीयत साफ होती कि आतंकवाद का सफाया हो तो ये लोग विपक्ष को भी कॉनफिडेंस में लेते, अपने सहयोगी दलों को भी कॉनफिडेंस में लेते। फ्रैक्चर्ड जनमत से आतंकवाद का मुकाबला नहीं हो सकता। फिर ऐसा यह क्यों कर रहे हैं। ऐसा यह इसलिए कर रहे हैं कि "कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना, जीने का जालिम बनाओ न बहाना"। यह सरकार हर क्षेत्र में नाकामयाब रही है। आर्थिक मोर्चे पर विफल है, बेरोजगारी बढ़ रही है और इन्होंने मिट्टी के तेल के दाम बढ़ा दिये हैं, जनता इनके खिलाफ है। इसलिए इनको ऐसा हथियार चाहिए था जिससे दमन किया जा सके। इसलिए इनकी नजरों में विपक्ष है, माइनोरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, ट्रेड यूनियन हैं, मजदूर नेता लोग हैं, जिनका दमन किया जा सके। इसलिए इनकी निगाहें कहीं पर हैं और निशाना कहीं पर है। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। वानर के हाथ में तलवार नहीं दी जाएगी। *...(व्यवधान)* इनके हाथ में पोटो जैसा कानून नहीं दिया जाना चाहिए। पोटो कानून ड्रैकोनियन है, एंटी-डैमोक्रेटिक है जिसमें नो-दलील, नो-वकील, नो-अपील वाला कानून है तथा यह कानून फंडामेंटल राइट्स और सिविल लिबर्टी दोनों का हनन करता है।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि यह कानून सही नहीं है और इसे नहीं लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कानून का बड़ा दुरुपयोग होता है। ऐसे कानूनों के दुरुपयोग का उदाहरण सब के सामने है। यह अनुभवहीन सरकार है, हठी सरकार है जबकि इन्हें टाडा कानून का अनुभव है। सब लोग स्वीकार करते हैं कि टाडा का दुरुपयोग हुआ। उस समय की सरकार ने अनुभव के आधार पर सब बातें सामने रखीं। इस पर जनमत कराने के बाद उस कानून को खत्म किया गया। लोगों के दिलों में ठेस पहुंचाने के बाद भी इनमें बुद्धि नहीं आई। इन्होंने अनुभव के खिलाफ काम किया और फिर से टाडा की तरह पोटो

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

ड्रैकोनियन कानून को लाकर सिविल राइट्स, व्यक्ति की स्वतंत्रता, फंडामैंटल राइट्स को छीनने की साजिश रची। यह फासिस्टवादी सरकार है। यह एक काला कानून है। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे खारिज करे। इस समय इनके सहयोगी दल लाचार हैं। चूंकि विपक्ष कोई विकल्प नहीं बना पाया इसलिए सहयोगी दल इन्हें समर्थन दे रहे हैं। इनके सहयोगी दल गाली सह कर भी उधर चिपके हैं। यहां साम्प्रदायिकता दुत्कार रही है। हमारा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इसी नीति को अपनाते हुए कदम उठाए जाएं।

सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि पोटो का दुरुपयोग नहीं होगा लेकिन इनके दो मंत्री श्री अरुण जेटली और श्री अरुण शौरी ने शुरू में बयान दिया कि अन्य सारे कानूनों का दुरुपयोग होता है तो इसका भी दुरुपयोग हो सकता है। इनकी पार्टी के दो मंत्रियों का यह कहना है। वे यह नहीं कहते कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा बल्कि कहते हैं कि इसका दुरुपयोग होगा। इसका दुरुपयोग शुरू भी हो गया है। अभी हाल ही में किसी वर्ग विशेष के खिलाफ पोटो लागू करके बाद में उसे हटा दिया। इन्होंने 62 व्यक्तियों के खिलाफ एक तरफा पोटो लागू किया। असली दंगाइयों के खिलाफ पोटो लागू नहीं किया। आप विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल, दंगाइयों और श्री नरेन्द्र मोदी को पोटो में गिरफ्तार करें। हम भी इससे सहमत होंगे और यही कहेंगे कि पोटो को पास किया जाए। इसमें भेदभाव हो रहा है। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की कोई बात नहीं हो रही है। देश को तोड़ने वाली जो शक्तियां और संगठन हैं, उनका नाम इसमें नहीं है। इससे साफ लगता है कि यह कानून एंटी माइनॉरिटी, एंटी पीपुल और विपक्ष को दबाने के लिए एक दमनकारी कानून है। इसलिए हम किसी हद तक पोटो के इन टोटो खिलाफ हैं और खिलाफत करते रहेंगे। यदि आप नहीं मानेंगे तो जनता के बीच जाएंगे। हिन्दुस्तान की जनता जनतंत्र और सेकुलरिज्म को पसन्द करती है। इन्होंने पोटो को राजनीतिक कारणों से मुद्दा बनाया लेकिन चारों राज्यों से इनकी विदाई हो गई। अब यह देश भर में पोटो को मुद्दा बना रहे हैं। यहां दिल्ली से भी इनकी विदाई निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत इनके सफाए को रोक नहीं सकती। यह पांच साल की प्रतीक्षा में है लेकिन यह सरकार पांच साल भी पूरे नहीं कर पाएगी। डाक्टर लोहिया ने कहा था कि पांच साल तक ऐसी सरकार का इंतजार नहीं करना चाहिए। बीच में ही उन्हें हटा देना चाहिए। हम भी ऐसी सरकार का सफाया करेंगे। यह 20 राज्यों से ज्यादा में गायब हैं। इनकी केवल 2-3 जगह दंगाई सरकार है। पोटो जैसे काले कानून को खत्म करना चाहिए। यह कानून जम्हूरियत के खिलाफ है और हिन्दुस्तान के माथे पर कलंक है। आज गुजरात में दंगाई नाच रहे हैं। *... इसी बात के साथ मैं पोटो के खिलाफ आह्वान करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह देश का काला कानून है, जनतंत्र के खिलाफ है, मानव अधिकारों का हनन करने वाला कानून है। आर्थिक क्षेत्र में यह सरकार फेल रही। यह सरकार गरीबों की दुश्मन है। यह दंगाइयों की सरकार है। पोटो कानून को खारिज किया जाना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय। जैसाकि कहा गया कि आज एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है और जिस कानून को हम बचा रहे हैं वह भी उतना ही असाधारण है।

लोक सभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि राज्य में जब जरूरत पड़ती है तब वहां का समाज ही राज्य अथवा वहां के प्रतिष्ठान को कानून एवं व्यवस्था बहाल करने की अधिक शक्तियां प्रदान कर देता है।

हमारे देश में जहां इतना खून-खराबा होता है, इतनी हत्यायें होती हैं वहां कड़े कानून की आवश्यकता है। इस विधेयक के दो पहलू हैं-एक आतंकवादी गतिविधियों से सम्बद्ध हैं तथा दूसरा विध्वंशक गतिविधियों से।

आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में जो कुछ भी आज यहां कहा गया है उससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन विध्वंशक गतिविधियों से सारा राष्ट्र प्रभावित होता है। मैंने सदन का ध्यान इस विधेयक के एक पहलू की ओर दिलाया था- पुरुलिया से चुनकर आये सदस्य किस प्रकार आपत्ति कर रहे थे। मैं पुरुलिया में हथियार गिराने जाने संबंधी मामले की ओर दोनों सदनों के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा तब इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस अधिनियम की परिधि में न केवल सीमापार से चलाया जा रहा आतंकवाद और हमारे पड़ोसी देशों द्वारा चलाया जा रहा आतंकवाद शामिल होगा बल्कि देश अथवा तत्व भी शामिल होंगे जो हमारे देश में हथियार और गोलाबारूद भेज कर विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में-विध्वंशक कार्यवाहियां चला रहे हैं।

दोनों सदनों में इस पर चर्चा के दौरान एक और प्रश्न उठा- हमने देश के पश्चिमी सीमा पर सशस्त्र बलों का इतना बड़ा जमावड़ा क्यों किया हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर माननीय रक्षा मंत्री जी ने लोक सभा में दिया। उत्तर में बताया गया कि अमरीका के नेतृत्व में संयुक्त सेनाओं द्वारा तालिबान पर हमले के पश्चात् पाकिस्तान ने अपनी सेना को वहां से हटाकर भारतीय सीमाओं पर लगा दिया। पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? इसी कारण से हमने भी पश्चिमी सीमा पर बड़े पैमाने पर सशस्त्र बलों को तैनात किया है। अब बर्फ पिघलेगी और उसके बाद बड़े पैमाने पर घुसपैठ शुरू होगी। इस कानून की आवश्यकता के पीछे यही मुख्य कारण है। इसका उद्देश्य उन आतंकवादियों को पकड़ना है।

तीन पहलू हैं जिन पर हमें गौर करना है। वे हैं, आतंकवादियों को निशाना बनाना, उन लोगों को निशाना बनाना जो कि आतंकवादियों को आश्रय देते हैं और वे जो उन्हें धन प्रदान करते हैं। ये ही तीन पहलू हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। बीजू जनता दल की तरफ से हम इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हैं और मैं भी इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय: इस पर चर्चा के लिए 20 और वक्ता हैं। वे भी यथाशीघ्र अपना भाषण देंगे। कृपया सहयोग दें ताकि हम जल्दी यह चर्चा पूरी कर सकें।

श्री सी. रामचन्द्रैया (आंध्र प्रदेश): महोदय, हमारी तेलुगु देशम पार्टी ने इस विधेयक का लोक सभा व राज्य सभा दोनों में समर्थन किया है और इस महत्वपूर्ण संयुक्त संसदीय बैठक में भी हम इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हैं।

सभी जानते हैं और सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने न केवल हमारे देश में अपितु विश्व स्तर पर भयंकर रूप धारण कर लिया है। किसी सभ्य सरकार का यह मुख्य कर्त्तव्य होता है कि वह लोगों को सुरक्षा प्रदान करे और यह तभी सम्भव है जबकि एकदम निचले स्तर पर आतंकवाद पर काबू पाया जाए। इस आतंकवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे देश का आर्थिक विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है किसी खास कानून के दुरुपयोग के बारे में चर्चा हुई है। हम भ्रांतियों और कल्पनाओं को पाल रहे हैं और समय की मांग है कि देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। हमें उनमें सुरक्षा की भावना जागृत करती है ताकि वे शान्ति व अमनचैन से रह सकें। यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि सरकार आतंकवाद पर काबू न पाए।

भारत द्वारा आर्थिक उदारीकरण शुरू करने के बाद, यह आशा की जा रही थी कि चूंकि हमारा देश विश्व का दसवां सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है और जहां विश्व में सबसे अधिक वैज्ञानिक हैं, जिसके स्वयं अपने अन्तरिक्ष व परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हैं, जिसकी स्वतंत्र प्रेस है, मुक्त अर्थव्यवस्था है जहां निष्पक्ष प्रजातंत्र है व अंग्रेजी बोलने की क्षमता रखने वाले लोग हैं, इस देश के आर्थिक विशेषज्ञ एवम् वित्तीय प्रबंधक स्वभावत: देश में अरबों रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित कर सकते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका कारण क्या है। हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

सरकार देश के औद्योगिकीकरण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ऐसा करने में सफल नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए चीन का उदाहरण ले लीजिए। वहां का समाज अनुशासनबद्ध है जहां न तो स्वतंत्र प्रेस है और न ही निष्पक्ष प्रजातंत्र और न मुक्त अर्थव्यवस्था है, इसके बावजूद वहां 40 अरब डालर का प्रतिवर्ष विदेशी निवेश होता है। इससे मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि वहां का समाज अनुशासनबद्ध है, पूरी तरह से वहां कानून और व्यवस्था है तथा लोग वहां शांति से रह रहे हैं। पश्चिमी देश चीन की आलोचना कर सकते हैं लेकिन जहां तक अर्थव्यवस्था का संबंध है चीन सबसे अधिक लाभ पाने वाला देश है।

महोदय, ऐसा मुख्य रूप से हमारे देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति की वजह से है। उदारीकरण के बाद के परिप्रेक्ष्य में जबकि किसी राज्य अथवा स्थान पर प्रत्यक्ष निवेश के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, कोई भी राज्य अपना पक्ष रखकर निवेश आमंत्रित कर सकता है। इस समय मैं यह कह सकता हूं कि इस देश के किसी भी मुख्य मंत्री ने विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए कभी इतने प्रयास नहीं किये जितना श्री चन्द्रबाबू नायडू ने किया है। इसके बावजूद भी, मुझे इस बात का दु:ख है कि हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा राज्य आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहा है, जिसे हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमने उनके साथ समझौता वार्ता तक करने का प्रयास किया है, उनके साथ संपर्क साधा है ताकि कुछ समाधान निकाला जा सके। आज ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है। हमें इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए अथवा इसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए।

इस स्थिति में, केवल एक नहीं अपितु सभी राजनीतिक पार्टियों को ऐसे प्रयास करने चाहिएं। आज जो पार्टी सत्तारूढ़ है, कल वही विपक्ष में हो सकती है। हमें हर चीज का राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक माननीय सदस्य नागरिक अधिकारों के बारे में बोल रहे थे। क्या किसी को नागरिक अधिकारों की मांग करने का नैतिक अधिकार है? क्या कोई व्यक्ति स्वयं को नागरिक अधिकारों का चैम्पियन होने का जबरदस्ती दावा कर सकता है? इस देश में एक विशेष व्यक्ति के चुनाव हारने पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। लोकनायक जय प्रकाश नारायण समेत तीन लाख से अधिक लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। काला कानून लागू कर दिया गया। और एक विशेष घटना में जब किसी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो उसके लिए कोई अपील दायर नहीं की गई, कोई अपीलीय अधिकारी नहीं था। आपातकाल में ऐसी स्थिति थी।

सायं 6.00 बजे

मुझे आश्चर्य है कि हममें से कुछ लोग कैसे सिविल अधिकारों के बारे में बोलने के अधिकार की बात कर सकते हैं। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें व्यवहारिक होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय: अब छह बजे हैं और अन्य 25 वक्ता सूची में हैं। यदि सभा सहमत हो, तो हम कार्य के पूरा होने तक समय बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

उपसभाध्यक्ष महोदय: अत:, कार्य पूरा होने तक सभा समय बढ़ाने के लिए सहमत है।

श्री सी. रामचन्द्रैया: महोदय, इसलिए सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि हमें सरकार से सहयोग करना चाहिए और सरकार को भी चाहे जिस तरीके से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हम जानते हैं कि आतंकवाद को पोषित करने वाले केन्द्र कहीं देश के बाहर स्थित हैं। महोदय, स्थानीय लोगों की मिलीभगत और उकसावे के बिना आतंकवादी घटनायें नहीं हो सकती। अत:, यह सरकार के लिए उपयुक्त समय है कि वह आतंकवाद को दबाने के लिए सभी उपाय करे।

महोदय, अमरीकी और ब्रिटिश कानूनों को कई बार उद्धृत किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें यहां अमरीकी कानूनों की आवश्यकता है? हमें अपने देश के अनुकूल कानून चाहिए। हमें इस देश के अनुकूल भारतीय आर्थिक नीतियां चाहिएं। हमें अमरीका अथवा ब्रिटेन में मौजूद आयातित नीतियां नहीं चाहिए *...(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदय: कृपया हस्तक्षेप न करें।

श्री सी. रामचन्द्रैया: मैंने विधि मंत्री की ओर से वकालत नहीं की है। मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं *...(व्यवधान)*

महोदय, संसद सदस्य होने के नाते, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह यह सुनश्चित करें कि इस कानून का दुरुपयोग न हो *...(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदय: आप कृपया सभा की गरिमा और मर्यादा बनाये रखें। आप इस प्रकार क्यों हंस रहे हैं?

श्री सी. रामचन्द्रैया: हमें आडम्बर नहीं करना चाहिए। जब आप सत्ता में हैं तो आपको एक अलग कानून चाहिए परंतु जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप इसका विरोध करते हैं *...(व्यवधान)* आप इस देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। आप न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। आपको ईमानदार न्यायपालिका चाहिए। आप समाज की सभी बुराइयों के लिए जिम्मेदार हैं और अब आप ये उपदेश दे रहे हैं। यह बड़ी दु:खद स्थिति है। इसे दूर करने का प्रयास करते हैं *...(व्यवधान)*

मैं पूरे जोर शोर के साथ इसे दोहरा रहा हूं और मैं कभी भी अपनी बात घुमा फिराकर नहीं कहता। तथ्य यही है। यही इतिहास है। आप कब तक का देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? इस देश में 49 प्रतिशत शहरी आबादी और 42 प्रतिशत ग्रामीण आबादी अभी भी अल्प पोषित है। 25 प्रतिशत आबादी को कैलोरी परिपूर्ण आहार नहीं मिलता और हम उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम एक ऐसे कानून का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं जिसका अपना कोई महत्व नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमें स्पष्ट बात करनी चाहिए और हमें व्यावहारिक होना चाहिए। आखिरकार हमें जनता की सेवा करने और उन्हें आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए जनता द्वारा ही चुना गया है। हमारा दृष्टिकोण इस तरह का होना चाहिए *...(व्यवधान)* कृपया मुझे ऐसी टिप्पणी करने के लिए उत्तेजित न करें जिसे आप सुनना पसन्द नहीं करें। महोदय, इस कानून को उपनिरीक्षक जैसे निचले स्तर तक के अधिकारी द्वारा लागू करना होगा।

ऐसा पुलिस अधीक्षक की निगरानी के अंतर्गत हो सकता है। लेकिन इसे मंत्रियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। क्या आपको आपके दल द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृहमंत्रियों पर भरोसा नहीं है? विपक्ष द्वारा यह दर्शन अथवा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मान लीजिए कि यदि किसी पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाती है तो आप पुलिस स्टेशन को तोड़ दीजिए। यह तो कोई तरीका नहीं है। हमें सरकार से बात करनी चाहिए ताकि एक ऐसा कानून बनाया जा सके जो समाज के लिए उपयोगी हो और लोग चैन और अमन के साथ रह सकें। ऐसी भावना होनी चाहिए।

मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक का समर्थन करें। हमें तमाम व्यावहारिक सुझावों का स्वागत करना चाहिए ताकि अधिनियम को और अधिक कारगर बनाया जा सके। मैंने यह भी देखा है कि इस विधेयक में वास्तव में किसी न्यायिक क्षेत्राधिकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे इसकी जानकारी है। अत: राज्य स्तर पर कुछ समितियां बनायी जानी चाहिए और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और न्यायविद् उन समितियों के सदस्य होने चाहिएं ताकि वे यह देखने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य कर सकें कि देश में कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न न हो अथवा कोई गलत बात न हो। अत: मैं मुख्य राजनीतिक दलों से अपील करूंगा कि निराधार शक अथवा शंका पर ध्यान न दें। हमें व्यावहारिक होना चाहिए; यदि आप चाहते हैं तो हम कतिपय संशोधन कर सकते हैं ताकि इस कानून को बनाया जा सके और प्रभावी रूप से इसे लागू किया जा सके।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी और कानून मंत्री जी, तीनों ही सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या वे पोटो को वापस लेने पर पुनर्विचार करने अर्थात् पोटो को खत्म करने पर विचार-विमर्श करने गए हैं? यह हमें बताया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपसभाध्यक्ष महोदय: बहुत से मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे भी शीघ्र ही यहां आएंगे।

...*(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदय: ठीक है। मैं गृह मंत्री को आमंत्रित करता हूं। गृह मंत्री जी आ रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: पुनर्विचार की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री और विधि मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपसभाध्यक्ष महोदय, सायंकाल के छः से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक वोटिंग नहीं कराई गई है। मेरा आपसे आग्रह है कि वोटिंग का समय निश्चित किया जाए और हमें बताया जाए कि वोटिंग कब होगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपसभाध्यक्ष महोदय: यदि सभी सहमत हों, तो हम मतदान कराएंगे। कृपया बैठ जाइए। अब श्री जे. चितरंजन बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश जी, कृपया बैठ जाइए। मैने एक सदस्य को पहले से ही बुलाया है और वह आ रहे हैं। वह बोलने वाले हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री जे. चितरंजन (केरल): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और भारतीय साम्यवादी पार्टी (सी.पी.आई.) की ओर से आतंकवाद निवारण विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

राज्य सभा में इस विधेयक के अस्वीकृत होने के उपरान्त मैंने सोचा था कि माननीय प्रधान मंत्री, माननीय गृह मंत्री और पूरी सरकार अपने रवैए पर पुनर्विचार करेंगे ताकि इस मुद्दे पर आम सहमति बनाई जा सके और इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जा सके। दुर्भाग्यवश उन्होंने ऐसा नहीं किया। बजाय ऐसा करने के, उन्होंने दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए कार्यवाही की है और यह इस मुद्दे पर आपसी मतभेदों का एक अंग है। मैंने सोचा था कि प्रधान मंत्री कुछ अन्य तरीके अपनाने के बारे में सोचेंगे ताकि आम सहमति बनाई जा सके क्योंकि प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालने के बाद बार-बार कहा है कि वे आम सहमति के आधार पर काम करेंगे। लेकिन यहां यह स्पष्ट हो गया है कि बड़ी संख्या में लोगों सहित इस मुद्दे पर तीव्र विरोध है। विधानमंडलों के सदस्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि इस समय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि विद्यमान कानून मैं नाम नहीं लूंगा-आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए काफी हैं बशर्ते उनका कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से हो, उचित प्रबंध किए जाएं ताकि इन कानूनों को लागू किया जा सके।

सायं 6.09 बजे

(श्री सुरेश पचौरी *पीठासीन हुए)*

ऐसा ही विचार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने व्यक्त किया है। यह कुछ अन्य लोगों द्वारा और मेरे द्वारा नहीं कहा गया है लेकिन ऐसा एक अति प्रतिष्ठित और सांविधिक निकाय द्वारा कहा गया है जिसके अध्यक्ष कुछ समय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और एक अति सम्मानित व्यक्ति हैं। यही नहीं, कृपया राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर भी एक नजर डालें। लगभग सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने इस विधेयक को पारित करने के लिए इसके खिलाफ लिखा है। सभी राष्ट्रीय अखबारों ने दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने की कार्रवाई की निंदा की है।

इसके अलावा, कानून के विशेषज्ञों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उदाहरणार्थ, न्यायमूर्ति वी. कृष्णा अय्यर, श्री नरीमन और कानून के अन्य अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि यह विधेयक संविधान में दिए गए नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करेगा। अतएव, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बड़ी संख्या में राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। किसी अन्य विधेयक के बारे में ऐसा नहीं हुआ है। अतएव, यह बड़ी विचित्र स्थिति है। अतः यह सरकार इस विधेयक को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में पारित करने का

[श्री जे. चितरंजन]

प्रयास करती है तो यह इस विधेयक के बड़े विरोध को नजरअन्दाज करेगी और ऐसा करना उचित नहीं होगा।

दूसरे, मैं इस विधेयक के कुछ प्रावधानों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इसके ब्यौरे में तो नहीं जाना चाहता हूं लेकिन सामान्य रूप से, इसमें अनेक ऐसे प्रावधान और खण्ड हैं जो अत्यधिक आपत्तिजनक हैं। उदाहरणार्थ खण्ड 3 में आतंकवाद की परिभाषा दी गई है। इस विधेयक में दी गई परिभाषा बड़ी अस्पष्ट है। अत: इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। खण्ड 14 व्यक्ति विशेष और संस्था के पास उपलब्ध सूचना को देने के संबंध में है। खण्ड 18 का प्रयोग ऐसे संगठनों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा सकता है जो सरकार के आलोचक हैं। खण्ड 32, 37 और 45 भी आपत्तिपूर्ण हैं। ये प्रावधान सिर्फ शस्त्र और साक्ष्य अधिनियम और अन्य अनेक कानूनों के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। अत: ये प्रावधान तथा समूचा का समूचा विधेयक आपत्तिजनक है।

दूसरी बात पर आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार इस विधेयक पर इतना जोर क्यों दे रही है?

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम सूची में है। आप मुझे बोलने का मौका कब देंगे?

उपसभाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बता दूंगा। कृपया कुछ समय इंतजार कीजिए।

श्री जे. चितरंजन: नि:संदेह गृह मंत्री जी ने यह तर्क दिया है कि आतंकवाद की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस तरह का विधेयक आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने दो कारण भी बताए हं। उनमें से एक कारण यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने यह नहीं बताया है कि उस प्रस्ताव में वास्तव में क्या कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में कहा गया है कि व्यापक और कारगर उपाय करने होंगे। बस इतनी ही बात कही गई है। वह इस तरह का कानून बनाने पर क्यों अड़े हुए हैं वह भी जबकि इस समय इस विधेयक का तीव्र विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब वह अमेरिका और ब्रिटेन जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि वह क्या कर रहे हैं? यदि यह विधेयक पारित नहीं होता है तो वह हम से पूछेंगे कि यद्यपि आप आतंकवाद से जूझ रहे हैं फिर भी आप पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? थोड़ी देर पहले प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा कि आतंकवाद रोकने के लिए हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। हमें इन आतंकवादी हमलों का मुकाबला करना होगा और हमें अपनी शक्ति से इस आतंकवाद को रोकना होगा। यदि हमें इसका मुकाबला स्वयं करना है तो आप ब्रिटेन और अमेरिका के अधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों की परवाह क्यों करते हैं? आप देश में विभिन्न वर्गों और लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और स्थिति से चिन्तित क्यों नहीं हैं? विधान मण्डलों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अनेक महत्वपूर्ण संगठन और प्रतिष्ठान पहले ही आपत्ति कर चुके हैं। आप उनकी आपत्तियों का उत्तर देने के इच्छुक नहीं हैं। आप उनके बारे में चिन्तित नहीं हैं।

अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को अस्वीकृत किया जाना चाहिए अन्यथा यदि कुछ नए उपायों की आवश्यकता है तो सरकार को इस बात पर आम सहमति बनाने के लिए अन्य उपाय करने चाहिए कि आतंकवाद की समस्या का कैसे मुकाबला किया जाए। ऐसा करने के बजाय यदि आप इसे पारित करते हैं तो निश्चित रूप से आप समाज को विभाजित करेंगे। गृह मंत्री जी और विधि मंत्री जी ने एक प्रश्न उठाया था कि हमें सरकार के तरीके पर आपत्ति क्यों है और हमें सरकार की नेकनीयती पर संदेह क्यों है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लोगों के मन में यह प्रबल भावना है कि सरकार भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। उदाहरण के लिए, इस देश में ऐसे संगठन हैं जो यह घोषणा कर रहे हैं कि सुरक्षा के लिए हमें पुलिस पर निर्भर नहीं करना चाहिए अपितु हमें अपने घरों में हथियार रखने चाहिए। यह बयान एक ऐसा संगठन दे रहा है जो भाजपा से अत्यधिक संबद्ध है।

हाल ही में, एक संगठन ने यह संकल्प पारित किया है कि यदि अल्पसंख्यक यहां शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, तो उन्हें बहुसंख्यक समुदाय की कृपादृष्टि पानी होगी। यदि यह स्थिति है तो हमारे संविधान के बुनियादी मौलिक सिद्धांतों को ताक पर रखा जा रहा है। इसके अलावा, जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो सबसे पहले उन्होंने संविधान की समीक्षा की। उन्होंने एक आयोग का गठन किया। उन्होंने अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। इसलिए, लोगों की अपनी शंकाएं हैं। गुजरात में क्या हुआ है? उससे अल्पसंख्यकों और अन्य वर्गों के लोगों की भावनाएं और आशंकाएं बढ़ गई। हमें इस बात की भी आशंका है कि इसका उपयोग कामकाजी वर्ग, किसानों और मेहनत-मजदूरी करने वाले अन्य वर्गों के खिलाफ किया जाएगा जिन्हें सरकार की जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध लड़ना होगा। उन पर पोटो भी लागू होगा। इसलिए, हमारी यह राय है कि इसे नहीं अपनाया जाना चाहिए। इसलिए, मैं दोनों सदनों के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को अस्वीकृत किया जाये।

उपसभाध्यक्ष महोदयः अब डा. सुशील कुमार इन्दौरा बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र): मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं, जिस विषय पर अभी सदन में चर्चा चल रही है। *...(व्यवधान)* मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपसभाध्यक्ष महोदयः संजय जी, आप कृपया बैठ जाइये। मैंने अगले वक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपसभाध्यक्ष महोदयः आपकी पार्टी के लिए जो निर्धारित समय था, वह नौ मिनट था, ऑलरेडी 29 मिनट इन्होंने ले लिए हैं।

[अनुवाद]

उपसभाध्यक्ष महोदयः जी नहीं। मैंने अगले वक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित कर लिया है।

...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपसभाध्यक्ष महोदयः श्री संजय, मैंने उनको बुला लिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपसभाध्यक्ष महोदयः मैंने अगले वक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित कर लिया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज दो बड़ी पंचायतें इकट्ठी होकर आतंकवाद विरोधी कानून के महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक फैसला लेने वाली हैं कि देश में आतंकवाद रहे या न रहे। सरकार ने मुद्दा बनाया और आज देश के हालात पुकार-पुकार कर इस बात को कह रहे हैं कि हमारे देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए, जिसके तहत आज जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, विदेशों से धन आ रहा है, उस धन के बलबूते पर विदेशी लोग आकर हमारे लोगों को बरगला कर यहां खून-खराबा करते हैं, कत्ले-आम करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। सरकार आज हालात को मद्देनजर रखते हुए यह कहती है कि पोटो एक कानून बनाया जाये। वैसे तो मैं एक बात यह भी कहूंगा, मेरी एक सोच है कि सरकार अपने आपमें ताकत होती है, चाहे वह प्रदेश की सरकार हो और चाहे देश की सरकार हो। सरकार अपने आपमें सक्षम होती है, अगर हालात के मद्देनजर जरूरत न हो तो सरकार हर चीज पर काबू पा सकती है, चाहे वह भ्रष्टाचार हो, चाहे आतंकवाद हो। अगर उन हालात को देखें तो कानून की जरूरत नहीं है कि पोटो लाया जाये, लेकिन उसको संवैधानिक रूप दिया जाये, यह सरकार की मंशा है और उस मंशा को पूरा करने के लिए आज यह जोइंट सिटिंग हो रही है, उसमें पोटो पास करने की बात है।

कानून बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब से मैं हाउस में बैठा हुआ देख रहा हूं कि किसी ने भी क्लाज टू क्लाज पोटो के कानून को देखा है, जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनमें से किसी ने भी किसी क्लाज को नहीं देखा है। एक-दो को छोड़ दें तो किसी क्लाज पर टिप्पणी न करते हुए सिर्फ एक बात बार-बार कही कि इसका मिसयूज होगा। बार-बार यह बात कही गई कि राजनैतिक तौर पर माइनोरिटीज पर मिसयूज होगा। आज सरकार इन लोगों की है, हम लोग सरकार के सहयोगी हैं, हम बीच के लोग हैं, लेकिन क्या विपक्ष के लोग यह बताएंगे, हालात बदलते देर नहीं लगता, इधर से उधर और उधर से इधर होते हुए देर नहीं लगती, तब क्या इसी सदन को आश्वस्त करेंगे कि उसका मिसयूज होगा कि नहीं होगा? हालात कभी भी बदल सकते हैं, यह तो देशहित की बात है, अगर इधर के लोग इधर आ गये तो क्या ये यही शंका जाहिर करेंगे कि इसका मिसयूज नहीं होगा, इसका माइनोरिटीज पर मिसयूज नहीं होगा, अगर कल को हालात ऐसे भी पैदा हो जायें तो आपको इस तरह के लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा कि हम देश में एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं, जिसमें हमारा सहयोग करिये। आज सरकार देशहित में, क्योंकि न केवल पूरे राष्ट्र में, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात, को उठाया जा रहा है कि पूरे संसार में जब आतंकवाद बढ़ रहा है, कोई भी देश इससे अछूता नहीं है, अलग-अलग देश अपने-अपने कानून बना रहे हैं। हम अपने देश में कानून बनायें, उसको संवैधानिक रूप दें। अगर कहीं हमारी कमियां रहें, हो सकता है कि कहीं कमियां रही हों तो उसमें एमेंडमेंट किया जा सकता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. सुशील कुमार इन्दौरा]

आज हमें नहीं लगता कि सरकार की मंशा खराब है। हमें नहीं लगता कि सरकार इसका दुरुपयोग करना चाहती है। इस कानून को बनाने वाले हम हैं, लागू करने वाले हम हैं तो हम एक दूसरे से क्यों डरें?

आज हम कानून बना रहे हैं, उसको लागू करने वाले लोग भी हमारे हैं, तो हमें किस बात का डर है। हम क्यों यह चर्चा बार-बार कर रहे हैं कि इसका दुरुपयोग होगा और अल्पसंख्यकों पर इसका बेजा इस्तेमाल किया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा अच्छी है और सरकार इसे अच्छे ढंग से लागू करेगी। मेरा तो यह भी कहना है कि हम लोग कानून तो बना देते हैं, लेकिन जिस मुद्दे के लिए बनाते हैं, उस पर पूरी तरह अमल नहीं करते, इसलिए मैं इस बात का पक्षधर हूं कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सोच है कि जो कानून हम बनाएं, वह सही ढंग से लागू करें। कई बार देखा गया है कि कई कानून ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, यह नहीं होना चाहिए। देश में अमन चैन हो, परस्पर प्रेम और भाईचारे का माहौल बने, हर जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहें और बाहर से आकर लोग हमें उकसाएं न इसलिए हम चाहते हैं कि पोटो का सही ढंग से इस्तेमाल हो।

महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि देश में यहां से एक संदेश जाए कि हम इस मामले में सारे इकट्ठे हैं। इसलिए विपक्ष के लोग भी पोटो का समर्थन करके सरकार को मजबूती प्रदान करें। यह न केवल सरकार की बात है, बल्कि सारे देश के हित की बात है। देश के हित में जो हम कानून बनाने जा रहे हैं, उसको पूर्णरूपेण लागू करें, यही हम चाहते हैं। मैं इस कानून का भरपूर समर्थन करता हूं और यही कहता हूं कि इसको सही ढंग से लागू किया जाए।

कुंवर अखिलेश सिंह: हमें बताया जाए कि मतदान कब होगा?

उपसभाध्यक्ष महोदय: सभी राजनीतिक पार्टियों के वक्ताओं को अवसर दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जी से चर्चा करने के उपरांत बता दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज पोटो के बारे में काफी कुछ पहले ही कहा जा चुका है। इस मुद्दे पर लोक सभा और राज्य सभा में अलग-अलग बहस हो चुकी है। मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं मुख्य रूप से तीन-चार बातें कहना चाहूंगा।

आतंकवाद के विभिन्न रूप हैं। आतंकवाद का पहला रूप है। हमारे देश में बाहर से आने वाले आतंकवाद से निपटना जिसे हम 'पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद' कहते हैं। दूसरा रूप है घरेलू उपद्रव। मैं ऐसे क्षेत्र से हूं जहां हमें प्रतिदिन आंतरिक उपद्रव देखने को मिलता है। आतंकवाद का तीसरा रूप पहले और दूसरे रूप के आतंकवाद अर्थात् बाहर से आने वाला आतंकवाद और आंतरिक उपद्रव का मिश्रण। चौथा रूप है मादक पदार्थों की तस्करीजनित आतंकवाद, जिसमें पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और उससे संबंधित अपराध शामिल हैं। उसके बाद, नि:संदेह आतंकवाद का पांचवां रूप है संगठित अपराध और उसके साथ-साथ चलने वाला आतंकवाद।

एक और बात, जिस पर संभवत: हम कई बार विचार करना भूल जाते हैं, वह यह है कि आतंकवाद प्रौद्योगिकी दृष्टि से प्रगति कर रहा है। अत्यधिक विनाशकारी शस्त्रों और संचार प्रणाली के प्रयोग से आतंकवाद प्रौद्योगिकी दृष्टि से समृद्ध हो रहा है और अंतिम बात, जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, वह है विश्वव्यापी आतंकवाद। यह किसी देश विशेष अथवा किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित अपराध नहीं है। यह समूचे विश्व में फैल गया है।

महोदय, यह बताया गया है कि अलकायदा के भारत सहित 21 देशों में संचालन केन्द्र हैं। आतंकवाद के ऐसे आयामों के होते हुए प्रश्न यह उठता है कि हम उससे कैसे निपटें। प्रश्न यह उठता है कि हमारे देश में और सभी जगह, विशेष रूप से भारत में आज जो आतंकवाद विद्यमान है, उससे निपटने के लिए क्या विद्यमान कानून व्यवस्था, भारतीय दंड संहिता अथवा दंड प्रक्रिया संहिता पर्याप्त है-टाडा को निरस्त कर दिया गया है-राष्ट्र के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या विद्यमान कानून के द्वारा इस समस्या से निपटा जा सकता है। मेरा यह विचार है कि आतंकवाद ने ऐसा रूप ले लिया है मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि विद्यमान कानूनों के ढांचे में विद्यमान कानून व्यवस्था से इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता।

आतंकवाद क्या है? आतंकवाद के बारे में हमारा कानून क्या कहता है? क्या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आतंकवाद एक अपराध है? क्या भारतीय दंड संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है? जहां तक मुझे जानकारी है, 'जी नहीं', आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, हम समझते हैं कि हमारे देश में आतंकवाद से निपटने के लिए एक पृथक विधान बनाये जाने की आवश्यकता है। हमारा देश ऐसा देश है जिसे पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के कारण सबसे अधिक भुगतना पड़ा है और भारत ने प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व समुदाय को आतंकवाद के खतरों, विदेशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खतरों के बारे में समूचे विश्व से बात की है।

मुझे कई बार अनेक देशों में भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि यह आतंकवाद कितना खतरनाक है, भारत किस तरह से पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सच कहूं तो हमें उसका कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। यहां तक कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने कई देशों में संसदीय शिष्टमंडल भेजे। मुझे यूरोपीय संसद में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करने का मौका मिला। हम वहां यूरोपीय समुदाय को यह बताने के लिए गये कि पड़ोसी देशों/विदेशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का क्या अर्थ है, आतंकवाद का क्या अर्थ है। श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा मरक्कस में हुये अंतर संसदीय संघ सम्मेलन से अभी हाल ही में वापस आई हैं और श्रीमती नजमा हेपतुल्ला अंतर संसदीय संघ की सभापति हैं। मैं जानता हूं कि अंतर संसदीय संघ सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तुत एक संकल्प था क्योंकि मैं जब यूरोपीय देशों के दौरे पर गया था तो मुझे कई फैक्स संदेश मिले थे जिनमें कहा गया था कि मुझे आतंकवाद के संबंध में भारत द्वारा प्रस्तुत किये गए संकल्प का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रचार करना चाहिए। जब हम यह सब कर रहे हैं और हम आतंकवाद के विरुद्ध विश्व की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि आतंकवाद पर नियंत्रण पाने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं होना चाहिए? मैं नहीं समझता कि हमारे इस विचार से अब लोग सहमत होंगे। कानून की आवश्यकता है। हमें कानून बनाना होगा और आतंकवाद के साथ गंभीरतापूर्वक निपटना होगा।

जब यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, तो उस समय हमें आपत्तियां थीं। हमने अपने अध्यक्ष श्री शरद पवार की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक की। हमने अपने कानूनी प्रकोष्ठ से सलाह देने के लिए कहा। हमें इस अध्यादेश के बारे में काफी आपत्तियां थीं लेकिन जब प्रधान मंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलायी, तो मेरे नेता श्री शरद पवार जी ने उसमें भाग लिया और उन्होंने संशोधित विधेयक में आठ विशेष संशोधन किये जाने का प्रस्ताव दिया।

मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। सरकार ने लगभग उन सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया है जिनका हमने उस बैठक में सुझाव दिया था। उसके लिए हम बहुत आभारी हैं।

जो आशंका व्यक्त की जा रही है, वह काफी हद तक सही है? टाडा की ही भांति इस कानून का भी दुरुपयोग हो सकता है। खास तौर पर इस देश में अल्पसंख्यक समुदायों को इसकी काफी आशंका है। हमें उस पहलू को ध्यान में रखना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कानून का दुरुपयोग न हो।

लेकिन मुद्दा तो यह है कि इसका दुरुपयोग होगा। मैं नहीं समझता कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं होता। प्रत्येक कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरे विचार से, कानून के दुरुपयोग की आशंका कानून न बनाये जाने का कारण नहीं होनी चाहिए। कानून न बनाने का यह कारण कैसे हो सकता है?

दुरुपयोग कौन करेगा? जो प्राधिकारी इसे क्रियान्वित कर रहे हैं, वे इसका दुरुपयोग करेंगे। राज्य सरकार ही पोटा का उपयोग करेगी। राज्य सरकार ही इस कानून को क्रियान्वित करेगी। जैसाकि सोमनाथ चटर्जी ने सही कहा है कि इस देश में अधिकांश राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है। इसलिए, मैं नहीं जानता कि वे इसके दुरुपयोग की बात क्यों सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस कानून का दुरुपयोग न करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय: अब, श्री एच.के. जवारे गौडा बोलेंगे। आपकी पार्टी के सदस्यों की संख्या के अनुसार, आपको तीन मिनट का समय दिया जाता है। लेकिन आप पांच मिनट तक बोल सकते हैं।

श्री एच.के. जवारे गौडा (कर्नाटक): ठीक है।

उपसभाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिएगा।

श्री एच.के. जवारे गौडा: उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कई वरिष्ठ और विद्वान सदस्यों ने घटनाक्रम और विभिन्न दलों द्वारा की गई चूकों तथा पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार द्वारा किए गए गलत कार्यों के बारे में बताया है। मैं कानून के एक विशेष पहलू तक ही सीमित रहूंगा। मैं सत्ता पक्ष से कहूंगा कि वे कृपया इसकी परिभाषा पर नजर डालें। इसकी परिभाषा में कुछ संदेह है। जब आपको किसी व्यक्ति पर शक होता है तो आप उस पर पोटो लागू करेंगे। शक सच नहीं होता। यह तो मात्र अनुमान होता है। लेकिन दुर्भाग्य से उस व्यक्ति को कोई सबूत न होने के कारण एक वर्ष के लिए दंड भुगतना पड़ेगा।

मैं सत्ता पक्ष से एक और आग्रह करना चाहता हूं। कृपया धारा 3 के उप-खंड (7) को देखें। विधि मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह सब क्या है? धारा 3 के उप-खंड (7) में अधिकतम तीन वर्ष के लिए दंड अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। मैं मुफस्सल वकील हूं। आप सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। आप इस देश के विख्यात कानूनविद् हैं। दोष सिद्ध हो जाने के बाद, न्यायालय को क्या करना होता है? यदि जुर्माना लगाया गया है, तो उसका भी विकल्प

[श्री एच.के. जवारे गौडा]

है। केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा, जेल नहीं होगी। उन परिस्थितियों में धारा 49 के उप खंड 7 में कहा गया है, "बिना विचारण के एक वर्ष के लिए उसे जेल में रहना होगा।" क्यों? क्या आप इसमें सुधार करेंगे अथवा नहीं? यही मेरा विवाद्य प्रश्न है। आप कृपया इसका उत्तर दें।

कई अधिवक्ता और सदस्य पोटो की धारा 32 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बोले हैं। आज भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम विश्व में सर्वोत्कृष्ट विधानों में से एक है। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत आपने उसकी उपेक्षा की है। यदि किसी व्यक्ति पर इस धारा के तहत कोई अपराध करने का आरोप लगाया जाता है तो अभिकरण उसे जेल में बंद कर देगा। एक वर्ष के बाद भी, यदि आप उस व्यक्ति को निर्दोष ठहरा देते हैं तो उसके परिवार का क्या होगा?

सायं 6.39 बजे

(श्री टी.एन. चतुर्वेदी *पीठासीन* हुए)

आप उस व्यक्ति की किस तरह से क्षतिपूर्ति करेंगे जिसे बिना किसी दोष के अपना जीवन जेल में बिताना पड़ा? आपको इसका उत्तर देना है।

मैं, माननीय सदस्यों से जिस दूसरी बात का अनुरोध करूंगा वह यह है। मैं इस सभा में राजनैतिक भाषण नहीं दूंगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहता हूं कि पहले आप सभी ने 'मीसा', 'टाडा' के अंतर्गत कष्ट भोगा और अब आपको पोटो के अंतर्गत सहना पड़ेगा।

इस माह की 19 तारीख के पश्चात् गुजरात सरकार ने किस भावना से, अच्छी या बुरी भावना से प्रेरित होकर तथाकथित अपराधियों के विरुद्ध 'पोटो' लगाने का अनुरोध किया। 22.3.2002 को गुजरात सरकार ने किस भावना से प्रेरित होकर इस धारा को रद्द किया? कृपया स्पष्ट करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (केरल): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस संसद के ऐतिहासिक संयुक्त सत्र मे लोक सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 के संबंध में मेरे दल, आर.एस.पी. के विचारों का समर्थन करने हेतु यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सर्वप्रथम, मैं 'पोटो' विधेयक, 2002 का कड़ा और जबरदस्त विरोध करता हूं क्योंकि यह बुनियादी मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण, मानवाधिकारों तथा देश की जनता की नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इसलिए मैं इसे कठोर विधान कहूंगा क्योंकि इसमें मानव मूल्यों और स्वतंत्रता का अभाव है। यदि इस विधेयक को कानून के रूप में लागू किया जाता है तो इससे इस देश में नागरिक स्वतंत्रता तथा मानवाधिकार का संवर्धन और रक्षा को निश्चित रूप से आघात पहुंचेगा। इसलिए, मैं पूरी सभा से अपील करता हूं कि इस सभा का संयुक्त सत्र इस कठोर कानून, काले कानून को पूर्णत: नामंजूर कर दे। यह मेरी पहली अपील है।

अध्यादेश प्रख्यापित करने के संबंध में अध्यादेश 24 अक्तूबर, 2001 को पहली बार जारी हुआ था और इसके तत्काल बाद शीतकालीन सत्र के दौरान इसे सभा के समक्ष पुर:स्थापित किया जाना था। कड़े विरोध के कारण इसे पुर:स्थापित नहीं किया जा सका। 30 दिसम्बर को पुन: दूसरा अध्यादेश जारी किया गया और बजट सत्र में यह लोक सभा में पारित हुआ लेकिन राज्य सभा में यह पारित नहीं हो पाया।

यदि सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास करती है तो उसने संयुक्त सत्र में 'पोटो' विधेयक पुर:स्थापित क्यों किया? यदि यह सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास करती है तो सरकार को इस विधेयक के कठोर उपबंधों पर पुनर्विचार तथा पुनरीक्षा करने हेतु दलों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ऐसा कदम उठाने की बजाय इस सरकार ने विधेयक पारित करवाने हेतु जल्दबाजी में संयुक्त सत्र कराने का कदम उठाया। इससे सरकार की मंशा का पता चलता है और सरकार के इरादे नेक नहीं हैं। क्या यह आतंकवाद को रोकने का प्रयास है? जी नहीं।

विपक्ष की नेता ने आज प्रात: कहा है कि यह विधेयक बुरे राजनैतिक उद्देश्य तथा इरादे से पुर:स्थापित किया गया है और इसके लिए संसदीय प्रक्रिया का सहारा लिया गया है। मैं विपक्ष की नेता का पूर्णत: समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य इस देश में लोकतांत्रिक आंदोलन का दमन है। इस देश में आर्थिक और श्रम सुधारों के कारण इस सरकार के विरुद्ध जोरदार आंदोलन हो रहे हैं। सरकार इस देश में लोकतांत्रिक आंदोलनों का दमन करना चाहती है। सरकार इस विधेयक के उपबंधों का दुरुपयोग भी करना चाहती है ताकि अल्पसंख्यकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और भाजपा का हिन्दूत्व राजनैतिक सिद्धांत इस देश में क्रियान्वित किया जा सके। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस विधेयक में नेक मंशा का अभाव है।

महोदय, जब गृह मंत्री राज्य सभा में वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे तो वे सभा से अपील करते रहे कि उन पर इरादों को लेकर आरोप न लगाएं और सरकार की ईमानदारी पर संदेह न करें। मैं जोरदार शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि हम गुजरात

में हुई हाल की घटनाओं के कारण इस सरकार के नेक इरादों पर संदेह कर रहे हैं। पोटो का उपयोग एक समुदाय विशेष के विरुद्ध किया गया है लेकिन दूसरे समुदाय के विरुद्ध इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसलिए, गुजरात की हाल की घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय विशेष के विरुद्ध यह सिद्ध हो गया है कि पोटो का भेदभावपूर्ण दुरुपयोग, चुनिंदा इस्तेमाल सिद्ध हुआ है। तब हम किस तरह से सरकार पर विश्वास कर सकते हैं? हम इस सरकार के नेक इरादों पर किस तरह भरोसा कर सकते हैं?

समय की कमी के कारण मैं इस विधेयक की गहराई में नहीं जाऊंगा।

इसलिए, यदि वर्तमान कानून इस देश में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में पर्याप्त हैं तो इस कठोर कानून की क्या आवश्यकता है? यह विधेयक आपराधिक विधिशास्त्र, प्राकृतिक न्याय और सामान्य कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध है और इस सभा द्वारा यह कठोर विधान भी अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा करने के उद्देश्य से इस विधेयक को अस्वीकृत किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और आशा, विश्वास करता हं और सभा से अपील करता हूं कि इस 'पोटो' विधेयक को पूर्णत: अस्वीकृत किया जाए ताकि इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके।

श्री पी.डी. एलानगोवन (धर्मपुरी): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे दल, पट्टली मकक्ली कटची और हमारे प्रिय नेता डा. रामदास जी की ओर से संसद के दोनों सदनों की ऐतिहासिक संयुक्त बैठक में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । मैं तमिल में बोलना चाहता हूं।

महोदय*, मैं संसद की संयुक्त बैटक में पोटो को अधिनियम के रूप में पारित करने हेतु ऐतिहासिक अवसर पर बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं। मैं, हमारे संस्थापक नेता श्री रामदास तथा अपनी पार्टी पट्टली मक्काली कटची-पी.एम.के. की ओर से अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

मौजूदा परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र को आतंकवाद रोकने के लिए कानून की आवश्यकता है। आतंकवादियों द्वारा कायरतापूर्वक कृत्यों को रोका जाना चाहिए। उनकी विध्वंसक गतिविधियों में जो उन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देते हैं और इस तरह से देश की एकता और शांति को क्षति पहुंचाते हैं, उनका पता लगाया जाना चाहिए और उन से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। उन्हें कानून के हवाले करने तथा तदनुसार उन्हें सजा देने के उद्देश्य से 'पोटो' अनिवार्य है।

जो आतंकवाद का सहारा लेते हैं और जो आतंकवादियों को सहायता देते हैं वे दोनों ही समाज और मानवता के विरुद्ध हैं। वे मानव जाति के दुश्मन हैं। ऐसे अमानवीय लोगों से सरोकार रखना जहरीले सांप के बिल में हाथ डालना जैसा होगा। कई लोगों को आशंका है कि 'पोटो' से एक विशिष्ट समुदाय विशेषरूप से अल्पसंख्यक समुदाय का सफाया हो सकता है। कुछ लोगों को यह भी आशंका है कि राजनैतिक दल एक दूसरे से पुराना हिसाब-किताब चुकाने में पोटो का इस्तेमाल करेंगे। यद्यपि ये बेवजह की आशंकाएं हैं फिर भी हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि इन आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। विगत में जो कुछ हुआ उससे पता चलता है कि इसका आधार है।

पोटो का उद्देश्य आतंकवादियों को कुचलना है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने की आशंका तभी दूर हो सकती है जब इसका विवेकपूर्ण प्रयोग होगा।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों को उचित क्रियान्वयन के माध्यम से इस विधेयक को पारित करने वाली संसद को गारंटी देनी चाहिए। मुझे कोई संदेह नहीं है और आशा है कि वे ईमानदार रहेंगे।

जब किसी व्यक्ति पर 'पोटा' के अंतर्गत मामला चलाया जाता है तो उसके परिवार और सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाने हेतु निष्पक्ष और वस्तुपरक छानबीन की जानी चाहिए।

'पोटा' के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया व्यक्ति यदि निर्दोष सिद्ध होता है तो उसकी उचित रूप से क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। यदि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है तो कानून का दुरुपयोग करने वाले संबंधित अधिकारी को दण्डित किया जाना चाहिए।

'पोटा' द्वारा दिए गए प्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रत्येक अधिकारी विशेषरूप से पुलिस अधिकारियों को सदाचारी होने के साथ-साथ ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के विगत में आचरण, उनके सेवा इतिहास तथा मौजूदा कार्यों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए।

केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों को पारदर्शी तरीके से पोटा को कानून के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसका प्रयोग बदला लेने तथा पुराना हिसाब चुकाने के लिए न किया जाए। इसके लिए संसद की स्थायी

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

[श्री पी.डी. एलानगोवन]

समिति द्वारा पाक्षिक पुनरीक्षा कराई जा सकती है। प्रत्येक राज्य ऐसी पुनरीक्षा समिति गठित कर सकता है जिसमें मानवाधिकार विधिज्ञ, एक वरिष्ठ पत्रकार, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मानवाधिकारों के लिए गैर-सरकारी संगठन का एक सदस्य तथा मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि होने चाहिए।

प्रेस को लोकतंत्र का स्तंभ होने के कारण उसकी स्वतंत्रता में कटौती नहीं की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने हेतु 'पोटो' विधेयक में संशोधित उपबंध शामिल किए गए हैं। फिर भी इसकी जिम्मेदारी केन्द्र तथा राज्य सरकारों पर है।

इधर उधर थोड़े-बहुत आतंकवादी गिरफ्तार करके संभावित खतरे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जो योजनाएं बनाकर आतंकवाद की साजिश करते हैं और विनाश के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा जो ऐसे आतंकवादियों के नापाक इरादों को अंजाम देने में उनकी सहायता करते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

हमारा पी.एम.के. दल इस कानून का समर्थन करता है, इसे उचित तरीके से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। मैं, अपने संस्थापक नेता डा. रामदास तथा मेरे दल-पट्टाली मक्कली कटची-पी.एम.के. की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, सवेरे से पोटो पर चर्चा चल रही है। पिछले शरदकालीन अधिवेशन में जब इस अध्यादेश पर चर्चा होने वाली थी तो दिल्ली में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई। शायद उसमें कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने पोटो का समर्थन किया लेकिन जब बात टी.वी पर आई तो मैंने सुना कि कांग्रेस अध्यक्षा सकते में हैं। मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है, बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। रात 9 बजे बैठक समाप्त हुई। कांग्रेस प्रवक्ता बैठक से बाहर आये और कहा कि हम पोटो का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमसें पूछा नहीं गया *...(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदय: इन्होंने टी.वी. पर सुना।

श्री रामजीवन सिंह: महोदय, जब मैं कुछ कह रहा हूं तो मैं पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूं। मैंने टी.वी. पर सुना और मुझे लगा जो आज भी कहता हूं कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, जिसका 100 वर्ष से ज्यादा का इतिहास है, जिसे एक लम्बे समय तक शासन में रहने का अनुभव है, वह यह कहे कि हमें पूछा नहीं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से यही कहूंगा कि हमारी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आप लोगों का इतना ध्यान रखती है, आप लोगों से इतना डरती है कि आपके नेता के साथ एक महिला राज्य मंत्री द्वारा जरा सी छेड़छाड़ करने पर उनका विभाग बदल दिया गया। इसके बाद भी आप कहते हैं कि आपसे पूछा नहीं जाता है *...(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदय: आप विषय पर आइये। कृपया धैर्य रखिये।

श्री रामजीवन सिंह: महोदय, इस प्रस्ताव को पेश करते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने पोटो के सारे पहलुओं पर चर्चा की। तत्पश्चात् हमारे विधि मंत्री जी ने पोटो क्या है, इसकी चर्चा की कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इसकी क्या अहमियत है, इसमें कहां-कहां ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपत्ति हो सकती है, सविस्तार बड़ी बारीकी से चर्चा की। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि समय बहुत कम है।

महोदय, एक आरोप यह लगाया गया, पक्ष-विपक्ष के कई वक्ताओं ने इस बात का उल्लेख किया और इस बात की संभावना व्यक्त की कि इसका दुरुपयोग किया जायेगा। आजादी के बाद से लेकर आज तक इस देश का एक भी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल नहीं जिसकी कभी अकेली या साझा सरकार न बनी हो या उसे सरकार में आने का मौका न मिला हो या इस संबंध में केन्द्र या राज्य सरकार पर यह आरोप न लगा हो कि इस कानून का उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन हो रहा है। 1974 में जब श्री जय प्रकाश नारायण जी का आन्दोलन चल रहा था। मैंने विधानसभा से इस्तीफा दिया तथा आन्दोलन में काम कर रहा था।

एक बार 4 अगस्त, 1974 के दिन श्री जयप्रकाश नारायण जी हमारे यहां जाने वाले थे। मैं उसका आर्गेनाइजर था लेकिन पहली अगस्त को मुझे एक धारा 379 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। उसकी एफ.आई.आर. की अगर मैं यहां चर्चा करूं कि वह क्या एफ.आई.आर. थी-एक लड़का एफ.आई.आर. कराता है कि मैं आज फलां कॉलिज में 11 बजे परीक्षा देने के लिए जा रहा था, दो लड़के आये और वे पकड़कर मुझे एक वकील के यहां ले गये, मेरी कापी और पेन्सिल छीन ली और 12 बजे मुझे छोड़ दिया। वह लड़का कह रहा था कि रामजीवन बाबू भी आने वाले हैं इसलिए धारा 379 के तहत मुझे गिरफ्तार किया गया, जेल में बंद किया गया और बाद में छोड़ा गया। क्या आप इस कानून को हटा देंगे। 3P

महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कानून का उल्लंघन प्रशासन नहीं करता है। शासन किया करता है। शासन की जैसी भावना होती है, प्रशासन वैसा ही करता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। एक बार अकबर ने बैंगन की सब्जी खाई। उसे बड़ी अच्छी लगी। जब वह दरबार में गया तो उसने कहा बीरबल मैंने

बैंगन की सब्जी खाई है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह बैंगन की सब्जी से बेहतरीन सब्जी और कोई नहीं होती है। एक सप्ताह बाद अकबर ने बैंगन की सब्जी फिर खाई, जिससे उसके पेट में थोड़ा दर्द हुआ, वायु-विकार हुआ। जब वह दरबार में गया तो उसने कहा कि बीरबल देखो मैंने बैंगन की सब्जी खाई है, उससे मेरे पेट में दर्द हो गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह पूछिए मत, बैंगन से बदतर दूसरी कोई सब्जी नहीं होती। अकबर ने कहा, बीरबल मेरी समझ में एक बात नहीं आई, एक सप्ताह पहले तुमने कहा था कि बैंगन की सब्जी से बेहतरीन कोई सब्जी नहीं होती है और आज कहते हो कि बैंगन की सब्जी बदतर होती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह मैं आपका नौकर हूं, बैंगन का नौकर नहीं हूं। आपकी जैसी भावना होती है, मरी भाषा वैसी ही बन जाती है। शासन की जैसी भावना होती है प्रशासन वैसा ही होता है। *...(व्यवधान)* महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीवन सिंह: मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। यहां कहा गया कि इस कानून का दुरुपयोग एक समुदाय विशेष के खिलाफ होगा। मैं प्रतिपक्ष के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप याद रखो जो वोट वाली सरकार होती है, जिसे वोट का डर होगा, वह किसी के खिलाफ नहीं जा सकती है। इसी देश में अपने राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसी पार्टी को बनते देखा, जब वह पार्टी बनी तो उसने कहा कि तिलक, तराजू और तलवार उसको मारो जूते चार। लेकिन जब चुनाव के मैदान में वही पार्टी आई तो उसने कहा कि वह सभी वर्णों की पार्टी है, इसलिए वे सभी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए जो वोट वाली सरकार होगी, जो वोट से बनने वाली सरकार होगी, वह किसी समुदाय के खिलाफ काम नहीं कर सकती। यदि वह ऐसा करेगी तो जनता उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम लोग भी उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जनता दल (यू) की तरफ से इसका समर्थन करता हूं।

श्री देवव्रत बिश्वास (पश्चिम बंगाल): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां जिस विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह संयुक्त अधिवेशन इतिहास में एक काले दिन के रूप में चिन्हित होगा। मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि सरकार इस पोटो विधेयक को पारित करने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही है।

सायं 7.00 बजे

जिस दिन से पोटो ऑर्डिनेन्स के रूप में लागू हुआ, इसका उपयोग करके कश्मीर या दिल्ली में कहीं भी आप आतंकवाद से निपट नहीं सके। आज इस सदन में जो लोग बैठे हैं, चाहे उस पक्ष में हों या इस पक्ष में हों, सभी आतंकवाद से जूझने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए सहमत हैं। आतंकवाद जो सीमा पार से हमारे देश के ऊपर पिछले लंबे समय से चल रहा है, इसे सभी भुगत रहे हैं और सभी मिलकर देश की सुरक्षा और एकता के लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज सरकार इस पर जिद कर रही है।

मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जब मानवाधिकार आयोग इसका विरोध कर रहा है, जब जाने माने पत्रकार लोग पिछले चार-पांच महीने से अपने एडिटोरियल्स के द्वारा इसका विरोध कर रहे हैं, आपके पक्ष में नहीं हैं, जब आप जानते हैं कि पोटो को सामने रखकर पिछले चुनावों में आप विजयी नहीं बने, लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, उसके बावजूद भी आप पोटो लाना चाहते हैं। इसका जवाब भी मेरे मन में आता है, भले ही जो लोग यहां बैठे हैं उससे एकमत न हों मगर मेरे मन में इस प्रश्न का उत्तर है और इतिहास बताएगा कि जवाब क्या होगा। लेकिन मेरे मन में जो निश्चित जवाब आया, वह यह कि हम इस देश में वही करना चाहते हैं जो यू.एस.ए. चाहता है। इसका जिक्र इस पक्ष और उस पक्ष की तरफ से भी दिया गया कि यू.एस.ए. जिस प्रकार चाहता है हमारे देश को उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। उसी रास्ते पर हमारे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कानून बनेंगे। 11 सितम्बर को जब अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ तो सारी दुनिया में आतंकवाद के विरोध में लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया और हम लोग उसी के अनुसार यहां आतंकवाद के बारे में कानून लागू करना चाहते हैं।

दूसरी बात मेरे मन में आती है और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, चाहे एन.डी.ए. कहिये या जो भी कहिये, मगर यह बी.जे.पी. की सरकार है और इस बी.जे.पी. की सरकार का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है।

महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस पोटो के कारण लोग चाहते हैं कि देश के अल्पसंख्यकों के अंदर भय पैदा करने का वातावरण तैयार किया जाए, एक फीयर सायकोसिस तैयार किया जाए और साम्प्रदायिक भावना पैदा करें ताकि चुनाव में दुबारा जीत कर सत्ता हासिल कर सकें। यह आपकी मंशा है।

[श्री देवव्रत बिश्वास]

महोदय, जो कानून सरकार के हाथ में हैं, वे पर्याप्त हैं, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है। आज प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस व्यवस्था भी ठीक नहीं है। जो कानून आपके पास वर्तमान में हैं उन्हें आप लागू नहीं करना चाहते हैं। उनको लागू करने की आपकी व्यवस्था गलत है। कानूनों के ठीक प्रकार से लागू नहीं होने के कारण आज दलितों पर ज्यादतियां हो रही हैं। उनकी रक्षा के लिए जो कानून बने हैं वे लागू नहीं किया जा रहे हैं। उसी पुलिस के हाथ में आप दुबारा ऐसा कानून देना चाहते हैं।

महोदय, आज इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि आज प्रधान विपक्षी दल इनके इस पोटो कानून के विरुद्ध खड़ा हुआ है। यह आपके हैरान होने की बात नहीं है बल्कि आनंदित होने की बात है क्योंकि आप अतीत से शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए आप पोटो जैसा कानून ला रहे हैं। विरोधी पक्ष पोटो का विरोध कर रहा है, लेकिन आप उससे शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं।

महोदय, चूंकि सत्ता दल का इस संयुक्त बैठक में बहुमत है, इसलिए ये लोग इसे आज सदन में पास करा लेंगे, लेकिन मैदान में आपको जनता का समर्थन इस हेतु नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): मैं पोटो विधेयक का सख्त विरोध करता हूं। मेरे दल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि हम इसका हर संभव तरीके से विरोध करेंगे। समय की कमी के कारण मैं अपनी बात केवल एक या दो बिंदुओं तक ही सीमित रखना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं इस सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या यहां इस विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु उनके पास जनादेश है? अभी उन्होंने चार राज्यों में चुनावों का सामना किया है और उन सभी राज्यों में भाजपा बुरी तरह हारी है। जब वे अपना जनाधार खो चुके हैं तो उनकी इस सदन में आकर संविधान के प्रावधानों का उपयोग करके गलत तरीके से जनमत बनाने की हिम्मत कैसे हुई? यदि यह सदन इस विधेयक को पारित कर देता है तो मुझे कोई संदेह नहीं कि यह इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे काला दिवस होगा। दुर्भाग्यवश संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। जब एक बार चार राज्यों में हुए चुनावों में उन्हें लोगों ने हरा दिया, जिन चुनावों में इन्होंने पोटो के नाम पर प्रचार किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रचार किया और जब लोगों ने भाजपा की सरकार को नकार दिया तो यह सरकार वही विधेयक लेकर यहां आ गई। मैं कहूंगा कि यह भाजपा सरकार द्वारा इस देश के लोगों के साथ किया गया एक धोखा है।

दूसरी बात, एक बात तो निश्चित है कि इस कानून का दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। मेरे मित्र श्री संगमा ने कहा कि सभी कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन मैं इस मौके का उपयोग श्री संगमा को यह याद दिलाने में करूंगा कि जब एक क्रूर कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो यह कानून इस देश के हजारों परिवारों का विनाश कर देगा। उन्हें यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि यह कोई साधारण कानून नहीं है।

यह एक क्रूर कानून है। इसका उद्देश्य राजनैतिक शत्रुओं के विरुद्ध उपयोग किया जाना है। इसको धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध उपयोग में लाने का उद्देश्य है। मैं केवल तर्क देने के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं कर रहा हूं। गत कई महीनों से जब से भाजपा सत्ता में आई है, आप उनके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के सभी सहयोगी दल, अति-साम्प्रदायिक दल, विहिप, बजरंग दल, आर.एस.एस. जैसे अति-साम्प्रदायिक रुढ़िवादी दल एक विशेष समुदाय के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से एक घृणात्मक प्रचार चलाया जा रहा है और बिना किसी औचित्य के वे यह कर रहे हैं कि सभी मुस्लिम संगठन साम्प्रदायिक या राष्ट्र-विरोधी संगठन हैं।

महोदय, मैं यह कहूंगा कि आपने पोटो को किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता को नापने का पैमाना बना लिया है। कोई इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी अपनी राष्ट्रीयता है। मेरी इस देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता है। इसे नापने वाली यह सरकार कौन होती है और पोटो को पैमाने की तरह प्रयोग करके यह करने वाली यह सरकार कौन होती है कि "तुम पोटो का विरोध करते हो तुम राष्ट्र विरोधी हो और तुम राष्ट्रवादी तभी हो सकते हैं। जब तुम इस पोटो का समर्थन करते हो?" राष्ट्रीयता और इस देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एकाधिकार रखने वाले यह लोग कौन हैं? हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

उपसभाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ई. अहमद: महोदय, मुझे अपनी राय व्यक्त करने का यह एक महत्त्वपूर्ण अवसर मिला है। मुझे कुछ समय दिया जाए हम जो महसूस कर रहे हैं वह मुझे बोलना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय: समय की कमी है।

श्री ई. अहमद: महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। गुजरात में क्या हुआ? इस पर गंभीरता से विचार हुआ है। गुजरात में गोधरा में आपने दोषियों पर पोटो लगाया है। लेकिन जब हजारों लोग गुजरात के अन्य भागों में पीड़ा भोग रहे हैं, तब आपने क्या किया? जब वहां 800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया तो आपने उन अपराधियों को पोटो के अंतर्गत गिरफ्तार न करने का औचित्य नहीं बताया? गुजरात में क्या हुआ?

उपसभाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, कृपया अब समाप्त करें। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ई. अहमद: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मैं गुजरात के बारे में बोलूंगा। यदि एक आदमी पागल हो जाता है तो आप उसे जंजीर से बांध सकते हैं। लेकिन जो कुछ आपने मुख्यमंत्री से सुना, उससे तो यही सोचना पड़ेगा कि यदि जंजीर ही पागल हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? गुजरात के लोग नहीं जंजीरें पागल हो गई हैं। यदि लोग पागल हो जाएंगे तो आप उन्हें जंजीर से बांध सकते हैं। यदि जंजीर ही पागल हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने यह कहा।

उपसभाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, मैं समय से बंधा हुआ हूं। कृपया समाप्त करें।

श्री ई. अहमद: महोदय, केवल एक मिनट। मैं आपके निदेश का पालन करूंगा। मैं केवल यह कहूंगा कि मेरी एक मांग है। मैं यह कहना चाहूंगा कि देश के हित में, राष्ट्रीयता के हित में और इस देश के भविष्य के हित में, साम्प्रदायिक और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने हेतु मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि वह पोटो को पूर्णतया अस्वीकार करें।

श्री आर.एस. गवई (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस पोटो विधेयक का विरोध करता हूं, यह मनुष्य के गौरव की भावना, स्वतंत्रता और समानता के विपरीत है। मैं अपने दल की ओर से बहुत संक्षेप में यह बताऊंगा कि मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहा हूं।

महोदय, दोनों पक्षों की ओर से बहुत कुछ कहा गया है। मुझे आशंका है कि वर्तमान विधेयक का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके विपरीत सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। मैंने धैर्य से भाषण सुने हैं। कोई भी इस बात से सहमत हो सकता है कि आज यह इस बात को मजबूती के साथ रखा गया है कि पूरी संभावना है कि वर्तमान विधेयक का दुरुपयोग किया जाएगा।

केवल भविष्य में ही इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, अपितु श्री कपिल सिब्बल, राज्य सभा के माननीय सदस्य, ने उदाहरण दिया कि अध्यादेश के स्तर पर रहते हुए भी इस विधेयक, जो कि अभी अधिनियम नहीं बना है, का दुरुपयोग करने की घटनाएं हुई हैं। उसी समय सरकार की ओर से महाराष्ट्र सरकार के विधेयक का उदाहरण दिया जा रहा है और उनके भाषण में दर्जनों बार उसका उल्लेख इस प्रकार किया गया जैसे कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित किया गया विधेयक कोई आदर्श विधेयक हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि मैं उस सरकार का समर्थक हूं परन्तु मैंने ऐसे विधेयक का उस समय भी विरोध किया और अब भी कर रहा हूं। उसी समय यह कहा गया कि महाराष्ट्र का विधेयक एक आदर्श विधेयक है जबकि मानवाधिकार आयोग और विधि आयोग की टिप्पणियों की उपेक्षा की जा रही है जैसे कि महाराष्ट्र का वह विधेयक मानवाधिकार आयोग और विधि आयोग की टिप्पणियों से भी ऊपर हो।

महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम यहां आतंकवाद से निपटने के लिए बैठे हैं। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैं इस बात से सहमत हूं। महोदय, राष्ट्र की सुरक्षा और व्यक्ति विशेष के गौरव, समानता और स्वतंत्रता की सुरक्षा दोनों का अर्थ एक ही है। यदि इस देश का व्यक्ति मुक्त नहीं है, उसे स्वतंत्रता, समानता और गौरव का अधिकार हासिल नहीं है तो हम राष्ट्र की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? मैं कहूंगा कि दुनिया को एक अच्छा संदेश दिया जाना चाहिए। एक अच्छे संदेश से आपका क्या अभिप्राय है? यह भी अन्तर्संबंधित शब्दावली है। महोदय, यहां यह कहा गया है:

> "इस अधिनियम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आधार पर निंदा की जा रही है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय संधि और उनसे जुड़ी बाध्यताओं की मूल भावना पर प्रकाश डालता है।"

महोदय, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता पाना हमारा लक्ष्य था। हमने उसे पा लिया और स्थापित कर दिया हम यहां इसलिए उपस्थित नहीं हुए हैं कि हमने जो कुछ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाया उसे बनाये रखें अपितु उसे खो देने के लिए हम यहां हैं।

महोदय, भारत के संविधान ने हमें, प्रत्येक व्यक्ति को, गौरव, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और शोषण मुक्त समाज का आश्वासन दिया है। इसलिए, ऐसा नहीं है कि संविधान ने हमें केवल मानवाधिकारों से संबंधित सार्वभौमिक घोषणा ही दी है। हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे मित्र, श्री चितरंजन...

उपसभाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री आर.एस. गवई: महोदय, मैं समाप्त करता हूं। हम यहां मानव स्वतंत्रता और सम्मान की कीमत पर नहीं हैं। मैं फिर इस विधेयक का विरोध करता हूं।

डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला असम): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यहां अपनी ओर से तथा अपने दल सी.पी.आई. (एम.एल.) की ओर से इस पोटो विधेयक का विरोध करता हूं। महोदय, मुझे सरकार की इस विधेयक को पारित कराने की राजनैतिक दुरइच्छा को जानकर हैरानी हुई।

[डा. जयन्त रंगपी]

सायं 7.20 बजे

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*)

इससे पूर्व कई अवसरों पर राजनैतिक आम सहमति न होने के बहाने से, राजनैतिक दलों में एकता का अभाव होने के बहाने से, महिला आरक्षण विधेयक जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयकों को बार-बार टाला जाता रहा है।

फिर भी, इस समय, राज्य-सभा में इसके अस्वीकृत होने के बावजूद भी, सरकार ने इस पोटो को पारित कराने हेतु यह संयुक्त सत्र बुलाया है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं यहां तक कि पूछना चाहता हूं कि क्या वह महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने हेतु भी इसी प्रकार संयुक्त सत्र बुलाने की राजनैतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करेगी।

महोदया, हमारे वरिष्ठ संसद सदस्य, श्री पी.ए. संगमा ने कहा कि वह पूर्वोत्तर से हैं जो कि विद्रोह और उग्रवाद की समस्या से बुरी तरह प्रभावित है। मैं भी उसी क्षेत्र से संबंध रखता हूं, लेकिन मेरा उनके दृष्टिकोण से मतभेद है। मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि टाडा, मीसा जैसे क्रूर कानूनों से पूर्वोत्तर में इस समस्या का हल होने के बजाय इसने कहीं अधिक आतंकवादी पैदा किए। सरकार के रिकार्ड के अनुसार आरंभ में वहां केवल 2000 उल्फा (यू.एल.एफ.ए.) उग्रवादी थे। लेकिन इन क्रूर कानूनों को लागू करने के पश्चात 5,000 उल्फा आतंकवाद तो समर्पण ही कर चुके हैं और फिर भी कई हजार बचे हैं। इसलिए यह बात तो साबित हो गई है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए केवल कानून ही एक हल नहीं है।

हम अपने ही देश से सबक सीख सकते हैं। पंजाब में आतंकवाद पोटो या टाडा या किसी अन्य क्रूर कानून के कारण समाप्त नहीं हुआ अपितु वह तभी समाप्त हुआ जब पजाब के लोग आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े हो गए। पंजाब के लोगों ने ही आतंकवाद को पराजित किया। यदि सरकार की आतंकवाद से लड़ने की इच्छा गंभीर है तो मेरे विचार से इस पर इस देश में आम सहमति है।

सभी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, परंतु राजनैतिक दलों में, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय समाज में वैचारिक भिन्नताएं हैं। विधि और न्याय मंत्री क्रोधित हो गये जब किसी ने कहा कि मतभेद हैं। वे क्रोधित क्यों हो गये? उन्हें अपने गठबंधन की ओर देखना चाहिए। इस पोटो पर राजग के भीतर भी मतभेद है।

यदि हम आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं तो, फिर एकता होनी चाहिए और इसमें कोई शंका नहीं है। तथापि, यदि हम आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं तो इस प्रकार के कठोर कानून से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए, भारत की जनता को एकजुट होना चाहिए और आतंकवाद से लड़ने के लिए एकसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि साम्प्रदायिक एजेन्डा, धार्मिक एजेन्डा का अनुसरण भारत के लोगों में धर्म, जाति और सम्प्रदाय के नाम पर फूट डालने के लिए किया जाता है तो यह उद्देश्य कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता और यदि यह विभाजन जारी रहता है तो लोग कभी भी एकजुट नहीं हो सकते, और आतंकवाद से लड़ने का उद्देश्य असफल हो जाएगा।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हिन्दुत्व या साम्प्रदायिक और राजनैतिक विचारों पर एजेन्डे को त्यागने के लिए पर्याप्त राजनैतिक साहस जुटाए, बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध लोगों को एक करके इससे लड़ने के लिए नए तरीके खोजें।

इन शब्दों के साथ, मैं पूरी ताकत तथा ईमानदारी के साथ पोटो का विरोध करता हूं और मैं दृढ़ता से अपने विचार पोटो के विरोध में दर्ज करता हूं। इस संसद के भीतर, मैं आश्वासन देता हूं कि मेरी सीमित ताकत के साथ ही मैं देखूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों के प्रत्येक कोने, प्रत्येक सड़क में पोटो के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाए।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, सारी चर्चा के बाद आज मुझे इस ऐतिहासिक सभा का एक मिनट का वक्त मिला है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, विशेषकर मैं सदन का आभार व्यक्त करता हूं।

आज मैं इस सदन में एकदम ताजा खबर बताने के लिए उत्सुक था, इसलिए मैं काफी देर से अनुरोध कर रहा था। मुझे यह बताना है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ माह पहले पोटो के तहत एक आतंकवादी को या तथाकथित आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। आज दोपहर दो बजे उसे मुम्बई की एक सैशन कोर्ट में पेश किया गया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सरकारी वकील श्री उज्जवल निगम ने ऐसी अपील की, ऐसा एफीडेविट दिया, ऐसा हलफनामा दिया कि मौ. अफरोज पर से पोटो हटा दिया जाये।

मैं इस सदन के माध्यम से विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* मैं उपसभाध्यक्ष महोदया के माध्यम से पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* प्रश्न तो पूछना पड़ेगा ...*(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: महोदया, मैं आपके माध्यम से देश के सबसे बड़े विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि जिस मोहम्मद अफरोज ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और स्वीकार किया कि उनका इरादा इंग्लैंड, भारत और आस्ट्रेलिया में आतंकवादी कार्रवाई करना था। उस पर ये लोग पोटो क्यों हटाना चाहते हैं *...(व्यवधान)* मैं यही पूछना चाहता हूं कि पोटो का विरोध अफरोज जैसे आतंकवादियों को बचाने के लिए क्यों किया जा रहा है *...(व्यवधान)* मुझे अपनी बात खत्म करनी है, मुझे उपसभाध्यक्ष महोदया ने समय दिया है इसलिए बीच में रोकटोक नहीं होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* मुझे वक्त दिया है चेयर ने अपनी बात कहने के लिए इसलिए मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपनी बात यहां रखूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती अंबिका सोनी (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदया, वह अपने शब्द वापस लें *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम): महोदया, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: यह कौन सी संसदीय परम्परा है, यह कौन सी गणतंत्रीय परम्परा है। मुझे उपसभाध्यक्ष महोदया ने समय दिया है, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। ये लोग मुझे अपनी बात भी नहीं कहने देना चाहते *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपसभाध्यक्ष महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभा के बीचों बीच नहीं आ सकते।

...(व्यवधान)

सायं 7.27 बजे

(इस समय श्री राजू भाई परमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये)

उपसभाध्यक्ष महोदया: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

सायं 7.28 बजे

(इस समय श्री राजू भाई परमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

उपसभाध्यक्ष महोदया: कृपया अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर): महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: उनका व्यवस्था का प्रश्न है, वह आप सुन लें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी. पाटील: महोदया मैं नियम 356 का उल्लेख कर रहा हूं। मैं नियम को पढ़ूंगा। इसमें लिखा है:

> "अध्यक्ष ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद-विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपने प्रतकों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतकों की उकता देने वाली पुनरुक्ति करता रहे, सभा का ध्यान दिला देने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बन्द करने का निदेश दे सकेगा।"

महोदया, मैं कह रहा हूं कि वे अप्रासंगिक बातें कैसे कर सकते हैं *...(व्यवधान)* जो कुछ मुंबई में हुआ वह यहां प्रासंगिक कैसे हो गया? *...(व्यवधान)* मैं यह जानना चाहता हूं कि यह चर्चा के लिए प्रासंगिक कैसे हो गया *...(व्यवधान)* नियम कहता है कि प्रतकों को उठाया नहीं जाना चाहिए *...(व्यवधान)* सिर्फ इसलिए कि मुम्बई में कुछ हुआ है, वह, तर्कसंगत नहीं हो जाता *...(व्यवधान)* जो कुछ बोला जाए वह प्रासंगिक होना चाहिए *...(व्यवधान)* यह मुद्दा बहुत व्यापक है *...(व्यवधान)* यदि उन्हें ऐसे ही अप्रासंगिक मुद्दे यहां उठाने की अनुमति दी गई तो अन्य सदस्य जो प्रासंगिक मुद्दे उठाना चाहते हैं उन्हें उसका मौका नहीं मिलेगा।

मेरा निवेदन यह है कि इस नियम के अंतर्गत उन्हें अपनी बात वापस लेने के लिए कहा जाए *...(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम: मुझे भी अपना निवेदन करना पड़ेगा *...(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। *...(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष महोदया: कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करके वापस जाने दीजिए। मैं उन्हें बात को बीच में छोड़ने के लिए नहीं कह सकती।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: आप मुझे वापस जाने के लिए कैसे कह सकती हैं *...(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपसभाध्यक्ष महोदया: आपको बीजेपी ने अपने टाइम में से दो मिनट दिये थे। दो मिनट से ज्यादा हो गए हैं। अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: मुझे यह बताया गया कि मैं जो विषय रख रहा हूं, वह रेलेवेंट नहीं है। *...(व्यवधान)* मैं यह बताना चाहता हूं कि "पोटो" जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जिस पर यहां चर्चा हो रही है, *...(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पहले समाप्त करने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपसभाध्यक्ष महोदया: क्या मैं कुछ कह सकती हूं। क्या मैं कुछ भी नहीं कह सकती?

...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष महोदया: मुझे खेद है यह तरीका नहीं है। यदि कोई बात आपत्तिजनक है तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगी। उसकी जांच की जाएगी और उसे निकाल दिया जाएगा। और अधिक मैं क्या कह सकती हूं?

...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष महोदया: श्री निरूपम, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री संजय निरुपम: मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदया परंतु मुझे मेरा निवेदन पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है। *...(व्यवधान)*

सायं 7.34 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी भी बात सुनूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं। क्या आप अपने-अपने स्थानों पर जाएंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी आपत्तिजनक, असंसदीय या अपमानजनक होगा, मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: पहले मुझे समझने दीजिए बात क्या है। यदि आप ऐसा ही व्यवहार करते रहे तो मैं बात कैसे समझूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: अंतत: मुझे इतना कहना है कि आप अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप पोटो का विरोध इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों को बचा सकें। पोटो का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मोहम्मद अफरोज जैसे आतंकवादी को बचा सकें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं आपकी बात सुनूंगा। पहले आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यदि कोई भी बात आपत्तिजनक अथवा असंसदीय या अपमानजनक है तो मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही-वृत्तांत को पुन: देखूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अब अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: हम पहले ही सात घंटे से अधिक का समय ले चुके हैं।

...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष महोदय: अभी कुछ वक्ता शेष हैं-अत: हमें अभी एक दो घंटे और बैठना पड़ेगा।

***श्री ई. पोन्नुस्वामी** (चिदम्बरम): माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरे और मेरे दल पीएमके को पोटो की आवश्यकता पर विचार प्रकट करने का दुर्लभ मौका दिया।

महोदय, मेरे विचार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटलजी ही केवल एकमात्र सदस्य हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद के तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लिया।

पहली 9 मई, 1961 को हुई बैठक में वह जन संघ के सदस्य के रूप में संसद में दहेज प्रतिषेध विधेयक को पारित कराते समय रहे, जब नेहरू जी सभी सदस्यों को इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने का दूसरा मौका देना चाहते थे।

दूसरी बार वह मई 16, 1978 को स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री के रूप में बैंक आयोग विधेयक को पारित कराते समय उपस्थित रहे।

और आज दिनांक (26.3.2002) को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आतंकवाद के विरुद्ध कानून अधिनियमित करने के लिए दोनों सभाओं के सभी सदस्यों का सहयोग ले रहे हैं।

महोदय, विचार करने के बाद मेरी यह राय है कि इस कानून को यदा-कदा ही अंतिम हथियार के रूप में, आतंकवाद पर सभी विद्यमान कानूनों के आंकलन के बाद इस्तेमाल करना चाहिए।

मेरा यह विचार है कि राज्य द्वारा राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ शासकों द्वारा मनमर्जी से और जल्दी-जल्दी इस कानून का इस्तेमाल न हो।

हम यह भी महसूस करते हैं कि केवल केन्द्र ही इस कानून का इस्तेमाल करे।

महोदय, यह सरकार की भी जिम्मेदारी है कि यह देखे कि इस देश के निर्दोष लोग, विशेषकर पददलितों और अशिक्षितों, जो इस देश के कानून के बारे में कुछ नहीं जानते, को इस कानून के तहत सजा नहीं दी जानी चाहिए।

महोदय, हमें हमारे माननीय प्रधान मंत्री में असीम आस्था है और हम विश्वास करते हैं कि वे भारत के लाखों निर्दोषों का निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे।

इसलिए पीएमके दल अपने संस्थापक नेता डा. रामदास के नेतृत्व में पूर्ण रूप से सौर संपूर्ण हृदय से समर्थन करते हैं।

***श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण मध्य): पोटो का उद्देश्य आतंकवाद और हिंसक आतंकवाद को रोकना है। इस कदम के विरुद्ध प्रकट किए जाने वाले विचार राजनैतिक रूप से प्रेरित हैं। पोटो के अधीन, वो संगठन जो गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं, पर तत्काल प्रभावी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि इसके प्रावधान बहुत सख्त हैं, परंतु इन प्रावधानों का मानवीय पहलू भी है। इसलिए ही ये और अधिक प्रभावी सिद्ध होंगे। पोटो के अंतर्गत कोई भी कार्य जो देश की एकता अखंडता, सुरक्षा और सम्प्रभुता को प्रभावित करता है आतंकवाद की श्रेणी में आता है। जो भी व्यक्ति आतंकवाद फैलाने के लिए बम्ब, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक या अन्य ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है उसे आतंकवादी माना जाएगा।

स्वतंत्रता के पश्चात, आतंकवाद निवारण अधिनियम को 1950 में अधिनियमित किया गया था। जुलाई, 1971 में मीसा अस्तित्व में आया। 1976 में विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम और 1977 में भारत रक्षा अधिनियम अधिनियमित किया गया। 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी पुन: सत्ता में आई तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। श्रीमती इंदिरा की हत्या के बाद, श्री राजीव गांधी सत्ता में आए। आतंकवाद को प्रभावीपूर्ण और मजबूत तरीके से रोकने के लिए संसद में उन्होंने टाडा कानून पारित करवाया और उसे लागू किया। आतंकवाद से लड़ने के लिए, पोटो को लागू किया जाना राष्ट्र हित में है, और इसे लागू किए बिना, देश से आतंकवाद को हटाना संभव नहीं है। आज समस्त विश्व ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई छेड़ रखी है। यह समय की मांग है कि हमारे देश में भी आतंकवाद के खिलाफ इस प्रकार की लड़ाई छेड़ी जाए। यदि पोटो संसद द्वारा पारित नहीं किया जाता, तो इससे निश्चित रूप से आतंकवादियों को फायदा होगा, और हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल गिर जाएगा। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के पास पोटो से भी सख्त कानून है। ऐसी परिस्थितियों में, पोटो का विरोध करना न्यायसंगत नहीं है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा माना गया।

[श्री मोहन रावले]

जो लोग, यह इल्जाम लगा रहे हैं कि पोटो अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ है, ये वही लोग है जिन्होंने टाडा और मीसा जैसे कठोर कानून लागू किए हैं। आज देश में यह प्रयास किए जा रहे हैं कि देश को गुमराह किया जाए कि पोटो को अल्पसंख्यकों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा। और यह प्रचार करने वाले अशिक्षित नहीं हैं। वर्तमान में 13 राज्यों में कांग्रेस का शासन है। और बाकी राज्यों में भी राजग गुजरात, हरियाणा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सत्ता में नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पोटो लागू करने का अधिकार कांग्रेस या अन्य दलों के हाथ में होगा। ऐसी हालत में कोई हम पर यह शक कैसे कर सकता है कि हम पोटो का प्रयोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ करेंगे।

देश की सुरक्षा के नाम पर आपने मीसा प्रस्तुत किया था किंतु इसका प्रयोग किया गया लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने में और प्रैस पर सेंसर लगाने के लिए उसके बाद आप टाडा लाये और सभी जानते हैं कि आपने उसका प्रयोग कैसे किया। पोटो का विरोध करने वाले जो लोग आज आपका समर्थन कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पर उस समय भी यही आरोप लगाए थे। अब, ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि मात्र राजनीति के लिए पोटो का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। आज, देश आतंकवाद से कितना प्रभावित है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज आतंकवाद का खतरा उतना ही नहीं है जितना नजर आ रहा है। आज रसायन आतंकवाद और जैविक आतंकवाद का खतरा भी है। हमने तो साईबर आतंकवाद के बारे में भी सुना है। ऐसी स्थिति में हम पोटो जैसे सशक्त और कठोर कानून के बिना, आतंकवाद को समूल नष्ट नहीं कर सकते। मैं विपक्ष से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या वे नहीं चाहते कि इन आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाए? क्या वे यह नहीं चाहते हैं कि आतंकवादियों को दण्डित करने के लिए कोई भी नए उपाय किये जाएं? आज देश की एकता, अखण्डता और प्रभुता ही खतरे में नहीं है बल्कि इससे पूरी मानवता ही खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया था और एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें हर राष्ट्र से कहा गया था किन्तु आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन से निपटने का हर संभव प्रयास करेगा। किंतु दुर्भाग्यवश भारत में विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस तथा वामपंथी दल आतंकवाद को लेकर सच का सामना करने को तैयार नहीं हैं।

आज, देश में बाहरी षडयंत्रकारियों की गतिविधियां दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं। मेरे ख्याल से आज देश का ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां ये षडयंत्रकारी न हों। पूरे देश में आतंकवादियों के ठिकानों में वृद्धि होती जा रही है। पहले वे संख्या में कम थे और उनका कार्यक्षेत्र भी सीमित था किन्तु पिछले 10 वर्षों के दौरान नए आतंकवादी संगठन उभर आए हैं और ये न केवल अधिक खतरनाक हैं बल्कि इनकी गतिविधियों का क्षेत्र भी अधिक विस्तृत है। ये संगठन अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए धार्मिक ग्रंथ का सहारा लेते हैं। वे चाहते हैं कि सारी दुनिया उसी धर्म का पालन करे, जिसका कि वे करते हैं। इसीलिए वे हर कहीं जेहाद छेड़ने के लिए तैयार हैं। इन संगठनों में कुछ प्रमुख हैं- लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मुहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन, हरकत-उल-अंसार और अल उमर मुजाहिद्दीन इत्यादि। इन सभी संगठनों को न केवल पाकिस्तान से पूरा समर्थन मिल रहा है, बल्कि कई अन्य समृद्ध मुस्लिम देश भी इनके साथ हैं। भारत का विघटन ही उनका मुख्य ध्येय है। पाकिस्तान, भारत से बदला लेना चाहता है। वे भारत से कश्मीर लेना चाहते हैं ताकि वे उसे पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के साथ मिला सकें। हमें किसी भी कीमत पर उनके सपनों को साकार नहीं होने देना है।

आतंकवादियों से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है। इन कानूनों के तहत यदि पुलिस 100 आतंकवादियों को भी पकड़ती है तो वह उनमें से एक या दो को भी दण्ड दिलाने में सफल नहीं हो पाती। मौजूदा कानून आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने में सक्षम नहीं है। इन कानूनों के अंतर्गत तो आतंकवाद को परिभाषित कर पाना भी संभव नहीं हैं। इस संदर्भ में विपक्ष जिस रास्ते पर चल रहा है वह 'राजनीति' नहीं है बल्कि 'राज अनीति' है। इसी अनीति के चलते आतंकवाद अपना सिर लगातार उठाए जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष जान बूझकर इस नीति को संरक्षण दे रहा है ताकि उसका वोट बैंक बना रहे। उन्हें अपने वोट बैंक से ही मतलब है। उन्हें इसकी चिंता नहीं है कि देश का क्या होगा? वे अपने वोट बैंक को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी राजनीति से देश का विकास, समाज का कल्याण होगा तथा क्या इससे राष्ट्र की अखण्डता की रक्षा हो पाएगी।

जहां तक इस कानून के दुरुपयोग का प्रश्न है तो विश्व में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। किंतु यदि मात्र इसके दुरुपयोग के भय से बुराई से लड़ने के लिए कोई कानून न बनाया जाए तो पूरी सामाजिक व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। क्या पुलिस, भारतीय दण्ड संहिता का दुरुपयोग नहीं करती? क्या सभी मौजूदा कानूनों का प्रयोग केवल अच्छाई के ही लिए हो रहा है? यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानून के दुरुपयोग के जिम्मेदार व्यक्ति को दण्डित किया जाएगा और पोटो में ऐसे ही प्रावधान हैं। यदि भारतीय संसद ऐसी ही गलत राह पर चलती रही तो यह देश कभी भी वे निर्णय नहीं ले सकेगा जो इसे लेने चाहिए। दिन-प्रति-दिन यह देश गंभीर समस्या में पड़ता जा रहा है और आतंकवादी व अपराधी दुस्साहसी होते जा रहे हैं। यदि देश की राजनीति सही पटरी पर नहीं आती है तो संपूर्ण विकास रुक जाएगा और कुप्रशासन ऐसी स्थिति पैदा

कर देगा, जिससे देश की समस्याओं को दूर करने में कई दशक लग जाएंगे। देश की अस्मिता के साथ खेले जा रहे खेल को रोकने का अभी भी समय है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो यह निश्चित है कि देश का लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। जहां तक देश की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों का संबंध है तो ऐसे मुद्दों पर तो राजनीति में लुका-छिपी का खेल नहीं खेला जाना चाहिए।

आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता से सख्ती से निपटने का अब समय आ गया है। सरकार को इस दिशा में पहल करनी होगी। मानवाधिकार अधिवक्ताओं को भी अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। मानव अधिकारों का संरक्षण केवल अपराधियों के लिए ही नहीं बल्कि दलित और पीड़ित व्यक्ति के लिए भी होना चाहिए। दण्डित आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना मानव की प्रवृत्ति बन गई है। सभी सोचते हैं कि जेल में बंद आतंकवादियों से अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए किंतु वे ऐसे आतंकवादियों के अमानवीय व्यवहार को भूल जाते हैं। समय की मांग यह है कि आतंकवाद के शिकार लोगों से सहानुभूति प्रकट की जाए न कि उसके जिम्मेदार आतंकवादियों के प्रति।

कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक हत्याएं और अपहरण आम बात हो चुकी है। एक या दो आतंकवादी आते हैं, गोलियां बरसाते हैं, कुछ लोगों को मार डालते हैं और फिर से आजाद घूमते रहते हैं। मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा तो इतने संवेदनशील इलाके हैं कि वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराना तो लगभग असंभव ही है। यह मौजूदा व्यवस्था का एक मजाक है। क्या ये घटनाएं इस ओर इशारा नहीं करती कि देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए पोटो के रूप में एक सख्त और प्रभावी कानून की आवश्यकता है।

पोटो अधिकृत एजेंसियों को, आतंकवादी गतिविधियों का पहले से पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों को हवालात में बंद करने व आतंकवादियों की संपत्तियां और निधियों को जब्त करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए पोटो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में मुम्बई में पकड़े गए अल-कायदा के एक आतंकवादी ने यह स्वीकार किया है कि भारतीय संसद 'कामीकेज' लक्ष्यों की सूची में थी। और आपको देश के सबसे अधिक भेद्य सरकारी भवनों में से एक की सुरक्षा करनी पड़ी।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में कांग्रेस ने स्वयं या फिर अन्य दलों के साथ मिलकर पोटो से भी कहीं अधिक कठोर कानून लागू किये हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और नागालैण्ड को पोटो के प्रारंभिक प्रारूप दिखाए थे और वे इसके उपबंधों से सहमत थे और उन्होंने इसे सख्त बनाने के सुझाव भी दिए थे। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने एक सख्त आतंकरोधी कानून का प्रारूप तैयार किया था किंतु अपने दल सी.पी.एम. द्वारा पोटो का विरोध किए जाने के कारण, उन्हें इसे छोड़ देना पड़ा। भारतीय संसद पर हमले के बाद वहां बाहर खड़े लोग बहुत उदास और क्रोधित थे। अधिकतर लोगों का कहना था कि बिना और अधिक देर किए पोटो को पारित किया जाए।

समय की मांग स्पष्ट है। सरकार और विपक्ष को आपसी मतभेद भुला देने चाहिए। पोटो पर विपक्ष का विरोध उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों से संबंधित था। यह महसूस किया गया कि पोटो का समर्थन करने से मुस्लिम मतदाता उनसे अलग हो जायेंगे। यह मुसलमानों का दुरुपयोग करना है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में सेना के कुछ बेहतरीन जनरल मुसलमान हैं। जब कांग्रेस, केन्द्र सरकार में थी तब टाडा लागू किया गया था। मुसलमानों के खिलाफ इसका दुरुपयोग किया गया। पोटो के सुरक्षोपाय टाडा से अधिक हैं। और देश मानवाधिकारों के दुरुपयोग के प्रति पहले से भी अधिक सचेत है।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत 78 प्रतिशत मामलों में अपराध सिद्ध होता है जिससे यह पता चलता है कि किसी भी विशेष कानून की सफलता या विफलता उसकी जांच/कार्यान्वयन एजेंसियों में निहित होती है और एजेंसियों की विफलता कानून की विफलता नहीं होती।

वर्ष 1996 में टाडा को बदलने के लिए दंड विधि संशोधन विधेयक लाया गया परन्तु चूंकि उक्त विधेयक में परिस्थिति से निबटने के लिए पर्याप्त उपबन्ध नहीं थे, इसलिए यह मामला विधि आयोग के पास भेज दिया गया तथा विधि आयोग ने सरकार के पास प्रारूप अथवा वर्तमान आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 भेजा। संसद की परामर्शदात्री समिति के अनुमोदन के पश्चात् 24 अक्तूबर, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा 'पोटो' को प्रख्यापित किया गया। 'पोटो' की मुख्य विशेषताओं में से एक ''आतंकवाद कृत्य'' की परिभाषा को व्यापक बनाना था। जहां 'टाडा' मुख्यत: दंडात्मक उपायों से संबंधित था वही 'पोटो' को प्राथमिक रूप से निरोधक उपाय के रूप में बनाया गया है। विशेष कानूनों के तहत सजा का भय किसी आतंकवादी द्वारा अपराधिक कृत्य करने पर एक कारगर निवारक उपाय साबित होगा। तथापि, यह बात संगठित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों के मामले में जो आत्मघाती दस्ते के रूप में घुसपैठ करते हैं सच नहीं है। अतएव, यह कानून भले ही कितना भी निवारक क्यों न हो। यह सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद की जटिल समस्या से स्वयं नहीं निपट सकता। अन्तत: इसका समाधान तो नियंत्रण रेखा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के इर्द-गिर्द खुफिया क्षमताओं और सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने से ही निकल पाएगा।

[श्री मोहन रावले]

आतंकवादियों और उनके ठिकानों के विरुद्ध गुप्त आपरेशन चलाना उन्हें कुचलने का एक तरीका हो सकता है। भारत को आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी हैं। इजरायल लेबनान से लगी अपनी सीमा की निगरानी और रक्षा अत्याधुनिक वायरेशन सेन्सर्स, इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा ताप संवेदी उपकरणों का उपयोग करके सफलता कर रहा है। हम भी इनमें से कुछ तरकीबों को अपना सकते हैं।

कश्मीर की जटिल समस्या का कोई राजनीतिक समाधान के अभाव में जम्मू और कश्मीर में वर्ष 1988 से आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि होती गई। वर्ष 1988 से लेकर मार्च, 1999 तक सिर्फ जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की 45,000 घटनाएं हुई जिसमें 20,500 आम नागरिक मारे गए। जम्मू व कश्मीर में यहां तक कि सुरक्षा बल, आतंकवादियों को देने वाले और राजनेता भी, जिन्हें सीमा पार के लोगों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त था, सीधे आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बने।

90 के दशक के बीच जब ओसामा बिन लादेन की गतिविधियां असाधारण रूप से बढ़ी थी, तब जम्मू कश्मीर के विदेशी आतंकवादियों की संख्या स्थानीय आतंकवादियों से अधिक हो गयी थी। स्थिति ऐसी हो गई थी कि उग्रवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों को मारना एक आम बात हो गयी थी। इसलिए ऐसे सख्त कानून की आवश्यकता महसूस की गई जो सीमा पार आतंकवाद से निपट सके जो केवल जम्मू-कश्मीर तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह सात पूर्वोत्तर राज्यों में भी फैला है जहां उल्फा और बोडो इत्यादि प्रतिबंधित संगठनों ने निरीह जनता को मारना और सम्पत्तियों को नष्ट करना शुरू कर दिया है जैसे कि असम में तेल रिफाईनरी पर पेट्रोल बम्ब फेंके गए।

भारतीय विधि आयोग ने 20 और 29 दिसम्बर, 2000 को नई दिल्ली में दो वृहद संगोष्ठियों का आयोजन किया था जिसमें पूरे देश के विधि विशेषज्ञों ने, पुलिस के सेवा निवृत्त व सेवारत उच्चाधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। देश के असाधारण हालातों को देखते हुए जिनके लिए विशिष्ट उपायों की आवश्यता थी। विधि आयोग ने आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष कानून की आवश्यकता की वकालत स्पष्ट शब्दों में की थी। यहां तक कि राजस्थान बनाम भारत संघ (1978 । एस.सी.आर.पी. 1) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि "कभी-कभी शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है, सिर्फ यह बात अपनाने का कोई आधार नहीं है।"

विधि आयोग द्वारा तैयार किए गए कार्यपत्र में संयुक्त राज्य अमरीका आतंकवाद-रोधी एवं प्रभावी मृत्यु दण्ड अधिनियम, 1996' की धारा 701 का उल्लेख किया गया है जिसमें हवाई जहाजों, विमानपत्तनों, जैविक हथियारों, परमाणु सामग्रियों, सरकारी संपत्तियों को नष्ट करने व संचार लाईनों को नष्ट करने इत्यादि से संबंधित संघीय अपराधों को परिभाषित किया गया है। संयुक्त राज्य अधिनियम की धारा 805 में कम्प्यूटर द्वारा संघीय हितों का नुकसान करने पर निवारक दण्ड का प्रावधान है। अंततः अमरीकी कानून से ये उपबंध लेकर पोटो की धारा 3(1)(क) में आतंकवादी गतिविधियों में किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के रूप में कानून अंततः कार्यान्वयन एजेंसियों में ही निहित होता है।

विधि आयोग ने भी यह महसूस किया कि प्रस्तावित आतंकवाद निरोधक कानून को इस तरीके से बनाया जाए जिसमें पोटो का दुरुपयोग कर रहे पुलिस अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जा सके।

अंततः मैं अपने दल, शिवसेना की ओर से पोटो का पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं तथा विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठें तथा इस अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य विधेयक का समर्थन करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया मेरे साथ सहयोग करें। हमें विधेयक पारित करना है।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखरः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे एक अनुरोध करना है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः सभा में काफी शोरगुल हो रहा है। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मैं उन माननीय सदस्यों से जो खड़े हैं, अनुरोध करता हूं कि वे अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखरः उपाध्यक्ष महोदय, हमें यहां मतदान के लिए अपराह्न 5.00 बजे उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। शाम के 7 बजकर 40 मिनट हो गए हैं। यह सही समय है जब हमें गृह मंत्री जी से इस वाद-विवाद का जवाब देने के लिए कहना चाहिए और उसके बाद मतदान होना चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मैं इस सभा की राय लूंगा और उसके बाद तदनुरूप कार्य करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में सुबह बैठक हुई थी। स्पष्ट तौर पर यह निर्णय लिया गया था कि पांच बजे पूरी की पूरी बहस समाप्त हो जाएगी और साढ़े चार बजे गृह मंत्री जी अपनी बात कहेंगे। लेकिन इतना समय हो गया है, हम लोगों को अपने कार्यक्रम उसी आधार पर बनाना है। अगर आप कहें, तो सदन की कार्यवाही कल हो जाए या इसको बन्द कर दिया जाए। आज नहीं करना है, तो आज के लिए तय नहीं करना चाहिए था। इसको बन्द कीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: चन्द्रशेखर जी ने भी यही सुझाव दिया है। क्या यह सभा की राय है कि अब गृह मंत्री अपना जवाब दें और उसके बाद मतदान हो?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। तब, मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वे अपना जवाब दें।

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): उपाध्यक्ष महोदय, शायद प्रधान मंत्री जी भी इस चर्चा में हस्तक्षेप करें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, माननीय प्रधान मंत्री जी चर्चा में कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं और किसी भी क्षण उनके आने की उम्मीद है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, इस दौरान आप दूसरे वक्ता को बोलने के लिए कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: इस दौरान मैं यह नहीं कर सकता। अभी सात-आठ वक्ता और शेष हैं। यदि मैं एक या दो को अनुमति देता हूं तो पुन: समस्या खड़ी हो जाएगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: या हम सभा को स्थगित कर दें और इसे कल जारी रखें। अन्यथा, यह मुश्किल हो जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, गृह मंत्री को अपना जवाब शुरू करने दें। जब प्रधान मंत्री आएं तो वे भी हस्तक्षेप कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, कृपया माननीय गृह मंत्री को अपना जवाब देने दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अभी और सात-आठ सदस्य बोलने के लिए शेष हैं। अब मैं किसी को अनुमति नहीं दे सकता। कृपया मुझे क्षमा करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे क्षमा करें। श्री आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सभा की यह राय है कि गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए तथा इस बहस को यहीं समाप्त किया जाना चाहिए। मैं सभा की राय से बंधा हुआ हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय गृह मंत्री कृपया अब अपना जवाब शुरू कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं शुरू करूंगा। परन्तु प्रधान मंत्री हस्तक्षेप करना चाहते थे। यदि अवधि के दौरान माननीय प्रधान मंत्री आ जाते हैं तब मैं उनके हस्तक्षेप के लिए बैठ जाऊंगा। आप कृपया इस बात की अनुमति दें। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह और भी कठिन हो जाएगा। यदि आपके जवाब देने के दौरान वे कुछ बोलना चाहेंगे तो यह मुश्किल होगा। वह और भी मुश्किल है।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: वे हस्तक्षेप करना चाहते हैं। वे इसी बात के लिए आ रहे हैं। उनको यह सूचना दी गयी थी कि अभी अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए शेष हैं *...(व्यवधान)* महोदय, आप जैसा निर्देश देंगे मैं वही करूंगा *...(व्यवधान)* यदि अभी आप मुझे जवाब देने के लिए कहते हैं तो मैं यही करूंगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रात:काल श्री मुलायम सिंह जी को मैंने वचन दिया था कि मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं लेकिन जवाब हिंदी में दूंगा। मुझे खेद है कि मेरे भाषा के प्रयोग के ऊपर इतनी टीका-टिप्पणी हुई और यहां तक कहा गया कि जो स्वभाषा का सम्मान नहीं करेगा वह स्वदेश के लिए क्या करेगा। मेरी यह कमजोरी है मान्यवर कि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। मेरी मातृभाषा सिंधी है।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप सिंधी में बोलिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मेरी शिक्षण की भाषा अंग्रेजी रही है लेकिन मैंने प्रयत्नपूर्वक हिंदी सीखी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, माननीय प्रधान मंत्री आ गए हैं। क्या आप अभी उन्हें बीच में बोलने की अनुमति देंगे? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुझसे अनुरोध किया था थोड़ा सा इंटरवेंशन करने के लिए। अगर हाउस अलाऊ करे तो प्रधान मंत्री जी को मैंने बुलाया है, उसके बाद होम-मिनिस्टर को बुलाएंगे।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का मेरा इरादा नहीं था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: पहले ही विलम्ब हो चुका है। कृपया उनकी बातों को शांतिपूर्वक सुनें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लेकिन जब मैंने सुना और पढ़ा कि मेरे बारे में विपक्ष की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने विशेष उल्लेख किया है तो मुझे अपना स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो गया। शोर-शराबे में उनके शब्द सभी सदस्यों ने स्पष्टत: सुने या नहीं, मैं नहीं कह सकता। मैं समझता था कि चलते-चलते मेरा उल्लेख हो रहा है लेकिन जब बाद में मैंने पूरा भाषण पढ़ा तो मुझे लगा कि यह चलते-चलते नहीं है, यह छपते-छपते भी नहीं है, यह पूरी तरह से सोच-विचार करके भाषण दिया गया है। मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं:

[अनुवाद]

> "सरकार के मुखिया के रूप में प्रधान मंत्री को निर्णय करना है कि क्या उनका मुख्य कर्त्तव्य भारत के लोगों का कल्याण करना है अथवा अपने दल और उसके सहयोगी संगठनों के आंतरिक दबाव के समक्ष घुटने टेकना है।"

[हिन्दी]

इसका क्या मतलब है? श्रीमती सोनिया गांधी क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने प्रधान मंत्री के नाते मेरे प्राथमिक कर्त्तव्य की याद दिलायी है। जैसे और कर्तव्य महत्वपूर्ण नहीं हैं। परिवार के दबाव में आना या नहीं आना, अपना कर्तव्य पूरा करना या नहीं करना और कर्तव्य की सबसे बड़ी कसौटी उनकी यही है कि मैं कहीं अन्य संबंधित संगठनों के दबाव में तो नहीं आ रहा हूं। जो हमारे परिवार का मामला है, उसमें सोनिया जी दखल न दें। मैं प्रधान मंत्री कांग्रेस की कृपा से नहीं हूं, कांग्रेस के विरोध के बावजूद हूं और जब तक लोग मुझे चाहते हैं, मैं रहूंगा लेकिन अब मेरे बारे में इतनी रुचि लेने की आवश्यकता क्या है? फिर आगे सवाल देखिए।

[अनुवाद]

> "क्या वे अपने नेतृत्व में कमजोर और दबाव के समक्ष झुकने वाले बने रहेंगे या, इस उच्च पद को गरिमा को बनाए रखेंगे।"

[हिन्दी]

इसके पीछे क्या भावनाएं हैं? यह कहने का मतलब क्या है? यह मेरे ऊपर आरोप है कि मैं दबाव में काम कर रहा हूं, गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। पार्लियामैंट का जीवन इस बात का साक्षी है। 1961 में संयुक्त बैठक में जो मैंने भाषण दिया था, मैं उसे अभी पढ़ रहा था। वह दहेज के सवाल पर संयुक्त बैठक हुई थी। मैंने उस समय दहेज का विरोध किया था। मुझे बाद में चर्चा में सुनना पड़ा कि आप

पुरातनवादी हैं, परम्परावादी हैं, यहां दहेज का विरोध क्यों कर रहे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव: न आपने दहेज लिया है और न दहेज दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उपाध्यक्ष महोदय, यह 1961 की बात है। मैं 1957 में पहली बार लोक सभा का सदस्य प्रतिपक्ष की ओर से चुना गया। अगर मैं दबाव में काम करता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता? दबाव में काम करने का मतलब है किसी के दबाव में? ...*(व्यवधान)* आपको बड़ी चिन्ता हो रही है कि मैं किसी के दबाव में न रहूं। अभी कहा जा रहा है कि हम परिवार के दबाव में हैं। हमारे वामपंथी सदस्य कहते हैं कि हम अमरीका या विदेशी शक्तियों के दबाव में हैं। अगर हम दबाव में है और दबाव में काम करते हैं तो फिर मेरा दल और मेरे मित्र दल मेरा समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसका औचित्य क्या है? वे जानते है कि मैं दबाव में काम नहीं करता। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, हम किसी दबाव में नहीं आये। परीक्षण के मामले में हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री ने किस तरह का व्यवहार किया था, मैं सारा चिट्ठा सदन के सामने रख सकता हूं। एक बार परीक्षण करने के लिए गड्ढा खोद दिया गया था, सुरंग तैयार हो गई थी, परीक्षण की तिथि तय हो गई थी, मगर ऐन वक्त पर परीक्षण को रद्द कर दिया गया क्योंकि विदेशी दबाव था। मैं दबाव में काम नहीं करता ...*(व्यवधान)* आप चुप रहिये। एक सीमा होती है सुनने की।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति क्लिंटन ने न्यूयार्क और वाशिंगटन में मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइये। दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा कि जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की हमारी एक इंच भूमि भी है, तब तक मैं बात नहीं करूंगा। मैं अमरीका नहीं गया, अमरीका के दबाव में नहीं आया ...*(व्यवधान)* इन लोगों को क्यों बेचैनी हो रही है? मुझे टोकने का क्या मतलब है? आपको सच बात सुनना कड़वा लगता है। इसके आगे देखिए–उनकी परीक्षा का दिन आ गया है।

[हिन्दी]

यह नेता विरोधी दल का भाषण है। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली गई भाषायें हैं, इसका भाव क्या है? मेरी परीक्षा का दिन आ गया है, इसका क्या मतलब है? मैं रोज-रोज परीक्षा दे रहा हूं। जब सोनिया जी राजनीति से कोसों दूर थीं, तब से मैं इस सदन में, इस संसद में व्यवहार कर रहा हूं। आज मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उन्हें क्या अधिकार है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सभा का संचालन करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभी माननीय सदस्य कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये। यदि कोई समस्या है, तो हम निश्चित रूप से उसका समाधान ढूंढ़ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी से अपने-अपने स्थान पर बैठने का अनुरोध करता हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभी माननीय सदस्य कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें। यदि कोई आपत्तिजनक बात है अथवा किसी समस्या का समाधान करना है तो हम उसे सुन सकते हैं और उसका समाधान खोज सकते हैं। अब, कृपया आप अपने स्थान पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपने-अपने स्थान पर बैठने का अनुरोध करता हूं। यदि कोई समस्या है, तो उसका समाधान निकालना होगा, हम इसका तभी समाधान निकाल सकते हैं जब आप अध्यक्षपीठ को सहयोग दें। कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभी सचेतकों तथा नेताओं से अनुरोध करता हूं कि कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें। यदि कोई आपत्तिजनक बात है तो हम इस बारे में बातचीत कर सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं। क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे? मैं सभी सचेतकों और नेताओं से अनुरोध करता हूं। कृपया आप अब अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

रात्रि 8.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री जी, आप अब अपनी बात जारी रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह (मध्य प्रदेश): उपाध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं कुछ नहीं सुन नहीं पा रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अर्जुन सिंह जी, आप यहां आकर बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

रात्रि 8.01 बजे

(इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री एस.एस. अहलुवालिया, श्री चन्द्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय: यह केवल व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया मुझे सहयोग कीजिए। मैं इसे अस्वीकार करूंगा।

...(व्यवधान)

रात्रि 8.02 बजे

(इस समय श्री संतोष मोहन देव, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये। सभी नेता यह सब क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? माननीय प्रधान मंत्री जी केवल व्यवस्था के प्रश्न से सहमत होंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिये। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं?

...(व्यवधान)

रात्रि 8.04 बजे

(इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री एस.एस. अहलुवालिया, श्री चन्द्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री जी उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जायें।

...(व्यवधान)

रात्रि 8.05 बजे

(इस समय श्री संतोष मोहन देव, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप तो बात ही नहीं सुन रहे हैं। फिर मेरे बोलने का क्या फायदा?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री जी सहमत नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, क्या आप कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री जी इस बात के लिए सहमत है कि अर्जुन सिंह जी दो मिनट के लिए बोलेंगे। माननीय सदस्यो, क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री जी अर्जुन सिंह जी की बात सुनने के लिए तैयार हो गये हैं। इसलिए, अर्जुन सिंह जी दो मिनट के लिए बोलेंगे। वह उनकी बात सुनने के लिए मान गए हैं। इसलिए आप कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये। बागड़ोदिया जी, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभी नेताओं, सचेतकों और माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी दो मिनट के लिए उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो गये हैं। कृपया उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनें और उसके बाद प्रधान मंत्री जी बोलेंगे। कृपया व्यवस्था बनाये रखें। माननीय सदस्यो, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

मैं सरदार बूटा सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रमोद महाजन जी, आप कृपया अपने दल के सदस्यों से बैठने के लिए कहें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रियरंजन दासमुंशी जी, आप कृपया अपने दल के सदस्यों से बैठने के लिए कहें। माननीय प्रधान मंत्री जी दो मिनट के लिए अर्जुन सिंह जी की बात सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। उसके बाद माननीय प्रधान मंत्री जी अपना भाषण जारी रखेंगे। मैं आपसे सभा में व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यहां आकर बोलने में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। मैं आज जो कह रहा हूं, वह बहुत दुखी मन से कह रहा हूं। यह वह स्थान है जहां भारत के संविधान की रचना हुई है। यह वह स्थान है जहां भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने सदियों के संघर्ष का अंतिम रूप संविधान के रूप में देश को दिया है। ऐसे स्थान पर मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से *...(व्यवधान)*

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: संजय निरूपम जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं सभा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी नेताओं का सहयोग चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: दो मिनट में और क्या करेंगे? क्या खड़े होकर माला जपेंगे? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह सब क्या है? अब माननीय प्रधान मंत्री जी बोलेंगे। हमें पहले ही देर हो चुकी है। हमें और डेढ़ घंटा लगेगा।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें व्यवस्था की होती हैं। कुछ चीजें पूरे सदन की मर्यादा की होती हैं। मैं समझता हूं कि उस मर्यादा का उल्लंघन हुआ है और इसीलिए मैं सदन से और प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, उन्होंने इस तरह से बहुत अच्छी परम्परा कायम की। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं लेकिन सदन में प्रतिपक्ष के नेता का स्थान भी ऐसा होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री ने जिस लहजे से उनके शब्दों को यहां लेकर अपना प्रतिरोध जाहिर करने की कोशिश की है, वह उन्हें शोभा नहीं देता है। यही मेरी मान्यता है। *...(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने अपने भाषण में किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है तो आप

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

उसे देख लें। उसको निकाल दें, मैं आपत्ति नहीं करूंगा। अब मेरे लहजे पर एतराज किया जा रहा है। मैं लहजा तो इस उम्र में बदल नहीं सकता। ...*(व्यवधान)* श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने मेरा यह लहजा स्वीकार किया था और उसके बाद जो पीढ़ी आई, उससे भी मुझे कभी ऐसे शब्द नहीं सुनने पड़े, जैसे इस लिखित भाषण में सुनने को मिले हैं। ...*(व्यवधान)* अभी मैंने श्रीमती सोनिया गांधी का पूरा भाषण पढ़ा नहीं है। मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं:

[अनुवाद]

"मुझे आशंका है कि जो लोग आज देश पर यह कानून थोपने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें न तो नैतिक सत्यनिष्ठा है और न ही उद्देश्य के प्रति ईमानदारी है।"

[हिन्दी]

यह मोरल इंटीग्रिटी क्या है? नैतिक सत्यनिष्ठा क्या है? इसका क्या मतलब है? अगर सत्ता पक्ष में ...*(व्यवधान)* इन शब्दों के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को खेद प्रकट करना चाहिए। अपने लम्बे संसदीय जीवन में मैंने न कभी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और न कभी अभद्र आचरण किया है मगर जो हमें उपदेश दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, पोटो के बारे में ही तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। नीयत पर शक किया जा रहा है। बोनाफाइडीज की बात हो रही है। आप अगर टाडा लाए तो ठीक है। आप अगर मीसा लाए तो ठीक है। तब हमने आपकी नीयत पर शक नहीं किया था लेकिन आज हमारी नीयत पर शक किया जा रहा है और इसीलिए मुझे पीड़ा होती है। अगर बहुमत नैतिकता से नहीं चल रहा तो फिर क्या हम अल्पमत से आशा करें कि वह नैतिकता की दुहाई दे। जिन शब्दों का यहां प्रयोग किया गया है, वैसे मैं एक सवाल को लेकर सोनिया जी की तारीफ करने वाला था, इसी भाषण में उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने लड़ाई मेरे खिलाफ छेड़ दी। ये व्यक्तिगत आरोप हैं। ये नीति संबंधी आरोप नहीं हैं। ये सिद्धान्तों का खंडन-मंडन नहीं हैं। यह मेरे व्यक्तित्व पर लांछन है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)*

मेरे सामने दो ही रास्ते हैं-या तो मैं जनता के कल्याण पर चलूं या दबाव में आऊं। अब यह कौन तय करेगा? आखिर मुझे जनता ने यहां पहुंचाया है और अगर मैं दबाव में काम कर रहा हूं तो मेरे साथी भी मुझे छोड़ देंगे, मेरा दल मुझे छोड़ देगा। विरोधी पक्ष की नेत्री को यह बताने की जरूरत नहीं है कि या तो मैं दबाव में काम करूं, नहीं तो प्रस्थान करूं। मैं अपने ढंग से देश की सेवा करने का प्रयास करता रहा हूं और आगे भी करूंगा। लेकिन अगर मुझे आपत्तिजनक बातें सुननी पड़ेंगी तो मुझे उनका उत्तर देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उपाध्यक्ष हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, मेरे भाषण में से उसे निकाल दीजिए। ...*(व्यवधान)* क्यों नहीं है? तो फिर इतना मान लीजिए कि आपने जो शोर-गुल मचाया, वह बेकार था ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की भावना का आदर करता हूं। मुझे नहीं लगता कि जब पोटो के पक्ष में और पोटो के विपक्ष में सब तर्क दे दिये गये हैं, मुझे कुछ और जोड़ने की जरूरत है।

एक ही तथ्य के बारे में मुझसे जो जानकारी मांगी गई, कुछ लोगों ने कहा कि पोटो के अधीन इन पिछले पांच महीनों में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो मुझे जो अभी तक जानकारी मिली है, उसके अनुसार दिल्ली में पोटो के अधीन चार केसेज में 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक केस संसद पर हमले का है, जिसमें पोटो के अधीन चार लोग गिरफ्तार हुए हैं। दूसरा केस है जिसमें 4.28 किलोग्राम्स आर.डी.एक्स. बरामद हुआ था, 35 लाख रुपये कैश हवाला के प्राप्त हुए थे और कई और एक्सप्लोसिव मैटीरियल प्राप्त हुए थे। उसमें छः लोग गिरफ्तार हुए थे। तीसरे केस में दिल्ली में छः लोग, पांच पाकिस्तानी और एक बंगलादेशी गिरफ्तार हुए, इसमें उनसे आर्म्स और एम्युनीशन रिकवर हुए। ये छः के छः, जो कोलकाता में हमला हुआ था, उनसे संबंधित हैं। चौथे केस में यहां पर पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी ऑफ मणिपुर के दो लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली में ये चार केसेज हैं, जिनमें कुल मिलाकर 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं।

जम्मू-कश्मीर में जरूर 91 लोग पोटो के अधीन गिरफ्तार हुए हैं। उनमें से कितने विदेशी हैं, कितने भारत के हैं, इसका इस समय मेरे पास विवेचन नहीं हैं। महाराष्ट्र में एक केस में पोटो का प्रयोग हुआ है, जिसके बारे में भी अभी बाद में जानकारी मिली कि आज कोर्ट में वहां की महाराष्ट्र की सरकार ने उस पोटो के केस को विथड्रा किया है।

मैं समझता हूं कि इसके आगे इस संयुक्त सत्र की संयुक्त बैठक का जो प्रमुख उद्देश्य है कि जब दो सदनों के बीच में मतभेद हो तो उस मतभेद के निवारण के लिए संयुक्त अधिवेशन

बुलाया जाये और उसमें मतदान करके निर्णय किया जाये कि क्या बात स्वीकार्य है। मैं संसद् से अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्य को करें। जिन लोगों ने बहस में भाग लिया, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं, उन सब को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आतंकवादी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित और राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत, पर विचार-विमर्श करने के प्रयोजन के लिए विचार किया जाये।"

श्री बसुदेव आचार्य: उपाध्यक्ष महोदय, हम मतविभाजन चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। दीर्घायें खाली कर दी जायें-

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम 367कक के अनुसार 'पक्ष में' और 'विपक्ष में' पर्चियों का वितरण करके मतविभाजन किया जाएगा। अब महासचिव पर्चियों के वितरण द्वारा मतविभाजन के संबंध में प्रक्रिया की घोषणा करें।

महासचिव: माननीय सदस्यों का ध्यान 'पक्ष में' और 'विपक्ष में' पर्चियों के वितरण द्वारा मतदान संबंधी प्रक्रिया की ओर आकर्षित किया जाता है। मतविभाजन के समय प्रत्येक माननीय सदस्य को एक पर्ची दी जाएगी। जो पर्ची हरी स्याही में छपी हुई है, वह 'पक्ष में' के लिए मत अभिलखित करने के लिए है और जो लाल स्याही में छपी हुई है, वह 'विपक्ष में' के लिए मत अभिलिखित करने के लिए है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे मत अभिलिखित करने के समय पर्चियों पर निम्नलिखित ब्यौरे स्पष्ट रूप से लिखें: (एक) नाम, (दो) विभाजन संख्या (यह विभाजन संख्या वही होगी जो सदस्य को लोक सभा अथवा राज्य सभा ने आवंटित की है, और (तीन) उस सभा का नाम, जिससे वह संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय: तीन प्रकार की पर्चियां हैं, 'हरी' पर्ची 'पक्ष में' के लिए, 'लाल' पर्ची 'विपक्ष में' के लिए और 'पीली' पर्ची 'भाग नहीं लिया' के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब दीर्घायें खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है:

"कि आतंकवादी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित और राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत, पर विचार-विमर्श करने के प्रयोजन के लिए विचार किया जाये।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ:

पक्ष में

रात्रि 8.40 बजे

अग्निराज, श्री एस.
अग्रवाल, श्री रामदास
अग्रवाल, श्री लक्खीराम
अग्रवाला, श्री परमेश्वर कुमार
अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा
अनंत कुमार, श्री
अब्दुल्ला, श्री उमर
अर्गल, श्री अशोक
अहलुवालिया, श्री एस.एस.
आंग्ले, श्री रमाकांत
आचार्य, श्री प्रसन्न
आजाद, श्री कीर्ति झा
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदि शंकर, श्री
आदित्यनाथ, योगी
आपटे, श्री ब.प.
आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता
इन्दिरा, श्रीमती एस.जी.
इन्दौरा, डा. सुशील कुमार
उमा भारती, कुमारी
उराम, श्री जुएल
ए. नरेन्द्र, श्री
एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.
एम. मास्टर मथान, श्री
एलानगोवन, श्री पी.डी.
कटारा, श्री बाबूभाई के.
कटारिया, श्री रतन लाल
कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई
कन्नप्पन, श्री एम.
कलिअप्पन, श्री के.के.
कश्यप, श्री बली राम
कस्वां, श्री राम सिंह
कादर, श्री एम.ए.
कानूनगो, श्री त्रिलोचन
कामराज, श्री आर.
काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव
कुप्पुसामी, श्री सी.
कुमार, श्री अरूण
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुमारासामी, श्री पी.
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
कृपलानी, श्री श्रीचन्द
कृष्णन, डा. सी.
कृष्णमराजू, श्री
कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम
कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.
कृष्णास्वामी, श्री ए.
कोविन्द, श्री रामनाथ
कौर, श्रीमती गुरचरण
कौशल, श्री रघुवीर सिंह
कौशल, श्री स्वराज
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र
खन्ना, श्री विनोद
खान, श्री हसन
खुराना, श्री मदन लाल
खूंटे, श्री पी.आर.
खैरे, श्री चन्द्रकांत
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गढ़वी, श्री पी.एस.
गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती मेनका
गाड्डे, श्री राम मोहन
गावीत, श्री रामदास रूपला
गिलुवा, श्री लक्ष्मण
गीते, श्री अनंत गंगाराम
गुढ़े, श्री अनंत
गुप्त, प्रो. चमन लाल
गेहलोत, श्री थावरचन्द
गोयल, श्री विजय
गोयल, श्री वेद प्रकाश
गोहेन, श्री राजेन
गौतम, श्री संघ प्रिय
गौतम, श्रीमती शीला
ग्याम्छो, श्री पालदेन छिरिंग
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चतुर्वेदी, श्री टी.एन.
चन्देल, श्री सुरेश
चन्द्रन, श्री एस.एस.
चिन्नासामी, श्री एम.
चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई
चौटाला, श्री अजय सिंह
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पदमसेन
चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री हरिभाई
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
चौहान, श्री निहाल चन्द
चौहान, श्री शिवराज सिंह
चौहान, श्री श्रीराम
जगतरक्षकन, डा. एस.
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री
जटिया, डा. सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जयशीलन, डा. ए.डी.के.
जाधव, श्री सुरेश रामराव
जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद
जावमा, श्री वनलाल
जावीया, श्री जी.जे.

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.
जूदेव, श्री दिलीप सिंह
जेटली, श्री अरुण
जेठमलानी, श्री राम
जैन, श्री पुष्प
जोशी, डा. मुरली मनोहर
जोशी, श्री कैलाश
जोशी, श्री मनोहर
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.
ठाकुर, डा. सी.पी.
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स
ढिंडसा, श्री सुखदेव सिंह
ढिकले, श्री उत्तमराव
तिक्से, श्री कुशोक
तिरुनावुकरसर, श्री सु.
तिरुनावुक्कारासु, श्री सी.पी.
तिवारी, श्री लाल बिहारी
तुड़, श्री तरलोचन सिंह
तोमर, डा. रमेश चंद
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री रामनरेश
थामस, श्री पी.सी.
दग्गुबाटि, श्री राम नायडू
दत्तात्रेय, श्री बंडारू
दलित इजिलमलाई, श्री
दवे, श्री अनन्तराय देवशंकर
दाहाल, श्री भीम
दिनाकरन, श्री टी.टी.वी.
दिलेर, श्री किशन लाल
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
दुराई, श्री एम.
देलकर, श्री मोहन एस.
देव, श्री बिक्रम केशरी
देवी, श्रीमती कैलाशो
देशमुख, श्री नाना
ध्यानी, श्री मनोहर कान्त
नन्दी, श्री प्रीतीश
नरेन्द्र मोहन, श्री
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येसो
नागमणि, श्री
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
नायडु, श्री एम. वेंकैया
नारायणन, श्री पी.जी.
नाहटा, श्रीमती जयप्रदा
निरुपम, श्री संजय
निरैकुलथन, श्री एस.
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
नीतीश कुमार, श्री
पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी
पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा. अशोक
पटेल, डा. ए.के.
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री दीपक
पटेल, श्री प्रफुल्ल
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री मानसिंह
पटेल, श्री मुकेश आर.
पंडा, श्री बी.जे.
पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा
परमार, श्री कृपाल
परस्ते, श्री दलपत सिंह
परांजपे, श्री प्रकाश
पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.
पवार, श्री शरद
पवैया, श्री जयभान सिंह
पांजा, श्री अजित कुमार
पांडियन, श्री पी.एच.
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री बालासाहिब विखे
पाटील, श्री लक्ष्मणराव
पाटील, श्री श्रीनिवास
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार
पार्थसारथी, श्री बी.के.
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री राजनारायण
पुंज, श्री बलबीर के.
पोटाई, श्री सोहन
पोन्नुस्वामी, श्री ई.
प्रधान, डा. देवेन्द्र
प्रधान, श्री अशोक
प्रधान, श्री सतीश
प्रभु, श्री सुरेश
प्रसाद, श्री रवि शंकर
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बंगारू लक्ष्मण, श्री
बख्त, श्री सिकन्दर
"बचदा", श्री बची सिंह रावत
बचानी लेखराज, श्री
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
बालू, श्री टी.आर.
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह
बेहरा, श्री पद्मनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
बोरा, श्री इन्द्रमणि
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगत, प्रो. दुखा
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंगेशकर, सुश्री लता
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा
मलयसामी, श्री के.
मलिक, श्री जगन्नाथ
मल्याला, श्री राजैया
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्होत्रा, डा. विजय कुमार
महताब, श्री भर्तृहरि
महतो, श्रीमती आभा
महरिया, श्री सुभाष
महाजन, श्री प्रमोद
महाजन, श्री वाई.जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
मांझी, श्री रामजी
माझी, श्री परसुराम
मान, श्री जोरा सिंह
मान सिंह, राव
माने, श्री शिवाजी
माने, श्रीमती निवेदिता
मारन, श्री मुरासोली
मिश्र, श्री कलराज
मिश्र, श्री दीनानाथ
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री सत्यव्रत
मुण्डा, श्री कड़िया
मुनिलाल, श्री
मुरुगेसन, श्री एस.
मुर्मू, श्री सालखन
मुलाना, श्री फकीर चन्द
मूर्ति, श्री ए. के.
मूर्ति, श्री एम. राजशेखर
मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.
मेघवाल, श्री कैलाश
मेहता, श्री ललितभाई
मेहता, श्रीमती जयवंती

मैत्रेयन, डा. वी.
मोहले, श्री पुन्नू लाल
मोहिते, श्री सुबोध
मोहोल, श्री अशोक ना.
यादव, डा. जसवंत सिंह
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
यादव, श्री डी.पी.
यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री भालचन्द्र
यादव, श्री रमाकान्त
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
येरननायडू, श्री के.
रमण, डा.
रमैया, डा. बी.बी.
रवि, श्री शीशराम सिंह
रशीद, मिर्जा अब्दुल
राजकुमार, डा. अलादी पी.
राजगोपाल, श्री ओ.
राजा, श्री ए.
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राठवा, श्री रामसिंह
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री सी.पी.
राधाकृष्णन, श्री पोन
राम, श्री ब्रजमोहन
रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.
रामचन्द्रैया, श्री सी.
रामशकल, श्री
रामास्वामी, श्री चो. एस.
रामैया, श्री गुनीपाटी
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री लाजपत
राय, श्री विष्णु पद
राव, डा. डी.वी.जी. शंकर
राव, डा. डी. वेंकटेश्वर
राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण
राव, श्री के. कलावेंकट
राव, श्री के. राम मोहन
राव, श्री गंता श्रीनिवास
राव, श्री यदलापति वेंकट
राव, श्री वाई.वी.
राव, श्री सीएच. विद्यासागर
रावत, प्रो. रासा सिंह
रावत, श्री प्रदीप
रावले, श्री मोहन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रूमान्डला रामचन्द्रय्या, श्री
रेड्डी, डा. सी. नारायण
रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन.आर.के.
रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर
रेड्डी, श्री चाडा सुरेश
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेड्डी, श्री पी. प्रभाकर
रेड्डी, श्री बी.वी.एन.
रेड्डी, श्री सोलीपेटा रामचन्द्रा
रेनु कुमारी, श्रीमती
लक्ष्मी प्रसाद, डा. वाई.
लिब्रा, श्री सुखदेव सिंह
वंगा गीता, श्रीमती
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, डा. साहिब सिंह
वर्मा, प्रो. रामबख्श सिंह
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री विक्रम
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.
वहाडणे, श्री सूर्यभान पाटील
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
विजयन, श्री ए.के.एस.
विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.
विरूम्भी, श्री एस. विडुतलै
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, डा. एस.
वेणुगोपाल, श्री डी.
वेत्रिसेलवन, श्री वी.
वैको, श्री
शंकरलिंगम, प्रो. एम.
शरत् कुमार, श्री आर.
शरीक, श्री शरीफ-उद्-दीन
शर्मा, डा. महेश चन्द्र
शर्मा, श्री अनिल
शशि कुमार, श्री
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शान्ता कुमार, श्री
शारदा, श्रीमती सविता
शाह, श्री मानवेन्द्र
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिरोडकर, श्री अधिक
शुक्ल, श्री राजीव
शौरी, श्री अरुण
श्यामलाल, श्री
श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.
श्रीनिवासन, श्री सी.
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा
षणमुगम, श्री एन.टी.
संकेश्वर, श्री विजय
संगमा, श्री पूर्णो ए.
संघाणी, श्री दिलीप
सरोजा, डा. वी.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
सामन्तराय, श्री प्रभात
सामल, श्री मनमोहन
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
साहू, श्री ताराचन्द
सिंघवी, डा. लक्ष्मीमल्ल
सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री अजित
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्र विजय
सिंह, श्री छत्रपाल
सिंह, श्री जसवन्त
सिंह, श्री दिग्विजय
सिंह, श्री देवी प्रसाद
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री बहादुर
सिंह, श्री बृज भूषण शरण
सिंह, श्री महेश्वर
सिंह, श्री राधामोहन
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री वीरभद्र
सिंह, श्री सुखबीर
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिंह 'ललन', श्री राजीव रंजन
सिंह, 'सूर्य', श्री राजनाथ
सिंहल, श्री भारतेन्दु प्रकाश
सिकदर, श्री तपन
सिन्हा, श्री मनोज
सिन्हा, श्री यशवन्त
सिरिगीरेड्डी, श्री राममुनी रेड्डी
सिवा, श्री पी.एन.
सिवासुब्रमणियन, श्री एस.
सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)
सुन्दरराजन, श्री पी.
सुब्बियन, श्री का.रा.
सेठी, श्री अर्जुन
सेल्वागनपति, श्री टी.एम.
सैफुल्ला, श्री के.एम.
सोमैया, श्री किरीट
सोलंकी, श्री गोपाल सिंह जी.
सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा
स्वाइं, श्री खारबेल
स्वामी, श्री ईश्वर दयाल
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
हक, मोहम्मद अनवारूल
हुसैन, चौ. तालिब
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

अखिलेश दास, डा.
अजय कुमार, श्री एस.
अनिल कुमार, श्री
अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.
अमीर आलम, श्री
अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत
अलफोन्से, श्री एस. पीटर
अहमद, श्री ई.
आचार्य, श्री बसुदेव
आज़मी, मौलना ओबैदुल्ला खान
आजाद, श्री गुलाम नबी
आठवले, श्री रामदास
आनन्द, श्री आर.के.
आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट
इब्राहीम, श्री सी.एम.
ईडन, श्री जार्ज
उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम
ओझा, श्री नागेन्द्र नाथ
ओला, श्री शीश राम
ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन
कमलनाथ, श्री
करूणाकरन, श्री के.
कर्ण सिंह, डा.
कलमाडी, श्री सुरेश
किदवई, डा.ए.आर.
कुरूप, श्री सुरेश
कुरैशी, श्री अब्दुल गैयूर
कृष्णदास, श्री एन.एन.
केसवानी, श्री सुरेश ए.
कोंडैया, श्री के.सी.
कौर, श्रीमती प्रेनीत
कौशिक, श्री रमा शंकर
खां, श्री अबुल हसनत
खां, श्री सुनील
खान (दुरु), श्री ऐमादुद्दीन अहमद
खान, श्री के.एम.
खान, श्री के. रहमान
खूंटिआ, श्री रामचन्द्र
गमांग, श्रीमती हेमा
गया सिंह, श्री
गवई, श्री आर.एस.
गांधी, श्रीमती सोनिया
गामलिन, श्री जारबोम
गालिब, श्री जी.एस.
गावित, श्री माणिकराव होडल्या
गुप्त, श्री बनारसी दास
गुप्ता, श्री प्रेमचन्द
गोगोई, श्री दीप
गोयनका, श्री आर.पी.
गौडा, श्री एच.के. जवारे
गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्री शंकर राव
चितरंजन, श्री जे.
चेन्नितला, श्री रमेश
चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम
चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री विकास
चौधरी, श्रीमती रीना
चौधरी, श्रीमती रेणूका
चौधरी, श्रीमती सन्तोष
चौहान, श्री दारा सिंह

जमीर, श्री सी. अपोक
जहेदी, श्री महबूब
जाफर शरीफ, श्री सी.के.
जायसवाल, श्री जवाहर लाल
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जार्ज, श्री के. फ्रांसिस
जालप्पा, श्री आर.एल.
जाहिदी, श्री खान गुफ़रान
जोस, श्री ए.सी.
ज्ञानादिशिखन, श्री बी.एस.
टोपनो, कुमारी फ्रिडा
डूडी, श्री रामेश्वर
डोम, डा. राम चन्द्र
तिवारी, श्री सुन्दर लाल
तोपदार, श्री तरित बरण
तोहड़ा, सरदार गुरुचरण सिंह
दर्डा, श्री विजय जे.
दसारी, श्री एन.आर.
दास, डा. एम.एन.
दास, श्री खागेन
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासगुप्त, डा. विप्लव
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दीपक कुमार, श्री
दुबे, श्रीमती सरोज
दूलो, श्री शमशेर सिंह
देव, श्री संतोष मोहन
देवगौड़ा, श्री एच.डी.
नरह, श्रीमती रानी
नायक, श्री ए. वेंकटेश
नारीमन, श्री फाली एस.
नैयर, श्री कुलदीप
पचौरी, श्री सुरेश
पटेल, श्री अहमद
पटेल, श्री आत्माराम भाई
पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी
पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई
पटेल, श्री दिन्शा
पटेल, श्री धर्म राज सिंह
पण्डा, श्री प्रबोध
परमार, श्री राजू
पांडे, श्रीमती चन्द्रकला
पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव
पाटिल, श्री आर.एस.
पाटील, श्री उत्तमराव
पाटील, श्री प्रकाश वी.
पाटील, श्री भास्करराव
पाटील, श्री शिवराज वि.
पायलट, श्रीमती रमा
पाल, श्री रूपचन्द
पॉलोस, श्री सी.ओ.
पिल्लै, श्री एस. रामचन्द्रन
पुगलिया, श्री नरेश
प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.
प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.
प्रेमाजम, प्रो. ए.के.
फर्नांडिस, श्री ओस्कर
फागुनी राम, डा.
फारूक, श्री एम.ओ.एच.
फेलेरियो, श्री एडुआर्डो
बंगरप्पा, श्री एस.
बंसल, श्री पवन कुमार
बखला, श्री जोवाकिम
बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह
बनातवाला, श्री जी.एम.
बब्बर, श्री राज
बरगोंहाइ, श्री द्रुपद
बर्मन, श्री रनेन
बसवनागौड़, श्री कोलुर
बसवराज, श्री जी.एस.
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री नीलोत्पल
बागड़ोदिया, श्री संतोष
बारूपाल, श्रीमती जमना देवी
बिन्द, श्री रामरती
बिरला, श्री कृष्ण कुमार
बिस्वास, श्री देवव्रत
बुन्देला, श्री सुजानसिंह

बेगम नूर बानो
बैरागी, श्री बालकवि
बोचा, श्री सत्यनारायण
बोम्मई, श्री एस.आर.
बौरी, श्रीमती संध्या
भंडारी, प्रो. रामदेव
भगोरा, श्री ताराचन्द
भट्ट, श्री ब्रह्मकुमार
भट्टाचार्य, श्री कर्णेन्दु
भट्टाचार्य, श्री मनोज
भडाना, श्री अवतार सिंह
भारद्वाज, श्री हंसराज
भूरिया, श्री कांतिलाल
भेंडिया, श्री झुमुक लाल
भौरा, श्री भान सिंह
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री सवशीभाई
मट्टातिल, श्री एम.जे. वरके
मनमोहन सिंह, डा.
मनहर, श्री भगत राम
महंत, डा. चरण दास
महतो, श्री बीर सिंह
महाराज, डा. स्वामी साक्षीजी
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
मान, श्री सिमरनजीत सिंह
माहेश्वरी, श्री पी.के.
माहेश्वरी, श्रीमती सरला
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री रंगनाथ
मिस्त्री, श्री मधुसूदन
मीणा, श्री भेरूलाल
मीणा, श्री मूल चन्द
मुखर्जी, श्री दीपांकर
मुखर्जी, श्री प्रणब
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मुरलीधरन, श्री के.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मूर्ति, डा. वाई. राधाकृष्ण
मूर्ति, श्री के.बी. कृष्णा
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन, श्री पी.
यादव, चौधरी हरमोहन सिंह
यादव, प्रो. रामगोपाल
यादव, श्री अखिलेश
यादव, श्री देवेन्द्र सिंह
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री मुलायम सिंह
यादव, श्री विजय सिंह
यादव 'रवि', डा. रमेन्द्र कुमार
रंगपी, डा. जयन्त
राघवन, श्री वी.वी.
राजवंशी, श्री माधव
राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
राजेन्द्रन, श्री पी.
राधाकृष्णन, श्री वरकला
रामुलू, श्री एच.जी.
रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह
राय, प्रो. (श्रीमती) भारती
राय, श्री अवनि
राय, श्री जीवन
राय, श्री सुबोध
राय, श्रीमती कुमकुम
राय चौधरी, श्री शंकर
राय प्रधान, श्री अमर
रायकर, श्रीमती बिम्बा
राव, डा. दसारी नारायण
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, श्री रामसागर
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण
रिजवान जहीर, श्री
रिजवी, डा. अख्तर हसन
रिबैलो, कुमारी मैबल
रियान, श्री बाजू बन
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द
रेबिया, श्री नाबम

लक्ष्मी सागर, प्रो. ए.
लछमन सिंह, श्री
लामा, श्री दावा
लाहिड़ी, श्री समीक
लेपचा, श्री एस.पी.
वंग्चा, श्री राजकुमार
वर्मा, श्री बेनी प्रसाद
वर्मा, श्री रवि प्रकाश
वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह
वाघेला, श्री शंकर सिंह
विजय राघवन, श्री ए.
व्यास, डा. गिरिजा
शर्मा, कैप्टन सतीश
शर्मा, श्रीमती बसंती
शहाबुद्दीन, मोहम्मद
शाक्य, श्री रघुराज सिंह
शिंदे, श्री सुशील कुमार
शिवकुमार, श्री वी.एस.
शुक्ल, श्री श्यामाचरण
शेरवानी, श्री सलीम आई.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई.जी.
समदानी, श्री एम.पी. अब्दुसमद
सर, श्री निखिलानन्द
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्री तूफानी
सरोज, श्रीमती सुशीला
सांगतम, श्री के.ए.
सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य मा.
सिंह, कुंवर अखिलेश
सिंह, कुंवर सर्वराज
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह
सिंह, श्री अमर
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र भूषण
सिंह, श्री चन्द्रनाथ
सिंह, श्री चरनजीत
सिंह, श्री डब्ल्यू. अङो
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री टीएच. चाओबा
सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री राजो
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री लक्ष्मण
सिंह, श्री सुरेन्द्र कुमार
सिंह, श्रीमती कान्ति
सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना
सिंह, श्रीमती श्यामा
सिंह, सरदार बूटा
सिंह देव, श्री के.पी.
सिब्बल, श्री कपिल
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.
सुधीरन, श्री वी.एम.
सुब्बा, श्री एम.के.
सुमन, श्री रामजीलाल
सुरेश, श्री कोडीकुनील
सेठ, श्री लक्ष्मण
सेठी, श्री अनन्त
सेन, श्रीमती मिनाती
सेनगुप्त, श्री ब्रतीन
सोनी, श्रीमती अम्बिका
सोराके, श्री विनय कुमार
हमीद, श्री अब्दुल
हसन, श्री मुनव्वर
हसन, श्री मोइनुल
हिफेई, श्री
हेपतुल्ला, डा. (श्रीमती) नजमा

उपाध्यक्ष महोदय: शुद्धि* के अध्यधीन, मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 425

विपक्ष में : 296

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* पर्चियों की जांच के पश्चात् मतविभाजन का अंतिम परिणाम इस प्रकार रहा:

पक्ष में 425
विपक्ष में 294
भाग नहीं लिया–कोई नहीं

उपाध्यक्ष महोदय: दीर्घाओं के द्वार खोल दिये जायें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, विरोध के रूप में हम सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

रात्रि 8.56 बजे

(इस समय, श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 64 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 64 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

रात्रि 9.00 बजे

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी यह प्रस्ताव करें कि यह विधेयक पारित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: यह विधेयक पारित हुआ:

माननीय सदस्यों, दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक को समाप्त करने से पहले, मैं सभी सदस्यों की भागीदारी, सहयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सर्वोत्कृष्ट परंपराएं कायम रखने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं लोक सभा के महासचिव, लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उन अन्य एजेंसियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस ऐतिहासिक बैठक को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया।

संसद के सदनों की संयुक्त बैठक अब समाप्त होती है।

रात्रि 9.02 बजे

तत्पश्चात् संसद के सदनों की संयुक्त बैठक समाप्त हुई।

पी.एल.एस.–48.1.1/2002 (एन०)
345

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

संसद के सदनों (संयुक्त बैठकें तथा संवाद) संबंधी नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रकाशित
और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।